अष्टम माला, खण्ड 7, अंक 2

बुधवार, 24 जुलाई, 1985

2 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 7, तीसरा सत्र, 1985/1907(शक)

अंक 2, बुधवार, 24 जुलाई, 1985/2 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21 से 26 और 28	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—172
तारांकित प्रश्न संख्या : 27, 29 से 35 और 37 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 215 से 236, 238 से 324, 326, 327, 329, 331 से 368, 370 से 408 और 410 से 414	
विशेषाधिकार का प्रश्न	172—177
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	178 व 180—187
विधेयकों पर अनुमति	187
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अधीन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश में संशोधन	187—188
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	188
पहला प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	188
छठा प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश	
प्राचिका का प्रस्तुतीकरण	191
कार्य मन्त्रणा समिति	191
आठवां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले : 191—195

(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को प्राथमिकता के आधार पर भरने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन 191

(दो) मुजफ्फरपुर स्थित विद्यमान दूरदर्शन इनसेट-1-बी ट्रांसमीटर स्टेशन को कायम रखने और बिहार में दरभंगा में प्रस्तावित दूरदर्शन टावर का तुरंत निर्माण करने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस 192

(तीन) देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता

श्री मूल चन्द डागा 192

(चार) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में भयंकर सूखे से प्रभावित लोगों को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 193

(पांच) केरल के इदुक्की जिले में विनाशकारी बाढ़ से कुप्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन 193

(छ:) उड़ीसा में बालासोर और बाड़ीपाड़ा में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दूरदर्शन रिले/ट्रांसमीशन केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना 194

(सात) पश्चिम बंगाल के छोटे और सीमांत कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए सहकारी बैंकों के पुराने ऋण माफ करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी 194

(आठ) कर्नाटक में विजयनगर में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता

डा० वी० वेंकटेश 195

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 1985 (जारी-समाप्त) 196—216

विचार करने के लिए प्रस्ताव 196—216

श्री पी० आर० कुमारमंगलम 196

श्री एस० कृष्ण कुमार 198

श्री थम्पन थामस 199

श्री सोमनाथ रथ 200

श्री दिलीप सिंह भूरिया 201

श्री बी० बी० रमैया 202

विषय	पृष्ठ
श्री राम सिंह यादव	204
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	205
श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी	207
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	208
श्री काली प्रसाद पांडेय	210
श्री प्रकाश बी० पाटिल	210
श्री राम प्यारे पनिका	211
श्री जनार्दन पुजारी	213
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	216
श्री जनार्दन पुजारी	216
अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1985-86	**217—228**
श्री सैफुद्दीन चौधरी	217
श्री एन० टोम्बी सिंह	222
डा० दत्ता सामन्त	225
अलबामा में एक मरसिनरि स्कूलमें भारतीय आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिए जाने के समाचार के बारे में चर्चा (असमाप्त)	**228—255**
श्री शान्ति धारीवाल	228
श्री विष्णु मोदी	231
श्रीमती गीता मुखर्जी	232
श्री जैनुल बशर	234
श्री एन० वेंकटरत्नम	237
श्रीमती कृष्णा साही	238
श्री जी० जी० स्वैल	240
श्री बनवारी लाल पुरोहित	242
श्री सैफुद्दीन चौधरी	244
प्रो० के० के० तिवारी	247
श्री बी० के० गढवी	250
श्री राम बहादुर सिंह	252
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	253
पंजाब के सम्बन्ध में वक्तव्य	**255—258**
श्री राजीव गांधी	

विषय	पृष्ठ
अलबामा में एक मरसिनरि स्कूल में भारतीय आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिए जाने के समाचार के बारे में चर्चा (जारी-असमाप्त)	258—261
श्री अजय मुशरान	259
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	261

लोक सभा

बुधवार, 24 जुलाई, 1985/2 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

एयर इंडिया के बोइंग विमान की अटलांटिक महासागर में दुर्घटना

*21. श्री आर० एम० भोये :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का बोइंग विमान 'कनिष्क' मांट्रियल से भारत को आते हुए रास्ते में अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें मारे गये यात्रियों की संख्या तथा अन्य विस्तृत ब्यौरे क्या हैं;

(ग) भारत सरकार द्वारा इसके सम्बन्ध में दी जा रही सहायता और की जा रही कार्यवाही का स्वरूप क्या है;

(घ) क्या दुर्घटना का सही कारण अथवा कारणों का पता लगाने के लिए अब तक कोई प्रमाण मिला है;

(ङ) प्राप्त किए गए शवों की संख्या कितनी है;

(च) मारे गए व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को दिए जा रहे मुआवजे का ब्यौरा क्या है तथा मुआवजे के शीघ्र भुगतान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) इस दुर्घटना से एयर इंडिया को अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (छ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान 'कनिष्क' 23 जून, 1985 को ग्रीनविच माध्यम टाइम के अनुसार लगभग 0713 बजे और भारतीय समय के अनुसार लगभग 1243 बजे शैनोन (आयरलैंड) के दक्षिण पश्चिम में 185 मील दूर अटलांटिक ओशन में गिर गया। यह अभागा विमान मांट्रियाल-लन्दन-दिल्ली-बम्बई मार्ग पर अनुसूचित ए आई-182 उड़ान प्रचालित कर रहा था और इसमें कर्मीदल के 22 व्यक्तियों सहित 329 व्यक्ति सवार थे। दुर्घटना के समय यह विमान 31,000 फुट की ऊँचाई पर उड़ रहा था।

कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं पाया गया।

(ग) सूचना प्राप्त होते ही बम्बई और दिल्ली स्थित हवाई अड्डों पर एयर इंडिया के बुकिंग कार्यालयों में आपात एकक स्थापित किए गये। जनसाधारण द्वारा मांगी गयी जानकारियां देने के लिए दिल्ली और बम्बई में सीधा टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था की गयी और रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से इन टेलीफोन नम्बरों का व्यापक प्रचार किया गया।

एयर इंडिया ने दुर्घटना के शिकार हुए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार से एक सम्बन्धी को लन्दन/कार्क ले जाने और वापस लाने की नि: शुल्क सुविधा प्रदान की। कुछ मामलों में यह सुविधा एक से अधिक व्यक्तियों को भी दी गयी। दुर्घटना के सम्बन्ध में कार्क गये प्रत्येक निकटतम सम्बन्धी को नि:शुल्क होटल आवास, खाना और वाहन तथा आकस्मिक खर्च पूरा करने के लिए नकद भत्ता दिया गया। शवों को भारत में उनके मंतव्य स्थानों तक पहुँचाने के लिए उनके निकटतम सम्बन्धियों को नि:शुल्क वाहन भी उपलब्ध कराए गये।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश को दुर्घटना की औपचारिक जाँच करने के लिए न्यायालय के रूप में नियुक्त किया है। न्यायालय से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1985 तक सरकार को दे दे। न्यायालय द्वारा अपनी जाँच पूरी करने और सरकार को इसकी रिपोर्ट देने के बाद ही दुर्घटना के कारणों का पता लग सकेगा।

(ङ) 131 शव प्राप्त किये गये।

(च) यात्रियों के उत्तराधिकारियों को देय मुआवजा विमान वहन अधिनियम, 1972 में सम्मिलित वारसा संधि 1929 द्वारा यथासंशोधित हेग समझौता 1955 द्वारा शासित होता है। एयर इंडिया का दायित्व प्रति यात्री 2,50,000 फांसिसी फ्रेंक (20,000 अमरीकी डालर) तक सीमित है। तथापि, विमान वहन अधिनियम वाहक कम्पनी को उच्चतर दायित्व का भुगतान करने की सहमति प्रदान करने की अनुमति देता है। तदनुसार, एयर इंडिया ने प्रति यात्री अधिकतम 75,000 अमरीकी डालर तक दायित्व स्वीकार किया है।

पंजीकृत सामान के मामले में सामान दायित्व प्रति किलोग्राम 20 अमरीकी डालर तक और बिना पंजीकृत सामान के लिए 400 अमरीकी डालर है।

वास्तविक मुआवजे की देयता का निर्धारण उत्तराधिकारियों को हुई आर्थिक हानि का सामान्य नियमों और कानूनों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाएगा। इसके लिए एयर इंडिया मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों को औपचारिकताएँ शीघ्र पूरी करने में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी।

निगम की स्व-बीमा योजना के अधीन चालक दल को नीचे दी गयी सीमा तक मुआवजा देय होगा :—

1. कमाण्डर	2,25,000/- रुपए
2. प्रथम अधिकारी	2,00,000/-रुपए
3. फ्लाइट इंजीनियर	1,75,000/- रुपए
4. चालक दल के सदस्य	1,20,000/- रुपए

ड्यूटी पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर चालक दल मूल वेतन का 60 गुणा अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का पात्र होता है।

(छ) पूरे विमान का बीमा करवाया हुआ था। निकट सम्बन्धियों को देय मुआवजा भी बीमे में शामिल है। चालक दल के सदस्यों के उत्तराधिकारियों को देय राशि एयर इंडिया की स्व-बीमा योजना में शामिल है।

इस विमान की हानि के परिणामस्वरूप एयर इंडिया को भारत और कनाडा के बीच प्रति सप्ताह एक उड़ान रद्द करनी पड़ी है जिससे एयर इंडिया को प्रति दौरा लगभग 3.40 लाख रुपए की हानि होगी।

[हिन्दी]

श्री आर० एस० भोये : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह सच है कि जब कनिष्क जम्बोजेट हवाई जहाज मांट्रियल से निकला तब उस टाइम हवाई अड्डे पर बिजली गायब थी और दूसरी बात यह भी जानना चाहता हूँ कि दो यात्री जिनका बम्बई तक का टिकट था, लेकिन वे टोरांटो उत्तर गए ?

श्री अशोक गहलोत : सर, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं—उनमें पहली बात कि दो पेसेंजर टोरांटो उतर गए, दो पैसेंजर्स का टोरांटो उतरने का सवाल ही नहीं है क्योंकि वह फ्लाइट मांट्रियल से 182 थी। जहां तक दूसरा सवाल है और बिजली गुल होने की बातहै, इस प्रकार की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

श्री आर० एस० भोये : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूँ कि अभी तक कितनी लाशें मिली हैं ?

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, अभी तक 131 लाशें मिली हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विमान ने जब वहाँ से उड़ान ली, तो उसके पहले वहाँ की सरकार को जो सुरक्षा का पक्का इन्तजाम करना चाहिए था वैसा पक्का इन्तजाम था और जो यात्रियों का सामान चैक किया जाता है, वह ठीक तरह से किया गया या नहीं क्योंकि पता चला है कि सामान चैक करने में कुछ रुकावट आ गई थी, क्या यह सही है, ये बातें मैं सरकार से जानना चाहता हूँ ?

श्री अशोक गहलोत : सर, वैसे तो जहाँ से विमान उड़ान लेता है, वहां सम्बन्धित कंट्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उसके बावजूद एयर इंडिया ने अलग से मशीन लगा रखी थी...

श्री इंद्रजीत गुप्त : वह बिगड़ गयी थी।

श्री अशोक गहलोत : आप अलग से सवाल पूछिए मैं जवाब दे दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो बता रहा हूँ।

श्री अशोक गहलोत : तो फिर बैठे-बैठे नहीं पूछना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वे तो पूछ नहीं रहे हैं, वे तो प्रोम्प्ट कर रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत : बाकी बात कि वहाँ की सुरक्षा के प्रबन्ध के बारे में कोई कमी रही है, ऐसी मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। जांच आयोग बैठाया गया है, वह सारे तथ्यों की जांच करेगा, उसके बाद ही मैं समझ सकता हूँ और कोई ऐसी बात सामने आएगी, तो उसे मैं सदस्यों की जानकारी में दे सकता हूँ।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : वक्तव्य में कहा गया है कि यात्रियों के उत्तराधिकारियों को 75,000 अमरीकी डालर यानिकि 9 लाख रुपये की क्षति पूर्ति दी गई है जबकि केबिन दल के सदस्यों को 1.2 लाख रुपए तथा मूल वेतन 60 गुना अर्थात् 1.8 लाख रुपये तथा मुमावजे के रूप में दिये जायेंगे। क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं कि केबिन दल के सदस्यों के उतराधिकारियों के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है ? क्या मंत्री जी इस मुआवजे की रकम में वृद्धि करने पर विचार करेंगे ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : सर, पैसेंजर्स का जो बीमा किया हुआ है, उसके अनुसार उनको मैक्सिमम 75,000 यू० एस० डालर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सब को इतने ही मिलें, इससे कम भी मिल सकते हैं, इसके लिए तो अलग-अलग फैक्टर काम करेंगे। जहां तक केबिन क्रू की बात कही है—कमाण्डर को 2, 25,000 रु०, फ्लाइट आफिसर को 2,00,000 रु० और फ्लाइट इंजीनियर को 1,75,000 रु० और चालक दल के सदस्यों को 1,20,000 रु० मिलेंगे इसके अलावा जो उनकी बेसिक सैलरी है उसका 60 परसेण्ट उनको और मिलेगा। और प्लस अभी जो एयर इंडिया बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें यह फैसला लिया गया है कि केबिन के प्रत्येक सदस्य को 2 लाख रुपये एक्स-ग्रेशिया ग्रान्ट दी जायेगी। इसमें किसी प्रकार कम नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री अमिताभ बच्चन : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी मुझे बतायेंगे कि क्या यह सच है कि विस्फ़ोटक पदार्थों का पता लगाने वाली मशीनें उड़ान शुरू होने के 2 दिन पूर्व से खराब थीं और यह खराबी इतने दिनों से क्यों थी ? दूसरी बात यह है कि जिन कुत्तों का काम विस्फोटक पदार्थों का पता सूंघ कर लगाना था जब उन्हें एयर लाइन्स में ले जाये जाने वाले सामान को दिखाया गया तो वे पागल से हो गये और बाद में यों ही सामान की दो या तीन वस्तुओं को उठाकर जांच की गयी जब मशीन कार्य नहीं कर रही थी, जब कुत्ते पागल हो रहे थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी सामान उठाकर उनकी जाँच की गयी जबकि सारे सामान की जाँच की जानी चाहिये थी ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : जहाँ तक मशीन के खराब होने की बात है, वहाँ पर यह मशीन कोई दो दिन से खराब नहीं हुई थी और इसीलिए जब फलाइट आ रही थी, उस वक्त जो बैगेज थे, उसमें से 60 परसेण्ट उसी मशीन में देखे गये थे, उसके बाद वह मशीन बन्द हो गयी। उसके बाद पी० डी० 4 जो इक्विपमेंट होता है, उसके माध्यम से सारा बैगेज चैक किया गया और उसके बाद लोड किया गया था। जो 3 बैगेज की बात अखबारों में भी छपी है और माननीय सदस्य को और कहीं से जानकारी मिली होगी, उन तीन बैगेज को, जिस पर शक हुआ, अलग रख दिया गया था। अलग रखने के बाद प्लेन आ चुका था, उसके बाद उन्हें डी-कम्प्रेशन कम्पार्टमेंट में रखा गया था। जो डोग आये थे, उन्होंने उनको चैक किया। पहले जब शक हुआ था तो उनको डी-कम्प्रेशन कम्पार्टमेंट में ले गये थे, उसके बाद उन पैकेज को लाया गया और खोला गया। उनमें किसी प्रकार का कोई नुक्स नहीं निकला। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो सावधानी वहां पर रखी जानी चाहिये थी, उसका पूरा ध्यान रखा गया।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, वायस रिकार्डर तथा डाटा रिकार्डर मिल गये हैं। इनसे विमान दुर्घटना के कारणों पर प्रकाश पड़ेगा। किन्तु हम पूर्णतया इन पर निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि हमें कुछ अन्य तथ्यों और सम्भावनाओं को भी देखना होगा। मेरी सूचना के अनुसार आज तक 11 शव ऐसे हैं जिनके दावेदार नहीं हैं। इस विमान में 329 यात्री सवार थे और अब तक 131 शव मिल चुके हैं। क्या यह सच है कि इनमें से कुछ यात्रियों के बारे में किसी ने नहीं पूछा है, इनके किसी मित्र अथवा सम्बन्धी ने कोई दावा नहीं किया अथवा उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। यदि यह सत्य है तो क्या इस बात के अनेक अर्थ नहीं लगाये जा सकते हैं? इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने नाम से यात्रा नहीं कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई व्यक्ति किसी दूसरे नाम से विमान में था। अत: मैं यह स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि क्या विमान में कुछ ऐसे यात्री सफर कर रहे थे जिनके विषय में कोई दावेदार नहीं है, किसी ने कोई पूछताछ नहीं की है। अब तक जिन 11 अथवा 12 शवों के बारे में कोई दावेदार नहीं आया, क्या ऐसा इसलिए है कि यह शव पहचाने नहीं जा सकते अथवा इनके बारे में किसी ने दावा नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, मैं सोचता हूँ कि यह तथ्य है कि अभी 117 शव आइडिएन्टिफाई हो चुके हैं और 14 शव ऐसे हैं जिनका आइडिएन्टिफिकेशन नहीं हुआ है।

श्री कमल नाथ : क्यों नहीं हुआ?

श्री अशोक गहलोत : क्यों नहीं हुआ, यह तो तथ्य के आने के बाद, पूरी इन्क्वायरी की रिपोर्ट जब आयेगी तभी कहा जा सकेगा। अभी मैं यह कह सकता हूँ कि वह शव वहाँ पर रखे हुए हैं और नियम के अनुसार वहाँ के कोरोनर की राय है कि उनको 30 तारीख तक रखा जायेगा और उसके बाद उन्हें दफनाया जायेगा। हम लोगों ने पूरी तरह फैसिलिटी दे रखी है कि नैक्स्ट आफ दी किन वहाँ जा सकते हैं और आइडिएन्टिफाई कर सकते हैं और शव वहाँ से ला सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : यात्रियों का क्या हुआ? उनके बारे में कोई जांच नहीं की गई है?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : नैक्स्ट आफ दी किन को हमने फैसिलिटी दी है। सारी इन्क्वायरी हो रही है, जो तथ्य आयेंगे वह बतायेंगे।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत : महोदय, दुर्घटना के कारणों की जाँच के लिये उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बम्बई में 3 अथवा 4 विशेषज्ञों, जिनमें से 2 विशेषज्ञ विदेशी हैं, के साथ तीन अथवा चार बैठकें की हैं। उन्होंने टेप और सी० वी० आर० सुने हैं और उन्हें सुनने के बाद प्रारम्भिक जाँच की गई है। दूसरी बात यह है कि विमान के मलबे का पता लग गया है। यह बहुत ही दु:खद और गम्भीर घटना है। इसलिए देश का प्रत्येक नागरिक अब तक जितनी जाँच हो चुकी है और जितना मलबा मिल चुका है, उसके आधार पर हम

दुर्घटना के कारणों के बारे में जानना चाहता है। बम्बई में तीन बैठकें हो चुकी हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा तीन अथवा चार विदेशी विशेषज्ञ नहीं करना चाहते। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दुर्घटना की प्रारम्भिक जांच के आधार पर निर्धारित सम्भावित कारण के बारे में बतायेगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : जब कोर्ट बोर्ड की इन्क्वायरी चल रही है, उस वक्त यह बात बीच में कहना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है कि उसमें हम अपनी राय प्रकट करें। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं कि यह जो दुर्घटना हुई है जिसके लिए हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत दुख प्रकट किया और कल सदन ने भी उसके लिये साइलेंस ऑबजर्व किया, दिसम्बर तक यह मामला ठंडा नहीं पड़ेगा।

यह बात सभी जानते हैं कि यह इतनी भारी और बड़ी दुर्घटना है कि जिसके लिये हम सभी के पास शब्द नहीं हैं कि हम उन परिवारों तक अपनी संवेदना पहुंचा सकें। मैं समझता हूँ कि इसको बहुत गम्भीरता से लिया गया है। जब मिनिस्ट्री की कन्सलटेटिव कमेटी की बैठक थी तब प्रधान मंत्री जी ने इसकी सुरक्षा की गहरायी को देखते हुए संसद सदस्यों की एक कमेटी भी बनायी जो कि और ज्यादा सुरक्षा के कदम को देखने के लिये विचार कर रही है। अगली मीटिंग में भी हमने इसी सब्जैक्ट पर डिसकसशन करने का फैसला किया है, इसलिये मैं ऐसा समझता हूँ कि मामला ठंडा पड़ने वाला नहीं है। जो फैक्ट्स सामने आयेंगे वह वास्तविकता के करीब होंगे और उन्हीं के आधार पर आगे सुरक्षा वाली बात सामने आ जायेगी।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : अभी तक की गयी जांच पड़ताल के आधार पर उन्हें विमान दुर्घटना का कौन-सा सम्भावित कारण नजर आया है ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बस।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मृतकों के शवों की पहचान के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ऐसी दुर्घटनाओं में कई बार शवों को पहचानना कठिन हो जाता है क्योंकि शव खराब हो जाते हैं। किन्तु जहां तक मैं समझता हूँ ऐसे मामलों में शवों की पहचान का सबसे अधिक वैज्ञानिक तरीका है दांतों द्वारा शवों की पहचान करना। एक विधि दंत चिकित्सा विज्ञान होती है जिसका विकसित देशों में अग्निकांडों, भूकंपों में मरने वाले तथा डूबकर मरने वाले व्यक्तियों आदि की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनके दांतों के रिकार्ड सामान्यतया दंत शल्य चिकित्सकों के पास उपलब्ध होते हैं। अतः यदि यात्रियों के नाम नियमित रूप से रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाएं तो इस प्रकार के दन्त चिकित्सा वैज्ञानिक एवं दन्त विशेषज्ञ आगे आ सकते हैं और रिकार्ड मिला सकते हैं।

समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि भारत से दो डाक्टर, मुझे पता नहीं कि वे किस क्षेत्र के डाक्टर हैं, शवों की पहचान में सहायता करने के लिये वहां भेजे गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है अथवा नहीं। यदि यह बात सत्य है तो वे किस क्षेत्र के डाक्टर हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या हम इस प्रकार की जांच के लिये विदेशी स्रोतों पर निर्भर कर रहे हैं अथवा हम अपने देश से विधि दंत चिकित्सा विज्ञान में किसी विशेषज्ञ को इस प्रणाली से शवों की पहचान के लिये भेज रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : सर, माननीय सदस्य ने जो बात कही, उससे मैं सहमत हूँ कि दांतों के द्वारा ही किसी की पहचान की जा सकती है और इसको सबसे ज्यादा प्रूफ माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिस कम्पनी को हमने हायर किया था, जिन्होंने नैक्सट ऑफ किन्स के सारे डिटेल्स हासिल किये, उस वक्त एनाऊंस किया गया कि जो कॉर्क जाना चाहता है, उसे अन्य बातों के साथ-साथ दांतों का प्रोफाइल लेकर आना चाहिए, जिससे पहचान में सुविधा हो सके। इसी के माध्यम से चूंकि हमारे देश में इस प्रकार की बात नहीं रखी जाती है, पर कैनेडा में हमने सुना है कि वहां इस प्रोफाइल को रखने का कायदा है तो उसके माध्यम से भी कई शव पहचानें गए हैं। जिन शवों की पहचान नहीं की जा सकी है जिनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, हमें जानकारी मिली है कि उनके पूरे दांतों की प्रोफाइल को प्रिजर्व कर रहे हैं जिससे उनके बारे में बाद में भी जांच की जा सके।

जहाँ तक डाक्टरों के भेजने की बात है, वास्तव में हमने दो डाक्टर्स भेजे थे और वह दोनों एक्सपर्ट्स थे। उनको इसीलिए भेजा था कि वहाँ जो ओटोप्सी का काम चल रहा था उसमें उनकी मदद कर सकें। साथ-साथ उनके माध्यम से दुर्घटना के कारण का भी सुराग मिल सके तो वह भी मालूम कर सकें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा सवाल यह था कि हमारे मुल्क से जो डाक्टर्स भेजें थे उनमें फोरेन्सिक ओडोन्टालाजी के स्पेशलिस्ट किसी एक आदमी को क्यों नहीं भेजा जो दांतों के प्रोफाइल से लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सके ?

श्री अशोक गहलोत : अगर वह नहीं भी भेजे गए तो भी उनके दांतों का प्रोफाइल रख दिया गया है, इसलिए अभी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है और बाकी जो लोग गए हैं उन्होंने सभी बातों को देखकर पहचाना है।

[अनुवाद]

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि एक अथवा दो वर्षों से एयर इंडिया को, विशेष रूप से कनाडा और अमरीका में तोड़फोड़ के आशय की चेतावनी दी गई थी। एयर इंडिया का अपना सुरक्षा स्टाफ है। वे प्रत्येक यात्री और पूरे सामान की पूरी तरह जांच करते हैं। अब मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उस सुरक्षा स्टाफ की पूरी तरह जांच की गई है ? क्या वे पी० आई० ए० जैसी अन्य वायु सेवाओं से निकाले गये अथवा एयर इन्डिया से सेवा से हटाये गये लोग हैं जिन्होंनें विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा सम्बन्धी नौकरी कर ली है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अब इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य कोई इन्फार्मेशन देंगे तो मैं जांच करवा दूंगा।

[अनुवाद]

असम नागालैंड सीमा पर मुठभेड़

*22. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री एस० जी० घोलप :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान असम में मेरापानी क्षेत्र में इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह में असम और नागालैंड के सशस्त्र पुलिस बलों के बीच असम और नागालैंड की सीमा पर हुई गंभीर मुठभेड़ों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस विवाद को स्थायी तौर पर हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) असम-नागालैण्ड सीमा पर मेरापानी क्षेत्र में दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच गोलीबारी 4 जून, 1985 अपराह्न से शुरू हुई और 6 जून की शाम तक रुक-रुक कर चलती रही। इस गोलीबारी में असम पुलिस के 28 कार्मिक, नागालैंड सशस्त्र पुलिस के 6 कार्मिक और 13 असैनिक मारे गये।

अधिकारियों और मुख्यमन्त्रियों के स्तर पर दोनों राज्यों के बीच विचार-विमर्श के जरिये लड़ाई बन्द करायी गयी और बलों को हटाया गया। इस विवाद को स्थायी आधार पर तय करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में दोनों राज्यों से परामर्श किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सीमा को लेकर अनेक प्रकार के झगड़े होते हैं और इस देश में यह कोई नई बात नहीं है। अब भी यहां कुछ झगड़े अनिर्णीत पड़े हैं। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़े हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि आसाम और नागालैंड के बीच कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में यह झगड़े कब से चले आ रहे हैं ? क्या यह सच नहीं है कि यह झगड़े कई वर्षों से चल रहे हैं ? यदि हां, तो भारत सरकार ने पहले इन झगड़ों को सुलझाने के लिए कार्य क्यों नहीं किया ताकि स्वीकृत सीमा का निर्धारण करके जमीन पर उसके निशान लगाये जा सकें। ऐसा क्यों नहीं किया गया ? इस स्थिति को उस स्तर तक क्यों बढ़ने दिया गया जिससे सशस्त्र बलों के बीच इस प्रकार की मुठभेड़ें हुईं ? क्या इससे यह भी पता नहीं चलता कि जहाँ तक केन्द्र का सम्बन्ध है, केन्द्र का गुप्तचर विभाग पूर्ण रूप से असफल रहा है। चाहे राजनीतिक गुप्त सूचना अथवा सुरक्षा की गुप्त सूचना हो, अथवा यहाँ तक कि दल की आन्तरिक गुप्तचर सूचना हो, क्योंकि वे सब एक ही दल से सम्बन्धित हैं और मुख्य मन्त्री परामर्श के लिए प्राय: दिल्ली आते हैं। यदि सभी प्रकार के गुप्तचर विभाग जो केन्द्र को सूचना देते हैं और किसी नई घटना की संभाव्यता के बारे में बताते हैं, असफल हो गए हैं, तो क्या यही कारण है कि केन्द्र सरकार कार्यवाही नहीं कर पाई और केन्द्र सरकार को अचानक ही यह पता चला ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जहाँ तक इस घटना में गुप्त सूचना का सम्बन्ध है हमें इस सम्बन्ध में 26 मई से पूरी जानकारी थी। जैसे ही केन्द्र सरकार को जानकारी प्राप्त हुई, मैंने दोनों मुख्य मन्त्रियों को वायरलैस द्वारा सूचना दी तथा इसी सन्देश को गवर्नरों को भी भेजा तथा उनसे स्थिति की समीक्षा करने का अनुरोध किया क्योंकि हमारे पास सूचना थी कि तनाव की स्थिति बन रही थी और यह आवश्यक था कि दोनों राज्यों के मुख्यमन्त्रियों को स्थिति को सुधारने के लिए मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

अत: इस सन्दर्भ में गुप्तचर विभाग में असफल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सत्य है कि कुछ राज्यों के मध्य कुछ सीमा विवाद है और इस विशेष मामले में, असम-नागालैण्ड के मामले में, कुछ समय से विवाद चला आ रहा है और इस मामले में गृह मन्त्रालय की सहायता के लिए श्री सुन्दरम को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री सुन्दरम ने असम और नागालैंड दोनों

राज्यों का दौरा किया और उनसे सारे मामले पर विचार-विमर्श किया। एक राज्य सुन्दरम समिति की सिफारिशों को मानने के लिए तैयार था, जबकि दूसरा राज्य नहीं। यही स्थिति अब भी बनी हुई है। और इसीलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि हमें दोनों राज्यों को इस बात के लिए राजी करना है कि वे किसी एक व्यक्ति की मध्यस्थता के लिए सहमत हो जाएं, जिसका कि फैसला उन दोनों को मान्य हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय ने हमें यह स्पष्ट नहीं बताया कि यह विवाद कितने वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है। यह कुछ वर्षों की बात नहीं है। ठीक है, समाचार पत्रों की रिपोर्टों से सबको इस बारे में जानकारी होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : 1971 से।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह पिछले 14 वर्षों से चल रहा है।

श्री जी० जी० स्वैल : इससे भी पहले से।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिस समय से नागालैण्ड एक अलग राज्य बना है, उससे पहले व उससे बाद भी। इसीलिए मैंने पूछा था कि सरकार ने पहले क्यों नहीं कार्यवाही की। ठीक है, हमने उत्तर सुन लिया है। दूसरा प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं, वह है, जब ये दो राज्य—इसलिए नहीं कि वे पड़ोसी राज्य हैं, बल्कि सीमावर्ती राज्य भी हैं जो कि हमारे बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र हैं, हमारे सीमावर्ती राज्य हैं और इन दोनों राज्यों में एक ही दल की सरकारें हैं और केन्द्र में भी उसी दल की सरकार है और जब दो राज्य इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा है तो क्या मन्त्री महोदय यह नहीं समझते कि एक अधिकारी या मध्यस्थ या किसी अन्य को नियुक्त कर देने मात्र से और उस पर सब कुछ छोड़ देने के बजाए यह आवश्यक है कि जो कोई भी इसके लिए जिम्मेवार है, उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। या यह इसलिए है कि वे सब आपके दल के हैं, इसलिए आप उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते ?

प्रो० एन० जी० रंगा : इसके लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाए जाने की आवश्यकता है।

श्री एस० बी० चह्वाण : जहां तक विवाद का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह दल गत-भावना से ऊपर की बात हो गई है, और इस बात के बावजूद कि वे एक ही दल के हैं, उन लोगों के विशिष्ट विचार हैं, जो कि दूसरे राज्य के लोगों के विचारों से बिल्कुल भिन्न हैं। इससे एक ही दल की बात यहां नहीं आती। हमारे विचार में दो आयोग हैं। एक तो तथ्य पता लगाने के लिए आयोग। मैं माननीय सदस्यों के इस सुझाव का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि हमें कुछ सख्त कार्यवाही करनी होगी। इस तथ्य का पता लगाने वाले आयोग की रिपोर्ट मिल जाने पर, सरकार पता लगाने की कोशिश करेगी कि इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, किसके आदेश से यह गोला-बारी आरम्भ की गई और अगर यह आदेश सही प्राधिकारी ने नहीं दिये थे तो किसके आदेश से फायरिंग आरम्भ की गई। तब इस सम्बन्ध में कुछ और कार्रवाई अपेक्षित होगी। हम शीघ्र ही इस आयोग की स्थापना करेंगे और हम आशा करते हैं कि यह तीन-चार माह में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। उसके बाद जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध हम सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किस स्तर पर ?

(व्यवधान)

श्री एस० जी० घोलप : अध्यक्ष महोदय, यह एक मान्य तथ्य है कि दोनों राज्यों में विवाद है। कितने क्षेत्र के लिए विवाद है और उस क्षेत्र की आबादी कितनी है ?

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : श्रीमन्, मेरे पास यह जानकारी है। इस बात को छोड़ दिया जाए कि क्षेत्र कितना है या उसकी जनसंख्या क्या है, लेकिन तथ्य यह है कि विवाद हुआ और उसने इतना गलत रुख लिया और हम इससे निपटने के लिए···

प्रो० मधु दण्डवते : यह क्षेत्र गोली चलाये जाने की परिधि में है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं समझता हूँ कि कुल विवादास्पद क्षेत्र 5,000 वर्ग कि० मी० या मील होगा। मुझे इस बारे में सही जानकारी नहीं है।

श्री जी० जी० स्वैल : श्रीमन्, गृह मन्त्री को याद होगा कि पिछले सत्र में किसी दूसरे सन्दर्भ में नागालैण्ड और मणीपुर में हुए झगड़े की चर्चा हुई थी। मैंने अवमंदन से इस मामले को उठाने की कोशिश की थी। मैंने बड़े परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को उठाने की कोशिश की थी। आज यह विवाद नागालैण्ड और असम के बीच है, कल यह असम और मेघालय के बीच हो सकता है। अगले दिन यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हो सकता है। सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा विवाद जातीय, स्थानिक है और यह प्रश्न राजनैतिक है। मैंने आपको सुझाव दिया था कि अच्छा हो अगर आप इस देश के सम्मानीय, निष्पक्ष व्यक्तियों के अनौपचारिक दल को वहां भेजें, जो वहां के लोगों, सरकार और सभी सम्बन्धित राज्यों से बातचीत कर किसी समझौते पर पहुँच सके, तो मतभेद दूर हो सकते हैं। मैंने समझा कि उस समय आपने इसे जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा था कि अगर आप इस प्रश्न को लटकाए रखेंगे वो यह एक गम्भीर समस्या बन जायेगा। काश, मेरी बात सच न निकलती।

श्रीमन्, अब मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। (व्यवधान) मैंने कभी भी ज्यादा समय नहीं लिया। मैं नहीं समझता कि मेरा एक भी वाक्य सन्दर्भ से परे है। कल माननीय मन्त्री ने कहा था कि वह एक जांच समिति नियुक्त करेंगे, जो यह फैसला करेगी कि कौन जिम्मेवार है और कौन नहीं। ठीक है। लेकिन इससे समस्या हल नहीं होगी। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, इससे तो समस्या और उलझ जाएगी क्योंकि लोग केवल औपचारिक रवैया ही अपनायेंगे और इस तरह समस्या हल नहीं हो सकती।

आपने सुन्दरम आयोग का गठन किया। इसने चार वर्ष कार्य करके अपनी रिपोर्ट पेश की। मैं भी उसी क्षेत्र से आया हूँ। मुझे वहाँ की कुछ जानकारी है। नागालैण्ड ने सुन्दरम रिपोर्ट यह कह कर बिल्कुल नकार दी है कि यह बिल्कुल असम के पक्ष में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि नागालैण्ड के लोगों और सरकार के मन में शिकायतें हैं। आपके गृह मन्त्रालय की राज्य मन्त्री वहाँ गयीं थीं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि वह नागालैण्ड नहीं गई, हालांकि वह असम गई थीं। उन्होंने नागालैण्ड के लोगों और मुख्य मन्त्री से बातचीत नहीं की। निश्चय ही नागालैण्ड के लोगों के मन में भावनाएँ होंगी। (व्यवधान)

अब मैं प्रश्न पूछता हूँ। कृपया जल्दबाजी न करें, अब इस सबके संदर्भ में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, सभी लोगों को समझाने और किसी सर्वमान्य हल पर पहुँचने के ? जहाँ तक सुन्दरम आयोग का सम्बन्ध है, नागालैंड के लोगों ने इसे नहीं माना। नागा लोग कहते हैं कि

पंडित जी के समय में भी, नागालेण्ड बनने से पहले, अंगलात की भूमि को नागालैंड को सौंपा जाए। अभी भी यह प्रश्न सुलझा नहीं है। इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? मात्र जांच आयोग नियुक्त कर देने से समस्या हल नहीं होगी। इससे अधिक आप क्या करने जा रहे हैं ? हम चाहते हैं कि आप अपने विचार हमें बतायें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इतना ही कहना चाहते हैं ?

श्री जी० जी० स्वैल : श्रीमन, मैं और भी कहना चाहता हूँ।

प्रो० मधु दंडवते : मन्त्री महोदय आधे घण्टे की चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे अच्छी तरह याद है कि माननीय सदस्य ने चर्चा में यह मामला उठाया था और सरकार से अनुरोध किया था कि जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है अन्यथा बाद में यह बहुत मुश्किल हो जायेगा। माननीय सदस्य को शायद याद होगा कि मैं विशेष रूप से शिलांग गया था और सभी सम्बन्धित मुख्य मन्त्रियों को वहाँ बुलाकर उनसे इस पर चर्चा की थी। वे सभी मुझसे सहमत थे कि स्थिति को और बिगाड़ने नहीं देंगे, और इस बात की कोशिश करेंगे कि वहां यथासम्भव तनाव कम होगा। लेकिन इस समस्या का कोई स्थायी हल होना चाहिए। वास्तव में, हम दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह हमें ऐसे व्यक्ति का सुझाव दें जो दोनों को मान्य हो और जिसका दोनों पक्षों पर काफी प्रभाव हो और दोनों सरकारों का जिस पर विश्वास हो, ताकि इसके बाद उस व्यक्ति की रिपोर्ट दोनों राज्य सरकारों पर बाध्य हों, और वास्तव में हम उन्हें इस बात के लिए राजी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ऐसा हल निकालने में हमारी मदद करें।

श्रीलंका की जातीय समस्या पर वार्ता

*23. **श्री बी० एन० रेड्डी** :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की जातीय समस्या का हल ढूंढ़ने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार और श्रीलंका के बीच हाल में कोई बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री ओस्कर फर्नान्डीज) : (क) सरकार श्रीलंका सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है और उसने वहां की जातीय समस्या के समाधान को सुविधा-जनक बनाने के लिए श्रीलंका को भारत की सद्भावना सहायता की पेशकश की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति 1 से 3 जून तक भारत की यात्रा पर आये थे और उन्होंने प्रधान मन्त्री के साथ अनेक बैठकें कीं। बाद में 15-16 जून को श्री एच० डब्ल्यू जयवर्धने के नेतृत्व में श्रीलंका के कानूनी विशेषज्ञों का एक दल दिल्ली आया और उसने श्रीलंका के संविधान के अन्तर्गत अधिकारों के अन्तरण से संबंधित मसलों पर भारत के महाधिवक्ता के साथ बातचीत की।

(ख) श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री ने जातीय समस्या तथा द्विपक्षीय सम्बन्धों पर इसके प्रभावों के बारे में बातचीत की। दोनों पक्ष इस स्थिति से निपटने तथा हिंसा के सभी रूपों को कम करने और अन्ततः इसे समाप्त करने की आवश्यकता पर सहमत हुए जिससे राजनीतिक समझौते

की दिशा में प्रगति करने के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। इस बात पर भी सहमति हुई कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में तेजी से सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे और इससे भारत में आये श्रीलंका के शरणार्थियों को वापस श्रीलंका जाने में भी मदद मिलेगी।

श्री बी० एन० रेड्डी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रीलंका सरकार ने यह विचार मान लिया है कि वे अपनी सरकार में कोई संघीय ढांचा स्थापित करेंगे जिसमे पंजीकरण का अनुरक्षण किया जा सके क्योंकि यह वहां के अस्तित्व का प्रश्न है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : वार्ता अभी आरम्भ हुई है और अभी प्राथमिक बैठकें ही हुई हैं। ये सभी जटिल और गम्भीर प्रश्न हैं और निश्चय ही इन पर बाद की बैठकों में विचार किया जाएगा। वे 12 अगस्त से पुनः थिम्पू में मिल रहे हैं और मुझे आशा है कि समस्या के सभी पहलूओं पर विचार किया जाएगा।

श्री बी० एन० रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार को इन बैठकों के कुछ परिणाम निकलने की आशा है ?

अध्यक्ष महोदय : आशा के बिना कोई जीवन नहीं है।

श्री बी० एन० रेड्डी : वार्ता काफी समय से चल रही है। इसलिए मैं इस वार्ता के बारे में और जानकारी जानना चाहता था।

श्री खुर्शीद आलम खां : वार्ता लम्बी नहीं खिंच रही है। केवल 4 दिन ही मिले हैं और अब वे पुनः 12 अगस्त को आगे वार्ता के लिए मिलेंगे।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी : इन शरणार्थियों के पुनर्वास और रहने के लिए, क्या श्रीलंका सरकार कोई मुआवजा देने के लिए राजी हुई है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : जैसा कि मैंने कहा है, वार्ता आरम्भिक चरण में है और इन सभी प्रश्नों पर एक-एक करके चर्चा की जायेगी।

श्री पी० कुलनदईवेलु : 'लिबरेशन टाइगर्स' ने समाचार पत्रों में घोषणा की है कि 12 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी। क्या सत्य है ? मैं जानना चाहता हूँ कि यह बैठक जुलाई के महीने में घोषित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी या नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि श्रीलका सरकार और टी० यू० एल० एफ० और मुक्ति मोर्चे के बीच क्या बात हुई है। क्या माननीय मन्त्री इन बातचीतों के बारे में जानकारी देंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : प्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्हें पूरी आशा है कि 12 अगस्त को वार्ता आरम्भ होगी। जहां तक समाचार पत्रों में छपी खबरों का प्रश्नों है, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वह इन खबरों पर पूरी तरह से विश्वास न करें।

श्री नारायण चौबे : हमें किस पर विश्वास करना चाहिए ?

श्री खुर्शीद आलम खां : बातचीत के बाद जो वे निर्णय करें, उस पर आपको विश्वास करना चाहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या मन्त्री महोदय इस बात की पुष्टि करेंगे कि श्रीलंका सरकार द्वारा एक प्रस्ताव लंका के तमिलों को दिया गया था। इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि यह सर्व दलीय सम्मेलन में किए गए प्रस्ताव का ही एक रूप था और इसी

वजह से तमिल टाइगर्स ने बातचीत में हिस्सा न लेने का फैसला किया है ? और क्या हम अपनी तरफ से कोई कदम उठा रहे हैं जिससे कोई समझौता हो और दोनों पक्ष पुनः वार्ता के लिए तैयार हो जाएं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : हमने अपने प्रभावों का प्रयोग कर दोनों पक्षों को वार्ता के लिए राजी किया है। जो बातचीत हो चुकी है। इसके बारे में अब बताना मेरे लिए सम्भव नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो पक्ष देने की स्थिति में होता है, वह, कम से कम देने की पेशकश करता है, जबकि दूसरा पक्ष ज्यादा से ज्यादा की मांग करता है। आज स्थिति यह है।

भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग

*24. **श्री शरद दिघे** :

श्री एस० एम० भट्टम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1985 में प्रधान मन्त्री की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग सम्बन्धी दो करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री आस्कर फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) जिन दो करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे वे नीचे लिखे अनुसार हैं :

(1) आर्थिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी करार

इस करार में विद्युत, कोयला, तेल अन्वेषण, लौह अयस्क तथा मशीन निर्माण क्षेत्रों की औद्योगिक परियोजनाओं में सोवियत भागेदारी की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत सोवियत संघ द्वारा इन परियोजनाओं के लिए दिए गए उपकरणों और सेवाओं की लागत की पूर्ति करने के लिए उनकी सरकार एक अरब रूबल का ऋण देगी।

(2) 2000 वीं ईसवी तक आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग की मुख्यविशेषताओं से सम्बद्ध करार

यह करार उद्योग और व्यापार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य सम्भावनाओं को इसके पाठ में दर्शाया गया है।

श्री शरद दिघे : इन करारों से निःसन्देह इन दोनों देशों के बीच मैत्री सम्बन्धों तथा आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। मैं कहना चाहूंगा कि ये करार हासिल करने के लिए प्रधान मन्त्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : हासिल करने के लिए नहीं, हस्ताक्षर करने के लिए।

प्रो० मधु दंडवते : प्रो० रंगा, सुनिये।

श्री शरद दिघे : मैं स्पष्टीकरण के रूप में जानना चाहूंगा। कुछ समाचार पत्रों में यह टिप्पणी की गयी है कि जो ऋण हमें दिये जाते हैं उनका उपयोग करने में काफी समय लगता है। उदाहरण के तौर पर यह बताया गया है कि जब 1957 में हमें 59.53 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था, जिसमें से 12.14 करोड़ रुपए अभी भी वितरित नहीं किया गया है। इसी प्रकार से 1966 में चौथी योजना के दौरान उपयोग के लिए 250 करोड़ रुपए के ऋण पर हस्ताक्षर किए गये थे, उसमें से अभी भी 52.64 करोड़ रुपए की राशि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। 1977 में 208.32 करोड़ रुपए के ऋण के जिस लिए हस्ताक्षर किए गए थे उसमें से वित्तीय वर्ष के आरम्भ में 39.52 करोड़ रुपए की राशि अप्रयुक्त पड़ी रही। 1980 में 433.32 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था और उसमें से अभी तक केवल 44.6 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या समाचार पत्रों में छपे ये आंकड़े सही हैं और यदि हां, तो इस ऋण का यथा शीघ्र उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किये गये आंकड़ों की जो समाचार पत्रों में छपे हैं, की जांच करना मेरे लिये कठिन है। परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो भी ऋण हमें प्राप्त हो उसका हम विवेक पूर्ण ढंग से उपयोग करें क्योंकि इन्हें वापस करना होता है।

श्री शरद दिघे : मेरा प्रश्न तो उसे थोड़े समय में उपयोग में लाये जाने के बारे में है न कि विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने के बारे में। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस थोड़े समय में ही उपयोग में लाया जायेगा और क्या सरकार की कोई योजना है अथवा सरकार द्वारा कोई ऐसे कदम उठाये जाने का विचार है जिससे इस ऋण का थोड़े समय के भीतर ही उपयोग किया जा सके ?

श्री खुर्शीद आलम खां : हम इसका अत्यन्त लाभप्रद ढंग से और यथासम्भव कम समय में उपयोग करेंगे। परन्तु हम वास्तव में यह नहीं बता सकते कि हम किसी निश्चित समय में इसको इस्तेमाल कर लेंगे और समुचित योजना के बिना इसे खर्च कर देंगे।

श्री एस० एम० भट्टम : विद्युत, कोयला, तेल की खोज आदि ऐसी कौन सी विभिन्न औद्योगिक परियोजनाएं हैं जिनके लिए हमें ऋण मिल रहा है और कितना मिलेगा ? यदि इनकी एक लम्बी सूची है तो क्या मन्त्री महोदय उसे सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : ये परियोजनाएं विद्युत, पेट्रोलियम और कोयला आदि क्षेत्रों में हैं और इनका ब्यौरा अब तैयार करना होगा।

श्री एस० एम० भट्टम : मैंने पूछा है उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं कह चुका हूं कि नाम और अन्य ब्यौरा अभी तैयार करना है। यह व्यापक क्षेत्र है जिसमें यह ऋण इस्तेमाल किया जाएगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या यह किसी परियोजना विशेष के लिए नहीं है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह विशिष्ट परियोजनाओं के लिए है। बहुत सी विशिष्ट परियोजनाएं हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम जानना चाहते हैं कि क्या ये ऋण किन्हीं विशेष परियोजनाओं के लिए हैं और यदि हां तो वे कौन सी परियोजनाएं हैं ? यदि सूची लम्बी है, जैसा श्री भट्टम ने कहा है तो क्या मन्त्री महोदय सूची सभा पटल पर रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब तैयार हो जाएगी, आपको बता देंगे।

श्री एस० एम० भट्टम : चर्चा कतिपय विशेष परियोजनाओं पर होनी चाहिए थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : देश में एक गलत विचार बन जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि सौ करोड़ रूबल और उससे अधिक का ऋण किन्हीं विशेष परियोजनाओं के लिए नहीं है इसका मतलब है यह अब निर्णय लिया जाएगा कि वे उसका प्रयोग किस प्रयोजन के लिए करेंगे। क्या यह ऐसा ही है या यह सारी राशि या इसका मुख्य भाग कुछ विशेष परियोजनाओं के लिए है? उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें कठिनाई में डाल देंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैंने मोटे तौर पर बता दिया है कि यह ऋण किन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय किया जाएगा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : पहले करार के अनुसार सोवियत रूस भारत को 100 करोड़ रूबल उपलब्ध कराएगा और इनकी अदायगी भारतीय रुपयों में नहीं बल्कि भारतीय माल से होगी। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इसका सोवियत रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुधारने की सम्भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोवियत रूस पहले ही भारत का व्यापार में प्रमुख साझीदार है और पहले तो यह सम्भावना थी कि हमारे व्यापार में सुधार होगा तथा प्रत्येक पांच वर्ष के बाद व्यापार दुगुना हो जाएगा। क्या यह 100 करोड़ रूबल का ऋण पहले लगाए गए व्यापार अनुमानों के अतिरिक्त होगा?

श्री खुर्शीद आलम खां : सोवियत रूस ने जिस ऋण का वायदा किया है उसका उपयोग सोवियत रूस द्वारा भारत को माल की सप्लाई और सेवाओं के लिए होगा।

5 दिन का कार्य सप्ताह

*25. श्री सी० पी० ठाकुर :

श्री मूल चन्द डागा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्यालयों में पांच दिन का कार्य सप्ताह प्रारम्भ किये जाने के पश्चात् क्या लाभ और हानियां सामने आयी हैं;

(ख) क्या इस योजना के सम्बन्ध में लागत-लाभ सम्बन्धी विश्लेषण किया गया है; और

(ग) क्या इसके प्रारम्भ होने के पश्चात्, पहले के कार्य सप्ताह की तुलना में इसकी श्रेष्ठता के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है?

प्रधान मन्त्री के संसदीय सचिव (श्री अहमद एम० पटेल) : (क) से (ग). इस योजना को हाल ही में लागू किया गया है। सार्थक मूल्यांकन, उदाहरण के लिए, ईंधन, परिवहन, बिजली आदि में बचत तथा दक्षता में वृद्धि केवल कुछ समय के बाद सम्भव होगी।

श्री सी० पी० ठाकुर : क्या सरकार ने इस परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई कोष्ठ गठित किया है और यह प्रणाली किस धारणा के आधार पर आरम्भ की गई थी?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : यह प्रणाली यह सोचकर आरम्भ की गई है कि इससे कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। यही प्रमुख धारणा थी। इसके अतिरिक्त इससे सरकारी कर्मचारियों को आराम और मनोरंजन के लिए तथा सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए अधिक समय मिलेगा और उन्हें भ्रमण करने तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। वे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकेंगे।

श्री सी० पी० ठाकुर : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से भी इसका अनुकरण करने की सलाह देने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री के० पी० सिंह देव : हम निश्चय ही राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में परामर्श दे सकते हैं और उनमें से कुछ ने तो पहले ही पांच दिन का सप्ताह लागू कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द्र डागा : अध्यक्ष जी, पांच दिन काम और दो दिन आराम, बड़ी खूबसूरती से मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है। सवाल यह है कि आज भी लोकसभा का समय अलग है और राज्य-सभा का समय अलग है। आज जब सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के आफिसेस खुलते हैं, उस समय उसके सबार्डिनेट आफिसेस बन्द रहते हैं। आज एक महीना 21 दिन के बाद भी इस उत्तर को आपने अवाइड किया है। आप यह बताइए कि एक महीना इक्कीस दिन के बाद आपके कामों का क्या मूल्यांकन हुआ ? बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं, प्रधान मन्त्री जी 18 घंटे काम करते हैं, फिर भी थकते नहीं हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, लेकिन यहां पर काम करने वाले लोग प्रकृति की गोद में जाएंगे। क्या उनके पास इतने साधन हैं ? क्या अच्छा जवाब दिया है आपने, क्या एडवांटेज सोचा है, इस बारे में आपका बेलेटिन भी निकला है। ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा और दूसरी जगहों पर 8 बजे से 5 बजे तक लोग काम करते हैं और काम के प्रति वे समर्पित हो जाते हैं। आज यहां हम अफसरों की हालत और उनके काम करने के तरीके जानते हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके इसका मूल्यांकन करें। आफिसेस का लिंक आपस में कैसे बनेगा, हमारे आफिसेस सेटरडे को बन्द हो जाते हैं, पार्लियामेंट भी शनिवार को बन्द रहती है, कोई नोटिस देना हो तो नहीं दे सकते। आप राजनीतिज्ञों को भी कहिए कि वे भी पांच दिन काम करें और दो दिन अपने बच्चों के साथ आराम करें। आप अगर अच्छे पिता, अच्छे पति बनना चाहते हैं तो दो दिन उनके साथ रहिए। यह हमारे मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं, लोगों को वे अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, इसके लिए वे कहते हैं कि घर पर रहें। यह स्कीम आपने कहां से ली है ? यहां पर तो पहले ही काम करने का तरीका चौपट है। मैंने देखा है कि 120 दिन की छुट्टी मिलती है, टोटल हालीडे 120 दिन और दक्षिण कोरिया में 6 दिन 6 घंटे रोज काम करते हैं और 15 दिन के बाद एक छुट्टी मिलती है। ब्रिटेन और अमरीका में काम करने का क्या तरीका है।

[अनुवाद]

कार्य ही पूजा है। खाली दिमाग शैतान का घर।

[हिन्दी]

यह आपने कहां का तरीका निकाला है ? जिस देश में काम करने की आदत नहीं है····। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मुझे यह बताइए कि आपको यह पसन्द है या नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पूछा है कि मूल्यांकन किया है या नहीं, उत्तर दिया है कि ठीक है, अभी स्कीम नहीं बनी। तीन जून को यह लागू हुआ था, एक महीना और इक्कीस दिन हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि आपको यह पसंद है या नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने कह दिया है कि सभी आफिसेस एक साथ खुलने चाहिए।

• **अध्यक्ष महोदय** : आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आज आप गोलमाल कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइएगा । आज दस लाख आदमी डेली वेजेज में काम कर रहे हैं, उन दस लाख आदमियों को पांच दिन की पगार देंगे या 6 दिन की पगार देंगे ? रेलवे में 5 लाख आदमी हैं, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ में 3 लाख आदमी हैं और एक लाख पी० डब्ल्यू डी० में हैं, इन दस लाख आदमियों को 5 दिन की पगार मिलेगी या 6 दिन की मिलेगी, जो डेली वेजेज में काम करते हैं ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मैं माननीय सदस्य का विभिन्न देशों की जानकारी देने के लिए आभारी हूँ। तथ्य यह है कि छः दिन के सप्ताह में एक व्यक्ति को 37½ घंटे काम करना पड़ता था। अब वर्तमान 5 दिन के सप्ताह में भी सरकारी कर्मचारी को उतने ही घंटे काम करना पड़ेगा। अतः जहाँ तक कार्य समय का सम्बन्ध है इसमें कोई कमी नहीं हुई है। हमें जहाँ तक पिछले 1-1/2 महीने में विभिन्न मन्त्रालयों से प्राप्त हो रही सूचना का सम्बन्ध है वह बिल्कुल सन्तोष जनक है। नई प्रणाली अभी पूर्णतया जमी नहीं है, जमती जा रही है। समय पूर्व यथार्थ मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

श्री थम्पन थामस : महोदय, सरकार ने यह प्रणाली सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए लागू की है। परन्तु फैक्ट्रियों और उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार छः दिन के सप्ताह को पांच दिन का सप्ताह क्यों नहीं बनाती। उद्योग अधिनियम के अनुसार उन्हें सप्ताह में 48 घंटे काम करना पड़ता है। क्या सरकार कार्य घंटे 48 घंटे से कम करके 40 घंटे करने पर विचार करेगी ? इससे न केवल देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि बेरोजगार युवकों को विभिन्न उद्योगों में रोजगार भी मिलेगा। क्या सरकार फैक्ट्री मजदूरों तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य मजदूरों के लिए सप्ताह में 48 घंटे कम कर सप्ताह में 40 घंटे करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि देश में बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, यह एक सुझाव है, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री आर० प्रभु : महोदय, पाँच दिन की मौजूदा व्यवस्था का सरकारी कर्मचारियों के सब वर्गों ने स्वागत किया है। फिर भी कुछ शिकायतें मिली हैं कि केन्द्रीय सरकार की डिस्पेन्सरियाँ और सरकार द्वारा संचालित सुपर बाजार जैसे सेवा संगठन सप्ताह के अन्तिम दिन में बन्द रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये सेवा संगठन सप्ताह के अन्तिम दिन में बन्द रहते हैं और यदि हां तो क्या वह उन्हें छुट्टी वाले दिन खुला रखने के लिए कुछ कर सकते हैं ताकि सरकारी कर्मचारी उनसे लाभ उठा सकें।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं इसकी जाँच करूंगा।

महिलाओं के अधिकार एवं गर्भपात और गर्भस्राव जैसे अपराध

*26. श्री डी० के० नायकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भपात और गर्भस्राव सम्बन्धी उपबन्धों को समाप्त करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने हेतु एक विधान लाने का सरकार का विचार है, क्योंकि ये लिंग के आधार पर भेद भावपूर्ण है और महिलाओं के अधिकारों के प्रतिकूल है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा). : (क) और (ख). भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1978, जो राज्य सभा द्वारा पारित किया गया, में गर्भस्राव करने के अपराधों के दण्ड से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव था ताकि उस धारा के उपबन्धों को चिकित्सा गर्भधारण समाप्ति अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के संगत बनाया जा सके। 1979 में लोकसभा भंग होने पर यह विधेयक समाप्त हो गया। यद्यपि, इस विधान को समाप्त हुए विधेयक की रूप रेखाओं पर पुनः पुरः स्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, तथापि यह बताना संभव नहीं है कि इसे पुरःस्थापित करना कब संभव होगा।

श्री डी० के० नायकर : महोदय, मेरा प्रश्न गर्भपात और गर्भस्राव से सम्बधित उपबन्धों को समाप्त करने के बारे में है। परन्तु मन्त्री महोदय का उत्तर इसे चिकित्सा गर्भ धारण समाप्ति अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के संगत बनाने के लिए एक संशोधन लाए जाने के बारे मे है। मैंने 1971 के अधिनियम के उपबन्धों को पढ़ा है जिसमें महिला को अपनी स्वतन्त्र इच्छा और मर्जी से गर्भधारण करने या न करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसका अर्थ है उसे गर्भ धारण करने बच्चे को जन्म देने वाली एक मशीन समझा जाता है। अतः इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन होता है। अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वह इन उपबन्धों को समाप्त करने के लिए एक संशोधन लाने के बारे में विचार करेंगे। मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि गर्भपात समाप्ति के मामले में महिलाओं के हितों की रक्षा करने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है? उसे गर्भपात धारण करने या न करने का निर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिए।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि क्या सरकार का विचार भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने के लिए एक विधान लाने का है: इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूँ जैसा कि पहले भी कहा गया है कि भारतीय दण्ड संहिता चिकित्सा गर्भ धारण समाप्ति अधिनियम, 1971 के आड़े नहीं आती है। यह अत्यन्त उदार है और मैं माननीय सदस्य से इसकी सिफारिशों का अध्ययन करने का अनुरोध करती हूँ। इसके बाद मेरे विचार से वह सन्तुष्ट हो जायेंगे।

भारतीय दण्ड संहिता में महिला को अपने जीवन की सुरक्षा हेतु अपना गर्भपात समाप्त कराने का अधिकार है। चिकित्सा गर्भधारण समाप्ति अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत उसको व्यापक अधिकार प्राप्त हैं और उसे इस सम्बन्ध में काफी स्वतन्त्रता प्राप्त है। यदि वह गर्भधारण करने की वजह से भावुकतावश विक्षुब्ध या दुःखी है तो वह 20 सप्ताह तक के गर्भ को किसी डाक्टर से समाप्त करा सकती है। मैं मानीय सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वह कृपया बताएं कि क्या उन्हें विद्यमान अधिनियम में जो कुछ है उससे अधिक चाहिए··· (व्यवधान)

श्री डी० के० नायकर : चिकित्सा गर्भधारण समाप्ति अधिनियम, 1971 की धारा 3 और

4 के अनुसार गर्भ 12 सप्ताह से अधिक का नहीं होना चाहिए और इस सम्बन्ध में कोई भी चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि बलात्कार से अथवा बच्चों की संख्या सीमित रखने के उद्देश्य से इस्तेमाल किये गये किसी गर्भ-निरोधक उपाय की असफलता के कारण, 18 वर्ष से कम आयु में गर्भवती हो जाने अथवा व्यक्ति पागल होने की स्थिति में गर्भ-समाप्ति वैध है। परन्तु किसी भी महिला को अपनी इच्छा से वांछित अथवा अवांछित गर्भ धारण करने या नहीं करने का निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया गया है... **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : वह मन्त्री महोदय के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। उनका प्रश्न है क्या आप गर्भपात से कुछ अधिक चाहते हैं ?... **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन्हें महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने के लिए दण्डित क्यों किया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनका बचाव करिए।

बड़े राज्यों का विभाजन

*28. **श्री रेणु पद दास** :

श्री चित्त महाटा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में विभक्त करने तथा राज्यों की राजधानियों को संघ शासित क्षेत्रों का रूप देने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा निर्णय किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रेणुपद दास : प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं सरकार का ध्यान कलकत्ता स्टेटसमैन में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें यह लिखा है :

> "प्रधान मन्त्री के कार्यालय में गोपनीय काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए एक उच्च गोपनीय प्रलेख में बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में विभक्त करने की तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, लखनऊ तथा अन्य राजधानी नगरों को संघ शासित क्षेत्रों में परिवर्तित करने की सिफारिश की गई है।
>
> यद्यपि इसका उद्देश्य नहीं बताया गया है फिर भी यह केन्द्र में प्रधान मन्त्री के शासन को सुदृढ़ करने और सभी सम्भावित खतरों को, चाहे वे क्षेत्रीय दलों और उनके नेताओं से हों अथवा राज्यों की कांग्रेस (इ) इकाइयों में से ही हों, खतम करने के लिए एक राजनीतिक और सुविचारित कदम है।"

इस समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : यह सब किसी रिपोर्टर की कपोल कल्पना है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है।

डा० बी० वेंकटेश : आजकल अन्तरराज्यीय समस्यायें बढ़ गई हैं इसलिए विभाजन आदि की बात चल रही है। संविधान में अन्तर-राज्यीय परिषद नियुक्त करने का प्रावधान है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न न हो और जल और क्षेत्रीय विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो जाए, क्या सरकार की एक अन्तर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने में कोई रुचि है ?

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न-काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

आदिम जनजातियों के रूप में वर्गीकरण

*27. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कुछ जनजातियों को आदिम जनजातियों के रूप में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव उनके मन्त्रालय को भेजे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 1983-84 और 1984-85 में भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) कोलघाम को आदिम जनजातियों के वर्गों में शामिल करने के लिए गुजरात के प्रस्ताव का 1983-84 में अनुमोदन कर दिया गया था। बोध अथवा भोट, स्वंगला और किन्नौरा जनजाति समुदायों को शामिल करने के हिमाचल प्रदेश के प्रस्ताव का 1984-85 में अनुमोदन नहीं किया गया था क्योंकि वे मान्यता के लिए आवश्यक मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे।

नागा स्टूडेंटस फैडरेशन द्वारा असमियों को नागालैंड छोड़ने का नोटिस

*29. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नागा स्टूडेंट्स फैडरेशन ने नागालैंड में काम करने वाले अथवा रहने वाले असमिया लोगों को नागालैंड का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) नागालैंड सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि वे समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एन० एस० एफ० की सभी असम विरोधी गतिविधियों से सख्ती के साथ निपटने के लिए तुरन्त प्रभावशाली कदम उठायें।

(ग) राज्य सरकार ने कोहिमा में कार्यरत उन असमी अधिकारियों को मुक्त कराया, जो

एन० एस० एफ० ने गलत ढंग से बन्दी बना रखे थे। एन० एस० एफ० के पांच सदस्य गिरफ्तार किये गये। बाद में छात्रों ने 3 जुलाई को 'नागालैंड छोड़ो' नोटिस स्थगित कर दिया। गिरफ्तार छात्रों को व्यक्तिगत बांडों पर छोड़ा जा चुका है।

अनेक देशों के विमान सेवा सुरक्षा विशेषज्ञों की बैठक

***30. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल एअरलाइन्स ट्रेड एसोसिएशन ने यह घोषण की है कि विश्व में अनेक हवाई अड्डों पर आतंकवादियों की कार्यवाही को रोकने/विफल करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय नहीं बरते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक देशों के विमान सेवा सुरक्षा-विशेषज्ञों ने हाल ही में मांट्रियल में इस सम्बन्ध में विभिन्न नए साधनों को अपनाने के बारे में विचार किया था; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा सरकार द्वारा इस बारे में और क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). सरकार को उक्त अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स व्यापार संस्था से की गयी किसी उद्घोषणा की जानकारी नहीं है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था (आई० ए० टी० ए०) सुरक्षा सलाहकार समिति की दिनांक 28 जून, 1985 को मांट्रियाल में एक आपातकालीन बैठक हुई थी जिसमें एयर इंडिया ने भी भाग लिया था। बैठक में धमकियों और आतंकवाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाए जाने वाले भावी सुरक्षात्मक उपायों पर विचार किया गया था। विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की की जाँच करने तथा एयरलाइनों को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए आई० ए० टी० ए० तकनीकी समिति की बैठक आयोजित करने पर सहमति हो गयी थी। तकनीकी समिति की बैठक हो जाने तथा एयरलाइनों को इसकी सिफारिशें प्राप्त होने जाने पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी।

भारत-पाक संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक

***31. श्री अमर राय प्रधान :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया सम्बन्धी-भारत-पाक संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मन्त्री की अध्यक्षता में पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल ने हाल में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक के क्या परिणाम निकले हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) इस बैठक में कुछ प्रगति हुई। इसमें जो निर्णय लिए गए और जो सिफारिशें की गयी

उनमें ये भी थी : (1) कृषि अनुसंधान में सहयोग से सम्बद्ध एक करार पर हस्ताक्षर (2) एक सांस्कृतिक करार के प्रारूप पर विचार (3) वास्तविक व्यापारियों और पारगमन वीसा धारकों के बारे में पुलिस रिपोर्ट की अपेक्षा को समाप्त करना (4) 1 अक्तूबर, 1985 से नामांकित रेलवे स्टेशनों के बीच सीधी रेल बुकिंग सुविधाओं को अन्तिम रूप देना (5) आयोजना के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यदल की स्थापना सम्बन्धी करार जिसके पहले इसी विषय पर इस्लामाबाद में एक संगोष्ठी होगी और (6) मादक द्रव्यों के अवैध आवागमन पर निगरानी रखने के लिए सूचना के आदान-प्रदान से सम्बन्धित करार।

सरकार विभिन्न निर्णयों के समयपरक कार्यान्वयन के लिए तथा भारत द्वारा किए गए अन्य प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से पाकिस्तान प्राधिकारियों के सम्पर्क में रहेगी।

अमरीका के साथ सम्बन्धों में सुधार

*32. श्री के० प्रधानी :

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका के साथ सम्बन्धों को बेहतर बनाने की दृष्टि से उसके साथ अभी हाल में बातचीत का एक दौर आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त चर्चा में उठाये गए मुख्य मुद्दे क्या थे;

(ग) भारत से सम्बन्ध सुधारने की दिशा में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

जिन मुख्य मसलों पर विचार विमर्श किया गया, वे हैं; हमारे क्षेत्र में हुई हाल ही की ऐसी घटनाएँ, जिनका हमारे सुरक्षा वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है तथा विश्व शान्ति, निरस्त्रीकरण तथा विकास सम्बन्धी मुख्य समस्याएँ।

भारत के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने के लिए अमरीकी सरकार की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही।

आपसी समझबूझ को सुदृढ़ बनाने तथा सहयोग के ठोस कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए अनेक उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ जिनमें जून, 1985 में हमारे प्रधानमन्त्री की अमरीकी यात्रा सर्वोच्च रही।

सहयोग के कुछ ठोस क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और विदेश, संस्कृति और आन्तरिक्ष के क्षेत्र शामिल हैं। अमरीकी सरकार ने आतंकवाद के अन्तर्राष्ट्रीय आयामों पर भारत सरकार के साथ निरन्तर बातचीत तथा घनिष्ठ सहयोग करने की इच्छा भी जाहिर की है।

महिलाओं के लिए निर्वाह भत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तन व्यवस्था

*33. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्वाह भत्ते के मामले में जहाँ महिलाओं के लिए न्यायालय द्वारा निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया जाता है, वहां प्राय: ऐसा होता है कि प्रवर्तन व्यवस्था के अभाव में वे वास्तव में इसे प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी तथा/अथवा अर्ध सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी, निर्वाह भत्ते के बारे में न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर सकारात्मक हैं तो क्या सरकार, सरकारी या अर्ध-सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी कोई प्रवर्तन व्यवस्था कायम करने का विचार कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग). निर्वाह भत्ते से सम्बन्धित दीवानी न्यायालयों की डिग्रियों के प्रवर्तन के लिए प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में आदेश xxi में व्यवस्था है। डिग्री की राशि की वसूली के लिए निर्धारित तरीका सरकार, रेलवे, स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी कम्पनियों अथवा निगमों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के वेतन अथवा भत्तों को कुर्क करना है। इस सम्बन्ध में उक्त आदेश xxi के प्रक्रिया 48 और 48 ए की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अधीन स्वीकृत किया गया निर्वाह भत्ता उस धारा की उप-धारा (3) के अनुसरण के जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता है, यदि व्यक्ति जिसे अदायगी के आदेश दिए गए बिना किसी पर्याप्त कारण अदायगी नहीं करता है।

लन्दन में कतिपय व्यक्तियों के समूह द्वारा तिरंगा झंडा जलाया जाना

*34. **श्री चिन्तामणि जेना** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून के महीने में लन्दन में कतिपय व्यक्तियों के एक समूह ने पुलिस की उपस्थिति में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाया था।

(ख) क्या भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार से इसके सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ब्रिटिश सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) लन्दन में विदेश तथा राष्ट्रमण्डल कार्यालयों में तथा नई दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के समय विरोध प्रकट किया गया था। जिन तीन व्यक्तियों ने भारत के राष्ट्रीय झंडे को जलाया था,

उन्हें ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनमें से दो को छोड़ दिया गया था क्योंकि वे अवयस्क थे जिनमें से एक की आयु 14 वर्ष और एक की 8 वर्ष थी। तीसरे व्यक्ति श्री रूपेन्द्र सिंह मंगल पर अपमानजनक व्यवहार का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया जिससे शांति भंग हो सकती थी। लन्दन में मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने 1-7-85 को उसे दोषी पाया तथा उसे 50/- पौंड का जुर्माना किया गया।

तलचर भारी जल संयंत्र का कार्यकरण

*35. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के 60 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तलचर भारी जल संयंत्र को कार्य करने योग्य घोषित कर दिया गया है;

(ख) क्या पहले वाले डिजाइन में जो कारगर सिद्ध हुआ था परिवर्तन कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो प्लंजर पम्पों से सम्बन्धित समस्याएं क्या थीं; और

(घ) इसके द्वारा कब तक कार्य शुरू किये जाने की संभावना है?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) संयंत्र में जहां तक आवश्यक और संभव पाया गया वहां तक परिवर्तन किए जा चुके हैं और संयंत्र अब काम कर रहा है। संयंत्र के कार्य-निष्पादन को और भी सुधारने के लिए अन्य परिवर्तन मेसर्स यू० एच० डी० ई० से बिना लागत उपस्कर और सामग्री मिलते ही कर दिए जाएंगे।

(ग) प्लंजर पम्पों से संबंधित समस्याएं यांत्रिक किस्म की थीं और उन्हें दूर किया जा चुका है।

(घ) जब भी उर्वरक संयंत्र से पर्याप्त मात्रा में भाप और सिंथेसिस गैस मिलेंगे, तब ही यह संयंत्र, जो कि अब चालू है, भारी पानी तैयार करने लगेगा।

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में वायुदूत सेवा चालू करना

*37. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मुइरपुर तक, जो राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में आता है, वायुदूत सेवा आरंभ करने का है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजन के लिए पक्के हवाई अड्डे का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो वायुदूत सेवा कब तक आरंभ हो जाएगी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मुइरपुर के लिए वायुदूत सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा टिकट बुकिंग प्रणाली में कम्प्यूटर लगाने पर खर्ची गई धनराशि

*38. श्री पी० नामग्याल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा टिकट बुकिंग प्रणाली में कम्प्यूटर प्रणाली लगाने पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा बुकिंग आरम्भ करने के बाद से इंडियन एयरलाइन्स से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में बहुत कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इससे अब तक उसकी आय में कितनी कमी हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में यात्रियों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) अभिकलित टिकट आरक्षण प्रणाली पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अब तक किया गया व्यय लगभग 10.25 करोड़ रुपए है।

(ख) जी नहीं। इण्डियन एयरलायन्स की अभिकलित्र आरक्षण प्रणाली 26 मार्च, 1985 को आरम्भ की गई थी। अप्रैल तथा मई, 1985 के दौरान वाहित यात्रियों की औसत संख्या में पिछले वर्ष के इन्ही महीनों की तुलना में क्रमशः 8.1 प्रतिशत तथा 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री लंका की नौसेना के आक्रमण के शिकार भारतीय मछुआरों को श्रीलंका सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा

*39. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीने पूर्व श्रीलंका की नौसेना द्वारा किए गये आक्रमण के फलस्वरूप मछुआरों की हुई जान-माल की क्षति के लिये मुआवजा देने हेतु हमारी सरकार ने श्रीलंका सरकार से अनुरोध किया था;

(ख) श्रीलंका सरकार द्वारा मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) भारत सरकार द्वारा मुआवजे, अनुग्रह राशि आदि के रूप में मछुआरों को कितनी सहायता देने की योजना बनायी गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक, श्रीलंका सरकार द्वारा मछुआरों के परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(ग) मारे गए प्रत्येक मछुआरे के परिवार को प्रधान मन्त्री सहायता कोष से 10.000 रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। यह राशि श्रीलका सरकार से मांगे गए मुआवजे के अतिरिक्त है।

विमान दुर्घटना में मरने वाले लोगों के निकटस्थ रिश्तेदारों को सुविधाएं

*40. **श्री कमल नाथ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया था कि हाल की विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकटस्थ एक-एक रिश्तेदार को शव की पहचान करने के लिये एयर इण्डिया अपने विमान द्वारा कार्क ले जाएगा तथा उसे सभी सुविधाएं प्रदान करेगा ?

(ख) कितने लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया; और

(ग) कितने शव अन्तिम संस्कार के लिए भारत में लाए गए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां/एयर इण्डिया ने दुर्घटना के शिकार प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के एक सम्बन्धी को लन्दन/कार्क जाने और वहां से वापसी की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी। कुछ के मामलों में यह सुविधा एक से अधिक व्यक्तियों को भी उपलब्ध करानी पड़ी। दुर्घटना के सम्बन्ध में मृतकों के निकटतम रिश्तेदार को जो कार्क गए निशुल्क आवास, खाना और परिवहन तथा आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए 25 पाउण्ड भी उपलब्ध कराये गए थे। मृत व्यक्तियों के शवों को भारत में गंतव्य स्थानों पर लाने के लिए भी उनके निकटतम सम्बन्धियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई।

(ख) शवों की पहचान करने के लिए 305 व्यक्तियों ने कार्क की यात्रा की।

(ग) अब तक 56 शवों को भारत लाया जा चुका है।

[अनुवाद]

असम-नागालैंड विवाद में विदेशी हाथ

215. **श्री हन्नानमोल्लाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम-नागालैंड सीमा विवाद में कोई विदेशी हाथ है; और

(ख) क्या पुलिस ने नागालैंड स्टूडेंट्स फेडरेशन से कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं जिनसे इसमें विदेशी हाथ होना सिद्ध होता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) इन झड़पों में कोई विदेशी हाथ होने का कोई सबूत केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) असम पुलिस द्वारा कुछ अभिसंसी दस्तावेज बरामद करने की सूचना मिली है। इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जा रही है।

भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संस्थान के कार्य

216. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संस्थान के क्रमशः क्या-क्या कार्य हैं;

(ख) क्या उनके कार्य एक ही हैं और कुछ मामलों में दोहरा कार्य हो रहा है;

(ग) उक्त संगठनों में से किस संगठन को देश के विभिन्न भागों में अल्पावधि प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान आयोजित किये गए प्रशिक्षण शिविरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या प्रशिक्षण शिवरों के आयोजकों द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संस्थान के मुख्य कार्य विवरण-1 और 2 में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, राष्ट्रीय टीमों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है। राज्य खेल परिषदें भी देश के विभिन्न भागों में लघु कालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है।

(घ) एन० आई० एस० राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के बारे में सूचना विवरण-तीन में दी गई है।

(ङ) एन० आई० एम० प्रशिक्षण शिविर के पूरे होने के बाद शिविर का प्रभारी प्रशिक्षक भाग लेने वालों को उपयुक्त अनुदेश जारी करता है ताकि वे न केवल अपने "को बनाए रखें अपितु अपनी शारीरिक उपयुक्तता तथा निपुणता में भी सुधार ला सकें।

विवरण-1

भारतीय खेल प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य

(i) उनके नियंत्रणाधीन स्टेडियमों का प्रबन्ध अनुरक्षण और उपयोग;

(ii) युवा आयु में खेल प्रतिभाशालियों का पता लगाना तथा पोषण और सरकार द्वारा अनुमोदित इस प्रयोजनार्थ योजनाओं (राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना को छोड़कर) का कार्यान्वयन;

(iii) लोगों में खेलों को बनाए रखने और उपयुक्तता की जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यकलाप शुरू करके और जहां तक सम्भव हो उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करके उनमें "सभी के लिए खेल" और शारीरिक उपयुक्तता की धारणाओं को बढ़ावा देने और इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं का कार्यान्वयन;

(iv) सामान्य विकास और टूर्नामेंट प्रयोजनों के लिए तकनीकी खेल उपकरणों के केन्द्रीय पूल का अनुरक्षण और सृजन;

(v) प्रतियोगिताएं और टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए सुविधायें प्रदान करना अथवा स्वयं राष्ट्रीय/राज्य खेल संघों के सहयोग से टूर्नामेंट आयोजित करना बशर्ते कि जहां सरकार की मंजूरी आवश्यक हो;

(vi) खेलों, पुरुष/महिला खिलाड़ियों, उनके रिकार्डों, उपलब्ध खेल सुविधायें और अन्य सम्बद्ध ब्यौरों से सम्बन्धित व्यापक खेल आंकड़ों का अनुरक्षण;

(vii) खेलों को बढ़ावा देने से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना;

(viii) राष्ट्रीय खेल संघों, एसोसिएशनों, राज्य खेल कार्यक्रमों, योजनाओं और खेलों को बढ़ावा देने से संबंधित परियोजनाओं और खेल सुविधाओं की व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता पर भारत को सलाह देना;

(ix) राष्ट्रीय-शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान के लिए सोसायटी को सौंपे गए कार्यों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य कार्य शुरू करना।

विवरण-2

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के कार्य

1. राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वियन करना।
2. देश में खेलों का स्तर बढ़ाने और विभिन्न खेलों में उच्च प्रशिक्षण देने के लिए सुविधायें प्रदान करने के लिए कदम उठाना।
3. उच्च कोटि के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए प्रयास करना।
4. वर्तमान प्रशिक्षकों की तकनीकी योग्यता बढ़ाने के लिए सहायता देना।
5. अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व राष्ट्रीय टीमों का प्रशिक्षण और शारीरिक अनुकूलन के लिए सुविधायें प्रदान करना।
6. खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की ओर से छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना।
7. नेहरू युवक केन्द्रों को अपने गैर-छात्र युवाओं में बड़े पैमाने पर खेलों के कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए प्रशिक्षक देना; और
8. केन्द्रीय सरकार की ओर से महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल समारोह तथा ग्रामीण खेल टूर्नामेंटस आयोजित करना।

विवरण-3

वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के तत्वाधान में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन

क्रम सं०	विषय	वर्ष 1983-84	1984-85
1	2	3	4
1.	तीरदाजी	1	1
2.	एथलेटिक्स	10	10
3.	बैडमिंटन	8	3
4.	मुक्केबाजी	1	6
5.	बास्केटबाल	5	8

1	2	3	4
6.	क्रिकेट (महिला)	3	7
7.	साइक्लिंग	3	4
8.	फुटबाल	4	10
9.	जिमनास्टिकस	2	1
10.	हॉकी (पुरुष)	11	9
11.	हॉकि (महिला)	1	5
12.	हैंडबाल	2	—
13.	लानटेनिस	1	1
14.	साफ्टबाल	—	2
15.	तैराकी	3	4
16.	टेबल टेनिस	3	3
17.	वालीबाल	4	10
18.	कुश्ती	11	3
19.	भारोत्तोलन	1	5
20.	निशानेबाजी	—	2
	कुल :	74	94

विदेशी विमान कम्पनियों को कलकत्ता हवाई अड्डे से होकर गुजरने को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव

217. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विमान कम्पनियों को कलकत्ता हवाई अड्डे से होकर गुजरने को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बुलगारियन एयरलाइन्स सोफिया और कलकत्ता के बीच हवाई सेवा प्रारम्भ करने के लिए सहमत है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच हवाई समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(च) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) बुलगारियन एयरलाइन्स द्वारा कब तक उड़ानें आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और इसका प्रस्तावित मार्ग क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). नीति के रूप में, एयरलाइन-स्तर पर विचार विमर्शों तथा अंतः सरकारी विचार विमर्शों में देश में अन्य विमान क्षेत्रों की तुलना में आसान शर्तों पर कलकत्ता विमान क्षेत्र को विकल्प के रूप में पेश किया जाता है।

(ग) और (घ). जी, हाँ। एयर इंडिया तथा बलगारियन एयरलाइन बालकन के बीच एक वाणिज्यिक करार हुआ था जिसके अन्तर्गत बायकन इकतरफा रूप से सोफिया और कलकत्ता के बीच सप्ताह में एक उड़ान प्रचालित करेगी जिसके लिए वह एयर इंडिया को मुआवजा अदा करेगी।

(ङ) और (च). जी, हाँ। दोनों देशों के बीच 17-18 जून, 1985 को हुई द्विपक्षीय विमान सेवा वार्ताओं के परिणामस्वरूप एक विमान सेवा करार सम्पन्न हुआ है। द्विपक्षीय करार की शर्तों के अनुसार, बालकन को सोफिया-अबुधावी-कलकत्ता-बेंकाक और विपरीत मार्ग पर प्रचालन करने का अधिकार होगा।

(छ) बालकन ने उन तारीखों के बारे में नहीं बताया है जिनसे वह कलकत्ता को और वहाँ से होकर प्रचालन आरम्भ करेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सातवीं योजना के दौरान युवा कल्याण कार्यक्रम

218. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के युवकों के कल्याण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उपरोक्त योजना के अधीन कोई युवा कल्याण कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा कितने बेरोजगार युवकों को इन कार्यक्रमों के अधीन रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). बाराबंकी जिले के युवा, केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के युवा कार्यक्रमों के संचालन के परिणामस्वरूप स्वतः ही लाभ और रोजगार प्राप्त करेंगे। इन कार्यक्रमों में से निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है :

(i) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

(ii) शिक्षार्थन प्रशिक्षण योजना

(iii) महिलाओं की प्रशिक्षण योजना

(iv) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण

(v) खान पान और पोषण प्रबन्ध संस्थान

(vi) नेहरू युवक केन्द्र

(vii) अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(viii) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(x) स्वयं रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षण

(x) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

(xi) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार आश्वासन कार्यक्रम।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार बनाना

219 **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके हाल के अमरीका के दौरे के दौरान अमरीका ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के उपायों का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अमरीका सरकार द्वारा इस बारे में उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने का जिक्र आया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या अमरीका के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया सकारात्मक थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के पहलुओं के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। उसने कहा है कि उसने पाकिस्तान की सरकार को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि वह नाभिकीय हथियार या नाभिकीय विस्फोटक क्षमता अर्जित न करे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

रंगीन टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए लाइसेंस के लम्बित आवेदन-पत्र

220. **डा० गौरीशंकर राजहंस** :

श्री एच० जी० रामुल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने, पिछले तीन वर्ष के दौरान देश में रंगीन टी० वी० सेट बनाने के लिए किन-किन कम्पनियों को लाइसेंस प्रदान किए हैं;

(ख) उन कम्पनियों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनके रंगीन टी० वी० सेट बनाने के लिए लाइसेंस के आवेदन पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं;

(ग) यह आवेदन-पत्र सरकार के पास कब से लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन आवेदनों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) देश में रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए पिछले 3 वर्षों (जुलाई, 1982 से जून, 1985 तक) के दौरान जिन कम्पनियों को आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ). औद्योगिक लाइसेंस औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। सूचना एकत्र की जाएगी और उपलब्ध कराई जाएगी।

विवरण

देश में रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान जिन कम्पनियों को आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए उनके नाम

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
1.	किशोर आर० चावड़िया, बम्बई
2.	कोठारी इलेक्ट्रॉनिक्स, मद्रास
3.	गुजरात इण्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद
4.	कर्नाटक स्टेट इण्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर
5.	सिक्किम इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, सिक्किम।
6.	दामोदर रथ, बम्बई।
7.	केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन त्रिवेन्द्रम।
8.	कॉन्टिनेन्टल डिवाइस इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
9.	मनोहर लाल टन्डन, बम्बई।
10.	मीनाक्षी इलेक्ट्रॉनिक्स, कानपुर, (उ० प्र०)।
11.	एस० के० सींगल, एस० सी० ओ०, चण्डीगढ़।
12.	सीरा इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, कलकत्ता।
13.	सुशील राय, नई दिल्ली।
14.	पी० एस० सरीन, नई दिल्ली।
15.	पाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, कलकत्ता।
16.	ऑस्लर आडियो विजुअल लिमिटेड, कलकत्ता।
17.	वेस्टर्न इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स कोआपरेटिव लिमिटेड, बम्बई।
18.	वेनुगोपाल एन० धूत, महाराष्ट्र।
19.	सैब इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० बम्बई।

20. विजय कुमार महाजन, जम्मू (जम्मू तथा कश्मीर राज्य)
22. विक्टर इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं० प्रा० लि०, पश्चिम बंगाल।
22. ई० सी० आई० एल०, हैदराबाद।
23. हरीश बुद्धिराजा उड़ीसा।
24. श्री वासुदेव अग्रवाल, नई दिल्ली।
25. श्री एच० पी० दलाल, बम्बई।
26. डॉ० गिरीश लोंकरन चन्डक, शोलापुर म० प्र०।
27. श्री दिनेश जैन, काछाड़ (असम)।
28. विष्णु दास, महाराष्ट्र।
29. इपीट्रान टाइम्स लिमिटेड, भुवनेश्वर।
30. एम० के० गुप्त, गुप्त केबल्स प्रा० लि०, भुवनेश्वर।
31. इण्डस्ट्रीयल सप्लाई एण्ड एजेन्सी कं० प्रा० लि०, डिब्रूगढ़ (असम)
32. ओम प्रकाश, नई दिल्ली।
33. श्री सदाशिव रेड्डी, महबूब नगर, आंन्ध्र प्रदेश।
34. ए० रामचन्द्र राजू, हैदराबाद।
35. के० एम० लक्ष्मी, दिल्ली।
36. तलवार इन्टरनेशनल प्रा० लि०, नई दिल्ली।
37. ओरिसा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर।
38. श्री श्याम प्रकाश फतेहपुरा, नई दिल्ली।
39. जुपिटर रेडियोज, पंजाब।
40. श्री एस० एन० सराफ, नई दिल्ली।
41. श्री जे० एम० कोठारी, बम्बई।
42. श्री मोहन सिंह, दिल्ली।
43. मेसर्स नियो एक्सपोर्ट्स (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली।
44. मेसर्स बंगाल लैम्प एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अहमदाबाद।
45. मेसर्स मिल्टन इलेक्ट्रॉनिक्स, भोपाल (म० प्र०)
46. श्री किशोर कुमार, दिल्ली।
47. श्री राजेन्द्र प्रसाद, हरियाणा।
48. श्री सुरेश कुमार चंडीगढ़।
49. श्री एस० के० गर्ग, दिल्ली।
50. मेसर्स मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली।

51. श्री ओ० पी० अग्रवाल, नई दिल्ली।
52. श्री प्रमोद अग्रवाल, बम्बई।
53. श्री एल० एल० अग्रवाल, वाराणासी (उ० प्र०)
54. श्री प्रवीण कुमार, हिसार (हरियाणा)
55. श्री पी० के० जैन, नई दिल्ली।
56. श्री विमल मेहता, दिल्ली।
57. श्री राजेन्द्र जैन, इन्दौर (म० प्र०)
58. श्रीमती तसनीम राजकुमार, अंधेरी पश्चिमी, बम्बई।
59. श्री बलवन्त राय गुप्त, मद्रास।
60. श्री विजय कुमार, मद्रास।
61. श्री आर० के० अग्रवाल, लस्कर, ग्वालियर।
62. श्री आर० विजय कृष्ण लखनपाल, नई दिल्ली।
63. मेसर्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास।
64. श्री के० विजय वर्धन रेड्डी विजय इण्डस्ट्रीज, मद्रास।
65. श्री उदय शंकर खन्डेलवाल, नई दिल्ली।
66. श्री एस० सी० चड्ढा सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
67. श्री बी० एस० हट्टार्की, पुणे (महाराष्ट्र)
68. श्री राजीव डांग, बम्बई।
69. मेसर्स अनन्या इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली।
70. श्री प्रमोद गुप्त, नई दिल्ली।
71. श्री विवेक गुप्त, नई दिल्ली।
72. श्री एस० सी० शाह, बम्बई।
73. श्री आर० रामचन्द्रन, मद्रास।
74. मेसर्स फेराइट इंडिया लिमिटेड, बंगलौर।
75. श्रीमती मंजू गुप्त, नई दिल्ली।
76. श्री राजेन्द्र कुमार, कैन्ट (उ० प्र०)।
77. श्री अश्वनी कुमार नई दिल्ली।
78. मेसर्स सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स, मंगलूर।
79. मेसर्स आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, हैदराबाद।
80. श्री दिनेश बरोपालिया, तिमारपुर, दिल्ली।
81. श्री शिव कुमार अग्रवाल कलकत्ता।

82. मेसर्स लिनिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लि०, बम्बई।
83. श्री मनमोहन सिंह नई दिल्ली।
84. श्री संजीव गोयल, भोपाल (म० प्र०)।
85. मेसर्स किनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र)
86. मेसर्स लक्ष्मी इन्टर प्राइसिज, मद्रास।
87. श्री सुनील सरडाना, नई दिल्ली।
88. लेसर इलेक्ट्रॉनिक, अहमदाबाद।
89. ओ० पी० कनोई, कलकत्ता।
90. सन बीम इन्टरप्राइसिज, मद्रास।
91. के० सी० जैन० मध्य प्रदेश।
92. सिडकेल टेलीविजन लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम।
93. तपन के० राय, बंगलौर।
94. रॉलिट्रानिक्स, बंगलौर।
95. सुन्दर मोहन कल्याल, नई दिल्ली।
96. भारत भूषण, जम्मू।
97. मेसर्स अप्ट्रॉन, लखनऊ।
98. असम इलेक्ट्रानिक्स डिवाइसिज, असम।
99. श्याम सुन्दर एम० अग्रवाल, अहमदाबाद।
100. गुप्ता सन एण्ड ब्रास वर्किंग, नई दिल्ली।
101. बिक क्रिएशन (आई) लि०, नई दिल्ली।
102. स्नेह गुप्त, जम्मू।
103. स्पिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मद्रास।
104. जगन्नाथ, चंडीगढ़।
105. राजीव खण्डेलवाल, इन्दौर।
106. राजेन्द्र कुमार लथ, दिल्ली।
107. जहीर अहमद मलिक, कश्मीर, जम्मू तथा कश्मीर।
108. कल्याणी स्टील्स, पूना।
109. जे० भूषण संयुक्त राज्य अमेरिका।
110. मेसर्स वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
111. मेसर्स डायनावीजन लि०, मद्रास।
112. मेसर्स टेलीविस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।
113. मेसर्स बुश इण्डिया लिमिटेड, बम्बई।

114. मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कन्सोर्टियम (प्रा०) लि० नई दिल्ली।

115. मेसर्स टेलीविजन एण्ड कम्पोनेन्ट्स (प्रा०) लि०, अहमदाबाद।

116. मेसर्स कोणार्क टेलीविजन लि०, भुवनेश्वर।

117. मेसर्स अपट्रॉन इण्डिया लि०, लखनऊ।

118. मेसर्स राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, जयपुर।

119. मेसर्स मेन्ट्रान इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, साहिबाबाद।

120. मेसर्स बी० पी० एल० इण्डिया लि०, बंगलौर।

121. मेसर्स सीयर इण्डिया मल्टीट्रॉनिक्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।

122. मेसर्स रघुनन्दन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली।

123. मेसर्स वेबेल, कलकत्ता

124. मेसर्स मेल्ट्रान, बम्बई।

125. मेसर्स जे० एण्ड के० स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, श्रीनगर।

126. मेसर्स बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, पटना।

127. मेसर्स हरियाणा टी० वी० लिमिटेड, फरीदाबाद।

128. मेसर्स सिममा इंजीनियर्स, पूना।

129. मेसर्स बिनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स, साहिबाबाद।

130. मेसर्स यमुना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हैदराबाद।

131. मेसर्स कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, बंगलौर।

132. मेसर्स वेस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट्स (प्रा०)लि०, दिल्ली।

133. मेसर्स शंकर इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, जयपुर।

134. मेसर्स कोमा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि० बम्बई।

135. मेसर्स एच० पी० आई० डी० सी०, शिमला।

136. मेसर्स गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, पणजी।

137. मेसर्स वीतराग इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, गुजरात।

138. मेसर्स ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लि०, दिल्ली।

139. मेसर्स ओरिएन्ट विजन लि०, होसुर।

140. मेसर्स ऊषा टी० वी० लिमिटेड, फरीदाबाद।

141. मेसर्स यूनीट्रॉन लि०, फरीदाबाद।

142. मेसर्स बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, मद्रास।

143. मेसर्स देबिके सिस्टम्स, दिल्ली।

144. मेसर्स विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, हैदराबाद।

145. मेसर्स लिनिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लि०, बम्बई।

146. मेसर्स कोव्रे इलेक्ट्रॉनिक्स, अहमदाबाद।

147. मेसर्स एम० पी० स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, भोपाल।

148. मेसर्स सिडकेल टेलीविजन, त्रिवेन्द्रम।

149. मेसर्स एन्टरटेनमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लि०, फरीदाबाद।

150. मेसर्स वेबेल, कलकत्ता।

151. मेसर्स पानाविजन (प्रा०) लि०, बंगलौर।

152. मेसर्स वासु नावेनी, दिल्ली।

153. मेसर्स सुनील सेठी, दिल्ली।

154. मेसर्स उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इन्ड० लि०, दिल्ली।

155. मेसर्स लाल नवानी, दिल्ली।

156. मेसर्स दयाल बाबू भाई मिस्त्री, राजकोट।

157. मेसर्स एंगेल्स कुमार, राजकोट।

158. मेसर्स वी० सी० के० रमन, दिल्ली।

159. राजीव डांड, बम्बई।

160. मेसर्स स्टेलर इलेक्ट्रॉनिक्स कं० (प्रा०) लि०।

161. मेसर्स पी० जे० वी० इलेक्ट्रॉनिक्स, दिल्ली।

162. मेसर्स निहार इलेक्ट्रानिक्स, बम्बई।

163. मेसर्स निकी ताशा, दिल्ली।

164. मेसर्स सिहामिया, दिल्ली।

165. मेसर्स आर० एन० मार्डा, दिल्ली।

166. मेसर्स इन्फोविजन, हैदराबाद।

167. मेसर्स कोनेल कं०, हैदराबाद।

168. मेसर्स अनिल सेराट्रॉनिक्स, पटना।

169. मेसर्स आदर्श इलेक्ट्रॉनिक्स, दिल्ली।

170. मेसर्स आर० सी० एस० प्लास्टिक, बम्बई।

171. मेसर्स मास्टरफोन (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।

172. मेसर्स एस० एम० जैन, बंगलौर।

173. मेसर्स सुबोध कुमार, दिल्ली।

174. मेसर्स मेको विजन, मद्रास।

मूर्तियों की चोरी में वृद्धि

221. श्री जी० भूपति : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व की मूर्तियों आदि की चोरी में वृद्धि को रोकने की दृष्टि से सरकार ने उन क्षेत्रों/देशों का पता लगाया है, जहां से ये चोरियां संचालित की जा रही हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान हुई इस प्रकार की चोरियों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और क्या दण्ड दिया गया; और

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के मामलों में सख्त दण्ड देने पर विचार कर रही है ?

कार्मिक तथा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

निजी और सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में कटौती

222. श्री श्री हरि राव : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र में 180,000 करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र में 140,000 करोड़ रुपये के मूल योजना परिव्यय में 25 प्रतिशत कटौती करने पर विचार कर रही है; और

(ख) इस भारी कटौती के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सुपर कम्प्यूटरों का आयात

223. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 600 मेगा फ्लाप क्षमता के एक नवीनतम किस्म के सुपर कम्प्यूटरों, अर्थात एक्स एम० पी० जिसका मूल्य स्वरूप के अनुसार 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक है, प्राप्त करने के लिए अमरीका से सहायता मांगी है;

(ख) क्या भारत ने इस प्रकार के सुपर कम्प्यूटरों के लिए अन्य देशों से भी सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके उपयोग सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं तथा भारत सरकार ने कुल कितने मूल्य के ऐसे एकक प्राप्त करने का निर्णय किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ). संयुक्त राज्य से

क्रे-एक्स एम० पी० नामक आधुनिकतम सुपर कम्प्यूटर खरीदने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। किन्तु, इस सम्बन्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है। तथापि, सरकार ने ऐसे कम्प्यूटरों के मामले में जापान से सहायता मांगी है। बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान अपने ही संगठन में प्रयोग के लिए एक सुपर कम्प्यूटर खरीदने की योजना बना रहा है, जिसके लिए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की दो सुपर कम्प्यूटर प्रणालियों तथा जापान की एक प्रणाली का मूल्यांकन किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान में कम्प्यूटर प्रणाली का प्रयोग वायुमंडल विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, जैव-इन्जीनियरी आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अग्रणी क्षेत्रों में अनुसन्धान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किए जाने की सम्भावना है। अग्र-अन्त्य संसाधित्र (फ्रंट-एण्ड प्रोसेसर), उपान्त सॉफ्टवेयर प्रतिष्ठापन, एक वर्ष के अनुरक्षण के समाश्वासन, प्रशिक्षण तथा अभिलेखीयकरण सहित इस कम्प्यूटर प्रणाली की सम्भावित लागत लगभग 30 करोड़ होगी।

पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा अपहृत भारतीयों की संख्या

224. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी घुसपैठियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने भारतीयों का अपहरण किया; और

(ख) अब तक कितने मामले हल किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) पांच

(ख) चार

बम्बई और मद्रास से वाराणसी तक इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानें

225. **श्री जैनुल बशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी के प्रति पर्यटकों का आकर्षण और उसकी सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके मन्त्रालय का विचार बम्बई तथा मद्रास से वाराणसी तक के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानें प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवायें कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). इंडियन एयरलाइन्स, लखनऊ, आगरा, कानपुर तथा वाराणसी से बम्बई के लिए यातायात घनत्व का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कर रही है। आर्थिक साध्यता तथा अतिरिक्त विमान क्षमता की उपलब्धता के आधार पर, इंडियन एयरलाइन्स इनमें से किसी एक स्टेशन से बम्बई के लिए सेवा आरम्भ करना आरम्भ करेगी। तथापि, मद्रास और वाराणसी के बीच एक सीधी उड़ान की व्यवस्था प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा के लिए वार्षिक योजना

226. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा राज्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ वार्षिक योजना को भी मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा कृषक परिवारों को शामिल करने के लिए प्रस्तावित परिव्यय के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) आदिवासियों को कितनी सहायता दी जा रही है और इसके साथ ही ऋण देने में कितनी वृद्धि हुई है अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों को दिए गए कुल ऋणों के वर्तमान स्तर से कितनी वृद्धि हुई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). वार्षिक योजना 1985-86 को अन्तिम रूप दे दिया गया है हालांकि सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। जनजातीय उपयोजना और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना अभी तैयार की जानी है। इनके लिए राज्य योजना के अलावा विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना

227. **श्री अमर सिंह राठवा :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्वेत-श्याम और रंगीन टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) भारत में प्रतिमास कितने श्वेत-श्याम और रंगीन टी० वी० सेटों का निर्माण किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि लोगों को रंगीन टी० वी० सेट प्राप्त करने के लिए महीनों प्रतिक्षा करनी पड़ती है। यदि हां, तो देश में रंगीन टी० वी० सेटों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए सभी पुर्जों का निर्माण भारत में ही हो रहा है। यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत पुर्जों का आयात किस देश से और किस एजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) संगठित क्षेत्र में श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने के लिए आज की तारीख तक 68 आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, चूंकि इस मद का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है. अत: राज्य स्तरीय उद्योग निदेशकों द्वारा भी अनेक अनुमोदन जारी किए गए हैं। संगठित क्षेत्र में रंगीन-दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने के लिए आज की तारीख तक 174 आशय-पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा, लघु उद्योग क्षेत्र को 794 लघु उद्योग अनुमोदन जारी किए गए हैं।

(ख) श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन सेटों का देश में औसत मासिक उत्पादन लगभग क्रमश: 1.2 लाख और 45,000 है।

(ग) जी, नहीं। रंगीन दूरदर्शन सेट बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं।

(घ) श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के लिए अधिकांश संघटक-पुर्जों का विनिर्माण स्वदेश में ही किया जा रहा है। जहाँ तक रंगीन दूरदर्शन सेटों का सम्बन्ध है, उन सेटों के सभी महत्वपूर्ण

संघटक-पुर्जों का इस समय आयात किया जाता है। किन्तु लाउडस्पीकर, कैबिनेट मुद्रित परिपथ बोर्ड, प्रतिरोधक तथा संधारित्र (कैपेसिटर) जैसी कुछ वस्तुओं का विनिर्माण स्वदेश में ही किया जा रहा है। आयातित संघटक पुर्जे मुख्यत: जापान, कोरिया, जर्मनी हालैण्ड, फ्रांस आदि देशों से मंगाए जाते है। इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) रंगीन पिक्चर ट्यूबों का आयात स्वदेशी विनिर्माताओं को वितरित करने के लिए कर रहा है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में मूल्यांकन रिपोर्ट

228. **श्री अमल दत्त** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में तयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध हैं। इस रिपोर्ट के अध्याय-9 में इसके मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सार दिया गया है।

विदेशी पर्यटकों की रुचि के नए स्थलों का पता लगाना

229. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों की रुचि के नए स्थलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो ये स्थान कहाँ स्थित हैं; और

(ग) सातवीं योजना अवधि में देश में पर्यटन उद्योग के संवर्धन के लिए सरकार का कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). पर्यटन आधार-संरचना और पर्यटक अभिरुचि के स्थानों का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों के परामर्श से पर्यटक अभिरुचि के केन्द्रों का चयन किया जाता है ताकि योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय राज्य और प्राइवेट सैक्टर के मिले-जुले संसाधनों द्वारा इनका एकीकृत विकास किया जा सके। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में ये शामिल हैं—स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने के लिए आधार-संरचना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, समुद्र-तट विहार-स्थलों का विकास, हिमालय ट्रैकिंग और जल-क्रीड़ाओं के लिए सुविधाओं में सुधार, राष्ट्रीय विरासत के क्षेत्रों का संरक्षण, स्मारकों पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था, बौद्ध परिपथों पर पर्यटन का विकास, धार्मिक केन्द्रों पर यात्रिकाओं/धर्मशालाओं का निर्माण, स्थल परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की क्वालिटी में सुधार, वन्य जीव पर्यटन का सुधार, पर्यटन एवं यात्रा उद्योग में सेवा का व्यवसायीकरण, प्रचार साहित्य का निर्माण और उसमें सुधार तथा विदेशों में अधिक संवर्धनात्मक प्रचार एवं प्रसार। स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने और उसे गति प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए बिहार को धनराशि का आवंटन

230. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). बिहार में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए वर्ष 1983-84 और 1985-86 के लिए परिशोधित अनुमोदित परिव्ययों और 1985-86 के लिए योजना परिव्यय से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए अनुमोदित परिव्यय

(लाख रु०)

क्रम संख्या	कार्यक्रम	परिशोधित अनुमोदित परिव्यय 1983-84	परिशोधित अनुमोदित परिव्यय 1984-85	अनुमोदित परिव्यय 1985-86
1.	प्रारम्भिक शिक्षा	2002	3348	2100
2.	प्रौढ़ शिक्षा	290		400
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य	750	825	834
4.	ग्रामीण जलपूर्ति	1227	1662	1771
5.	ग्रामीण विद्युतीकरण	750	616	870
6.	ग्रामीण सड़कें	2860	3187	3400
7.	ग्रामीण आवास	182	200	500
8.	शहरी गंदी बस्तियों का सुधार	55	70	100
9.	पोषाहार	145	280	558
	कुल	8261	10188	10533

पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक प्रगति

231. **श्री बाजू बन रियान** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का आर्थिक-ढांचा बहुत कमजोर है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि जब तक इस स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं लगायी जाती जब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई आर्थिक प्रगति नहीं हो सकेगी;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष उपायों पर विचार करने का है :

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ). सरकार असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों के त्वरित विकास की आवश्यकता स्वीकार करती है। क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष उपाय किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण और अपनाए जा रहे उपाय नीचे दिए गए हैं :

केन्द्रीय सहायता की उदार पद्धति :

केन्द्रीय योजना सहायता के आबंटन के प्रयोजन के लिए उत्तर पूर्वी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को विशेष श्रेणी राज्य माना गया है। इनके मामले में, सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान की पद्धति के मुकाबले केन्द्रीय सहायता का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में है और केवल 10 प्रतिशत ऋण (असम के मामले को छोड़कर जहां राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के केवल दो जिलों में यह पद्धति लागू है) के रूप में है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था पूर्णत: केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। 891 रु0 के अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति परिव्यय के मुकाबले छठी योजना में इस क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति परिव्यय 1219 करोड़ रु0 होने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अधिक सहायता प्राप्त योजनाओं के अलावा केन्द्रीय सहायता उत्तर-पूर्वी परिषद, असम के पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों (असम, मणिपुर और त्रिपुरा) की योजना में क्षेत्रों के लिए भी दी जा रही है।

उत्तर-पूर्वी परिषद् की विशेष योजना :

उत्तर-पूर्व के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाने और संतुलित विकास करने के लिए उत्तर-पूर्व परिषद पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से कार्य कर रही है। उत्तर-पूर्वी परिषद की अधिकांश स्कीमों का उद्देश्य विद्युत, परिवहन, जनशक्ति जैसे क्षेत्रों में आधार संरचना सुविधाओं का विकास करना है जबकि इनमें से कुछ प्रयोगात्मक या प्रदर्शनात्मक स्वरूप की हैं। उत्तर-पूर्वी परिषद योजना का परिव्यय पांचवीं योजना में 90 करोड़ रु० से बढ़कर छठी योजना में 385 करोड़ रु० हो गया है।

आधार संरचना विकास :

केन्द्रीय क्षेत्र में रेलवे, सड़क, जल-मार्ग, संचार और विद्युत जैसी आधार संरचनात्मक सुविधाओं के सुधार पर अधिक बल दिया गया है।

उद्योगों के क्षेत्र में, सीमेंट, कागज और पेट्रो-रसायन उद्योगों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

कलकत्ता में आधारभूत सुविधाओं में सुधार के लिए परिव्यय

232. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान योजना की अवधि के दौरान कलकत्ता में आधारभूत सुविधाओं में सुधार के लिए केन्द्रीय परिव्यय में कम से कम 1000 करोड़ रु० का विशेष प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फर्मूले के अन्तर्गत राज्य की सम्पूर्ण योजना के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है न कि विशिष्ट कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए अपनी अनुमोदित योजना में किसी परियोजना/कार्यक्रम के लिए सहायता का उपयोग करना राज्य सरकार का काम है।

साम्प्रदायिक दंगों में जान माल की हानि

233. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1985 तक छः महीनों के दौरान कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और इनसे प्रभावित राज्यों और स्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति मारे गए, कितने व्यक्ति घायल हुए और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है;

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया;

(घ) प्रत्येक मामले में कितनी और किस प्रकार की राहत दी गई और पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए;

(ङ) साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और इनसे प्रभावशाली ढंग से निबटने के लिए यदि कोई उपाय किए गए हैं या करने का विचार है तो उन उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने उक्त स्थानों में से किसी स्थान का दौरा किया है और यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अनुसार उक्त अवधि के दौरान कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए : बिहार, हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, सिक्किम, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा दमन व दीव, लक्षद्वीप, मिजोरम और महाराष्ट्र।

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्रत्याशित है।

(ङ). साम्प्रदायिक सद्भाव और लोक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य सरकारों पर बार-बार जोर दिया जाता रहा है। प्रशासनिक तथा आसूचना तंत्र को सुचारु बनाने और समाज-विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी हथियारों तथा गोलाबारूद की बरामदगी के लिए तलाशी तथा जब्त करने और साम्प्रदायिकता भड़काने वाले समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई जैसे उपायों के लिए उन्हें सुझाव दिए गए हैं। राज्यों को केन्द्रीय बल भी उपलब्ध कराए जाते हैं जब कभी उनके लिए अनुरोध किया जाता है।

(च) अल्पसंख्यक आयोग ने उक्त अवधि के दौरान ऐसे किसी स्थान का दौरा नहीं किया है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर करने की प्रक्रिया

234. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मन्जूर करने संबंधी प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब वे स्वतन्त्रता सेनानी भी, जिन्हें 2 वर्ष (पहले के पांच वर्ष की तुलना में) की जेल हुई थी, उन स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं जिनके मामलों पर अभी फैसला होना बाकी है;

(ग) यदि हां, तो वास्तव में क्या संशोधन किये गए हैं तथा किस तारीख से ऐसा निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई अन्य संशोधन सरकार के विचाराधीन है और उनका स्वरूप क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). पहले स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 के अधीन, स्वतन्त्रता सेनानी को, जिसने फरार होने/नजरबन्दी/देश से निकाले जाने के लिए दावे प्रस्तुत किये, उन्हें अपने दावों को सिद्ध करने के लिए सरकारी रिकार्डों पर आधारित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होते थे। इस सम्बन्ध में, उदार पेंशन योजना के अन्तर्गत छूट दी गई थी जो 1-8-1980 से लागू हुई। छूट इस सीमा तक दी गयी थी कि सरकारी रिकार्डों पर आधारित दस्तावेजी साक्ष्य के उपलब्ध न होने की स्थिति में फरार आदि (6 माह से कम अवधि के लिए नहीं) का दावा करने वाला स्वतन्त्रता सेनानी अपनी यातना के प्रमाण में ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है जिसने कम से कम 5 वर्षों के कारावास की सजा काटी हो। भारत सरकार को प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को मद्दे नजर रखते हुए प्रमाणित करने वाले स्वतन्त्रता सेनानी की न्यूनतम कारावास की अवधि को 5 साल से घटा कर 2 साल करने का निर्णय किया गया है तथापि इस प्रकार के प्रमाणपत्र तभी स्वीकार्य होंगे जब प्रमाणित करने वाले स्वतन्त्रता सेनानी का स्वतन्त्रता संग्राम का क्षेत्र वहीं रहा हो जो आवेदक का है। यह छूट (प्रमाणित करने वाले के कारावास की अवधि घटाकर दो वर्ष करना) 1 अगस्त, 1980 से लागू की गयी। इस विषय में सरकार का कोई अन्य छूट देने का विचार नहीं है।

थुम्बा अन्तरिक्ष केन्द्र में प्रज्वलन परीक्षण करने के लिए सुरक्षित समुद्र क्षेत्र

235. प्रो० मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के थुम्बा अन्तरिक्ष केन्द्र में जब समुद्र तट की ओर से प्रज्वलन परीक्षण चल रहे होते हैं तो इन परीक्षण स्थलों के समीप मछली पकड़ने वाली नौकायें प्रातः असुरक्षित रूप में घूम रही होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन परीक्षण स्थलों के समीप समुद्र के कुछ निश्चित क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित करेगी; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कितने समय के भीतर लागू हो जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). थुम्बा भूमध्य रेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र (टर्ल्स) थुम्बा, केरल से जब कभी भी राकेटों को छोड़ा जाता है तो राकेट की

किस्म के आधार पर विशिष्ट क्षेत्र के खतरे वाले क्षेत्र से जहाजों, मछली पकड़ने वाली नौकाओं इत्यादि को हटाने के लिए मानक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यह प्रक्रिया नागर विमानन के महानिदेशक, जहाजरानी के महानिदेशक इत्यादि जैसी एजेंसियों की सहमति के आधार पर बनाई गई थी। प्रमोचन-तिथि से दस दिन पहले सभी सम्बन्धित एजेंसियों को एक ज्ञापन भेजा जाता है तथा इसके आधार पर जल-परिवहन विभाग प्रमोचन की तारीख तक दिन में कम से कम दो तीन बार तक खतरे के क्षेत्र सम्बन्धी चेतावनी प्रसारित करता है। मछियारों को राज्य मत्स्य पालन और राजस्व विभागों द्वारा भी चेतावनी दी जाती है। इसके साथ ही भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक गश्ती नौका भी प्रमोचन से पहले खतरे के क्षेत्र से सभी मत्स्य नौकाओं इत्यादि को दूर करने के लिए खतरे के क्षेत्र का सर्वेक्षण करती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों का निर्माण

236. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी जिले में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बन रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई कठोर कार्यवाही की है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं; और

(घ) यदि कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं तो सरकार का विचार इनका निर्माण रोकने के लिए क्या उपाय करने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

238. **श्री चिंता मोहन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कमी के कारण प्रबन्ध सम्बन्धी गम्भीर समस्याएं पैदा हो रही हैं और विकास की गति धीमी पड़ रही है;

(ख) क्या सरकार की उच्च जनशक्ति विकास कार्यक्रमों की कोई योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अन्तर को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा परम्परागत रूप से पिछड़े अन्य सभी क्षेत्रों/ग्रुपों के सम्बन्ध में स्थिति की पुनरीक्षा करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). सरकार को उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्मिकों को अपर्याप्तता की जानकारी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाओं के अधीन क्षेत्रों में कुशल और अर्ध-कुशल जनशक्ति की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किए जा रहे हैं। वर्ष

1978 में जन साधन अनुसंधान, संस्थान, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी जनशक्ति की मांग और उपलब्धता के मूल्यांकन पर आधारित और उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति के कुछ अन्य प्रस्तावों पर राज्यों के प्रयत्नों के अलावा उत्तर-पूर्वी परिषद ने त्वरित विकास के लिए क्षेत्रों में जनशक्ति विकास के लिए निम्नलिखित चार उपाय किए हैं :

(1) इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को कृषि और संबद्ध विषयों में विभिन्न पूर्वस्नातक, स्नातकोत्तर और पी० एच० डी० अध्ययनों के लिए प्रायोजित करना और चुने हुए इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में वजीफा आदि देना;

(2) कार्यकारी विकास और प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों सहित अल्पावधि विशेष पाठ्यक्रमों के लिए कार्मिकों, सेवा कर रहे कार्मिकों को प्रायोजित करना;

(3) क्षेत्र में विद्यमान तकनीकी संस्थाओं का बिस्तार करना और सुदृढ़ करना; और

(4) क्षेत्र में नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना करना।

उत्तर-पूर्वी परिषद ने छठी योजना के दौरान जनशक्ति विकास पर 22.70 करोड़ रु० व्यय किए हैं।

(घ) योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दो कार्यकारी दल स्थापित किए इनमें से एक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए और दूसरा पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में जनशक्ति आवश्यकताओं और कर्मियों के सम्बन्ध में स्थापित किया गया था। इन कार्यकारी दलों ने जनशक्ति की स्थिति की समीक्षा की है।

एयर इंडिया जम्बो का ब्लैक बाक्स

239. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इण्डिया जम्बो का ब्लैक बाक्स मिल गया है; और

(ख) क्या उसमें संग्राहित आंकड़ों का विश्लेषण कर लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) काकपिट वाइस रिकार्डर और फ्लाइट डाटा रिकार्डर के डाटा का विश्लेषण किया जा रहा है।

महाराष्ट्र विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

240. डी० ए० के० पटेल :

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र विधान मण्डल द्वारा पारित "मकान किराया भत्ता अधिनियम, 1984 को डेढ़ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त विधेयक में यह उपबन्ध है कि राज्य का प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम अपने कर्मचारियों के लिए आवास का प्रबन्ध करेगा और क्या केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक का केन्द्रीय औद्योगिक उपक्रमों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है;

(घ) इस विधेयक के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में लागू होने की स्थिति में कितने कर्मचारियों के लाभांवित होने की सम्भावना है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में तथ्य और भावी योजना क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मुहम्मद खां) : (क) राज्य विधान मण्डल द्वारा यथापारित विधेयक इस मन्त्रालय में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए 11-5-1984 को प्राप्त हुआ था। विधेयक को अभी तक राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) विधेयक के उपबन्धों पर संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालयों और राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ग) विधेयक में कुछ शर्तों के साथ कामगारों को मकान किराया भत्ता देने का प्रावधान है।

(घ) और (ङ). प्रस्तावित कानून राज्य कानून होने के कारण केवल महाराष्ट्र राज्य में लागू होगा।

भारी पानी के उत्पादन को बढ़ाने का कार्यक्रम

241. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारी पानी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सककार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव/कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारी पानी की पूर्ति कब तक स्वदेशी उत्पादन से संभव हो सकेगी; और

(ग) उस पर कितने व्यय की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नांगल, तूतीकोरिन, बड़ौदा, तलचर और कोटा में काम कर रहे पांच भारी पानी संयंत्रों के अतिरिक्त दो और संयंत्र थाल और मानगुरू में निर्माणाधीन है तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनका काम क्रमशः फरवरी, 1987 और अप्रैल, 1988 में पूरा होगा। इसके अलावा, हजीरा में एक और भारी पानी संयंत्र लगाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(ख) जो संयंत्र इस समय काम कर रहे हैं और जिन्हें लगाने की योजना है उनकी क्षमता इतनी है कि वह परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए आवश्यक भारी पानी के मामले में हमें आत्मनिर्भर बना सकती है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर में काम में आये भारी पानी की क्षति की पूर्ति एक मौजूदा करार के अन्तर्गत सोवियत संघ से भारी पानी का आयात करके की जाती है।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि भारी पानी सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1150 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। आवंटित की जाने वाली वास्तविक राशि के बारे में योजना आयोग से बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

पुलिस जनता सम्बन्धों के बारे में एस० एम० गोरे समिति की सिफारिशें

242. श्री विष्णु मोदी :

श्री शांति धारीवाल :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि एस० एम० गोरे की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को लागू करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पुलिस और जनता के बीच विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए गोरे समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). भारत सरकार ने पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए सन् 1971 में प्रो० एम० एस० गोरे की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा पुलिस व जनता के बीच सम्बन्धों को सुधारने के तरीकों सहित काफी संख्या में सिफारिशें की तथा देश में पुलिस बल के कुशल तथा प्रभावशाली कार्यों के लिए कुछ अन्य पूर्व अपेक्षाएं प्रस्तुत कीं। पुलिस राज्य का विषय होने के कारण, समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की रिपोर्ट राज्य सरकारों को उचित कारंवाई के लिए भेज दी गई थी राज्य सरकारों का ध्यान, समय-समय पर इन सिफारिशों के कार्यान्वियन की आवश्यकता की ओर दिलाया गया है। राज्य सरकारों के सम्मुख मुख्य समस्या वित्तीय साधनों की है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को प्रशिक्षण सहायता के लिए धन प्रदान कर रही है।

[अनुवाद]

विमुक्त जातियों (जनजातियों) को गल्ती से अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना

243. श्री विजय कुमार मिश्र : क्या गृह मंत्री विमुक्त जातियों (जनजातियों) को गल्ती से अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के बारे में 2 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9508 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के महापंजीयक के साथ कोई-विचार विमर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों द्वारा लिए जा रहे लाभ और सुविधायें विमुक्त जातियों को भी दी जाएंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कुछ राज्य सरकारों से टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उन्हें लगातार अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

पूर्वी राज्यों को भाड़ा-समीकरण के लिए मुआवजा

244. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी राज्यों को तब तक प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपए का मुआवजा देने पर विचार कर रही है जब तक कि कोयले के लिए इस्पात भाड़ा समीकरण तथा टेलीस्कोपिक भाड़ा ढांचे की दोहरी नीति लागू रहती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार यह मुआवजा कब से देना शुरू करेगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पांडे समिति) द्वारा भाड़ा समीकरण नीति की समीक्षा की गई थी। सरकार, इस समिति की सिफारिशों को सिद्धांत रूप में पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि सुदूरवर्ती, अगम्य और अलग-थलग क्षेत्रों के लिए परिवहन के निमित राज सहायता देते हुए सीमेंट तथा इस्पात जैसी वस्तुओं पर वर्तमान भाड़ा समीकरण को धीरे-धीरे हटा दिया जाए। सम्बन्धित मंत्रालय यानी उद्योग तथा आपसी कार्यों का मंत्रालय और इस्पात और खान मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे सीमेंट और इस्पात के मामले में भाड़ा समीकरण दूर करने की उपयुक्त स्कीमें/कार्यप्रणाली निकालें। ये मंत्रालय इस प्रकार की स्कीमों को अंतिम रूप देने का कार्य कर रहे हैं। कोयले के मामले में भाड़ा-समीकरण की कोई योजना नहीं है। रेलों में इस तरह की एक प्रणाली है जिसमें वे दूरी बढ़ने के साथ-साथ "टेलीस्कोपी" दरों पर भाड़ा लेते हैं। रेलों में दर-निर्धारण का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है और इसका आधार यह है कि दूरी बढ़ने के साथ-साथ प्रति यूनिट पर (सीमांत प्रभारों की तरह) ऊपरी खर्चों में कमी की जाए। यह बात रेलों द्वारा हर वस्तु के लाए-ले जाने पर लागू होती है न कि केवल कोयले पर।

[हिन्दी]

गंगा जल को साफ करने की योजना

245. श्री मदन पांडे :

श्री जी० जी० स्वेल :

श्री डी० एन० रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा जल को साफ करने की योजना की रूप रेखा क्या है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए विदेशी तकनीकी सहायता भी मांगी जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस देश का नाम क्या है जिससें यह सहायता मांगी जा रही है और इस योजना पर कब तक काम शुरू होने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) गंगा की सफाई योजना की मुख्य रूप से रूपरेखा निम्नलिखित हैं :

कार्यकारी योजना के प्रथम चरण में दो प्रमुख उद्देश्य हैं, नदी में प्रदूषण भार (जो अन्ततः पूर्ण रोकथाम करेगा) में तुरन्त कमी तथा स्वः संपोषित उपचार संयंत्र प्रणाली की स्थापना । तदनुसार, निम्नलिखित की कार्यकारी योजना के घटकों के रूप में पहचान की गई है :—

1. मौजूदा प्रमुख सीवरों तथा नालों का नवीकरण (सफाई/आसवन/मरम्मत)

2. गंगा में मलजल तथा अन्य अपशिष्टों के प्रवाह को मोड़ने के लिए अवरोधकों का निर्माण ।

3. मौजूदा मलजल पम्पिंग स्टेशनों एवं मलजल उपचार संयंत्रों का नवीकरण तथा नये संयंत्रों की स्थापना ।

4. सफाई के लिए चयन, बिजली एवं खाद के उत्पादन के लिए, मलजल/कूड़े कचरे के डाइजैस्टरों के निकट के स्थानों से आदमियों एवं जानवरों के अपशिष्टों को लाना ।

5. कूड़ा-कचरे अथवा मलजल पम्पिंग स्टेशनों की व्यवस्था करना ।

6. पशुओं के शेड्स से मनुष्य के एवं जानवरों के अपशिष्टों के बहाव की रोकथाम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना ।

7. कम लागत की सफाई योजनायें ।

8. जैविकीय संरक्षण उपाय ।

9. अपशिष्टों के प्रवाह को मोड़ने के लिए लागत प्रभावी प्रणालियों की स्थापना के लिए प्रायोगिक परियोजनायें ।

10. अपशिष्टों एवं संसाधनों के उपचार/विद्युत प्राप्ति में प्रौद्योगिकी के प्रयोग की व्यवहार्यता की स्थापना के लिए मार्गदर्शी परियोजनायें ।

(ख) जी नहीं । बहरहाल, कुछ विदेशी सरकारों/संस्थाओं ने इस तरह की सहायता की पेशकश की है ।

(ग) फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, हालैन्ड, विश्वबैंक ने सहायता की पेशकश की है। इसके कार्यान्वयन की शीघ्र ही आरम्भ होने की संभावना है।

[अनुवाद]

काठमांडू बम कांड के संदिग्ध अपराधियों को उनके देश भेजा जाना

246. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू में 20 जून, 1985 को बम विस्फोट की घटनाओं के पश्चात नेपाल के गुप्तचर अधिकारियों ने संदिग्ध अपराधियों की खोज में भारत के विभिन्न भागों का दौरा किया था, और

(ख) क्या नेपाल ने एक संदिग्ध अपराधी को उस देश में वापस भेजने का आग्रह किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां): (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं। इस मामले को नेपाल की शाही सरकार के साथ उठाया गया है। उनसे उत्तर की हमें अभी प्रतीक्षा है।

(ख) जी, नहीं।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे का विकास

247. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर दो तरफ यातायात बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि इस हवाई हड्डे पर आने और जाने के बढ़ रहे यातायात से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपलब्ध वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस हवाई अड्डे का विकास करने की कोई भावी योजना है ताकि बढ़ रहे यातायात का सामना किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ). यातायात में वृद्धि की मात्रा को पूरा करने के लिए विमान क्षेत्र पर वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। पर्याप्त स्थान और यात्रियों को संभालने की सुविधाएं मुहैया करने के लिए, एक नया अंतस्थ परिसर निर्माणाधीन है और पूरा होने वाला है। अंतर्देशीय अंतस्थ भवन में दर्शक वीथी से संबंधित निर्माण कार्य प्रगति पर है। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्तर्देशीय प्रस्थान होल्डिंग क्षेत्र के विस्तार का भी प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से पेंशन के लिए विकल्प मांगना

248. श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्री विजय कुमार मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई आदेश जारी किया गया था कि वे पेंशन के बारे में अपने विकल्प के लिए सूचना जुलाई, 1985 की समाप्ति से पहले दे देवें;

(ख) क्या यह आदेश रेलवे, डाक-तार, राष्ट्रीकृत बेंकों और अन्य केन्द्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों के कर्मचारियों पर भी लागू होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कर्मचारियों के संगठनों ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्तियां उठाई थीं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार ने 6.6.1985 को आदेश जारी किया है जिसमें अंशदायी भविष्य निधि की प्रसुविधाओं के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यह अनुमति दी गई है कि वे इस आदेश के जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर पेंशनी व्यवस्था में आने के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं।

(ख) तथा (ग). ये आदेश रेलवे और डाक व तार सहित अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होता है न कि राष्ट्रीयकृत बेंकों के कर्मचारियों पर।

(घ) इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के किसी भी संगठन से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

"शनिदेव मन्दिर" को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में घोषित करना

249. श्री कम्मोदी लाल जाटव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरेना (म० प्र०) में हिन्दुओं का 'शनिदेव मन्दिर' देश में अपने किस्म का एकमात्र मन्दिर है;

(ख) क्या उक्त स्थान जिस तरह धार्मिक है उसी तरह एक पर्यटक केन्द्र भी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसे पर्यटक केन्द्र घोषित करने के बाद वहां पर समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करेगी; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश के अन्तर्गत मुरेना अपने शनिदेव मन्दिर सहित, केवल एक धार्मिक स्थान है न कि पर्यटक केन्द्र। यह बताया गया है कि भगवान शनिदेव को समर्पित कुछ अन्य मन्दिर भी यहां पर हैं।

(ग) और (घ). विभाग को मध्य प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर अनुकूलतापूर्वक विचार किया जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि करने का प्रस्ताव

250. डा० जी० विजय रामा राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों तथा गरीब लोगों के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने में कठिनाई हो रही है क्योंकि वित्तीय तथा अन्य साधनों की कमी के कारण ये अपनी शिक्षा अधिक आयु में पूरी करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन लोगों को उचित अवसर देने के उद्देश्य से तथा सभी श्रेणियों के आवेदकों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) ऐसी कठिनाई सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पेरिस में भारत महोत्सव में नृत्य

251. श्री ई० आय्यापु रेड्डी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेरिस में जून, 1985 में भारत महोत्सव में कितने दलों ने भाग लिया था;

(ख) पेरिस में भारत से कितनी विधाओं के नृत्य दिखाए गए थे;

(ग) क्या किसी कलाकार ने कुचीपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन किया; और

(घ) क्या पेरिस में भारत महोत्सव में भाग लेने के लिए आन्ध्र प्रदेश से किसी कलाकार को कोई अवसर दिया गया था ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 7 जून, 1985 को पेरिस में उद्घाटन मेले में कलाकारों के 20 दलों ने प्रदर्शन किया ।

(ख) मेले में प्रदर्शित नृत्यों के प्रकारों में मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोक नृत्य शामिल थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) फ्रांस में भारतोत्सव, जो एक वर्ष भर का कार्यक्रम है में अक्तूबर, 1985 को पेरिस में कुचीपुड़ी और नवम्बर-दिसम्बर, 1985 में आन्ध्र शैडो पपेट के प्रदर्शन होंगे ।

दिल्ली में पौधे लगाना

252. श्री एम० सुब्बा रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 जून, 1985 के टाइम्स आफ इण्डिया में "28 लैक सैप्लिंग्स टू बी प्लांटेड इन दिल्ली" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि छाया और फल उपभोगिता के लिहाज से दिल्ली जैसे नगर में किस किस्म के पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह सच है कि विगत में नई दिल्ली में अधिकांशत: 'जामुन' के वृक्ष लगाए गए जिनका फल और छाया की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है;

(घ) क्या सरकार ने विशेष प्रकार के उपयोगी पेड़ लगाने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) 'जामुन' नई दिल्ली में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण वृक्ष की प्रजातियों में से एक प्रजाति है।

(घ) लगाई जाने वाली प्रजातियों के बारे में कोई निदेश जारी नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकासशील और अल्प विकसित देशों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता

253. **श्री रामस्वरूप राम** : **क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकासशील और अल्प विकसित देशों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किन-किन देशों को इस प्रकार की सहायता दी गयी; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) भारत ने बहुत से देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। भारत से सहायता प्राप्त करने वाले देशों में दक्षिण एशिया में हमारे पड़ोसी और एसियन देश; तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाबवे, नाइजीरिया जैसे बहुत से अफ्रीकी देश और अफ्रीकी मुक्ति आन्दोलन, जमैका, क्यूबा, त्रिनिदाद और टोबागो जैसे कैरिबियाई देश और फिजी, टोंगो इत्यादि जैसे प्रशान्त देश शामिल हैं।

(ग) भारत ने अन्य विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता दी है।

वित्तीय सहायता सरकार से सरकार को रियायती ऋण के रूप में रही है जिसका उपयोग भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा। इस प्रकार की सरकारी धनराशि के कई अरब रुपए दिए गए हैं और इसे प्राप्त करने वाले देशों ने इसकी काफी सराहना की है।

भारतीय तकनीकी सहायता अनेक कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है जिनमें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, कोलम्बो योजना तथा यू० एन० डी० पी० जैसी बहुपक्षीय एजेंसियां शामिल हैं। भारतीय तकनीकी सेवा अनुदान आधार पर दी जाती है और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने तथा व्यवहार्य अध्ययन करने, परामर्शदायी सेवा उपलब्ध कराने के साथ-साथ भारी संख्या में विदेशी राष्ट्रिकों को भारत में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। हाल ही में भारत ने अफ्रीका में संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए गुट-

निरपेक्ष आन्दोलन के सक्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत भी अफ्रीकी देशों को, अतिरिक्त तकनीकी सहायता प्रदान करना शुरू किया है।

[अनुवाद]

भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के अन्तर्गत उप-आयोगों की बैठक के निष्कर्ष

254. डा० बी० वेंकटेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के अन्तर्गत उप-आयोगों की हाल की हुई बैठकों के क्या परिणाम निकले,

(ख) क्या इसमें सीमा सम्बन्धी ब्यौरा वर्तमान विवाद चर्चा के विषय रहे, और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस एजेन्सी का स्वरूप क्या है जो उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस बैठक में कुछ प्रगति हुई। इसमें जो निर्णय लिए गए तथा सिफारिशें की गयीं, उनमें ये भी थीं : (i) कृषि अनुसंधान में सहयोग से सम्बद्ध एक करार पर हस्ताक्षर (ii) एक सांस्कृतिक करार के प्रारूप पर विचार (iii) वास्तविक व्यापारियों और पारगमन वीसा धारकों के बारे में पुलिस रिपोर्टों की आवश्यकता को समाप्त करना (iv) 1 अक्तूबर, 1985 से नामांकित रेलवे स्टेशनों के बीच सीधी रेलवे बुकिंग सुविधाओं को अन्तिम रूप देना (v) आयोजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यदल की स्थापना सम्बन्धी करार जिससे पहले इसी विषय पर इस्लामाबाद में एक संगोष्ठी होगी और (vi) मादक द्रव्यों के अवैध आवागमन पर निगरानी रखने के लिए सूचना के आदान-प्रदान से सम्बन्धित करार।

सरकार विभिन्न निर्णयों के समयपरक कार्यान्वयन के लिए तथा भारत द्वारा किए गए अन्य प्रस्तावों पर कारंवाई करने के उद्देश्य से पाकिस्तान प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखेगी।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में पेड़ों का काटा जाना

255. श्री हरिहर सोरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में विशेषत: राज्य के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में बड़े पैमाने पर पेड़ों के काटे जाने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पेड़ों के बेरोकटोक काटे जाने के कारण उक्त दोनों जिलों को गोनाशिवा और सिमिलीपाल पहाड़ियों में भारी क्षति हुई है; और

(ग) उड़ीसा की उक्त पहाड़ियों और वन क्षेत्र को विनाश से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). सरकार को उड़ीसा राज्य के क्योंझर और मयूरभंज जिलों में वनों के विनाश की शिकायत प्राप्त हुई है। राज्य सरकार से इस मामले में जांच करके रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

देश में भारी पानी एकक

256. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी परियोजनाओं के लिए भारी पानी की कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) देश में स्थित विभिन्न भारी पानी एककों द्वारा कुल कितना उत्पादन किया जाता है; और

(ग) क्या भारी पानी का वर्तमान उत्पादन हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस शताब्दी के अन्त तक 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली के उत्पादन के लिए 13,000 मीटरिक टन भारी पानी की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) और (ग). जो संयन्त्र इस समय काम कर रहे हैं और जिन्हें लगाने की योजना है उनकी क्षमता इतनी है कि वह परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए आवश्यकता भारी पानी के मामले में हमें आत्मनिर्भर बना सकती है।

विदेशों से भारत के सम्बन्ध

257. **श्री बी० वी० देसाई** :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1985 के दौरान प्रधान मन्त्री की विभिन्न देशों की यात्रा से भारत के उन देशों के साथ सम्बन्धों में और सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रधान मन्त्री ने जिन विभिन्न देशों की यात्रा की थी उनके साथ क्या-क्या समझौते किए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मन्त्री की फ्रांस की यात्रा के दौरान दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए : (क) नई दिल्ली में उच्च अनुसंधान के संवर्धन के लिए भारत-फ्रांस केन्द्र की स्थापना से सम्बद्ध समझौता और शहरी अपशिष्ट के ऊर्जा में परिवर्तन तथा गंगा के पवित्रीकरण के लिए फ्रांस की सहायता से सम्बद्ध समझौता।

संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के दौरान अक्तूबर, 1982 में शुरू हुई विज्ञान एवं प्रौद्योगिक पहलकदमी की अवधि अक्तूबर, 1985 से तीन वर्ष तक और बढ़ाने के सम्बन्ध में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त कतिपय विचारों पर सिद्धान्त रूप में सहमति हुई जिनका और पता लगाया जाएगा। ये विचार नए और संवर्धित टीके विकसित करने तथा बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने और एक दीर्घावधि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित है। इस कार्यक्रम में कृषि तथा वनविद्या, स्वास्थ्य तथा पोषण, परिवार कल्याण तथा वायो-औषधि और औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास के कार्यकलाप शामिल है।

देश में वन क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि

258. श्री नारायण चौबे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कितनी भूमि वन क्षेत्र के अन्तर्गत है;

(ख) सरकार ने तेजी से हो रही वनों को खतरनाक कटाई को जिससे पर्यावरणीय असंतुलन होता है, रोकने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) ईंधन लकड़ी के उत्पादन और इसकी माँग तथा औद्योगिक लकड़ी के उत्पादन और माँग में इस समय कितना अन्तर है; और

(घ) उत्पादन और माँग के बढ़ते अन्तर को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) इस समय देश में वनों के रूप में सरकारी रूप से पंजीकृत क्षेत्र 747.216 लाख हैक्टार है। राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वनों को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं :

1. वृक्षों की अनाधिकृत कटाई रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा विभिन्न अन्य कानूनों को लागू करना।

2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का कानून बनाना तथा लागू करना।

3. अधिकतर राज्यों में वनों के कार्य ठेकेदारों की एजेंसी का निष्कासन।

4. वन क्षेत्रों में तथा उसके बाहर भारी वृक्षारोपण शुरू करके जलावन की लकड़ी के लिए आरक्षित स्थलों का निर्माण करना।

5. दीर्घावधि समाधान का पता लगाने की दृष्टि से चराई, अनाधिकार प्रवेश तथा झूम खेती की समस्याओं का गहन अध्ययन शुरू करना।

6. लुगदी तथा लकड़ी के टुकड़ों की आयात शुल्क से छूट दी गयी है और कुछ विशिष्ट रूपों में लकड़ी पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत तक यथा मूल्य घटा दिया गया है।

7. जहाँ-कहीं भी सम्भव हो लकड़ी के प्रस्थानियों के उपयोग के उपायों का पता लगाया जायेगा और उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा।

8. जलावन की लकड़ी तथा चारा रोपण के तहत प्रत्येक वर्ष 50 लाख हैक्टार क्षेत्र लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परती विकास बोर्ड स्थापित किया गया है।

(ग) देश में जलावन की लकड़ी की वर्तमान वार्षिक मांग 1330 लाख मीटरी टन (अर्थात् 0.19 टन प्रति व्यक्ति) होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 490 लाख मीटरीटन (अर्थात् 0.07 टन प्रति व्यक्ति) ही उपलब्ध है जिससे 480 लाख मीटरीटन अर्थात 0.12 टन प्रति व्यक्ति का अन्तर रह जाता है।

राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग ने 135 लाख घनमीटर की प्रतिवर्ष उपलब्धता की तुलना में 250 लाख घनमीटर औद्योगिक लकड़ी की माँग का अनुमान लगाया गया है जिससे प्रतिवर्ष 115 लाख घनमीटर का अन्तर रह जाता है।

(घ) जलावन की लकड़ी तथा चारा रोपण के तहत प्रतिवर्ष 50 लाख हैक्टार का क्षेत्र लाने के लिए राष्ट्रीय परती विकास बोर्ड स्थापित किया जाता है। वनरोपण तथा संरक्षण की कई योजनाएँ सातवीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में सुदृढ़ की जा रही है।

विवरण

कुल वन क्षेत्र 1981-82   इकाई (000) हैक्टार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वन क्षेत्र
1	2
राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	6357.1
असम (80-81)	3070.8
बिहार (80-81)	2923.2
गुजरात	1964.8
हरियाणा	169.7
हिमाचल प्रदेश	2114.2
जम्मू व कश्मीर	2188.6
कर्नाटक	3438.6
केरल	1125.1
मध्य प्रदेश (80-81)	15541.4
महाराष्ट्र	6416.7
मणिपुर (80-81)	1515.4
मेघालय	851.0
नागालैंड	289.9
उड़ीसा	5996.3
पंजाब	259.2
राजस्थान	3043.9
सिक्किम	282.0
तमिलनाडु	2201.4
त्रिपुरा	592.0
उत्तर प्रदेश (80-81)	5114.9

1	2
पश्चिम बंगाल (80-81)	1183.0
संघ राज्य क्षेत्र	
अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	714.4
अरुणाचल प्रदेश	5154.0
दादर तथा नगर हवेली	20.2
दिल्ली	—
गोवा, दमन और द्वीव	130.9
मिजोरम	1662.9
(अखिल भारत) योग :	74721.5
	(अथवा 747.216 लाख हैक्टार)

टिप्पणी : 1. जहां कहीं उल्लिखित नहीं है ये आंकड़े 1981-82 से सम्बन्धित हैं।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों पर आंकड़े आधारित हैं।

एयर इंडिया के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

259. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

श्री के० कुन्जम्बु :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के विमान "कनिष्क" के दुर्घटना स्थल पर पहुँचने वाले मृतकों के सम्बन्धियों को स्थानीय प्राधिकारियों और एयर इण्डिया से उतनी सहायता नहीं मिली जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). यह कहना ठीक नहीं होगा कि मृतकों के रिश्तेदारों को, जो उस स्थान पर गए थे जहाँ एयर इण्डिया का विमान "कनिष्क" दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, स्थानीय प्राधिकारियों तथा एयर इण्डिया द्वारा उतनी सहायता नहीं दी गई जितनी सहायता उन्हें अपेक्षित थी। एयर इण्डिया ने कार्क में एक होटल में एक कार्यालय की स्थापना की थी तथा मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों के आगमन तथा प्रस्थान, दोनों अवसरों पर सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल और विमान क्षेत्र पर कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। निकटतम सम्बन्धी को निःशुल्क होटल आवास, भोजन, यातायात और आकस्मिक खर्चे के लिए नकद भत्ता दिया गया। शवों की पहचान करने के लिए सभी सम्भव सहायता प्रदान की गयी थी। मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों द्वारा बताए गये गंतव्यों तक शवों के निःशुल्क वहन के प्रबन्ध भी किए गए थे।

कार्क में आयरिश प्राधिकारियों तथा आयरिश जनता ने भी बहुत सहायता की थी।

राज्यों में इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र स्थापित करने की योजना

260. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रों को स्थापित करने की इलेक्ट्रोनिक्स विभाग को कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कितने राज्य या राज्य सरकार के उपक्रम प्रभावी कदम उठा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

रंगीन टी० वी० सेटों का मूल्य

261. श्री मुरली धर माने : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के भीतर रंगीन टी० वी० सेटों की कीमतें/निर्धारित करने के सम्बन्ध में रंगीन टेलीविजन उद्योग से कोई आश्वासन लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रंगीन टी० वी० सेटों के निर्माताओं द्वारा इस आश्वासन का उल्लंघन करने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, यो दोषी फर्मों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गयी; और

(ङ) यदि हां, तो स्वदेशी बाजार में सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्यों पर रंगीन टी० वी0 सेट उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार द्वारा एशियाड के दौरान सामयिक आधार पर आयात किए गए किटों से संयोजित रंगीन दूरदर्शन सेटों के सम्बन्ध में रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माताओं द्वारा यह वचन दिया गया था कि टरेट ट्यूनर वाले रंगीन दूरदर्शन सेटों का मूल्य बाजार में वे 7500-रु0 से अधिक नहीं लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर वाले रंगीन दूरदर्शन सेटों का मूल्य 8000 -रु0 से अधिक नहीं होगा और इन मूल्यों में गारण्टी/समाश्वासन तथा दिल्ली में लगने वाला बिक्री कर शामिल होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछ दूरदर्शन विनिर्माताओं/विक्रेताओं द्वारा रंगीन दूरदर्शन सेटों पर सीधे अथवा अनुरक्षण सेवाओं के अनुबन्ध के माध्यम से उपभोक्ताओं से अधिक कीमत लेने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर तथा एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत की गयी जांच-पड़ताल के आधार पर उन्हें "जांच नोटिस" जारी किया गया है। आवश्यक जांच-पड़ताल करने के बाद प्रतिबन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया के अन्तर्गत जांच शुरू की गयी है।

(ङ) रंगनी दूरदर्शन सेटों की कीमतें कम करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) उत्पादन क्षमताओं पर ऊपरी सीमा लगाए बिना औद्योगिक अनुमोदन उदारता से जारी करना ताकि उत्पादन के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य स्तर के लक्ष्य को हासिल किया जा सके और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले।

(ii) आयतित कच्ची सामग्रियों/संघटक-पुर्जों पर से सीमा-शुल्क, उत्पादन शुल्क में कमी आदि करके सरकारी कराधान में कटौती।

(iii) दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण की समीक्षा करने तथा प्रगति पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त दूरदर्शन समन्वय समिति कार्य कर रही है जिसमें भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। उक्त समिति की विभिन्न बैठकों में रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए ली जाने वाली अधिकतम कीमत के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया है। 16 अगस्त, 1984 को आयोजित इस समिति की बैठक में भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ ने यह वचन दिया था कि दिनांक 15 अक्तूबर, 1984 से ग्राहक को प्राप्त होने वाले रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमत इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर सहित 7500- रु० तथा टरेट ट्यूनर सहित 7000- रु0 से अधिक नहीं होगी जिसमें दिल्ली में लगने वाले सभी कर तथा एक साल की गारंटी शामिल होगी।

(iv) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई० टी० एण्ड टी०) नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम "सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम० टी० बी०)" नामक अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत उचित लागत पर बढ़िया क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से उद्योग को थोक मात्रा में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति करके और साथ-साथ आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेगा। आशा की जाती है कि इस योजना के अन्तर्गत विनिर्मित रंगीन दूरदर्शन सेट बाजार में इस समय बेचे जा रहे रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमतों से कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।

(v) ई० टी० एण्ड टी० रंगीन दूरदर्शन के विभिन्न विनिर्माताओं को पर्याप्त मात्रा में रंगीन पिक्चर ट्यूबों की आपूर्ति करेगा।

(vi) भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ से हुए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप, उन्होंने अपने संघ के ऐसे 6 सदस्यों की सूची हमें दी है जो सहकारी संस्थाओं, सुपर बाजारों आदि जैसे सरकारी वितरण नेटवर्क के माध्यम से अपने किफायती मॉडल के रंगीन दूरदर्शन सेट बेचने के लिए राजी हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

उपर्युक्त कदम उठाये जाने के फलस्वरूप तथा बाजार में पड़ने वाले दबाव के फलस्वरूप रंगीन दूरदर्शन सेटों के कुछ मॉडलों की कीमतें कम हो गई हैं।

आदिवासी उपयोजना

262. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने आदिवासी उप-योजना की धनराशियों को अन्य मदों पर व्यय किये

जाने से बचाने के लिए आदिवासी उप-योजना के लिए पृथक मांग तैयार करना प्रारम्भ कर दिया है, और

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय ने अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करने के लिए कहने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्यों को उनके बजट में अलग रखने के निदेश दिये गये हैं।

उड़ीसा में सातवीं योजना के दौरान धुआं रहित चूल्हे लगाना

263. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में धुआं रहित चूल्हे लगाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कोई व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना में उड़ीसा में ऐसे कितने चूल्हे लगाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान देशभर में 50 लाख धुआं रहित चूल्हों की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रचार एवं प्रसार के लिए अनुमोदित चूल्हों की न्यूनतम क्षमता (कुशलता) 15 प्रतिशत है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में इस प्रकार के 2.5 लाख चूल्हों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में वन तथा पर्यावरण सम्बन्धी योजनाएं

264. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वन तथा पर्यावरण सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है अथवा इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा वन तथा पर्यावरण के बारे में प्राथमिकता के आधार पर कौन से कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है; तथा इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश में वन सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 116.64 करोड़ रुपए के प्रावधान की सिफारिश की गयी है। पर्यावरण के सम्बन्ध में 0.93 करोड़ रुपए के परिव्यय की योजनायें क्रियान्वित होंगी। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

योजना	परिव्यय (करोड़ रुपए में)	कार्य
क. वन		
1. निदेशन तथा प्रशासन	0.20	—
2. शिक्षा तथा प्रशिक्षण	5.15	प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण तथा अधीनस्थ कर्मचारियों तथा ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देना।
3. वन संसाधन सर्वेक्षण	0.25	वन आधारित उद्योगों के लिए उपस्कर की खरीद तथा कच्ची सामग्री के संभाव्य स्रोतों का निर्धारण।
4. वन संरक्षण तथा विकास	2.94	कार्यकारी (व्यवस्था) योजनाओं का सर्वेक्षण सोमांकन तथा तैयारी।
5. रोपण		
(क) उत्पादन वानिकी	22.25	53000 हैक्टार
(ख) सामाजिक वानिकी	68.10	84000 हैक्टार तथा 8 करोड़ पौधों का वितरण
6. वन उत्पादन	0.60	विभागीय भरती तथा कारखाने का परिचालन तथा रेल के स्लीपरों की सप्लाई
7. हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम की साम्य पूंजी		
8. संचार तथा भवन	3.85	—
9. विस्तार तथा प्रचार	0.60	—
10. वन प्राणि तथा प्राकृतिक पर्यपेक्षण	1.50	वन प्राणि आश्रय-स्थलों का गहन प्रबन्ध, खतरे में पड़ी प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण।
11. अन्य व्यय	0.70	कर्मचारियों तथा श्रम की सुविधाएं, वन सांख्यकी का संचयन तथा मूल्यांकन

12.	भारत जर्मन	3.90	फार्म वानिकी पर ज़ोर देते हुए कांगड़ा ज़िले में बिवा स्रवण क्षेत्र का समेकित विकास
13.	लघु वन उत्पादन का विकास	0.30	लघु वन उत्पाद का खेती तथा आदि वासी क्षेत्रों का विकास
	कुल	116.84	

ख. पर्यावरण

1.	अधिक ऊँचे क्षेत्रों में परि-स्थितिकी कृतक दल	0.10	अधिक ऊँचे स्थानों के क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, वनरोपण, तथा जल संसाधन विकास
2.	मानव तथा जीवविज्ञान कार्यक्रम	0.30	पारिस्थितिकी सम्बन्धी अनुसंधान, पारिस्थितिकी तथा घासपात गति विज्ञान
3.	पारिस्थितिकी-विकास अनुसंधान	0.53	वन रोपण सम्बन्धी अनुसंधान मृदा संरक्षण, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन तथा जलचर पारिस्थितिकी को प्रणालियाँ
	योग	0.92	

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में शिनाख्त की गई आदिम जातियों के विकास की योजना

265. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश में पता लगी आदिम जातियों के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक आदिमजाति के लिए वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के लिए कौन-कौन-सी योजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(ग) उक्त वर्षों के लिए कितनी धनराशि आंवटित की गई और वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). कार्यान्वित की गयी योजना में शिनाख्त किए गए 6 समुदायों अर्थात् अम्भुज-मारिया; भारिया, बेंगा, पहाड़ी कोरवा, कामार और सहायता के लिए बेलों और दुधारु गायों का

वितरण कृषि आर्थिक सहायता, डीजल पम्प, उर्वरक, बीज, भूमि विकास योजना, पेय जल आपूर्ति, स्वास्थ्य उपाय, संचार और भण्डार सुविधाओं में सुधार सम्मिलित हैं। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक वर्ष 107.54 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी गयी। वर्ष 1985-86 के कार्यक्रम के लिए 110.00 लाख रुपये का अस्थायी आबंटन किया गया। राज्य सरकार के व्यय के ब्यौरे का पता लगाया जा रहा है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

कश्मीर पर यू० एन० डी० पी० की रिपोर्ट

266. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार कश्मीर को यू० एन० डी० पी० की एक रिपोर्ट में स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में दर्शाया गया है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य को इस रिपोर्ट में कश्मीर का नाम दिया गया है जैसाकि पाकिस्तान द्वारा इस राज्य का नाम लिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार ने जानबूझकर इस प्रकार विकृत रूप से प्रस्तुत करने का विरोध किया है और क्या इस त्रुटि को दूर कर दिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क)और(ख). जम्मू और काश्मीर में सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/कृषि एवं खाद्य संगठन द्वारा समर्थित उनके एक प्रायोगिक संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद के 32वें अधिवेशन के सिलसिले में, जो 3 से 29 जून, 1985 तक न्यूयार्क में हुआ था, जारी की गई प्रशासक की कार्यक्रम क्रियान्वयन सम्बन्धी 1984 की वार्षिक रिपोर्ट से सम्बद्ध एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दस्तावेज में इस परियोजना के क्षेत्र का 'काश्मीर' कहकर उल्लेख किया गया है। 'काश्मीर' शब्द को रेखांकित किया गया है और बड़े अक्षरों में छापा गया है, उसी तरह जिस तरह के इस दस्तावेज में स्वतन्त्र देशों के नाम छापे गए हैं जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि 'काश्मीर' अपने अधिकार से एक सदस्य राज्य है।

(ग) इस मामले को तत्काल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक के साथ उठाया गया। उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि यह एक संपादकीय भूल है और इसके लिए खेद व्यक्त किया है। सन्दर्भगत दस्तावेज के अन्तिम पाठ में 'काश्मीर' को मोटे अक्षरों में नहीं रखा गया है और रेखांकित भी नहीं किया गया है।

विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों के कार्यकरण को सुधारने के उपाय

267. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में स्थित हमारे पर्यटन कार्यालय पर्यटकों को भारत में आने के लिए आकर्षित करने के लिए ठीक से अपना काम/बाजार अनुसंधान कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटन उद्योग के हित में पर्यटन कार्यालयों के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। विदेश स्थित सभी कार्यालय अपने संसाधनों की सीमा में रहते हुए समय-समय पर अपने-अपने

क्षेत्रों में मार्केट-सर्वेक्षण करते हैं। विभाग में भी एक मार्केट अनुसंधान कक्ष है जो प्रत्येक क्षेत्र से आने वाले पर्यटकों की संख्या दर्ज करता है।

(ख) इस बात पर विचार करने के लिए कि इन क्षेत्रीय कार्यालयों को किस तरह से और सुदृढ़ बनाया जाए विभाग ने स्वतन्त्र रूप से एक विदेश परिचालन पुनरीक्षा समिति की स्थापना की है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कमियां

268. **श्री जायनल अबेदिन :**

श्री मूलचन्द डागा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ कमियां पाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे कमियां क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रकाशित मूल्यांकन रिपोर्ट में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ कमियां बताई गई हैं। अन्य बातों के साथ-साथ ये इनसे सम्बन्धित हैं :—(1) विभिन्न स्तरों पर प्रशासनात्मक और संगठनात्मक व्यवस्था; (2) योजना प्रक्रिया; (3) लक्षित परिवारों का चयन; (4) लाभग्राहियों के लिए उपयुक्त स्कीमों की व्यवस्था; (5) सहायता की मात्रा; (6) वित्तीय संस्थाओं का कार्य संचालन और (7) प्रबोधन और अनुवर्ती कार्रवाई की पर्याप्तता।

मूल्यांकन रिपोर्ट में विस्तृत निष्कर्ष दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

दूसरे देशों में भारत महोत्सवों का आयोजन

269. **श्री के० कुन्जम्बु : क्या संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत महोदय का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन देशों की जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य मित्र देशों में भी इस प्रकार के उत्सव आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतोत्सव का फ्रांस और अमेरिका में जून, 1985 में उद्‌घाटन हुआ था और यह क्रमशः जून, 1986 और दिसम्बर 1986 तक जारी रहेगा।

(ख) दोनों उत्सवों ने दोनों देशों में भारी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और वहां मुद्रित तथा इलैक्ट्रोनिक संचार साधनों में इसको व्यापक रूप से शामिल किया गया है। इन उत्सवों का दीर्घकालीन प्रभाव इन देशों के लोगों द्वारा भारत के प्रत्यक्ष ज्ञान से हुए परिवर्तन से सामने आएगा, जिन्हें न केवल भारत की विरासत से बल्कि आधुनिक भारत की उपलब्धियों से भी अवगत कराया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

[हिन्दी]

एयर इंडिया के विमानों में यात्रियों की कमी

270. श्री हरीश रावत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया विमान में हाल ही में हुए विनाशकारी विस्फोट के कारण एयर इंडिया के विमानों में यात्रियों की कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कमी हुई है और इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). एयर इंडिया के यायायात में केवल लगभग 5 प्रतिशत की कमी हुई है। कड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए गए उपायों से यात्रियों में विश्वास की भावना उत्पन्न होने की आशा है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त अभियान भी चलाया जाएगा।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करना

271. श्री बी० एस० कृष्णा अय्यर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों से जनवरी, 1985 से जून, 1985 तक कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में लोग केवल दिखावे और शौक के लिए पासपोर्ट ले रहे हैं;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने पासपोर्ठ धारकों ने विदेश-यात्रा की है; और

(घ) क्या सरकार उन पासपोर्ट धारकों के पासपोर्ट रद्द करने पर कार्यवाही करती है जो एक वर्ष की अवधि के भीतर उसका उपयोग नहीं करते?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जनवरी, 1985 से जून, 1985 तक की अवधि में भारत के पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा 4,25,563 पासपोर्ट जारी किए गए थे।

(ख) आवेदक अपनी विदेश यात्रा का उद्देश्य मुख्यत: व्यापार, अध्ययन, नौकरी अथवा

पर्यटन बताते हैं। जिन लोगों ने दिखावे और शो के लिए पासपोर्टों के लिए आवेदन किया उनकी संख्या मालूम नहीं है।

(ग) यह सूचना विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी नहीं। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 में जो पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों को जब्त करने तथा उनका प्रतिसंहरण करने के बारे में है, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

टी० एन० वी० द्वारा हत्याएं

272. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में पिछले तीन महीनों के दौरान टी० एन० वी० और त्रिपुरा उपजाति समिति तथा टी० एस० एफ० के छात्र विंग के कुल कितने हमले किए जिनमें हत्यायें और आगजनी हुई, और

(ख) उन दलों के नाम क्या हैं, जिनका त्रिपुरा स्वायत्तशाली जिला परिषद के चुनावों में टी० यू० जे० एस० के साथ चुनाव गठबन्धन रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) पिछले 3 महीनों के दौरान, भूमिगत टी० एन० वी० द्वारा की गयी हिंसक घटनाओं के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 महीनों में टी० यू० जे० एस० तथा इसके छात्र विंग टी० एस० एफ०, किसी हिंसक घटना में शामिल नहीं हुए जिसके परिणाम स्वरूप हत्या अथवा आगजनी हुई हो।

(ख) कांग्रेस "ई" का त्रिपुरा स्वायत्तशासी जिला परिषद के चुनावों में टी० यू० जे० एस० के साथ चुनाव गठबन्धन था।

विवरण

त्रिपुरा में टी० एन० वी० द्वारा की गयी हिंसक घटनाओं की सूची

(23 अप्रैल से आगे)

क्रम संख्या	तिथि तथा स्थान	हत्याओं की सं० एस० एफ०/नागरिक पुलिस		संक्षिप्त विवरण
1.	3.5.85 उल्टा छारा थाना-मानु उत्तरी त्रिपुरा	—	1	गाँव उल्टाछारा थाना मानु, उत्तरी त्रिपुरा के बसंत त्रिपुरा के घर में सुरक्षा बलों तथा टी० एन० वी० उग्रवादियों की मुठभेड़ में बसंत त्रिपुरा की माँ की हत्या हुई तथा उग्रवादी बचकर भागने में सफल हो गए।

2.	4.6.85 थाना ओम्पी, दक्षिणी त्रिपुरा	—	1	गार्जियाबाड़ी, थाना ओम्पी दक्षिणी त्रिपुरा से पुलिस द्वारा विनान्दा जमातिया (एक पुलिस एजेन्ट) का शव बरामद किया गया।
3.	4.6.85 रायपासा थाना-अम्बासा। उत्तरी त्रिपुरा	—	9	टी० एन० वी० उग्रवादियों ने, कमलपुर उप-खण्ड के अंतर्गत थाना अम्बासा के दक्षिण-पश्चिम में रायपासा के गैर आदिवासी निवासियों पर आक्रमण किया तथा 9 गैर आदिवासियों की हत्या की, 2 अन्य गैर आदिवासियों को घायल किया तथा एक 15 वर्षीय गैर आदिवासी लड़के का अपहरण कर लिया।
4.	6.6.85 सिकारीबारी, उत्तरी त्रिपुरा	—	—	आदिवासी उग्रवादियों ने सिकारीबारी, थाना अम्बासा उत्तरी त्रिपुरा में स्थित माइक्रो वेव स्टेशन/टावर को आग लगा कर कुछ उपस्करों को नष्ट कर दिया।
5.	11.6.85 थाना-ओम्पी दक्षिणी त्रिपुरा	—	1	गार्जियाबारी के जंगली क्षेत्र में पुलिस ने एक आदिवासी का शव बरामद किया। संदेह किया जाता है कि टी० एन० वी० पक्ष के उग्रवादियों ने उसे मारा है।
6.	19.6.85 तेलियामूरा-औम्पी थाना अमरपुर उत्तरी त्रिपुरा	—	2	तेलियामूरा-ओम्पी रोड, थाना अमपुर उत्तरी त्रिपुरा पर 15/20 टी० एन० वी० उग्रवादियों के एक सशस्त्र दल ने जीप पर कुछ राऊंड गोलिया चलायी जिससे दो यात्री घटना-स्थल पर ही मर गए।

खेल स्टेडियमों का उपयोग

273. **श्री उत्तम राठौड़ :**

श्री हरिकृष्ण शास्त्री :

क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नौवें एशियाई खेलों के अवसर पर निर्मित विभिन्न खेल स्टेडियमों का क्या उपयोग किया जा रहा है;

(ख) उनके अनुकरण और रख-रखाव पर प्रतिवर्ष कितना खर्च हो रहा है;

(ग) क्या इनमें से कुछ स्टेडियमों का उपयोग कुछ सांस्कृतिक संगठनों द्वारा अपने कार्य-कलापों के लिए भी किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए निर्मित स्टेडियमों का उपयोग दूसरे प्रयोजनों के लिए किये जाने के क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) खेलों को बढ़ावा देने के लिए 9 वें एशियाई खेलों के लिए निर्मित स्टेडियमों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण ने 1984-85 के दौरान उनके द्वारा अनुरक्षित स्टेडियमों की मरम्मत और अनुरक्षण पर लगभग 78.43 लाख रुपये का खर्चा किया था।

(ग) और (घ). ये स्टेडियम मुख्यत: खेलों के विकास के लिए हैं और इनका ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तथापि, जब कभी खेलों के लिए स्टेडियमों की आवश्यकता नहीं होती है तो कुछ हद तक अनुरक्षण खर्चे के कुछ भाग वसूल करने के लिए, ये कभी-कभी सांस्कृतिक तथा मनोरंजन और युवा कल्याण के कार्यकलापों के लिए भुगतान के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित पड़े पेंशन के आवेदन पत्र

274. **श्री राज कुमार राय :**

श्री जैनुल बशर :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के जिला-वार कितने आवेदन पत्र मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) इनमें से कितने आवेदन तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े हैं;

(ग) कितने आवेदनों पर उत्तर प्रदेश सरकार से विवरण मांगा गया है और उनमें ऐसे कितने मामले हैं जिनके बारे में तीन वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी विवरण प्राप्त नहीं हुआ है; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और इन सब मामलों को कब तक निपटा दिया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.3. 1982 थी। इस प्रकार संलग्न सूची में उल्लिखित लगभग सभी आवेदन पत्र, 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े हैं।

(ग) स्वतंत्रता सैनानी पेंशन योजना के अन्तर्गत, स्वतंत्रता सैनानियों मृतक स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रितों को एक आवेदन पत्र राज्य सरकार को भी प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी थी। इस प्रकार से राज्य सरकार को अपनी सिफारिशों के साथ अपनी सत्यापन रिपोर्ट गृह मन्त्रालय को भेजनी होती है। अत: आवेदन पत्र, राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में लम्बित पड़े हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्रदान करने के लिए 26 969 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इस समय केवल 2,364 मामले लम्बित हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर, राज्य सरकार ने दावों के त्वरित सत्यापन के लिए वरिष्ट अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत एक विशेष एकक गठित किया है। जब कभी आवश्यक होता है राज्य सरकारों को सत्यापन रिपोर्ट को जल्दी भेजने के लिए अनुस्मारक भेजे जाते है। राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर लम्बित मामलों पर अन्तिम निर्णय लिया जायगा।

विवरण

उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सैनानियों के लम्बित पड़े आवेदन पत्र

	जिले का नाम	लम्बित मामलों की कुल सं०
1.	मैनपुरी	21
2,	देवरिया	83
3.	हमीरपुर	28
4.	देहरादून	26
5.	अल्मोड़ा	24
6.	अलीगढ़	32
7.	बलिया	147
8-	जौनपुर	56
9.	गोरखपुर	155
10.	इलाहाबाद	89
11.	आगरा	35
12.	सीतापुर	39
13.	बस्ती	13
14.	फैजाबाद	34
15.	झांसी	31
16.	लखनऊ	66
17.	वाराणसी	94

	जिले का नाम	लम्बित मामलों की कुल संख्या
18.	कानपुर	63
19.	खीरी	31
20	पौड़ी गढ़वाल	19
21.	टिहरी गढ़वाल	2
22.	चमौली	1
23.	गाजियाबाद	16
24.	मिर्जापुर	28
25.	बुलन्दशहर	17
26.	राय-बरेली	20
27.	बाराबंकी	30
28.	बहराइच	49
29.	गाजीपुर	71
30.	सहारनपुर	90
31.	इटावा	93
32.	नैनीताल	60
33.	शहाजहांपुर	36
34.	उन्नाव	54
35.	गोंडा	38
36.	हरदोई	49
37.	ऐटा	36
38.	पीलीभीत	59
39.	अजमगढ़	57
40.	मुरादाबाद	45
41.	उत्तरकाशी	1
42.	जालौन	29
43.	फतेहपुर	30
44.	बान्दा	20
45.	बदायूं	18
46.	सुलतानपुर	28
47.	प्रतापगढ़	22

	जिले का नाम	लम्बित मामलों की कुल संख्या
48.	पिथौरागढ़	15
49.	मुजफ्फर नगर	14
50.	बरेली	29
51.	बिजनौर	24
52.	मथुरा	36
53.	रामपुर	41
54.	फरुखाबाद	21
55.	मेरठ	69
	जोड़	2364

[अनुवाद]

औद्योगिक उत्पादन के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकी का प्रयोग

275. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपने औद्योगिक उत्पादन के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग कई वर्षों से कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल औद्योगिक उत्पादन में उपरोक्त प्रौद्योगिकी का कितने प्रतिशत उपयोग होता है;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी अन्तरण के प्रभावी तरीकों के लिए इसके डिजाइन इन्जीनियरिंग और सलाहकार दलों के और अधिक योगदान हेतु तन्त्र विकसित करने की दृष्टि से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंस्थान परिषद प्रौद्योगिकी के योगदान में वृद्धि करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्यतः वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आइ० आर०) के प्रक्रमों की कुल संख्या का दस प्रतिशत, जिससे पहली बार उत्पादन किया जाता है सरकारी प्रतिष्ठनों में है।

(ग) जी, हां।

(घ) मन्त्रालयों/विभागों, जिसके पास प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं, ने उस मन्त्रालय/विभाग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयासों की देखभाल योजना बनाने, कार्यक्रम तैयार करने और बजट बनाने के लिए स्थाई वैज्ञानिक अनुसन्धान समितियां स्थापित की हैं, जिनमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (सी० एस० आई० आर०) की भीसदस्यता है। ये समितियाँ, जहां कहीं भी आवश्यक हो, अभिकल्प इन्जीनियरी तथा परामर्शी समूहों को सम्मिलित कर, आदि प्रारूपों का विकास और आरम्भिक संयन्त्र अध्ययन का कार्य हाथ में लेने का निर्णय करेगी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूनियनों और संघों को मान्यता

276. श्री ललित माकन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार यूनियनों और संघों को मान्यता देने और संयुक्त परामर्श दात्री समिति में उनके प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिए नियमों की घोषणा कब तक करेगी?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशनों की मान्यता तथा संयुक्त परामर्श तन्त्र में उनके प्रतिनिधित्व को, नए मान्यता नियमों के बनाए जाने तक, उक्त विषय के संगत मार्ग निर्देशों के अधीन विनियमित किया जाता है। नए मान्यता नियमों के मसौदों को संयुक्त परामर्श तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के साथ बात-चीत करने के लिए पहले ही उठाया गया है तथा इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने का प्रस्ताव है।

एयर इण्डिया बोइंग "कनिष्क" में विस्फोट

277. श्री अरविन्द नेताम :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री आर० एन० भोये :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्ल्यू स्टार आपरेशन के बाद विदेशों में सक्रिय सिख आतंकवादियों ने आयरलैंड के निकट एयर इण्डिया बोइंग "कनिष्क" में आकाश में हुए विस्फोट की जिम्मेवारी का दावा किया है;

(ख) क्या विमान के उड़ान भरने से पहले सामान की उपयुक्त सुरक्षा जाँच से इस दुर्घटना से बचा जा सकता था;

(ग) क्या सुरक्षा जांच के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक्स-रे उपकरण उस दिन खराब था; और

(घ) क्या भविष्य में ऐसी भयंकर दुर्घटना से बचने के लिए त्रुटि रहित उपाय किये गये हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क)

कनाडा में हमारे उच्च आयोग में प्राप्त एक गुमनाम टेलीफोन सूचना के आधार पर 23 जून 1985 को एयर इण्डिया के "कनिष्क" विमान की दुर्घटना का उत्तरदायित्व सिक्ख विद्यार्थी परिषद ने अपने ऊपर लिया था।

(ख) और (ग). वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बड़े पैमाने पर सुरक्षा जाँचों को पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। टोरंटो विमान क्षेत्र पर एक्स-रे-स्कैनर 60 प्रतिशत सामान की जाँच करने के पश्चात खराब हो गया था। शेष सामान की जांच डी-4 इलेक्ट्रॉनिक विस्फोटक स्निफर द्वारा की गयी थी।

(घ) जी, हां।

राज्य सरकारों को कम लागत वाले और साफ-सुथरे होटल बनाने के लिए आर्थिक राज्य सहायता

278. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**

श्री मुरलीधर माने :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों के लिए कम लागत वाले और साफ सुथरे होटलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक राज्य सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया है और इस दिशा में कार्यवाही आरम्भ की है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में कितने तथा किन-किन स्थानों पर होटल बनाये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). जी, हां। इस सम्बन्ध में एक स्कीम तैयार करके राज्य सरकार को भेजी गयी है।

(ग) उड़ीसा सरकार से विशिष्ट प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

279. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस राज्य का नाम क्या है जहां पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है; और

(ख) योजना आयोग द्वारा राज्यों की गरीबी को ध्यान में रखते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितने प्रतिशत योजना आवंटन किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) योजना आयोग में, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए, गरीबी सम्बन्धी प्राक्कलन तैयार किए गए थे जिनका आधार 1977-78 का घरेलू उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आँकड़े थे। इसके

अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में थी, जबकि ऐसे लोगों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत अधिकतम उड़ीसा में था।

(ख) विशेष—इतर श्रेणी के राज्यों को योजना आवंटन उनके अपने स्रोतों के आधार पर किया जाता है और उनको देय केन्द्रीय सहायता संशोधित गाडगिल सूत्र के अनुसार दी जाती है न कि गरीबी के आधार पर। तथापि, केन्द्रीय सहायता का 20 प्रतिशत केवल उन राज्यों में बांटा जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम हो। छठी योजना के दौरान छः राज्य इस प्रकार की सहायता के पात्र हैं। इस सहायता में से छः राज्यों का हिस्सा संलग्न विवरण—1 में दिखाया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण निर्धनों की गरीबी दूर करने के कार्यान्वयन के मुख्य कार्य ये हैं—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इनमें से पहले के अन्तर्गत किए गए आवंटन प्रति ब्लाक 8 लाख रु० की समान दर पर होते हैं जिनमें केन्द्र और राज्यों को बराबर हिस्सा बंटाना होता है जबकि दूसरे और तीसरे के मामलों में किए गए आवंटनों का 25 प्रतिशत तक गरीबी के आधार पर होता है। इन तीनों कार्यक्रमों के लिए 1982-85 के तीन वर्षों में, किये गए राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण दो और तीन में दिए गए हैं।

विवरण-1

(करोड़ रु० में)

1. आन्ध्र प्रदेश	186.69
2. बिहार	359.45
3. मध्य प्रदेश	232.66
4. उड़ीसा	117.15
5. राजस्थान	128.88
6. उत्तर प्रदेश	515.17
जोड़	140.00

विवरण-2

(लाख रुपये)

राज्य	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
	1982-83	1983-84	1984-85
1. आंध्र प्रदेश	2592	2640	2640
2. असम	1072	1072	1072
3. बिहार	4696	4696	4696
4. गुजरात	1744	1744	1744
5. हरियाणा	696	744	744
6. हिमाचल प्रदेश	552	552	552
7. जम्मू और कश्मीर	600	904	904
8. कर्नाटक	1400	1400	1400
9. केरल	1152	1208	1208
10. मध्य प्रदेश	3664	3972	3672
11. महाराष्ट्र	2368	2368	2368
12. मणिपुर	208	208	208
13. मेघालय	192	240	240
14. नागालैण्ड	168	168	168
15. उड़ीसा	2512	2512	2512
16. पंजाब	936	944	944
17. राजस्थान	1856	1888	1888
18. सिक्किम	32	32	32
19. तमिलनाडु	3016	3024	3024
20. त्रिपुरा	136	136	136
21. उत्तर प्रदेश	7008	7096	7096
22. पश्चिमी बंगाल	2680	2680	2680
जोड़ राज्य	39280	39928	39928

विवरण-3

लाख रु०

राज्य	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम *		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		
	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85
1. आंध्र प्रदेश	990	4950	3966	3980	4540
2. असम	216	1080	800	876	996
3. बिहार	1425	7725	5080	5744	6548
4. गुजरात	320	1600	1880	1300	1480
5. हरियाणा	48	420	320	340	392
6. हिमाचल प्रदेश	60	300	240	240	276
7. जम्मू और कश्मीर	75	375	320	300	340
8. कर्नाटक	470	2350	1748	1900	2160
9. केरल	470	2350	1694	1860	2120
10. मध्य प्रदेश	780	3900	2780	2940	3352
11. महाराष्ट्र	790	3950	2996	3200	3652
12. मणिपुर	11	55	40	44	50
13. मेघालय	15	75	40	60	68
14. नागालैंड	10	50	40	40	48
15. उड़ीसा	450	2250	1730	1820	2072
16. पंजाब	135	675	532	550	632
17. राजस्थान	240	1200	984	960	1100
18. सिक्किम	8	40	32	32	36
19. तमिलनाडु	890	4450	3120	3600	4100
20. त्रिपुरा	33	165	120	132	152
21. उत्तर प्रदेश	1705	8525	7026	6880	7844
22. पश्चिम बंगाल	770	3850	2828	3110	3548
जोड़ : राज्य	9947	49735	37616	39910	45506

*यह कार्यक्रम केवल 1983-84 में ही शुरू किया गया था।

भाड़ा समीकरण नीति को धीरे-धीरे समाप्त करना

280. **श्री आनन्द पाठक :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पूर्वी राज्यों के अर्थ-गत्यावरोध का प्रमुख कारण भाड़ा समीकरण नीति है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त नीति को चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) और (ख). भाड़ा समीकरण नीति को एक विशेष क्षेत्र के विकास अथवा गिरावट का कारण मानना कठिन है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पांडे समिति) द्वारा भाड़ा समीकरण से सम्बन्धित मामले की जांच की गई थी। सरकार, इस समिति की सिफ़ारिशों को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर चुकी है कि सुदूरवर्ती, अगम्य और अलग-थलग क्षेत्रों के लिए परिवहन के निमित राज सहायता देते हुए, सीमेंट तथा इस्पात जैसी वस्तुओं पर वर्तमान भाड़ा समीकरण को धीरे-धीरे हटा दिया जाए। सीमेंट और इस्पात पर भाड़ा समीकरण को धीरे-धीरे हटाने की उपयुक्त स्कीमें कार्यप्रणाली को तैयार करने के लिए सम्बन्धित मन्त्रालयों, जैसे उद्योग मन्त्रालय और कम्पनी कार्य तथा इस्पात और खान मन्त्रालय से अनुरोध किया गया है और ये मन्त्रालय इस कार्य को कर रहे हैं।

सिक्किम में पर्यटकों के आने-जाने पर रोक

281. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम के कुछ भागों में पर्यटकों के आने-जाने पर लगी रोक के कारण राज्य में पर्यटक यातायात पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सिक्किम सरकार से इस प्रतिबन्ध को हटाए जाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सिक्किम सरकार से प्राप्त एव अभ्यावेदन के उत्तर में उन्हें यह बताया गया है कि भारत सरकार समय-समय पर सिक्किम में विदेशियों के आने-जाने पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करती रही है। अभी पिछले सप्ताह भारत सरकार ने विदेशियों के सिक्किम में प्रवेश करने सम्बन्धी प्रक्रिया में ढील दी है।

एयर इंडिया के जम्बो जहाज 'कनिष्क' के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच करने वाली एजेंसियां

282. **श्री टी० बशीर :**

श्री नरसिंह मकवाना :

श्री शांति धारीवाल :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इंडिया के जहाज 'कनिष्क' के दुर्घटनाग्रस्त होने की कौन-कौन-सी एजेंसियां जांच कर रही हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 के अधीन भारत सरकार ने दुर्घटना के औपचारिक अन्वेषण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री बी० एन० कृपाल को न्यायालय के रूप में नियुक्त किया है। महानिदेशक नागर विमानन द्वारा नियुक्त दुर्घटना निरीक्षक द्वारा प्रारम्भिक अन्वेषण किए गए थे।

पश्चिमी बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा

283. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वन और पर्यटक मन्त्री दिनांक 25 जून, 1985 को नई दिल्ली में उनसे मिले थे और पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में उनसे चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के वन और पर्यटन मन्त्री द्वारा किए गए निवेदन पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पश्चिम बंगाल में पर्यटन के प्रभारी राज्य मन्त्री और केन्द्रीय पर्यटन और नागर विमानन राज्य मन्त्री के बीच 13 जून, 1895 को एक बैठक हुई थी न कि 25 जून, 1985 को।

(ख) और (ग). बातचीत के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त करने के पश्चात् स्टेट एजेन्सी द्वारा निष्पादन करने हेतु दीघा में पर्यटक-गृह और कुटीरों के निर्माण पर विचार।

(ii) बैठक में जिन नई स्कीमों पर विचार-विमर्श हुआ वे इस प्रकार हैं—रंगीत-टिस्टा के द्रुतगामी जल में और सुन्दरबन की संकरी खाड़ी (क्रीक्स) में बड़ी नौकाएं (राफ्टिंग) और डोंगी (कनुईंग) चलाना प्रारम्भ करना; दार्जिलिंग जिले में बिजनबाड़ी में पर्यटक सुविधाएं; हुगली में लांच-क्रूज शुरू करना। तथापि, राज्य सरकार से इन स्कीमों के ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

(iii) सागर द्वीप पर तीर्थ शेड्स निर्माण करने के लिए भारतीय यात्री आवास विकास समिति का एक प्रतिनिधि इस स्कीम का शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करेगा।

(iv) उत्तरी बंगाल में विदेशियों की यात्रा करने पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने के लिए, इस पर सहमति हुई कि मामले को गृह मन्त्रालय के साथ सम्पर्क करते हुए आगे बढ़ाया जाये।

(v) कलकत्ता जाने वाली और वहां से आने वाली उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, राज्य से विमान-ईंधन पर लगे बिक्री-कर में कमी करने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि विदेशी एयरलाइन्स को प्रोत्साहन मिल सके।

(vi) पश्चिम बंगाल के मन्त्री ने केन्द्रीय मन्त्री से अनुरोध किया कि वे सुनिश्चित करें कि पश्चिम बंगाल पर्यटन का विदेशों में उचित प्रचार हो। केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने यह विश्वास दिलाया कि इस सम्बन्ध में भरसक प्रयास किए जाते रहे हैं। तथापि, राज्य सरकार को अपनी ओर से केन्द्रीय सरकार के प्रयासों की

अनुपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय अभिकरणों को पर्यटक अभिरुचि के स्थानों के बारे में पर्याप्त प्रचार सामग्री की सप्लाई करनी चाहिए।

दूर संचार उपकरणों का निर्माण

284. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूर संचार उपकरणों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी/सरकारी क्षेत्र द्वारा इस समय निर्माण किए जा रहे उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) और (ख). दूरसंचार उपस्करों में स्विचन एवं सम्प्रेषण उपस्करों के साथ-साथ उपभोक्ता के लिए अन्य उपस्कर शामिल होते हैं। सरकार की उदारीकृत नीति के अनुसार टेलीफोन, दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) आदि जैसे उपभोक्ताओं के अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जबकि स्विचन एवं संप्रेषण उपस्करों के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। किन्तु, स्विचन एवं संप्रेषण उपस्करों के विनिर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति दी जाएगी।

(ग) इस समय जबकि सभी स्विचन, सम्प्रेषण रेडियो तथा टर्मिनल उपस्कर सार्वजनिक क्षेत्र में तैयार किए जाते हैं, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक पी० ए० बी० एक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर तथा ये फोन के विनिर्माण के लिए संगठित/लघु क्षेत्र की इकाइयों को 50 आशय-पत्र/अनुमोदन जारी किए गए हैं।

अमरीकी अन्तरिक्ष यान में उड़ान के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का चयन

285. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष अमरीकी अन्तरिक्ष यान में उड़ान के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आवश्यक प्रशिक्षण के लिए उनके कब तक अमरीका के लिये रवाना होने की सम्भावना है; और

(घ) उन्हें किस स्थान पर प्रशिक्षण दिया जायेगा, प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी तथा उनके प्रशिक्षण पर कितना व्यय होने की आशा है तथा इसे किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). 1986-मध्य में इन्सैट-1 सी० के साथ संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) के अन्तरिक्ष-शटल की उड़ान में भारतीय नीतभार विशेषज्ञ की उड़ान के लिए दो अन्तिम प्रत्याशियों का चयन पूरा कर लिया गया है। इन दो में से केवल एक ही अन्ततोगत्वा उड़ान में जायेगा। मुख्य

प्रत्याशी तथा पूरक प्रत्याशी का चयन 1985 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है। इन प्रत्याशियों ने नासा की स्वास्थ्य परीक्षा पास कर ली है। ये प्रत्याशी निम्न हैं :

1. श्री पी० राधाकृष्णन नायर

2. श्री एन० सी० भट

(ग) और (घ). प्रशिक्षण कार्यक्रम में एस० टी० एस० आर्बिटर, एस० टी० एस० उड़ान, एस० टी० एस––बे० से इसके नियोजन के विशेष सन्दर्भ में इन्सैट-1 सी० और किए जाने वाले परीक्षणों से सम्बन्धित प्रशिक्षण शामिल हैं। प्रशिक्षण भारत और अमरीका में प्रदान किया जायेगा। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। मुख्य प्रत्याशी के लिए नासा का प्रशिक्षण 16 सप्ताह का होगा। भारत सरकार प्रशिक्षण की लागत वहन करेगी।

[हिन्दी]

एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना के लिए जिम्मेवार कारण

286. श्री सी० जंगा रेड्डी :

श्री रामसिंह यादव :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय के सचिव द्वारा दिए गए एक वक्तव्य के अनुसार एयर इण्डिया विमान "कनिष्क" की दुर्घटना के लिए उत्तरदायी छः कारणों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा और तत्सम्बन्धी विश्लेषण क्या है और उन निष्कर्षों के आधार पर सुरक्षा के क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) मृतकों के परिवार वालों को बीमे की राशि का भुगतान करने तथा उपलब्ध अन्य सुविधाएं प्रदान करने के शीघ्र प्रबन्ध के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अन्तिम रूप से भुगतान कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). औपचारिक अन्वेषण और दुर्घटना के लिए उत्तरदायी तत्वों का पता लगाने के लिए भारत सरकार ने वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 के अधीन एक न्यायालय की नियुक्ति की है। न्यायालय द्वारा अन्वेषण कार्य पूरा कर लेने के बाद और सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर देने पर ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लग सकेगा।

(ग) बीमा दावों का शीघ्र निपटान करने के उद्देश्य से एयर इण्डिया ने मृत यात्रियों और कर्मीदल के रिश्तेदारों को आवश्यक सूचना और सहायता देने के लिए बम्बई, दिल्ली, लन्दन, कोर्क, न्यूयार्क, मांट्रीयाल और टोरन्टो में विशेष प्रकोष्ठ खोले हैं। निकटतम रिश्तेदारों से दावे आमन्त्रित करने के लिए बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, कोचीन और हैदराबाद से प्रकाशित सभी प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं। एक प्रश्नावली उपलब्ध करायी गयी है जिसमें मृत यात्री का नाम, उसका पेशा/व्यवसाय, आय, आश्रितों के ब्यौरों आदि से सम्बन्धित सूचना मांगी गयी है। कानूनी परामर्शदाताओं से सलाह करके बीमाकर्ताओं द्वारा मुआवजे का हिसाब लगाया जाएगा और रकम अविलम्ब तय कर दी जायेगी। देय मुआवजे की राशि और दावों के निपटान की कार्यविधि बीमा कार्यालयों और उनके अन्डरराइटरों द्वारा तय की जायेगी। आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने के लिए एयर इण्डिया यात्रियों के उत्तराधिकारियों को सभी प्रकार की

सहायता प्रदान करेगी। चूंकि मुआवजे की अन्तिम अदायगी विभिन्न प्रक्रियात्मक बातों पर निर्भर करती है, इसलिए इस प्रयोजन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

कोटा स्थित परमाणु बिजली घर की मरम्मत

287. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा स्थित परमाणु बिजली घर, जहां पर काम बार-बार बन्द हो जाता था, कि पहली यूनिट की मरम्मत में तीन वर्ष का समय लग गया;

(ख) क्या यह सच है कि इस यूनिट की मरम्मत के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और यहां पर काम बार-बार बन्द हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त यूनिट की समुचित मरम्मत कब तक हो जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राजस्थान परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट को 4 मार्च, 1982 को बन्द किया गया था और दक्षिणी एण्ड-शील्ड की मरम्मत करने के बाद इसे 1 फरवरी, 1985 को फिर से चालू कर दिया गया था।

(ख) से (घ). यह यूनिट 20 मई, 1985 तक लगातार लगभग दो महीने काम करता रहा और उस तारीख को यह यूनिट बिजलीघर के दोष के कारण ट्रिप कर गया। यूनिट को बन्द रखने की अवधि को दक्षिण एण्ड-शील्ड का पूरा निरीक्षण करने के उद्देश्य से बढ़ाया जा रहा है। जब तक इस बारे में पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा लिया जाता कि एण्ड-शील्ड किस हालत में है तब तक पक्के तौर पर यह बताना कठिन है कि यूनिट किस तारीख को फिर से चालू होगा।

[अनुवाद]

भारतीय फर्म द्वारा ठेके के आधार पर गंगा के पानी को साफ करना

288. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा जल को ठेके के आधार पर शुद्ध करने सम्बन्धी कार्य को प्रारम्भ करने के लिए कोई भारतीय फर्म आगे आयी है; और

(ख) चालू वर्ष के लिए इस कार्य हेतु बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है और इस कार्य के कुल व्यय का अनुमान क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) गंगा परियोजना निदेशालय ने गंगा नदी की शुद्धता से सम्बन्धित कार्य के लिए किसी निविदा को प्रारम्भ नहीं किया है। बहरहाल, कुछ भारतीय फर्मों ने कुछ जानकारी मांगी है।

(ख) बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1985-1990 के दौरान पहले चरण के लिए सुझाए गए कार्यों के कार्यान्वयन की लागत के रूप में, गंगा कार्यकारी योजना का अस्थायी अनुमान 250 करोड़ रुपए लगाया गया है।

राजधानी में मई, 1985 में बम विस्फोट से हुई मौतें

289. श्री आर० पी० गायकवाड़ :

श्री सोडे रमैय्या :

श्री सरफराज अहमद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के बम विस्फोटों में जिसने 10 और 11 मई को राजधानी को हिला दिया था, कितने लोग मारे गए थे;

(ख) बम विस्फोट में दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था;

(ग) क्या उन सभी व्यक्तियों को, भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आरोप पत्र दिए गए हैं तथा उन पर मुकदमें चलाये गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो बम विस्फोट के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में मई, 1985 के दौरान बम विस्फोटों में 40 व्यक्ति मरे।

(ख) इन विस्फोटों के सम्बन्ध में 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ग) तथा (घ). जी नहीं, श्रीमान। अभी तक न्यायालय में किसी अपराधी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है क्योंकि अभी जांच-पड़ताल की जा रही है।

[हिन्दी]

फास्ट ब्रीडर पावर रिएक्टर में कारबाइड इंधन का प्रयोग

290. श्री महेंन्द्र सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का 500 मेगावाट के फास्ट ब्रीडर पावर रिएक्टर में कारबाइड ईंधन प्रयोग करने का विचार है;

(ख) क्या भारत इस प्रकार का ईंधन का प्रयोग करने वाला प्रथम देश होगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) हालांकि फास्ट टेस्ट रिएक्टर के लिए कारबाइड ईंधन लिया गया है, फिर भी इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि 500 मेगावाट क्षमता के विद्युत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, जिसे नवें दशक के अन्तिम भाग में चालू करने की योजना है, कौन सा ईंधन काम में लाया जाएगा।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उठते ही नहीं।

[अनुवाद]

साम्प्रदायिक दंगों पर नियन्त्रण के लिए कृतिक बल

291. श्री बी० के० गढ़वी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में साम्प्रदायिक दंगों पर नियन्त्रण हेतु कोई विशेष कृतिक बल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के कृतिक बल की स्थापना की पद्धति क्या होगी;

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि साम्प्रदायिक दंगों से निबटने के लिए पुलिस बल के तरीके और कार्यकरण में काफी फेरबदल की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). संविधान के अन्तर्गत "विधि व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और राज्य पुलिस बलों के पुनर्गठन के विषय में कार्रवाई करना राज्य सरकारों का काम है। तथापि पुलिस बलों को विस्तृत आधार देने और इसमें समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य सरकारों को अपने बलों के गठन को पुनर्गठित करने की सलाह दी गयी है।

साम्प्रदायिक दंगों को नियन्त्रित करने के लिए देश में कोई विशेष कार्य बल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार ने 1980 में साम्प्रदायिक तथा जातीय झगड़ों के सम्बन्ध मे राज्यों की सहायता हेतु तैनातगी के लिए विशेष शांति बल के रूप में और पीड़ितों को राहत प्रदान करने तथा उनकी सहायता करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3 बटालियन स्वीकृत की। तीन और बटालियनें अप्रैल, 1983 में स्वीकृत की गई थी।

राज्यों में वनस्पति-विज्ञान उद्यानों की स्थापना

292. कुमारी पुष्पा देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें अपने राज्यों में वनस्पति-विज्ञान उद्यान की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक उक्त कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त की है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार का वनस्पति-विज्ञान उद्यान की स्थापना के लिए इसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में वनस्पति विज्ञान उद्यान की स्थापना के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

293. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और महिलाओं पर चालू वर्ष में हत्या, लूटपाट, जाति युद्ध, दहेज से मौत आदि की राज्य-वार और संघ शासित प्रदेश वार कितनी घटनायें हुई हैं; और

(ख) इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1159 85]

(ख) केन्द्रीय गृह मंत्री के तारीख 15 अप्रैल, 1985 के पत्र सं०-11011/4/85-पी० सी० आर० (डैस्क) के तहत जिसकी प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संशोधित व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त सूचित किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1159/85]

बम/विस्फोटकों का पता लगाने के लिए हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

294. **श्री श्रीहरि राव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी हवाई अड्डों पर विशेषकर बमों/विस्फोटकों का पता लगाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो सामान में विस्फोटकों का पता लगाने सम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोई श्वानीय (केनाइन) सुरक्षा व्यवस्था है और उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहां पर श्वानीय (केनाइन) सुरक्षा व्यवस्था है और यह व्यवस्था किस हद तक प्रभावशाली साबित हुई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). जी, हां। यात्रियों द्वारा ले जाये जाने वाले दस्ती सामान की या तो एक्सरे स्कैनर द्वारा या विस्फोटकों की पहिचान करने के लिए प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों द्वारा जांच की जाती है।

जहां तक कार्गो का सम्बन्ध है निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :

(i) विमान में लादने वाले सामान को भारत, मध्यपूर्व/खाड़ी और अफ्रीकी क्षेत्रों के सभी स्टेशनों पर 24 घंटे की अवधि के लिए अलग रखा जाता है। एक विमान से दूसरे विमान में सामान को लादते समय उसे विसपीड़ित प्रकोष्ठों और पृथक रखने की अवधि के दौर से गुजारने के लिए विशेष सावधानी बरती जाती है।

(ii) जिस परिसर में कार्गो रखा जाता है उसमें उचित प्रकार से सुरक्षा की जाती है और इस प्रकार के क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है।

(iii) विमान में लादने के लिए भेजे जाने से पूर्व सभी कार्गो डिब्बों को सील कर दिया जाता है।

(i) कार्गो भण्डार गृह से विमान तक कार्गो डिब्बों को ले जाते समय सुरक्षा कर्मी उसके साथ रहते हैं।

(v) एयर लोइन कर्मचारियों और उनके सामान की भी सुरक्षा जांच की जाती है। सुरक्षा जाँच के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि उड़ान में खान-पान की केवल जरूरी वस्तुएं ही लादी जाती हैं।

(ग) श्रीनगर बम्बई और कलकत्ता स्थित स्वान दस्ते (प्रत्येक दस्ते में दो कुत्ते) प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

अफ्रीकी देशों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को भारतीय सहायता

295. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अफ्रीकी देशों में अब भी व्याप्त गम्भीर सूखे की स्थिति को देखते हुए उन देशों को खाद्य पैकेटों आदि के रूप में सहायता देने हेतु सरकार द्वारा की गयी/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : 1983 के अन्त में प्रधान मन्त्री ने सूखा और अकाल से प्रभावित उन अफ्रीकी देशों को एक लाख टन गेहूँ उपहार स्वरूप देने की घोषणा की जो सबसे अधिक जरूरतमंद थे। अधिकांश गेहूं विभिन्न लक्ष्य देशों तक पहले ही पहुँच चुका है और शेष गेहूँ को जहाजों द्वारा भेजा जा रहा है जैसी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम ने, जिसके जरिए यह दान भेजा जा रहा है, सलाह दी है। उपहार में दिए जाने वाला यह गेहूँ लगभग 23 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा प्रधानमन्त्री ने मारीशस के प्रधानमन्त्री के अनुरोध पर मारीशस को दस हजार टन आटा और पाँच सौ टन चने की दाल उपहार स्वरूप देने पर भी अपनी सहमति दी है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने इस महीने, अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा अफ्रीका में सूखा और अकाल के लिए गठित विशेष आपातकालीन सहायता फंड में 12 करोड़ रुपए मूल्य के गेहूँ के अंशदान की भी घोषणा की।

भारत कुछ अफ्रीकी देशों में अपने दल भी भेज रहा है ताकि उनके कृषि और जल संसाधन के विकास का व्यवहार्य अध्ययन किया जा सके। इसके अलावा भारत इन क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधियों को भारत में प्रशिक्षण भी दे रहा है। गत दो वर्षों में अनेक अफ्रीकी देशों को दवाइयां उपहार स्वरूप वितरित की गईं और यह भी इरादा है कि इथियोपिया के लिए एक चिकित्सा दल भेजा जाए।

नागपुर में इलेक्ट्रोनिकी उद्योग जोन की स्थापना

296. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर (महाराष्ट्र राज्य) में इलेक्ट्रोनिकी उद्योग जोन की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त जोन कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नागपुर (महाराष्ट्र राज्य) में इलेक्ट्रानिकी उद्योग क्षेत्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग). ये न ही नहीं उठते।

दक्षिण दिल्ली में पक्षी अभयारण्य के लिये स्थान

297. **श्री चिन्तामणि जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशेषज्ञों ने पक्षी अभयारण्य के विकास के लिए दक्षिणी दिल्ली में तुगलकाबाद के निकट लगभग 1000 बीघा जमीन का सर्वेक्षण किया है और उसका मानचित्र तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस विषय में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय क्वीन्स सर्किट्स कप महिला गोल्फ प्रतियोगिता आयोजित करना

298. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगली अन्तर्राष्ट्रीय क्वीन्स सर्किट्स कप महिला गोल्फ प्रतियोगिता भारत में आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब आयोजित की जाएगी; और

(ग) यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता किस स्थान पर होगी ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) मार्च, 1986 में।

(ग) नई दिल्ली।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की आधुनिकीकरण और नवीकरण योजनाएं

299. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने योजना आयोग को आधुनिकीकरण और नवीकरण योजनाओं पर विचार करते समय उनमें शामिल करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वे सुझाव क्या हैं; और

(ग) उन पर योजना आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ऐसे विभिन्न तापीय बिजली घरों के आधुनिकीकरण और नवीकरण से सम्बन्धित स्कीमों का मूल्यांकन किया है जो असन्तोषजनक रूप कार्य कर रहे थे और विद्युत विभाग ने योजना आयोग से इन्हें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत कार्यान्वित करने की सिफारिश की है। योजना आयोग ने असम में बिजली घर को छोड़कर, जिसकी जांच की जा रही है, इन सभी स्कीमों का अनुमोदन कर दिया है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में टी० वी० सेटों का निर्माण

300. श्री अमर सिंह राठवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी फर्म या बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने भारत में टी० वी० यों का निर्माण करने हेतु अपना यूनिट लगाने के लिए सरकार से लाइसेंस प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि श्वेत श्याम और रंगीन टेलीविजन सेटों के लिए पिक्चर ट्यूबों का आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हो, तो मांग को पूरा करने के लिए देश में ट्यूबों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख). औद्योगिक लाइसेंस औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। सूचना एकत्रित की जाएगी और उपलब्ध करायी जाएगी।

(ग) मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों का आंशिक रूप से आयात किया जाता है। रंगीन पिक्चर ट्यूबों की समूची आवश्यकता को इस समय आयात के द्वारा पूरा किया जाता है।

(घ) देश में इस समय छः इकाइयां श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण कर रही हैं और वे वर्तमान आवश्यकता के 80 प्रतिशत भाग को पूरा कर रही हैं। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निकट भविष्य में अतिरिक्त क्षमता तैयार किए जाने की संभावना है। रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए आशय-पत्रधारी तीन पार्टियां अपनी-अपनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठा रही हैं और यह आशा की जाती है कि वर्ष 1987 के दौरान क्षमताएं स्थापित हो जाएंगी।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वन ग्राम

301. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इस समय कितने वन ग्राम हैं तथा उनकी जनसंख्या क्या है; और

(ख) इन ग्रामों का वन में स्थापित होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय पर्यटन विकास निगम के पास मोटर वाहन

302. श्री मूल चन्द डागा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के पास किस्मवार कुल कितने मोटर वाहन हैं तथा वे

किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं और अब तक उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान उन्हें जितना राजस्व अर्जित करना चाहिए था उसकी तुलना में उन्होंने कितना राजस्व अर्जित किया; और

(ख) तारीख-वार आयात किए गए मोटर वाहनों की संख्या कितनी है तथा उनका अलग-अलग मूल्य कितना-कितना है तथा राज्य-वार उनका इस्तेमाल किन विभिन्न कार्यों के लिए हो रहा है तथा कब से हो रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम के पास, पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करने के लिए मोटर वाहनों के किस्मवार (मेकवाइज) विवरण इस प्रकार हैं :

मोटर-वाहनों की किस्म (मेक)	वाहनों की संख्या
एम्बैसेडर	108
मर्सिडिज बेंज	65
कोच	64
मैटाडोर	5
जोड़	: 242

1984-85 के अन्त में, वाहनों पर किया गया पूंजी-व्यय 625 लाख रुपए था (अनन्तिम और आडिट के शर्ताधीन)

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा इस डिप्लाएमेंट के कारण अर्जित आय प्रत्याशित आकलनों की तुलना में निम्नलिखित है :

वर्ष	रिजर्व बैंक अनुमानों के अनुसार अनुमानित अर्जित आय (लाखों रुपयों में)	अर्जित वास्तविक आय (लाख रुपयों में)
1983-84	269.07	343.85
1984-85 (अनन्तिम)	356.75	330.21

भारत पर्यटन विकास निगम ने 1982-83 के दौरान लगभग 3.88 लाख रुपये प्रति वाहन की लागत से 65 मर्सिडिज बेंज कारें (200-डी, 1982 माडल) का आयात किया है। आजकल ये कारें नीचे दी गई सारणी के अनुसार निम्नलिखित नगरों में चलाई जा रही हैं।

स्टेशन	चलाई जा रही मसिडिज बेंज की संख्या
दिल्ली	22
बम्बई	18
कलकत्ता	5
मद्रास	8
बंगलौर	8
वाराणसी	2
औरंगाबाद	1
पटना	1

[अनुवाद]

अजमेर में कम खर्चीले होटल या पर्यटक -निवास का निर्माण

303. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर में एक कम खर्चीले होटल अथवा मितव्ययी पर्यटक निवास के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल लागत वहां दी जाने वाली सुविधाओं, उपलब्ध कराये जाने वाले कमरों/शायिकाओं की संख्या और प्रति कमरा/शायिका का प्रस्तावित किराया सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). अजमेर में भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा एक धर्मशाला के निर्माण का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा सभी भूमि आबंटित की जानी है। प्रस्ताव के ब्योरे अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच समूह (ग्रुप) पर्यटन

304. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारत-पाक संयुक्त आयोग के तत्वाधान में 20 मई, 1984 को हस्ताक्षरित समूह (ग्रुप) पर्यटन संधि के बाद भारत तथा पाकिस्तान के बीच समूह (ग्रुप) पर्यटन में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : समूह पर्यटन (ग्रुप टूरिज्म) सम्बन्धी प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद मार्च, 1985 में पाकिस्तान से 2 समूह (ग्रुप) भारत आए थे जिनमें 38 और 19 पर्यटक थे। भारत पर्यटन विकास निगम ने कराची में एकसम्मेलन में उपस्थित होने तथा पर्यटक अभिरुचि के स्थानों की यात्रा करने के लिए 100 यात्रियों का एक समूह (ग्रुप) बुक किया है।

एयर इंडिया जम्बो जेट का दुर्घटनाग्रस्त होना

305. श्री आर० एम० भोये : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 1985 के "पेट्रियट" में छपी इस खबर की ओर आकृष्ट किया गया है कि एयर इन्डिया के जम्बो जेट को, जिसके 329 यात्री एटलांटिक महासागर में विमान दुर्घटना में मर गए थे, 23 जून, 1985 को मॉन्ट्रियल से उड़ने से पहले कनाडा के बम स्काड के जासूसों ने एक धमकी के बारे में चेतावनी दे दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). विमान दुर्घटना के बाद कुछ समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में खबर प्रकाशित हुई थी। जांच करने पर यह पता चला कि 23 जून, 1985 को ए० आई०-182 की दुर्घटना-ग्रस्त उड़ान के बारे में कोई विशेष धमकी प्राप्त नहीं हुई थी।

तमिल समस्या के समाधान के लिए श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

306. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री उत्तम राठोड़ :

श्री हरिकृष्ण शास्त्री :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के कुछ विद्वानों ने अभी हाल ही में भारत का दौरा किया था और भारत में अपने समकक्षों के साथ बातचीत की थी और श्रीलंका की समस्या के समाधान के लिए एक कानूनी सूत्र तैयार किया था;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिनिधिमण्डल के दौरे का निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या कोई कानूनी सूत्र तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ). श्री एच०, डब्लू जयवर्धन के नेतृत्व में श्रीलंका के प्रतिनिधिमण्डल तथा भारत के महाधिवक्ता के बीच 15 और 16 जून को हुई बातचीत श्रीलंका के संविधान के कतिपय उपबन्धों के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं के बारे में थी। यह बातचीत व्याख्यात्मक स्वरूप की थी और यह काफी उपयोगी रही।

असम समस्या के बारे में आसाम के आंदोलनकारी संगठनों के साथ वार्ता

307. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बे समय से चली आ रही असम समस्या का हल ढूंढने के लिए, संसद के गत बजट सत्र के बाद से, केन्द्रीय सरकार और असम के आन्दोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व के बीच कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वार्ता से स्थिति में कोई सुधार हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). गृह सचिव ने दिनांक 11 जुलाई, 1985 को गोहाटी यात्रा के दौरान अखिल असम छात्र संगठन अखिल असम-गण संग्राम परिषद के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी। वार्ता उपयोगी रही।

पेरिस में भारत महोत्सव के लिए कलाकारों का चयन

308. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेरिस में 7 जून, 1985 को प्रारम्भ हुए भारत महोत्सव का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) इस भारत महोत्सव में किन-किन कलाकारों को भेजा गया;

(ग) इन कलाकारों के चयन का आधार क्या था; तथा किस समिति/व्यक्ति ने उनका चयन किया;

(घ) क्या सरकार को चयन के सम्बन्ध में तथा कुछ शीर्षस्थ कलाकारों को शामिल न किए जाने के सम्बन्ध में हुई आलोचना की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है;

(च) क्या भारत महोत्सव के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने अप्रैल/मई 1985 में फ्रांस का सरकारी दौरा किया था; और

(छ) यदि हां, तो उनके नाम क्या है तथा उनके दौरे का उद्देश्य क्या था तथा उस पर कितनी रकम खर्च की गई ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) फ्रांस में आयोजित भारत उत्सव का उद्घाटन, ट्रोकेडेरी, पेरिस में दो दिवसीय खुला मेला था, जिसका उद्घाटन 7 जून, 1985 को भारत के प्रधान मन्त्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। भारत के प्रधान मन्त्री ने इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति को एक हाथी का बच्चा प्रदान किया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत के बड़ी संख्या में लोक कलाकारों के एक दल ने विभिन्न प्रकार के लोक संगीत और नृत्य स्वरूपों का प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जिनको मेले में उपस्थित विशाल जनसमूह ने काफी प्रशंसा की भारतीय भोजन का प्रबन्ध ताज ग्रुप आफ होटलस द्वारा किया गया और लघु शिल्प की वस्तुओं, जो भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्मत निगम लि० द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई, की बहुत तेजी से बिक्री हुई। यह मेला दो दिन आधी रात तक जारी रहा। यह समारोह फ्रांसिसी दूरदर्शन चैनल एन्टेना द्वारा प्रसारित किया गया और प्रमुख समय पर पूरे फ्रांस में दिखाया गया। दूरदर्शन पर राष्ट्रीय नेटवर्क में एक जीवन्त प्रसारण भी प्रसारित किया गया था। इस समारोह को फ्रांस और भारत में मुद्रण माध्यम द्वारा किया गया।

(ख) कलाकारों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कलाकारों का चयन भारत उत्सव की प्रदर्शन कला समिति द्वारा किया गया। फ्रांस में उद्घाटन अवसर के स्वरूप पर विचार करते हुए ग्रामीण भारत की परम्परागत प्रदर्शन कलाओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया गया। जिन स्वरूपों का प्रदर्शन किया गया, वे अधिकांश सामूहिक कला स्वरूप थे, जो विदेशों में बार-बार नहीं दिखाए जाते तथा भारतीय प्रदर्शन कलाओं के यथासम्भव व्यापक क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) चूंकि उद्घाटन अवसर एक खुला मेला था, अतः लोक कला स्वरूप बहुत अनुकूल थे और इसलिए प्रदर्शन कलाओं के शास्त्रीय क्षेत्र के उच्चकोटि के कलाकारों को नहीं प्रस्तुत किया जा सकता।

(च) जी, हां।

(छ) भारत उत्सव के उद्घाटन और जून-नवम्बर, 1985 में होने वाले अन्य अवसरों के प्रबन्धों के सम्बन्ध में बैठकों में भाग लेने के लिए संस्कृत विभाग द्वारा अप्रैल/मई के दौरान अनेक अधिकारी फ्रांस भेजे गए। इनके नाम संलग्न विवरण—11 में दिए गए हैं। उनके दौरे पर किए गए कुल खर्च की राशि एकत्र की जा रही है।

विवरण-1

फ्रांस में भारतोत्सव मेला में भाग लेने वाले कलाकारों की सूची

1. श्री मनसुख प्रभुलाल जोशी
2. कु० नलिनी हिमातबाई उपाध्याय
3. श्री रानाभाई आला सिद्धा
4. श्री लक्ष्मण अर्जुन बापोदरा
5. श्री विक्रम अर्जुन बापोदरा
6. श्री मुदु चन्न बारोत
7. श्री वेजा नोचान घोटानिया
8. श्री लीला भाई वेजा कारबादरा
9. श्री राजासी भीमा ओदेदरा
10. श्री अर्जुन भीमा ओदेदरा
11. श्री जमाल राजू परमार
12. श्री भीखू नानजा कारबादरा
13. श्री राना जुठा अगाथ
14. श्री बाहू गंगा परमार
15. श्री शिवलाल देवजी राजगुरू
16. श्री कारा मलड़े भूटया
17. श्री दयालाल नाथूभाई भट्ट
18. लोखण्डे जयराम भाई रतनभाई
19. श्री चाचुर्या नवसुभा मुकर्याभाई
20. श्री चौधरी शिवानभाई अनुभाई
21. महाला सोनजी भाई कालुभाई

22. कु० चौधरी अनुबेन भावजयाभाई
23 कु० ठाकरे जामुनुबन रायभाई
24. श्री जादवमनजभाई मिलयाभाई
25. कु० भोये कमालबेन मोतीराम भाई
26. श्री गोगांदा अनयाभाई जानुभाई
27. कु० कानिया शान्ताबेन महादुभाई
28. कु० चौधरी सुमनबेन रायुजिभाई
29. गणगौरी अनाभाई जानुभाई
30. श्री रायुत भाऊजी भाई जानयाभाई
31. श्री पवार गोंदूभाई गमजयाभाई
32. कु० देशमुख भारती गोन्दयाभाई
33. कु० गाधवी सुमन बेन दामुभाई
34. कु० गाधवींबेन भाउभाई
35. श्री भोये धानु भाई वादयाभाई
36. श्री पवार मुधा भाई कालू भाई
37. श्री सुलेमन जुमे जुमानी
38. श्री सुमेर सुलेमन जुमानी
39. श्री जुसाबा सुमारे जुमानी
40. श्री भाबुभाई रामपुर।
41. श्री डोलर गाधवी
42. श्री काना राम
43. श्री गाजी खान मानगानीयार
44. श्री लूने खान
45. श्री पेम्पा खान मानगानीयार
46. श्री लांगा नेक मोहम्मद
47. श्री गानी खान
48. श्री सामंदार खान
49. श्री गफ्फूर खान
50. श्री नेकू खान
51. श्री ए० के० नामबिआर
52. श्री पी० पी० कन्ना पीरुवामन

53. श्री के० वी० कोरन
54. श्री पी० पी० कुनकी कानन
55. श्री पोदीकालम पारामबिल पावियराम
56. श्री पी० पी० करणाकरण
57. श्री के० वालन
58. श्री बानी कौल
59. कु० तीजन बाई
60. श्री गोकुल राय
61. श्री उमद सिंह
62. श्री अगनर राम
63. श्री पलटू राम
64. श्री अगारहिज
65. श्री गणेश लाल
66. श्री महाराज जी टंडन
67. श्री रामकुमार बंजारे
68. श्री बुधारू राम जांगरे
69. श्री फिरन्ता राम
70. श्री जयसिंह टंडन
71. श्री भरत लाल लाहरे
72. श्री लाला राम बंजारे
73. श्री दिलीप कुमार बंजारे
74. श्री देव दास बंजारे
75. श्री जयपाल मधुकर
76. श्री मनोहर लाल
77. कु० भूरी बाई
78. श्री भारोन दास
79. कु० मुंगी बाई
80. कु० कामद डी० बाई
81. कु० कामद मनी बाई
82. श्री कामद चुन्नी दास
83. श्री राना खान

84. श्री गोपाला मेनन
85. श्री मारथ रामाकृष्णन
86. पालावयूर मारथ संकरा मरार
87. श्री मुंदयील पिशाराथ सुकुमारन
88. श्री पुराथुवीतिल मारथ बालाकुमारन
89. श्री पुराथुवीतिल मारथ मुराल्लीधारन
90. श्री कुम्माथ रमन
91. श्री चरकुवाथ पिशाराथ राघवन
92. श्री कुरूवाथ सुब्राह्मण्यन
93. श्री जी० सत्या नारायणन लीडर
94. श्री सी० वी० गोविन्दन कुट्टी नायर
95. श्री एन० राजेशकरण नायर
96. श्री आर० हरी कुमार
97. श्री कन्नाणा थामबीकरण
98. श्री सामभानथाम
99. श्री काशी
100. श्री वेदहाचलम
101. श्री मानु स्वामी
102. श्री रघनाम
103. श्री कुणु स्वामी
104. श्री आबू
105. श्री मुन्नुस्वामी
106. श्री सिवामणी
107. श्री एलाप्पा थामबीरण
108. श्री आरूमुगहम
109. श्री जे० एन० मेहरा
110. श्री जफ्फर हुसैन
111. श्री रफीक अहमद
112. श्री याबर हुसैन
113. श्री नैयर जापफर
114. गुलाम सुलतान

115. श्री सलीम जाफ्फर
116. श्री बाजाहुर हुसैन
117. श्री कुमार बोस
118. श्री टी० एच० विनायक राम
119. श्री एच० पी० रामाचार
120. श्री तिरूवारूर भक्तवासलम
121. श्री ए० के० पालीनिवाल
122. श्री कालिया पेरूमल
123. श्री रंगानाथन
124. श्री जगन्ननाथ
125. श्री दिलावर हुसैन खा
126. श्री शकील हुसैन
127. श्रीमती उमा गोस्वामी
128. श्री निपेन्द्रनाथ घोरे
129. श्री गोस्तो चन्द्र घोरे
130. श्री विश्वनाथ पारीख
131. श्री बालाई चन्द्रराय
132. श्रमती बानी घोष
133. कुमारी स्वपना सेन
134. श्री एम० सी० गैन
145. श्री पी० के० मलिक
136. श्री अमरनाथ घोष
137. श्री श्याम सुन्दर दास बऊल
138. श्री गोविन्द दास बऊल
139. श्री भजाहरी राजवंशी
140- श्री ख प्रकाश सिंह
141. कुमारी बाई रंजना देवी
142. श्रीमती बाई गामभीनी देवी
143. कुमारी आतमीनो देवी
144. कुपारी गोई रंग यामाबी देवी

145. श्री थ छोटमसी सिंह
146. श्रीमती एल० बिनोदीनी देवी
147. श्रीमती आर० के० जयन्तीसन देवी
148. श्रीमती एस० नायनशाखी देवी
149. श्री एन० अजित कुमार सिंह
150. श्री लोकेन्द्र सिंह
151. श्री एम० कुलाचन्द्र सिंह
152. श्री एस० थानील सिंह
153. श्री फ इबोतन सिंह
154. श्री गोबरा किशोर शर्मा
155. श्री इबोपीश्क सिंह
156. श्री बाई परजात सिंह
157. श्री सनातन सिंह
158. श्रीमती एस० जशोदा देवी
159. श्रीमती ए० लक्ष्मी देवी
160. श्रीमती ए० इबीयाइमा देवी
161. श्री एस० राजन सिंह
162. कुमारी थ इबीमुबी देवी
163. श्रीमती ई० इन्द्रा देवी
164. श्री ख मंगी सिंह
165. श्री के० जादु सिंह
166. श्री ख चन्द्रमानी सिंह
167. श्री एस० एन० जोशी
168. कुमारी सारजीनी देवी
169. श्री जोगिन्द्र सिंह
170. श्री सत्यपाल नेगी
171. श्री ठाकुर लाल नेगी
172. श्री तनजीन ग्यालीसेन
173. श्री योवन सिंह
174. कुमारी इन्द्र लक्ष्मी
175. कुमारी सवित्र देवी
176. कुमारी विजय लक्ष्मी

177. कुमारी भगवान देवी
178. कुमारी गंजियन लामो
179. श्री उमा दोरजी नेगी
180. श्री श्याम भगत
181. श्री धर्म देव
182. श्री दिल सुख
183. श्री बिमल चन्द्र
184. श्रीमती गीतिका काल्हा
185. श्रीमती मधु पठानिया
186. श्रीमती गीता
187. श्रीमती रूपिन्द्र वालिया
188. श्रीमती संजीव बाला
189. श्रीमती अमृत प्रीत
190. कुमारी मलकियत कौर
191. श्री गोपाल कृष्णन नलिन
192. श्री माली राम
193. श्री कमलाकर मुरलीधर सोनटकेक
194. माया जादव-एफ
195. कुमारी प्रिया अरुण कर्नाटकी
196. कुमारी सुनंदा रामचन्द्र केकेन
197. आशा अशोक प्रधान-एफ
198. श्री शंकर जनार्दन नैल
199. श्री शाहजी बांहु राय काले
200. श्री ध्यानाश्वन भीकाजी घोरा

विवरण-2

उन व्यक्तियों की सूची जिन्होंने अप्रैल-मई, 1985 के दौरान भारतोत्सव में भाग लेने के लिए फ्रांस का दौरा किया।

1. श्री के० पी० सिंह देव
2. श्रीमती पपुल जायकर
3. श्री वाई० एस० दास
4. श्री विजय सिंह

5. श्रीमती एल० एम० बस

6. श्री राम शर्मा

7. श्री राज रेवल

8. श्री ए० डी० मुखर्जी

9. श्री ए० बी० जोस

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का उन के मूल जोन में स्थानान्तरण

309. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री 18 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8033 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों सेवाओं, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल, में प्रत्येक में पिछले तीन वर्षों के दौरान कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी) से अपने मूल जोन राज्य में स्थानान्तरण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त प्रश्न के उत्तर में दी गयी नीति के अन्तर्गत इनमें से कितने स्थानान्तरण किए गए हैं; और

(ग) इनमें से कितने व्यक्तियों के स्थानान्तरण उनके अनुरोध के अनुसार किए गए हैं और शेष मामलों पर कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :

बल का नाम	स्थानान्तरण के लिए आवेदन-पत्रों की संख्या	नीति के अन्तर्गत आये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्थानान्तरित किए गए व्यक्तियों की संख्या
के० औ० सु० बल	2067	520	520
के० रि० पु० बल	4415	3199	3199
सी० सु० बल	2719	1108	1108

नालंदा में ह्यून सांग स्मारक का प्रबन्ध

310. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संस्कृति मंत्री नालन्दा स्थित ह्यून सांग स्मारक के बारे में 17 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3279 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नालन्दा स्थित ह्यून सांग स्मारक में क्या कार्य होता है तथा स्मारक के प्रबन्ध की पद्धति क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : ह्यून सांग स्मारक हाल को नव

नालन्दा महाविहार, नालन्दा के साथ जोड़ने तथा केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर बिहार सरकार के साथ परामर्श करके सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

उच्च प्रौद्योगिकी का आयात

*311. **श्री सी० पी० ठाकुर :**

श्री ब्रजमोहन महन्ती :

श्री जी० भूपति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे प्रधान मन्त्री की सफल विदेशयात्रा के बाद सरकार ने वरीयता के कितने क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी का आयात करने का फैसला किया है;

(ख) हमारे देश में किन-किन नए क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध होगी; और

(ग) उस एजेन्सी का नाम क्या है जो भारत के लिए आवश्यक उच्च प्रौद्योगिकी का पता लगाती है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विदेश यात्रा के दौरान, प्रधान मन्त्री ने हमारे विकास में उच्च प्रौद्योगिकी के महत्व की ओर निर्देश किया था।

(ख) सरकार ने नवीन सामग्रियों, इलेक्ट्रानिकों, सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों का उन क्षेत्रों में अभिनिर्धारण किया है जहां हमारे देश में उच्च प्रौद्योगिकी सहायक हो सकती है।

(ग) जबकि देश में आवश्यक सभी उच्च प्रौद्योगिकियों का अभिनिर्धारण करने वाली कोई एक एजेन्सी नहीं है, फिर भी विज्ञान सम्बन्धी सभी विभाग, मन्त्रिमण्डल की विज्ञान सलाहकार समिति और मन्त्रालयों द्वारा समय समय पर नियुक्त किए गए विशेष कार्यबलों द्वारा देश में आवश्यक उच्च प्रौद्योगिकी का अभिनिर्धारण करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति, विदेश निवेश बोर्ड, परियोजना अनुमोदन बोर्ड आदि जैसी सरकारी समितियां विशिष्ट मामलों में प्रौद्योगिकियों के आयात के लिए प्रस्तावों की जांच करती हैं।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा किए गए अतिरिक्त सावधानी उपाय

312. **श्री सी० पी० ठाकुर :**

श्री कमल नाथ :

श्री जी० जी० स्वैल :

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

श्री बृज मोहन महन्ती :

श्री नरसिंह मकवाना :

श्री शांति धारीवाल :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एयर इण्डिया

विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और माल-असबाब में हुए विस्फोटों के बाद एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स ने दुर्घटनाओं को रोकने के क्या अतिरिक्त सावधानी उपाय किए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : यद्यपि मौजूदा स्थितियों के सन्दर्भ में हमारे हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय मजबूत कर दिए गए हैं फिर भी सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और इन्हें मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाये जा रहे हैं। -

राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कार्य क्षेत्रों में आने वाले हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं कारगार रूप से लागू करें। और अधिक एक्सरे उपकरण और विस्फोटक स्निफर (टी० डी०-4) खरीदे जा रहे हैं। विमान में ले जाने से पहले यात्रियों को स्वयं सामान की पहचान करनी होगी। हवाई वाहकों से कहा गया है कि वे यात्रा करने वाले लोगों को यह सलाह दें कि वे किसी भी व्यक्ति से सामान और पार्सल या कोई अन्य वस्तु स्वीकार न करें। विस्फोटक पदार्थ सूंघने के लिए कुत्तों को प्रशिक्षित किया गया है।

सभी हवाई अड्डों को ये हिदायतें दी गयी हैं कि वे खरीदकर या पट्टे पर लेकर अथवा किराये पर लेकर तुरन्त ही एक्स-रे सामान निरीक्षक मशीनें लगायें और उन्हें चालू करें।

वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए चीन का आमंत्रण

313. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने शंघाई और तिब्बत में वाणिज्य दूतावास खोलने के लिए भारत को आमन्त्रित किया था;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या चीन ने संकेत दिया है कि उसके उच्च नेताओं द्वारा हमारे प्रधान मन्त्री से मिलने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). चीन की सरकार का प्रस्ताव है कि चीन और भारत को एक दूसरे के देश में कौंसलावास पुनः स्थापित करने चाहिए। भारत सरकार चीन के प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है।

(ग) चीन के प्रधान मन्त्री ने भारत के प्रधान मन्त्री को चीन की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

314. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु कोई सीमा निर्धारित की है;

(ख) विभिन्न राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण हेतु वर्ष 1985-86 में अधिकतम कितनी राशि आबंटित की गई, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के लिए 1985-86 के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लड़कों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसी कोई योजना नहीं है। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उनके प्रस्तावों के आधार पर सहायता अनुदान ग्राह्य है तथा राज्यवार कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान की उच्चतम सीमा इस प्रकार है :—

निर्माण की श्रेणी	प्रति छात्र सहायता अनुदान की उच्चतम सीमा	
	मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
	रुपये	रुपये
1. केवल आवास के लिए	5,200/-	5,680/-
2. भोजन कक्ष, रसोईघर, सैनीटरी ब्लाक तथा बैठक इत्यादि की गौण सुविधाओं सहित आवास	7,150/-	7,790/-

भारत और पूर्व एशियाई क्षेत्रों के बीच विमान सेवायें

315. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पूर्व एशियाई क्षेत्रों के बीच उपलब्ध विमान सेवाओं का वर्तमान ढांचा किस प्रकार का है;

(ख) क्या एयर इण्डिया को उन क्षेत्रों से होने वाली आय में वृद्धि हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो एयर इण्डिया को उन क्षेत्रों से वर्ष 1983-84 और 1984-85 में हुई आय का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत और पूर्व एशिया के बीच वर्तमान विमान सेवाओं की व्यवस्था के अनुसार, एयर इन्डिया, बैंकाक और हांगकांग होकर भारत और जापान के बीच सप्ताह में तीन बोइंग 747 उड़ानें प्रचालित करता है। इसके अलावा, एयर इण्डिया भारत और जापान के बीच सप्ताह में एक मालवाही सेवा भी प्रचालित करता है जो डी० सी० 8/73 विमान द्वारा प्रचालित की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में पूर्व एशिया क्षेत्र में एयर इण्डिया की राजस्व आय के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	लाख रुपये में
1983-84	4,804.06
1984-85	5,158.07

आसाम नागालैंड सीमा झड़पें

316. **श्री रेणुपद दास :**

श्री अजय विश्वास :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री आनन्द पाठक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह में आसाम और नागालैंड पुलिस के बीच मेरापानी में सीमा पर हुई झड़पों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) हता-हत होने वालों की संख्या क्या है;

(घ) क्या इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां श्रीमान।

(ख) असम तथा नागालैंड सरकारों के अनुसार, दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच असम-नागालैंड सीमा के साथ मेरापानी क्षेत्र में गोलीबारी, 4 जून, 1985 की देर अपराह्न से शुरू हुई और 6 जून, 1985 की शाम तक चलती रही।

(ग) असम सरकार के अनुसार असम के 28 पुलिस कार्मिक तथा 13 नागरिक मारे गये हैं। असम के 89 पुलिस कार्मिक तथा 13 नागरिक घायल हुए है। उपलब्ध सूचना के अनुसार नागालैंड की ओर से 6 पुलिस कार्मिक मारे गए थे।

(घ) से (च). जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया गया है।

श्रीलंका में जातीय समस्या के बारे में थिम्पू सम्मेलन

317. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में जातीय समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने के लिए भारत सरकार के तत्वावधान में हाल ही में थिम्पू में सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भूटान की शाही सरकार के सहयोग और सहायता से भारत सरकार ने एक ओर श्रीलंका सरकार और तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चे तथा दूसरी ओर तमिल विद्रोही संगठनों के बीच थिम्पू में होने वाली बातचीत की व्यवस्था की थी। इस बातचीत की व्यवस्था भारत की इस नीति के अनुरूप की गयी थी कि श्रीलंका की जातीय समस्या के राजनीतिक समाधान को सुविधाजनक बनाने में वह सहायता करना चाहता है।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि इस बातचीत में मुख्यता इस बात की कोशिश की गयी कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है। यह घोषणा की गयी है कि दोनों पक्षों के बीच की यह बातचीत 12 अगस्त को फिर होगी। सरकार बातचीत को जारी रखने के निर्णय का स्वागत करती है क्योंकि उसका हमेशा से यह विश्वास रहा है कि सभी सम्बन्धित पक्षों के साथ राजनीतिक बातचीत के जरिए ही राजनीतिक समाधान खोजा जा सकता है।

एयर इण्डिया जम्बो जेट विमान की दुर्घटना की न्यायिक जांच

318. **श्री अमर रायप्रधान :**

श्री एन० डेनिस :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अटलांटिक महासागर में हुई एयर इण्डिया जम्बो जेट विमान की दुर्घटना के बारे में न्यायिक जांच करवायी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). जी, हां। दुर्घटना के औपचारिक अन्वेषण के लिए विमानन नियम, के नियम 75 के अधीन भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री बी० एन० कृपाल को न्यायालय के रूप में नियुक्त किया है। पांच मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। न्यायालय से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1985 तक भारत सरकार को प्रस्तुत कर दें।

पेरिस तथा अमरीका में भारत महोत्सव

319. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पेरिस तथा वाशिंगटन में भारत महोत्सव प्रारम्भ किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) फ्रांस में भारतोत्सव ने ट्रोकाडेरो, पेरिस में एक खुले मेले का रूप धारण किया जिसका उद्घाटन भारत के प्रधान मन्त्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। अमरीका में उद्घाटन समारोह में रविशंकर, अली अकबर खान, जाकिर हुसैन एवं अला राखा का शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन तथा केरल कलामण्डल द्वारा कत्थकली का प्रदर्शन किया गया था। खर्च के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

केन्द्र में एक शिकायत एकक की स्थापना करना

320. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्र में एक शिकायत कक्ष की स्थापना करने का विचार है;

(ख) इस प्रकार के शिकायत कक्षों की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी इस प्रकार के कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस प्रकार के कक्ष स्थापित किये गए हैं;

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) व्यापक जन सम्पर्क वाले मन्त्रालयों को लोक शिकायतें दूर करने के लिए अपने प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने तथा शिकायत कक्षों को सक्रिय बनाने तथा आन्तरिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है।

(i) आम तौर पर लोक शिकायतें दूर करने और (ii) केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों से सम्बन्धित शिकायतों से सम्बद्ध नीति और समन्वय का कार्य मार्च, 1985 से कार्मिक मन्त्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को सौंपा गया है।

(ख) मन्त्रालय में विद्यमान शिकायतें दूर करने सम्बन्धी व्यवस्थाओं के अधीन नागरिकों की ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी, जो विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण पैदा होती हैं।

(ग) तथा (घ). मुख्य सचिवों के सम्मेलन की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह है कि राज्य सरकारें समुचित शिकायत निवारण प्रबन्ध की व्यवस्था करेंगी। इसका अनुपालन किया जा रहा है।

इस विभाग को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने लोक शिकायत निवारण की व्यवस्थाएं कर दी हैं :

1. आंध्र प्रदेश
2. हिमाचल प्रदेश
3. कर्नाटक
4. मध्य प्रदेश
5. महाराष्ट्र
6. नागालैण्ड
7. त्रिपुरा
8. अंडमान और निकोबार द्वीप
9. गोवा, दमन और दीव

   तथा

10. पांडीचेरी

अन्य राज्यों से रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

नई दिल्ली में फ्रांस के सहयोग से एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना

321. **श्री के० प्रधानी :**

श्री जी० भूपति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उक्त अनुसंधान केन्द्र फ्रांस के सहयाग से स्थापित करने के विचार है : और

(ग) नई दिल्ली में प्रस्तावित भारत-फ्रांस अनुसंधान केन्द्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कौन-कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री(श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). श्रीमान, फ्रांसीसी सहयोग से उन्नत अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए एक भारत-फ्रांसीसी केन्द्र नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है।

(ग) यह केन्द्र अपने आप में कोई अनुसंधान नहीं करेगा बल्कि दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान के उत्प्रेरण, प्रायोजन और समन्वय के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा।

जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्त्रोत, प्रकाशिकी और प्रकाश-इलैक्ट्रानिकी और सूचना विज्ञान ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की परिकल्पना की गई है।

विदेशी मुद्रा खरीदने का आरोप लगे व्यापारी

322. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1.2 करोड़ रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा खरीदने तथा इसको आतंकवादी गतिविधियों के लिए मैक्सिको भेजने का आरोप लगे दिल्ली के तीन व्यापारी अग्रिम जमानत कराने के बाद फरार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सम्भावना से बचने के लिए पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा क्या पूर्व सावधानी बरती गई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं, श्रीमान्, दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय मूल के लोगों द्वारा दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित त्री-सदनीय विधान मंडल में भाग लेना

323. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय मूल के उन लोगों को अवांछित व्यक्ति घोषित करने का विचार है जो दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा स्थापित त्रिसदनीय विधान मण्डल में भाग ले रहे हैं; और

(ख) क्या यह घोषणा रंगभेद विरोधी भारतीय नीति के अनुरूप होगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). भारत सरकार ने अभी तक इस आधार पर भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीका के किसी भी व्यक्ति को भारत में प्रवेश करने के लिए अवांछित घोषित नहीं किया है कि उसने दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा गठित त्रिसदनीय विधानमंडल में भाग लिया है। पृथग्वासन के विरुद्ध भारत की नीति काफी पुरानी और सर्वविदित है। यदि इस नीति के अनुसरण में अतिरिक्त कदम उठाना आवश्यक होगा तो इन पर प्रचलित परिस्थितियों की रोशनी में विचार किया जा सकता है।

कलकत्ता के विकास के लिए धनराशि का आवंटन

324. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से कलकत्ता के विकास के लिए अपनी वार्षिक योजना में 1000 करोड़ रु० आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार कलकत्ता में आने वाली पश्चिम बंगाल से बाहर की भारी जनसंख्या और शहर पर आए विभाजन-पूर्व के भारी दायित्वों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र के बजट में कलकत्ता के लिए अलग निधि हेतु किए गए पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध के प्रति केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल ने सातवीं योजना की पाँच वर्ष की अवधि में कलकत्ता में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए केन्द्र से 1000 करोड़ रु० आवंटित करने का अनुरोध किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए नहीं दी जाती बल्कि राज्य की सम्पूर्ण योजना के लिए ब्लॉक सहायता के रूप में दी जाती है। अपनी अनुमोदित परियोजना में किसी कार्यक्रम/परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता का उपयोग करना राज्य सरकार का कार्य है।

[हिन्दी]

राज्यों में कई हिंसक घटनाओं में जान और माल का नुकसान

326. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में वर्ष 1985 से आज तक हुई हिंसक घटनाओं में जान और माल का कितना नुकसान हुआ है और उक्त हिंसा भड़कने के क्या कारण रहे;

(ख) क्या कुछ राज्यों में हिंसक घटनाएं इतने बड़े पैमाने पर हुई कि सेना को बुलाना पड़ा;

(ग) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये अब तक क्या उपाय किये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

मिर्जापुर जिले में बिजलीघरों और उद्योगों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण

327. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिर्जापुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में जल और वायु प्रदूषण की समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है, जहां पर कई बिजली घर और उद्योग तेजी से पनप रहे हैं और प्रदूषण की गम्भीर समस्या खड़ी कर रहे हैं;

(ख) क्या उपरोक्त उद्योगों के कारण वनों की काफी कटाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में परिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत वायु तथा जल प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत अत्यधिक वन कटाई रोकने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

सीमा-विवाद के बारे में चीन के साथ वार्ता

329. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा विवाद के बारे में चीन के साथ कितनी बार वार्ता हुई है और अगले दौर की वार्ता कब होने की संभावना है; और

(ख) उक्त वार्ता के विषय क्या थे और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) चीन के साथ सरकारी स्तर की वार्ता के पांच दौर हो चुके हैं। इस बातचीत का छठा दौर इस वर्ष के अन्त में होने वाला है हालांकि वास्तविक तारीखें अभी तय नहीं की गई हैं।

(ख) अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें मुख्यत: भारत-चीन सीमा प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा तथा अन्य द्विपक्षीय मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। सीमा के प्रश्न पर दोनों पक्षों ने इस बात की कोशिश की है कि कुछ ऐसे समान सिद्धान्त तय किए जा सकें जो अन्तिम समाधान तक पहुंचने के लिए आधार बन सकें। कुछ पहलुओं पर मतभेद कम हुए हैं। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सरकारी स्तर की बातचीत के अगले दौर में मुख्य रूप से सीमा सम्बन्धी प्रश्नों पर बातचीत पुन: शुरू की जाए। इन वार्ताओं के दौरान शिक्षा और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आदान-प्रदान कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं।

नारीता हवाई अड्डे पर बम विस्फोट

331. **श्री कमल नाथ :**

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारीता हवाई अड्डे पर 21 जून, 1984 को हुआ विस्फोट प्लास्टिक बम के कारण हुआ था;

(ख) क्या पाए गए उंगलियों के निशान उन संदिग्ध भारतीय आतंकवादियों के हैं जो कि एयर इंडिया के विमान में तोड़-फोड़ करने के लिए उत्तरदायी हैं; और

(ग) उक्त घटना के पूरे तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 23 जून, 1985 को नारिता विमान क्षेत्र पर एक विस्फोट हुआ। इसमें प्रयुक्त धातु का पता नहीं चल सका है।

(ख) नारिता विमान क्षेत्र पर टोकियो पुलिस के प्रमुख से प्राप्त सूचना के अनुसार, किसी उंगली के निशानों का पता नहीं चल सका है।

(ग) 23 जून, 1985 को नारिता विमान क्षेत्र पर कनाडियन पैसिफिक एयरवेज की उड़ान सी० पी०-003 से, जो वैंकोवर से पहुँचा था सामान के दस बक्से उतारे गए थे। जब विमान क्षेत्र भूमि सेवा स्टाफ द्वारा आने वाले सामान की छटाई की जा रही थी, तब उसमें विस्फोट हो गया जिसमें स्टाफ के दो सदस्य मारे गए थे तथा चार अन्य घायल हो गए थे। विस्फोटक सामग्री तथा बक्से एक बहुत बड़े क्षेत्र में इधर-उधर बिखर गए थे।

मध्य प्रदेश में वायुदूत सेवा

332. **कुमारी पुष्पा देवी :**

श्री प्रताप भानु शर्मा :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में बेहतर वायुदूत सेवाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश में अब तक कौन से स्थानों को वायुदूत सेवाओं से जोड़ा गया है;

(ग) उस राज्य में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 1985-86 में वायुदूत मानचित्र के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ). इस समय वायुदूत मध्य प्रदेश में किसी भी स्टेशन को हवाई सेवा प्रचालित नहीं कर रहा है।

कम्पनी की शीघ्र ही इन्दौर को पूणे से तथा 1986-87 में बिलासपुर और जगदलपुर को विमानसेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं। तथापि, बिलासपुर और जगलपुर को हवाई प्रचालन आवश्यक आधार संरचना का विकास हो जाने और प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता/साध्यता पर निर्भर करेंगे।

के० आई० ए० द्वारा प्रशिक्षित आसाम उग्रवादियों का नागा विद्रोहियों के साथ मिलना

333. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1985 के 'ब्लिट्ज' में दिए इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि के० आई० ए० प्रशिक्षित आसाम के उग्रवादी नागा विद्रोहियों के साथ मिल गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए क्या कारंवाई की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम के कुछ उग्रवादी दल नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के शिविरों में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर विद्रोहियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने उपयुक्त कदम उठाए हैं तथा चौकसी कार्य को और कड़ा कर दिया गया है।

परमाणु बिजलीघरों में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था

334. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न परमाणु बिजलीघरों में कार्यरत श्रमिकों की रेडियो धर्मिता से सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने श्रमिक हैं और क्या इससे पीड़ित होने के कारण किसी श्रमिक को अपने काम से हाथ धोना पड़ा था; और

(ग) नियमानुसार कितना मुआवजा दिया जा सकता है अथवा दिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) जो तीन परमाणु बिजलीघर काम कर रहे हैं उनमें विकिरण की स्थिति में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या सन् 1984 में लगभग 6600 थी और विकिरण की अधिक मात्रा के प्रभाव के कारण किसी भी कर्मचारी को अपने काम से हाथ नहीं धोना पड़ा था।

(ग) कर्मचारियों पर विकिरण के पड़ने वाले प्रभाव को विकिरण बचाव नियम, 1971 में निर्धारित सीमाओं के भीतर ही पूरी तरह से रखा जाता है ताकि उससे दुर्घटना न घटे, और घनिष्ट पहुँचने या विकलांग होने की कोई घटना न हो। कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम) 1984 का 22 वाँ) में यह प्रावधान किया गया है कि रोजगार के दौरान विकिरणसक्रिय पदार्थों से और/अथवा आयनकारी विकिरण से होने वाले रोगों और/अथवा क्षति के लिए मुआवजा दिया जाए।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत "युक्लिप्टस" के पेड़ लगाना

335. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण में प्रदूषण ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है और यह अत्यधिक चिन्ता का विषय बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिए सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दे रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "युकिलप्टस" सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत मन्जूर किये गये पेड़ों में से एक है;

(ङ) क्या सरकार ने पर्यावरण और मिट्टी पर इस पेड़ के प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) इस समय पर्यावरण में प्रदूषण है, लेकिन इसने गम्भीर रूप धारण नहीं किया है।

(ख) सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण समुदायों को छोटी इमारती लकड़ी, इंधन की लकड़ी और चारा की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इससे पर्यावरण को सुधारने में भी सहायता मिलती है।

(ग) सामाजिक वानिकी के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 905 करोड़ रुपये (केन्द्रीय क्षेत्र में 98 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 807 करोड़ रुपये) का परिव्यय रखा गया है। राज्य-वार आवंटन के ब्योरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत प्रजातियों के अनुकूलतम मिश्रण, जिससे छोटी इमारती लकड़ी, इंधन की लकड़ी, पतियों का चारा और फल की उपज ली जा सकती है, का समर्थन किया गया है। विदेशी प्रजातियों की तुलना में देशी प्रजातियों को तरजीह दी जाती है। जहाँ वहीं परिस्थितियां अनुकूल हैं वहां यूकेलिप्टस के पेड़ लगाये जाते हैं।

(ङ) और (च). अध्ययन किए गए हैं, लेकिन निर्णायक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्यों में योजना-निवेश हेतु दिशा निर्देश

336. **श्री जी० भूपति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा राज्यों में योजना-निवेश हेतु क्या मान दंड/दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) सातवीं योजना के कुल पूंजी निवेश की तुलना में आंध्र प्रदेश के लिए कुल कितने योजना पूंजी निवेश का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सातवीं योजना में राज्यों में योजना निवेश के लिए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 1984 में यथा अनुमोदित "सातवीं योजना की नीति" नामक दस्तावेज में दिए गए हैं।

(ख) योजना आयोग इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में व्यस्त है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार करने के बाद ही योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

बिहार के पर्यटन केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास

337. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पर्यटन केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कितना धन व्यय किया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग ने पिछले 3 वर्षों अर्थात 1982-83 से 1984-85 तक बिहार राज्य में निम्न-लिखित योजनाएं प्रारम्भ की हैं। ये क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं :

	पिछले 3 वर्षों के दौरान खर्च (रु० लाखों में)
1. बक्सर में ध्वनि व प्रकाश शो।	22.69
2. पटना में यूथ होस्टल (अब यह विषय खेल एव युवा मामलों के मन्त्रालय को हस्तांरित कर दिया गया है)	10.00
3. बेटला में वन-गृह	36.00
4. बोधगया में पर्यटन स्थल, भूमि के लिए बढ़ी दरों पर मुआवजे सहित	11.35
5. भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बोध-गया में यात्री-गृह का विस्तार	12.51*
6. राजगीर में अल्पाहार गृह	2.50
7. भारत पर्यटन विकास निगम तथा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा रांची में संयुक्त उद्यम होटल।	27.00*
8. पटना में अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स यूनिट	11.59*
9. मेले व त्यौहार	0.38
10. भारतीय होटल निगम तथा जापान के होके क्लब द्वारा राजगीर में जापानी ढंग का होटल।	190.00

*1984-85 के लिए अनन्तिम खर्च को शामिल करते हुए।

उत्तर प्रदेश में रोजगार योजनाओं के लिए धनराशि

338. श्री प्रकाश चन्द्र : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में अपनी रोजगार योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गई मांग की

तुलना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है और पूरी मांग को न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). इस समय दो मुख्य ग्रामीण रोजगार सृजन योजनागत स्कीमें चल रही हैं—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम। जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए परिव्यय केन्द्र और राज्यों के बीच समान रूप से बांटे जाते हैं, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए परिव्यय पूर्णतः केन्द्र द्वारा वहन किए जाते हैं। वर्ष 1985-86 के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय और राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार किए गए परिव्यय नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रु०)

स्कीम का नाम	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए परिव्यय	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए परिव्यय
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	59,68	38.50
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	—	85.25

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मामले में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय और योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत किए गए परिव्यय के बीच अन्तर, संसाधनों की समग्र बाध्यकारिताओं के कारण है।

संस्थानान्तर्गत अनुसंधान तथा विकास एककों द्वारा कार्यक्रमों की घोषणा

339. **श्री विजय कुमार मिश्र :**

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यूनियन कार्बाइड, भोपाल के अनुसंधान तथा विकास केन्द्र को केन्द्र द्वारा मन्जूरी देने के बारे में 27 मार्च 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार प्रत्येक "संस्थानान्तर्गत" अनुसन्धान तथा विकास एकक द्वारा सभी कार्यक्रम विशेष रूप से औद्योगिक अनुसन्धान से सम्बन्धित, बताना अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) संस्थानान्तर्गत अनुसंधान

और विकास यूनिटों में किए जा रहे सभी कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करने की कोई प्रादेशात्मक व्यवस्थाएं नहीं हैं।

(ख) और (ग). इन एककों में औद्योगिक परिचालनों में और जनता के लिए सुरक्षा कई कार्यविधियों और विनियमों से सुनिश्चित की जाती है। विनिर्माण कार्य को हाथ में लेने के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। देश में लागू कई कानूनों में की गई व्यवस्थाओं में भी परिचालन, भण्डारन, परिवहन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और जोखिमों से बचने के लिए पर्याप्त पूर्वोपायों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है; और इनमें फैक्टरी अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की रोकथाम सम्बन्धी अधिनियम और जल और वायु के प्रदूषण के निवारण और नियन्त्रण सम्बन्धी अधिनियम शामिल हैं।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच सहयोग

340. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की विद्यमान मान्यता प्राप्त क्षमताओं के बावजूद सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने अपने यहां बड़ी अनुसंधान प्रयोगशालाएं और विकास यूनिटें स्थापित करने में अग्रता दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के बुनियादी ढांचों ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बड़े संस्थानान्तर्गत अनुसंधान और विकास एककों की स्थापना करने में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद में विद्यमान क्षमताओं का उपयुक्त ध्यान रखा जाता है।

(ख) और (ग). संस्थानान्तर्गत एककों की स्थापना से योजनाबद्ध विकास के फ्रेम के भीतर प्रौद्योगिकी सुधार के क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के प्रतिष्ठापन की आवश्यकता और उनके विविधीकरण का अभिनिर्धारण किया जा सका है।

सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसन्धान और विकास एककों और सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग है। प्रयोगशालाओं द्वारा अपनी विशेष योग्यताओं और सुविधाओं का उपयोग करके कई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के एकक प्रयोगशालाओं में अनुसंधान परियोजनाओं का प्रायोजन कर रहे हैं। समन्वय को सहल बनाने के लिए मन्त्रालयों के सचिवों और संस्थानान्तर्गत अनुसंधान और विकास एककों के वैज्ञानिकों को सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं की अनुसन्धान सलाहकार परिषदों के अध्यक्षों और सदस्यों के रूप में सम्बन्धित किया गया है। ये परिषदें अनुसंधान परियोजनाओं के अभिनिर्धारण, नियोजन और मानीटरन के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशालाओं के निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक मन्त्रालयों की वैज्ञानिक सलाहकार परिषदों और कई सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के निदेशक मंडलों के सदस्य हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सलाहकारों के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। 7 वीं योजना के लिए गठित मन्त्रालयों के कई कार्यकारी समूहों में सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को सदस्यों के रूप में सम्बन्धित किया गया है। अनुसन्धान परिणामों के नियोजन और उपयोग में सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं और

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संस्थानान्तर्गत अनुसंधान और विकास एककों के बीच काफी अच्छी अन्योन्यक्रिया है।

घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जाने वाले विमानों और उनके यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपाय

341. **श्री चित्त महाटा :**

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जाने वाले विमानों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सुरक्षा उपाय उत्तरी एटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया के जम्बो जेट विमान हेतु अपनाए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हवाई अड्डों को भारतीय शासकीय गुप्तता अधिनियम, 1923 के अधीन निषिद्ध स्थान घोषित किया गया है जिसके द्वारा हवाई अड्डे पर संवेदनशील क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय लागू करने और अपहरण-रोधी उपाय लागू करने का काम सम्बन्धित राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों की पुलिस को सौंप दिया गया है। क्षेत्रों की गश्त पैदल और गाड़ियों से लगाई जाती है। दस्ती सामान की जांच पड़ताल करके यात्रियों की जामा तलाशी लेकर, धावन-पथों, एप्रन और परिचालन क्षेत्रों की गश्त लगाकर अंतस्थ भवनों से एप्रन की ओर खुलने वाले द्वारों पर आदमी तैनात करके और यात्रियों पर निगरानी रखकर अपहरण-विरोधी उपाय किये जाते हैं। चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गए हैं और तोड़फोड़ करने वाली आतंकवादियों की सम्भावित गतिविधियों को निष्फल करने के लिए सशस्त्र प्रहारक बल उपलब्ध कराये गए हैं।

सुरक्षा कर्मचारियों को सिक्योरिटी जाँच में मदद देने के लिए सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आधुनिकतम इलेक्ट्रानिक उपकरण यथा चौखटनुमा धातु संसूचक, दस्ती धातु संसूचक और एक्स-रे स्कैनर उपलब्ध कराये गए हैं।

हवाई अड्डों के महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में बनी एयरपोर्ट सुरक्षा समिति द्वारा अन्तर-राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जाती है। केन्द्र में सुरक्षा की समीक्षा नागर विमानन सुरक्षा समिति द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के सचिव हैं।

हाल ही में हुई एयर इंडिया विमान की दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को और लागू किया जा रहा है।

(क) अंतस्थ भवनों में आगंतुकों के प्रवेश को अस्थाई रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(ख) टारमक पर स्वागत समारोह आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गयी है।

(ग) फोटो पहिचान कार्ड पहिचाना और नाम पट्टियां लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ) सभी वस्तु सामान की अब पूरी तरह से हाथ से टटोलकर जांच की जाती है।

(ङ) विमान में सामान को लादने से पूर्व विमान के पास सभी पंजीकृत सामान की यात्रियों द्वारा दुबारा पहिचान कराई जाती है।

(ख) और (ग). सभी उपाय जैसे कि यात्रियों की जामा तलाशी, पंजीकृत सामान की सुरक्षा जांच, स्थानीय एयरपोर्ट सुरक्षा, निजी सुरक्षा गारद द्वारा विमान की चौकसी विमान में चढ़ने से पूर्व तोड़-फोड़रोधी/अपहरणरोधी जांच लागू की गयी थीं। सभी यात्रियों की एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा हाथों से दस्ती धातु संसूचक/वाक थ्रू धातु संसूचक द्वारा जामा तलाशी ली गई थी।

ताज पर प्रदूषण का प्रभाव

342. श्री एस० एम० भट्टम : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय संचार मन्त्री द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में विरासत 'संरक्षण' विषय पर एक दो दिवसीय विचार-गोष्ठी का उद्घाटन करते समय व्यक्त किए गए विचारों का पता है जिससे उन्होंने कहा था कि मथुरा तेलशोधक कारखाने से होने वाले निस्सरण से ताजमहल को कोई नुकसान न पहुचने की बात अभी संतोषजनक रूप से सही सिद्ध नहीं हुई है;

(ख) क्या विशेषज्ञों के किसी दल ने इस बारे में बारीकी से अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री ने विरासत संरक्षण से संबंधित सेमिनार में अपने उद्घाटन भाषण में इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की।

(ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, भारतीय तेल लिमिटेड इस मामले का निरन्तर अध्ययन कर रहे हैं।

(ग) ताजमहल क्षेत्र में आस-पास की हवा में प्रदूषकों के स्तरों की मात्रा इतनी नहीं है कि वह ताज के संगमरमर को कोई खतरा पैदा करें।

उन्नत प्रोद्योगिकी में सहयोग के बारे में भारत अमरीका अध्ययन दल

343. श्री एस० एम० भट्टम : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने अपने हाल ही में अमरीका के दौरे के दौरान वाणिज्य मण्डल के प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस बात पर सहमति हो गयी है कि दोनों देशों के बीच एक स्वतंत्र भारत-अमरीकी अध्ययन दल उन्नत प्रौद्योगिकी में सहयोग की संभावना का पता लगाएगा; और

(घ) यदि हां, तो लिये गये निर्णय का ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां। प्रधान मन्त्री ने अमरीकी चैम्बर ऑफ कामर्स और भारत-अमरीका व्यापार परिषद द्वारा आयोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित किया था।

(ख) इस बैठक में भारत में मौजूदा आर्थिक और व्यापारिक वातावरण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। इसने वृद्धित द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए, विशेषकर उच्च प्रौद्योगिक क्षेत्र में, अमरीकी व्यापारिक क्षेत्र में और रुचि उत्पन्न की।

(ग) भारत अमरीकी व्यापार परिषद के तत्वावधान में गठित भारत को प्रौद्योगिकी के अन्तरण सम्बन्धी समिति की गतिविधियों के संदर्भ में बोलते हुए अमरीका के भूतपूर्व सीनेटर चार्ल्स परसी ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने की आवश्यकता पर एक सामान्य सुझाव दिया था।

(घ) ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

ताज का प्रदूषण

344. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेलशोधक कारखाने के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ताज के संगमरमर का रासायनिक परीक्षण किया है जैसाकि 14 जून, 1985 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में समाचार प्रकाशित हुआ है और यह निष्कर्ष निकाला है कि ताज के संगमरमर में जो भी खराबी आई है वह उसके काफी पुराना होने के कारण आई है;

(ख) क्या मथुरा तेलशोधक कारखाने द्वारा छोड़े जाने वाले पांच प्रकार के प्रदूषित पदार्थों में से सल्फर डायोक्साइड को संगमरमर के लिए सबसे अधिक हानिकारक पाया गया;

(ग) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, नागपुर ने इस बारे में हाल ही में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) क्या ताज क्षेत्र में प्रदूषण को भावपूर्ण ढंग से रोका गया है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) मथुरा तेलशोधक कारखाने के वैज्ञानिकों द्वारा ताज के संगमरमर की जांच और उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों, जैसाकि प्रैस में प्रकाशित किया गया है, के बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) ताजमहल क्षेत्र के आस-पास की हवा में सल्फर डायोक्साइड की सान्द्रता की मात्रा इतनी नहीं है कि ताज के संगमरमर को खतरा पैदा करें।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान वर्ष 1981 से ताज में प्रदूषकों के स्तरों का नियमित रूप से अनुश्रवण कर रहा है।

(घ) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित अन्य संगठनों, जो प्रदूषकों के स्तरों का निरन्तर अनुश्रवण कर रहे हैं; के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि ये इतनी मात्रा में नहीं हैं कि ताज के संगमरमर को खतरा पैदा कर सकें।

(ङ) ताज क्षेत्र में प्रदूषण के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट

345. श्री एस० एम० भट्टम :

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री डी० बी० पाटिल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में 1983 के आरम्भ में गठित किए गए सरकारिया आयोग ने सभी राज्यों का दौरा पूरा कर लिया है;

(ख) क्या अकालियों के किसी प्रवक्ता द्वारा उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है और क्या आयोग ने समय बढ़ाने की मांग की है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) हालांकि आयोग के प्रश्नावली की प्रतियां अनेक अकाली नेताओं को भेजी गयी थीं, लेकिन अकालियों के किसी प्रवक्ता द्वारा उनके दृष्टिकोण आयोग को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

(ग) आयोग की अवधि को एक वर्ष अर्थात् 30 जून, 1986 तक बढ़ा दिया गया है ताकि यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके ।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड की गतिविधियों को रोकना

346. श्री बाजूबन रियान : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड के नाम से बर्मा और भारत सीमा पर नागा क्षेत्रों में कार्य कर रहे विद्रोहियों ने पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय कई उग्रवादी समूहों के साथ गठबन्धन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड की इस प्रकार की उग्रवादी गतिविधियों को रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). सरकार को नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ उग्रवादी दलों के बीच सम्पर्क की जानकारी है ।

(ग) और (घ). सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं । उग्रवादियों की सीमापार की हरकतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और स्थानीय आसूचना को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

पूर्वोत्तर राज्यों में फैला उग्रवादियों और पृथकतावादियों का जाल

347. श्री जी० जी० स्वैल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने आसाम के मुख्य मंत्री के समाचार पत्रों में छपे उस वक्तव्य को देखा है

जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में फैले उग्रवादियों और पृथकवादियों के एक जाल का भंडा-फोड़ करने का दावा किया है;

(ख) क्या वे मेघालय में उग्रवादी दल की पहचान बताने की स्थिति में हैं; और

(ग) क्या अपने आप को 'इण्टर-नेशनल वकिंग ग्रुप फार इंडीजीनियर्स अफेअर्स कहने वाले एक संगठन के बारे में कोपेनहेगन स्थित भारतीय दूतावास से रिपोर्ट मांगी गई है और जो, प्राप्त हो गयी है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मेघालय में कई उग्रवादी वर्ग नहीं है।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

असम नागालैंड सीमा विवाद

348. **श्री जी० जी० स्वैल :**

श्री एस० एम० गुरड्डी :

श्री बी० तुलसी राम :

प्रो० के० के० तिवारी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम नागालैंड सीमा पर मेरापानी क्षेत्र में जून के पहले सप्ताह में असम और नागालैंड के पुलिस बलों के बीच हुए झगड़े और गोलाबारी में अनेक जानें गयीं;

(ख) कितने घरों में आग लगायी गयी और कितने लोग बेघर हो गये;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की संभावना के लिए चेतावनी दी गयी थी; और

(घ) क्या सरकार का विचार परस्पर जुड़े क्षेत्रों में, न केवल असम और नागालैंड के बीच बल्कि असम और उससे लगे राज्यों और अन्य राज्यों के बीच के सीमा विवादों के सम्बन्ध में समझौते कराने के लिए कार्यवाही करने का है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख). सम्बन्धित राज्य सरकारों के अनुसार इन झगड़ों में असम पुलिस के 28 कार्मिक, नागालैंड के 6 कार्मिक और असम के 13 असैनिक मारे गये थे। बताया जाता है 2325 मकान जलाये गये हैं और 32, 229 लोग बेघर हो गये हैं।

(ग) केन्द्र सरकार शांति व सद्भाव बनाये रखने के लिए पूर्ण नियंत्रण तथा संयम रखने और स्थानीय विवादों को सद्भाव पूर्ण ढंग से विचार-विमर्श के जरिये निपटाने के लिए दोनों राज्य सरकारों को सलाह देती रही है।

(घ) ऐसे विवाद, सम्बन्धित राज्य सरकारों की ओर से केवल बातचीत तथा समझदारी की भावना से हल किये जा सकते हैं; और केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में पूरा सहयोग करेगी।

[हिन्दी]

नदी तथा अन्य जल का प्रदूषण

349. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 में अनेक त्रुटियाँ होने के कारण सरकार नदी तथा अन्य जल के प्रदूषण को रोकने में असमर्थ है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधान लाने का है और यदि हाँ, तो कब;

(ग) दिल्ली में इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और उन्हें दण्ड दिया गया है; और

(घ) कितने व्यक्तियों, उद्योगों और संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में मामले लंबित पड़े हैं और ये कब से लंबित पड़े हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) तथा (ख). जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 एक व्यापक कानून है जिसमें जल के रख-रखाव या स्वास्थ्यवर्धकता को बनाये रखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। तथापि, कार्यान्वियन के कुछेक क्षेत्रों में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों ने कुछ कठिनाइयां व्यक्त की हैं। संशोधन हेतु कुछ सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ). विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1160/85]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार

350. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन से यह पता चला है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 26 प्रतिशत परिवार लाभान्वित नहीं हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). जी, नहीं। ऐसे प्रतिदर्श लाभग्राहियों का अनुपात, 89.57 है, जिन्होंने यह सूचित किया है कि उन्हें इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचा है। मूल्यांकन रिपोर्ट में 1170 चुने हुए प्रतिदर्श परिवारों पर कार्यक्रम के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इनमें से लगभग 26 प्रतिशत परिवार पहले से ही 3500 रु० और अधिक वार्षिक आय वाले ग्रुप (कोष्ठक) में थे और इस प्रकार उन्हें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिए पात्र नहीं माना गया था। शेष परिवारों में से 49.4 प्रतिशत परिवार 3500 रु० और अधिक वार्षिक आय स्तर तक पहुँच गए।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 36.2 प्रतिशत प्रतिदर्श लाभग्राहियों ने सूचित किया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें शामिल किए जाने पर उन्हें अपने सामाजिक स्तर में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है।

[अनुवाद]

एयर इण्डिया विमान "कनिष्क" की दुर्घटना की जांच

351. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :**

श्री विष्णु मोदी :

श्री एन० डेनिस :

श्री वी० बी० देसाई :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

डा० गौरीशंकर राजहंस :

श्री बृजमोहन महन्ती :

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अटलांटिक महासागर में एयर इण्डिया के विमान "कनिष्क" की हाल ही में हुई दुर्घटना की जांच के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) ब्लैक बाक्स को गहरे समुद्र से खोज निकालने की क्या संभावनायें हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) दुर्घटना के औपचारिक अन्वेषण के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त न्यायालय से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1985 तक पेश कर दें। न्यायालय ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) 6,000 फुट से अधिक गहराई से ब्लैक बाक्स निकाला जा चुका है।

गंगा में जल प्रदूषण रोकना

352. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा में जल में प्रदूषण रोकने का कार्यक्रम कब शुरू हुआ;

(ख) पश्चिमी बंगाल तक यह प्रयोगात्मक रूप में कब तक पहुंच जाएगा; और

(ग) समस्त कार्यक्रम पर अनुमानतः कितना खर्च होगा तथा गंगा में मछली उत्पादन में इस कार्यक्रम से वास्तव में कितना लाभ पहुंचेगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) गंगा के प्रदूषण के निवारण के लिए कार्यक्रम को शुरू करने का सरकारी निर्णय 5 जनवरी, 1985 को प्रधान मन्त्री जी द्वारा घोषित किया गया था। सरकार द्वारा कार्यवाही योजना अप्रैल, 1985 में अनुमोदित की गयी थी।

(ख) कार्यवाही योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल भी है।

(ग) 1985-90 के दौरान प्रथम चरण के लिए निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन की लागत

अन्तरिम रूप से 250 करोड़ रुपए की धनराशि अनुमानित की गयी है। कार्यवाही योजना के कार्यान्वयन से गंगा नदी में जल की गुणवत्ता में सुधार होगा जिससे मछली पालन में लाभ होने की आशा की गयी है। बहरहाल, इस अवस्था में प्रत्याशित लाभ की मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

सियोल में 1986 के एशियाई खेलों के लिए प्रशिक्षक

353. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने यह जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया है कि सियोल में 1986 में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के लिए किन-किन खेलों के लिए राष्ट्रीय और विदेशी प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग). कुछ समय पहले राष्ट्रीय खेल संघों से अनुरोध किया गया था कि दसवें एशियाई के लिए अपनी टीमों को तैयार करने के लिए अपने मुख्य प्रशिक्षकों के नाम दें। इस प्रयोजनार्थ सरकार अनुमोदित वित्तीय पद्धति जिसमें निःशुल्क आवास और भोजन तथा मैदान तैयार करने, खेल उपस्कर आदि की खरीद के लिए अनुदान की भी व्यवस्था है, के अनुसार भारतीय टीमों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देती है।

स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केन्द्र

354. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश अब में तक कितने स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) इस प्रकार के केन्द्र कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ग) क्या देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरी करने हेतु सरकार का कुछ और स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों मे राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). तमिलनाडु मैं कलपाक्कम स्थित मद्रास परमाणु बिजली घर का पहला यूनिटहमारे देश में काम कर रहा पहला स्वदेशी परमाणु विद्युत यूनिट है। आशा है कि कलापाक्कम में दूसरा यूनिट अगस्त, 1985 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेगा। उत्तर प्रदेश में नरोरा, गुजरात में ककरापार, कर्नाटक में कैगा और राजस्थान में रावतभाटा में ऐसे स्वदेशी बिजलीघर लगाए जा रहे हैं जिनमेंसे प्रत्येक में दो यूनिट होंगे और प्रत्येक यूनिट को क्षमता 235 मेगावाट होगी।

(ग) जी, हां।

सातवीं योजना के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए परिव्यय

355. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कितने परिव्यय का प्रस्ताव है;

(ख) इस योजनावधि के लिए उक्त प्रयोजन के लिए उड़ीसा राज्य को कितनी राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) 1985-86 के वित्तीय वर्ष में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उड़ीसा को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). योजना आयोग इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार कर लेने के बाद ही योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा। इसलिए, क्षेत्रीय अथवा राज्यवार परियोजना के बारे में कुछ बताना सम्भव नहीं होगा।

(ग) राज्य योजना में 1985-86 के दौरान वैज्ञानिक सेवाओं तथा अनुसंधान के लिए 70 लाख रु० की राशि की व्यवस्था की गई है।

पेड़ लगाकर प्रदूषण पर नियंत्रण

356. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों आदि से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाना लाभदायक है;

(ख) यदि हां, तो यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि प्रदूषण को कम करने में किस प्रकार के पेड़ लगाना विशेष रूप से लाभदायक है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने पेड़ लगाए गए है और उनमें से कितने पेड़ लगे हैं;

(घ) क्या आमतौर पर लगाए गए पेड़ झाड़ीनुमा हैं जो कि प्रदूषण को कम करना तो दूर छाया तक के लिए कोई योगदान नहीं करते हैं;

(ङ) उचित समय पर ठीक तरह के पेड़ लगाने और यह सुनिश्चित करने कि वृक्षारोपण समारोह के पश्चात उनकी देखभाल भी हो, क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या और उनमें से जमने वाले पेड़ों की संख्या के बारे में तिमाही रिपोर्ट मंगायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स, बम्बई, कलकत्ता विश्वविद्यालय आदि ने अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर प्रदूषण को बरदाश्त करने वाली कई पेड़ों की प्रजातियों की पहचान की गई। पर्यावरण विभाग भी वायु प्रदूषकों के प्रति वृक्ष संवेदनों पर एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना प्रारम्भ कर रहा है। इस कार्य में बल इस बात पर दिया जायेगा कि विभिन्न क्षेत्रों में वायु-प्रदूषण कम करने हेतु उचित प्रजाति की पहचान हो।

(ग) वायु-प्रदूषण कम करने के लिए वृक्षारोपण का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। बहरहाल वृक्षारोपण की आम योजना में कुछ प्रदूषण को बरदाश्त करने वाली प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देती है कि नवोद्‌भिदालयों में उगायी जाने वाली वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां, उस विशेष क्षेत्र अथवा स्थान में मौजूद मिट्टी एवं जलवायु की स्थितियों के योग्य हों। वृक्ष लगाने की ऋतु के काफी समय पहले, नवोद्‌भिद उपलब्ध कराये जाते हैं तथा प्रजातियों के चुनाव एव रोपाई के बाद किए जाने वाले उपायों के बारे में उनको उचित सलाह दी जाती हे। कुछ राज्यों ने जम जाने वाले वृक्षों के नवोद्‌भिदों के आधार पर प्रोत्साहन देने की योजनाएं प्रारम्भ की हैं।

(च) सरकार, किस हद तक वृक्ष लगाये गये हैं इसकी आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करती है। उत्तरजीवित का आमतौर से वृक्ष लगाने के बाद ग्रीष्म में आंकलन किया जाता है।

शिकायत तंत्र की स्थापना

357. **डा० जी० विजयरामा राव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कर्मचारियों सहित सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने को अन्य प्राथमिकता दी जाएगी और यदि हां, तो इसके लिए बनाए गए आधार मूल ढांचे का ब्योरा क्या है;

(ख) प्रधान मन्त्री को अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार लोकपालों और लोकायुक्तों के पद बनाने का है;

(घ) क्या प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और अब तक कितनी शिकायत दर्ज की गई है और उनका निपटान किया गया है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री(श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। व्यापक जन सम्पर्क रखने वाले मंत्रालयों को लोक शिकायतों को दूर करने से सम्बन्धित आन्तरिक प्रबन्धों में सुधार लाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए कहा गया है। टेलीफोन, रेलवे तथा डाक जैसे उन विभागों में विशेष प्रबन्ध किए गए हैं जिनका जनता से व्यापक सम्पर्क है। मार्च, 1985 में स्थापित प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को लोक शिकायतों को दूर करने से सम्बन्धित मामलों में नीति निर्माण करने और उनका समन्वय करने के लिए मुख्य उत्तरदायित्व दिया गया है।

(ख) प्रधान मन्त्री के कार्यालय में प्रतिदिन 1500 से 2000 शिकायत सम्बन्धी आवेदन प्राप्त होते हैं। कार्रवाई के लिए अपेक्षित सभी आवेदनों को सम्बन्धित राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

(ग) उच्च स्तर के पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ). एक मुख्य बेंच तथा अन्य अतिरिक्त बेंचों सहित केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने पर कार्रवाई चल रही है।

बायोगैस संयंत्र

358. डा० जी० विजयरामा राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने बायोगैस संयंत्र हैं;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में और अधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे कितने गैस संयंत्र स्थापित किए जायेंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य-मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) और (ग). 1985-86 के लिए राज्य-वार लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। बायोगैस संयंत्रों को स्थापित करने के लिए सातवीं योजना के प्रावधानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के सम्बन्ध में राज्य-वार वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं।

विवरण-1

क्र० सं	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	1974-75 से 1985-86 (मई, 1985 तक) के दौरान लगाए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या	30.6.1985 को मई, 1985 तक पूर्ण हुए सामुदायिक/ संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	35,187	15
2.	असम	1,249	1
3.	बिहार	31,233	—
4.	गुजरात	34,004	7
5.	हरियाणा	19,163	3
6.	कर्नाटक	29,301	2
7.	केरल	8,510*	1
8.	महाराष्ट्र	1,03,480	8
9.	मध्य प्रदेश	20,335	14

*1974-75 से 1985-86 (अप्रेल, 1985 तक) तक की अवधि के लिए सूचना दी गई है।

1	2	3	4
10.	उड़ीसा	7,777	1
11.	पंजाब	10,581	12
12.	राजस्थान	16,572	14
13.	तमिलनाडु	39,238	4
14.	उत्तर प्रदेश	1,01,009	18
15.	पश्चिम बंगाल	8,735	1
16.	अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	6,535	3
	कुल	4.72.909	104

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य	लक्ष्य (संयंत्रों की संख्या)
1.	आन्ध्र प्रदेश	19,200
2.	असम	640
3.	बिहार	6,400
4.	गुजरात	3,840
5.	हरियाणा	1,760
6.	जम्मू और काश्मीर	120
7.	कर्नाटक	4,800
8.	केरल	1,920
9.	महाराष्ट्र	24,320
10.	मध्य प्रदेश	2,220
11.	उड़ीसा	1,920
12.	पंजाब	1,280
13.	राजस्थान	3,840
14.	तमिलनाडु	9,600
15.	उत्तर प्रदेश	12,800
16.	पश्चिम बंगाल	2,220

17.	हिमाचल प्रदेश	1,920
18.	पांडिचेरी	60
19.	गोवा, दमन और दीव	60
20.	दिल्ली	60
21.	अन्य	300
22.	खादी ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०)	16,000
	कुल	1,15,280

अधिवर्षता के पश्चात् सेवावधि को बढ़ाया जाना

359. **श्री ई० अयप्पु रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिवर्षता प्राप्त होने के पश्चात् कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाये जाने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सेवावधि बढ़ाने के समय कर्मचारियों के सेवा-वृत्तांत को ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय कितने कर्मचारियों की सेवावधि को बढ़ाया गया है और उनकी सेवावधि बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). अधिवर्षिता के पश्चात् किसी सरकारी कर्मचारी की सेवावधि केवल लोक हित में बहुत ही असाधारण और आपवादिक परिस्थितियों में ही बढ़ाई जाती है, जबकि या तो कोई अन्य अधिकारी पद का कार्य भार सम्भालने के लिए परिपक्व न हो अथवा सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता रखता हो। सेवावधि बढ़ाये जाने से पूर्व सरकारी कर्मचारियों की चरित्र पंजी तथा अन्य संगत रिकार्डों की सावधानी पूर्वक जांच की जाती है।

(ग) चूंकि सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के उपयुक्त प्राधिकारी मन्त्रालयों विभागों में तथा इनके अधीन कार्यालयों में कार्य करने वाले विभिन्न समूहों से सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाने के लिए सक्षम हैं, अत: ऐसे कर्मचारी जो फिलहाल सेवावृद्धि पर कार्य कर रहे हैं; की संख्या के बारे में सूचना इस विभाग में केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है।

रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना

360. **श्री ई० अयप्पु रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेगिस्तान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए अवश्य कुछ करना होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) केन्द्रीय शुष्क प्रादेशिक अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के अध्ययनों के अनुसार, थार मरुस्थल फैलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, अध्ययनों से पता लगा है कि वनस्पति एवं भू-संसाधनों के अत्यधिक दुरुपयोग से मरुस्थल की शुष्क हालात और गम्भीर हो गयी है।

(ख) मिट्टी के टीलों के स्थाईकरण, वनीकरण, चारागाह विकास तथा सुधरी हुई फसल में पानी देने की तकनीकीयों जैसे उपायों के माध्यम से जमीन की उत्पादकता बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य से कई विभागों द्वारा मरुस्थलीकरण के नियन्त्रण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का मरुस्थल विकास कार्यक्रम सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम एवं समन्वित पारि-विकास कार्यक्रम के तहत क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन्दिरा गांधी नहर जाल का उद्देश्य, अधिक क्षेत्र को सिंचित कृषि के तहत लाना है। बीकानेर के कृत्रिक बल एवं पुष्कर झील के पारि-विकास कार्यक्रम का उद्देश्य भी मरु-क्षेत्र का समन्वित विकास है।

राज्य आयोजना निकायों में निगरानी एककों को सक्षम बनाना

361. **श्री हरिहर सोरन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजनावधि के दौरान राज्य आयोजना निकायों में निगरानी एककों को सुदृढ़ करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त योजनावधि में सरकारी क्षेत्र के निगमों और प्रमुख परियोजनाओं के महत्वपूर्ण तकनीकी विभागों में पृथक निगरानी एकक स्थापित करने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां, "राज्यों में आयोजना तंत्र को सुदृढ़" करने सम्बन्धी स्कीम जारी रखने का विचार है जिसमें सातवीं योजनावधि के दौरान भी राज्य आयोजना निकायों में निगरानी एकक को सुदृढ़ करना शामिल है।

(ख) और (ग). सातवीं योजनावधि के दौरान, राज्य तथा जिला स्तर पर मानीटरिंग तथा सूचना पद्धति सम्बन्धी कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि महत्वपूर्ण तकनीकी विभागों, सरकारी क्षेत्र के निगमों और मुख्य परियोजनाओं में मानीटरिंग एकक स्थापित करने की आवश्यकता है। इन सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

एयर इंडिया बोइंग 747 का दुर्घटनाग्रस्त होना

362. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनाडा सरकार को, उनके हवाई अड्डे पर अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए, जिनके कारण "कनिष्क" दुर्घटना हुई, अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की;

(ख) शवों का तथा दुर्घटना के कारण का पता लगाने में कौन-कौन से देशों ने सहायता की; और

(ग) क्या इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय मजबूत करने हेतु सभी देशों से सम्पर्क किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) अमरीका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और फ्रांस ने शवों तथा विमान के मलबे को ढूंढने में सहायता की है। अमरीका और कनाड़ा के प्रतिनिधि दुर्घटना की जांच में सहयोजित हैं।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन जिसका भारत भी एक सदस्य है और जो अन्य बातों के अलावा विश्व भर में अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन की सुरक्षा और क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, विभिन्न सदस्य देशों के हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों की पुनरीक्षा कर रहा है।

गंगा जल को साफ करना

363. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कार्यवाही योजना की संचालन समिति ने 1.2 करोड़ की अनुमानित लागत से शीघ्र पूरा होने वाली कई योजनाओं की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो गंगा जल को साफ करने के लिए चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली अन्य योजनायें कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या योजना आयोग, गंगा परियोजना हेतु चालू वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपए आबंटित करने के लिए सहमत हो गया है और परियोजना-निदेशालय को 1 करोड़ तक की योजना को अनुमोदित करने के लिए विशेष अधिकार दिये गए थे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान कितनी योजनाओं को शुरू किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां; । गंगा कार्यवाही योजना की संचालन समिति ने उत्तर प्रदेश मे हरिद्वार तथा ऋषिकेष में गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए 96,20,000 रुपए (छियानवे लाख, बीस हजार रुपए) की कुल निर्माण लागत से दो परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों से कुछ अन्य योजनायें भी प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह आशा की गई है कि वर्ष के दौरान कुछ और योजनाएं स्वीकृत की जायेंगी लेकिन सही संख्या बताना संभव नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उग्रवादी समूहों की गतिविधियां

364. **श्री नारायण चौबे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न विघटनकारी तथा उग्रवादी समूहों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में छपे समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) ये समाचार कहां तक सच हैं तथा इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने आतंकवाद का सामना करने के लिए अर्ध सैन्य बलों की कुछ और टुकड़ियाँ माँगी हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). किसी विशिष्ट समाचार के सन्दर्भ के अभाव में, सरकारी प्रतिक्रिया बताना सम्भव नहीं है। तथापि, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विघटनकारी और उग्रवादी समूहों की गतिविधियों के बारे में सरकार अवगत है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) अर्धसैनिक बलों की समग्र कमी के वावजूद, त्रिपुरा में इस प्रकार के बलों की संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई है।

अल्वाय स्थित "रेयर अर्थ्स प्लांट" का आधुनिकीकरण

365. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अल्वाय में स्थित रेयर अर्थ्स संयंत्र का पिछले दो दशकों से अधुनिकीकरण नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस समय इस संयंत्र के आधुनिकीकरण की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). केरल में आल्वे स्थित रेअर अर्थ्स संयंत्र सन् 1952 से अपनी स्थापित क्षमता पर काम करता रहा है और जब-जब भी आवश्यक पाया गया है तब-तब इस संयंत्र में परिवर्धन और सुधार किए गए हैं। इस संयंत्र की लगभग 2 करोड़ रुपए लागत की आधुनिकीकरण की योजना में अतिरिक्त मशीनें और उपस्कर लगाना, फिल्टर केकों का हस्तन यन्त्रों की सहायता से करने के लिए उपस्कर लगाना, भंडारण की सुविधाओं का विस्तार करना तथा अन्य सुविधाए शामिल हैं। इस योजना में मोनाजाइट से हीलियम और विकिरणसक्रिय केकों से यूरेनियम निकालने वाली सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है।

कोयम्बटूर में नया हवाई अड्डा

366. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर में नए हवाई अड्डे का निर्माण कार्य इस समय किस स्थिति में है;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कोयम्बटूर पर धावनपथ के विस्तार तथा मजबूत करने के कार्य के प्राकलन तैयार कर लिए गए हैं। प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्तस्थ भवन के विस्तार तथा सुधार के लिए प्रारम्भिक ड्राइंग तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) धावनपथ के विस्तार के लिए, भूमि अधिग्रहण पर अब तक 18.85 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) धावनपथ के विस्तार तथा मजबूत करने सम्बन्धी कार्य के इसके स्वीकृत होने के पश्चात लगभग 18 महीनों में पूरा होने की सम्भावना है। अंतस्थभवन में परिवर्तन से सम्बन्धी कार्य के जुलाई, 1987 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी उड़ानें

367. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी उड़ानों की बारम्बारता में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). 1 जून, 1985 से प्रभावी ग्रीष्म-कालीन सारणी में इण्डियन एयरलाइन्स ने पहले ही दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम सेवा की आवृति सप्ताह में चार दिन से बढ़ाकर दैनिक कर दी है।

उड़ीसा के जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए माइक्रो परियोजना

368. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के जनजातिय क्षेत्रों में छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई तथा सातवीं पचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली माइक्रो परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में माइक्रो-परियोजना-वार कितने गांवों को शामिल किया गया कितने मूल आदिवासी परिवारों को लाभ मिला, कितनी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए और कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कार्यरत माइक्रो परियोजनाओं के नाम नीचे दिये गये हैं :

(1) धेनकानल जिले के पालाहारा ब्लाक में पौड़ी भूईया विकास एजेंसी।

(2) कोरापुट जिले के खेरपुर-ब्लाक में बोन्डा विकास एजेन्सी।

(3) कोरापुट जिले के बीसम-कटक तथा मुनिगुडा ब्लाकों में डोंगरिया कौंध विकास एजेन्सी।

(4) गंजम जिले में मोहाना तथा आर० उदयगिरि ब्लाकों में सओरा विकास एजेन्सी।

(5) गंजम जिले के पतरापुर ब्लाक में थुम्बा विकास एजेन्सी।

(6) गंजम जिले के गुम्मा तथा नुआगढ़ ब्लाकों में लान्जियां सओरा विकास एजेन्सी।

(7) फलबनी जिले कोंटगढ़ तथा टुमुडीबन्धा ब्लोकों में कुटिया कोंध विकास एजेन्सी।

(8) क्योंझर जिले के बान्सपाल ब्लाक में जुआंग विकास एजेन्सी।

(9) सुन्दरगढ़ जिले में लाहुनीपारा तथा बोनाई ब्लाकों में पौड़ी भुनिया विकास एजेन्सी।

(10) कोरापुट जिले के उपखंड गुन्नुपुर में सागदा जी० पी० में लाँजिया सौरा विकास एजेंसी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में माइक्रो परियोजना के दौरान मूल आदिवासी समूहों को पहले ही पहचान लिया गया है, नामंत: लोधा, मनकिडिया, बिरहौर, दिदायी, खारिया का प्रस्ताव रखा गया है।

(ख) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है तथा मिलने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्र द्वारा परिरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किए गए उड़ीसा के स्मारक और मन्दिर

370. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संस्कृत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर के नए पुरातत्व मण्डल ने केन्द्र द्वारा परिरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किए जाने हेतु उड़ीसा में ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों और मन्दिरों का पता लगाया है;

(ख) क्या उक्त मण्डल ने अपने अस्तित्व में आने के तुरन्त बाद राज्य के विभिन्न जिलों का सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मण्डल द्वारा अब तक संरक्षण, परिरक्षण ओर खुदाई का कितना कार्य किया गया है और खुदाई के लिए कौन से नए स्थानों का चयन किया गया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) उड़ीसा में राष्ट्रपति महत्व के रूप में तथा केन्द्रीय संरक्षण के अन्तर्गत अधिसूचित 66 स्मारकों और स्थलों के अतिरिक्त भुवनेश्वर स्थित नया पुरातत्व मण्डल संरक्षण के लिए विचारार्थ स्मारकों का पता लगाने हेतु क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है।

(ख) इसके गठन के बाद मण्डल ने खुदाई के लिए प्राचीन स्थलों का पता लगाने और पुरातत्वीय अवशेषों के संरक्षण पर विचार करने के लिए मारागुडा घाटी, जिला कालाहांडी का सर्वेक्षण किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की मरम्मत और रख-रखाव का कार्य, उनकी अलग-अलग आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद, मण्डल द्वारा किया जा रहा है स्मारकों के नियमित रख-रखाव के अतिरिक्त पुरी स्थित नरसिंह मन्दिर में मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। उड़ीसा में ललितगिरि, उदयगिरि और शिशुपालगढ़ में खुदाई कार्य शुरू करने का विचार है।

मध्य प्रदेश में पेड़ों का काटा जाना

371. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मध्य प्रदेश में लगातार पेड़ों को काटे जाने के कारण ईंधन की लकड़ी और चारे की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है और इसके साथ-साथ पर्यावरण असंतुलन में भी वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पेड़ों को काटे जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण का उचित सन्तुलन बनाए रखने के लिए ईंधन की लकड़ी के लिए पेड़ और चारे के पौधे लगाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है;

(घ) मध्य प्रदेश में यह योजना किस सीमा तक कार्यान्वित की गई है; और

(ङ) इस योजना के कार्यान्वियन में तेजी लाने के लिए मध्य प्रदेशों को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) सरकार को भारत के अनेक अन्य भागों की तरह मध्य प्रदेश में वृक्षों की अवैध कटाई और ईंधन की लकड़ी तथा चारे की कमी संबंधी समस्याओं की जानकारी है।

(ख) निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(1) वृक्षों की अवैध कटाई और वन उत्पाद को हटाने की रोकथाम करना;

(2) भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना;

(3) अपराधियों को कड़ी सजा की व्यवस्था करना;

(4) राज्य से बाहर ईंधन की लकड़ी तथा काठकोयला के संचालन को समाप्त करना;

(5) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को कड़ाई से लागू करना, जिसके तहत वन भूमि का गैर-वानिकी कार्यों में उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार को पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है;

(6) बंजर भूमि विकास कार्यक्रम।

(ग) और (घ). छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान "ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के रोपण सहित सामाजिक वानिकी" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के ईंधन की लकड़ी की कमी वाले 15 जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। छठी योजना के दौरान 36,500 हैक्टार क्षेत्र में वृक्षारोपण और निजी जोतों में वृक्ष लगाने के लिए लगभग 13.80 करोड़ पौधों का वितरण किया गया। इस योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखा जा रहा है।

(ङ) इस सम्बन्ध में समय-समय पर मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को जारी किए गए मार्ग दर्शी सिद्धान्तों से निम्नलिखित बातों का पता चलता है :

(1) पौद के वितरण सहित वनरोपण की गति में उपयुक्त रूप से तेजी लायी जानी चाहिए।

(2) फार्म वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों की पौद का निशुल्क वितरण किया जाए।

(3) "प्रत्येक बच्चे के लिए एक पेड़" कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को शामिल किया जाए, ताकि उनमें वृक्ष लगाने की चेतना जागृत हो सके।

(4) यद्यपि ईंधन की लकड़ी और चारे की प्रजातियों पर बल दिया जाना चाहिए परन्तु प्रजातियों की संरचना के कम से कम 20 प्रतिशत भाग में फलदार वृक्ष लगाये जाने चाहिए।

(5) ईंधन के वृक्ष और चारा उगाने के लिए बंजर भूमि, अन्त: खेती बान्धों, रेल, सड़क और नहर के किनारों का उपयोग किया जाना चाहिए।

थिम्पू वार्ता के लिए भारत और भूटान द्वारा दिया गया समर्थन और सहयोग

372. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधियों और तमिल नेताओं के बीच थिम्पू-वार्ता के लिए भारत और भूटान द्वारा दिए जा रहे समर्थन और सहयोग के बारे में श्रीलंका के एक उच्चस्तरीय दल की भारत सरकार से बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें चर्चित मुख्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) श्रीलंका के अधिकारियों का एक दल 27/28 जून को भारत आया था और उसने श्रीलंका सरकार तथा तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चे तथा तमिल विद्रोही संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच थिम्पू में आयोजित वार्ता के लिए भारत द्वारा उपलब्ध कराई जा रही संभार तन्त्र विषयक सहायता पर विचार विमर्श किया था।

(ख) बातचीत मुख्यत: विचार विमर्श के लिए किए गए प्रबन्धों से संबंधित थी। सरकार इस बात से बहुत प्रसन्न है कि भूटान की शाही सरकार ने थिम्पू में बातचीत करने की व्यवस्था करने के लिए अपना सहयोग दिया।

योजना आयोग में लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

373. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के पास कितनी सिंचाई परियोजना रिपोर्टें मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं की राज्यवार सूची क्या है और परियोजना रिपोर्टों की प्राप्ति की तारीखें क्या हैं और इन परियोजनाओं को अब तक मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). योजना आयोग के पास लम्बित सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार सूची दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना आयोग में लम्बित बड़ी और माध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सूची

क्रम संख्या	स्कीमों का नाम	योजना आयोग द्वारा स्थापित सलाहकार समिति द्वारा प्राप्ति की तारीख	लम्बित के कारण
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	सिगूर	3-9-84	(1) "डिजाइन फ्लैड" की समीक्षा जरूरी थी केन्द्रीय जल आयोग को राज्य के साथ परामर्श करके परीक्षण के लिए कहा गया था। अपेक्षित सूचना आनी है।

		(2) हरी पट्टी और पुरातात्विक स्थलों को पुन: स्थापित करने की लागत संबंधी स्पष्टीकरण जिसे केन्द्रीय जल आयोग को पर्यावरण विभाग/राज्य सरकार से प्राप्त करना था, अभी प्राप्त नहीं है।
2. बुगवनका जलाशय स्कीम	3-9-84	(1) जंगलात की भूमि के डुबने के संबंध में वन विभाग की सहमति की प्रतिक्षा है।
3. असम		
पुथीमरी	24-7-81	(1) राज्य की वित्तीय सहमति की प्रतीक्षा है।
4. बिहार		
एन० कोल	19-3-80	(1) परियोजना के सम्भरण क्षेत्र में वन लगाने की आंशिक लागत लेने से सम्बन्धित पर्यावरण विभाग से अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा है।
5. मसान	28-11-80	(1) राज्य के वित्तीय विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है। (2) पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
6. सुबर्नरेखा बहुउद्देशीय (बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल)	30-6-82	(1) पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है। (2) अंतरराज्य दृष्टि से सिंचाई विभाग को अनुमति देनी है।
7. सोन आधुनिकीकरण प्रावस्था—1	24-9-83	(1) सातवीं योजना के लिए कुल सिंचाई परिसिमन के अन्तर्गत, परियोजना के लिए निधियों की उपलब्धता के बारे में राज्य से सूचना मिल जाने पर ही इस पर विचार किया जाएगा।
8. उपरी सरकारी जलाशय	24-9-84	(1) अन्तरर्राष्ट्रीय दृष्टि से सिंचाई विभाग की अनुमति की प्रतीक्षा है, (2) राज्य के वित्त और योजना विभागों की सहमति की प्रतीक्षा है। (3) पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण विभाग की अनुमति की प्रतीक्षा है।

		(4) परियोजना का मंजूर करना सातवीं योजना में परियोजना के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।
गुजरात		
9. सरदार सरोवर परियोजना	6-1-83	(1) पर्यावरण की दृष्टि से अनुमति की प्रतीक्षा है।
10. बितरक	1-12-83	(1) अन्तर्राजीय दृष्टि से सिंचाई विभाग की विशेष तौर पर अनुमति की प्रतीक्षा है।
11. खारीकुट नहर का आधुनिकीकरण	1-12-3	(1) केन्द्रीय जल आयोग से राज्य की सातवीं योजना में निधियों की उपलब्धता और नवीनतम लागत के बारे में कुछ विशेष स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
जम्मू और कश्मीर		
12. रावी नहर	24-9-84	(1) शाहपुर कांडी बांध के बिना जिस वार्षिक सिंचित क्षेत्र का विकास किया जाता है उसके बारे में सूचना की प्रतीक्षा है, इस परियोजना में शाहपुर कांडी के हिस्से की प्रभारीय लागत के लिए अन्तर्राराजीय अनुमति की प्रतीक्षा है। राज्य के विनीय और योजना विभाग की अनुमति की प्रतीक्षा है।
13. राजपुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	22-3-84	(1) राज्य के वित्त विभाग की अनुमति की प्रतीक्षा है।
मध्य प्रदेश		
14. माहान	7-6-83	(1) परियोजना के जलसम्भरण क्षेत्र में वन लगाने की आंशिक लागत लेने के प्रश्न पर पर्यावरण विभाग के अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है।
15. राजघाट नहर	6-1-83	(1) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके क्षेत्र में दतिया वाहक नहर के बारे में सहमति योजना आयोग में प्राप्त नहीं हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद में उठाने का प्रस्ताव किया है।

16. सिंध नदी सिंचाई प्रावस्था—2	1-12-83	(1) राज्य के वित्तीय विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
17. नर्मदा सागर	22-3-84	(1) पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है।
		(2) नर्मदा सागर बांध की लागत में गुजरात सरकार द्वारा हिस्सा बटाने से सम्बन्धित विशिष्ट सहमति योजना आयोग में प्राप्त और सूचित नहीं हुई है।
18. गेज	3-9-84	(1) राज्य के वित्त विभाग की विशिष्ट सहमति की प्रतीक्षा है।
19. महोल	24-9-80	(1) राज्य के वित्त विभाग और योजना विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
महाराष्ट्र		
20. खैरी	22-3-84	(1) राज्य के वित्त विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
21. पंजान	22-3-84	(1) राज्य के वित्त विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
22. महानुर	22-3-84	राज्य के वित्त विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
23. हतवनी	3-9-84	(1) केन्द्रीय जल आयोग से नवीनतम लागत के निमित संशोधित लाभकारी लागत अनुपात की प्रतीक्षा है।
		(2) राज्य के वित्त और योजना विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
24. मन	3-9-84	(1) उपयुक्त प्राधिकरण से वन सम्बन्धी अनुमति की प्रतीक्षा है।
		(2) राज्य के वित्त और योजना विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
25. थम्पापुरी	3-9-84	(1) केन्द्रीय जल आयोग से नवीनतम लागत के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
		(2) राज्य के वित्त विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
		(3) महाराष्ट्र परियोजना विस्थापित व्यक्तियों का पुनः स्थापन अधिनियम,

			1976 की रूपरेखा पर जल आयलाभित क्षेत्रों से निकाले गए लोगों की पुनः स्थापना के बारे में अभी पुष्टि होनी है।
26.	सकोल	3-9-84	(1) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अन्तर्राजीय जल पहलुओं से जांच की जानी है और इस जांच के विवरणों की प्रतीक्षा है।
27.	रेनगांव	3-9-84	(1) राज्य के वित्त विभाग की विशिष्ट सहमति की प्रतीक्षा है।
28.	तराली	24-9-84	(1) राज्य के वित्त और योजना विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
	उड़ीसा		
29.	सपुआबजोर	24-9-84	(1) वन की दृष्टि से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
	राजस्थान		
30.	गम्भीरी नहर व्यवस्था का आधुनिकीकरण	3-9-84	(1) अन्तर्राजीय पहलुओं से सम्बन्धित सिंचाई विभाग के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
31.	पंचणा सिंचाई स्कीम	1-12-83	(1) डिजाइन बाढ़ जल निकासी आदि पर केन्द्रीय जल आयोग के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
32.	वैगन सिंचाई स्कीम	22-3-84	(1) राज्य के वित्त विभाग की सहमति की प्रतीक्षा है।
	उत्तर प्रदेश		
33.	मोदाह बांध परियोजना	21-11-79	(1) परियोजना के पर्यावरणीय स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
	पश्चिम बंगाल		
34.	उपरी कंगसरवती	7-6-80	(1) पर्यावरण की दृष्टि से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रोनिक उद्योग की स्थापना

374. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में किन-किन स्थानों में इलेक्ट्रोनिक उद्योगों की स्थापना की सिफारिश की गयी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इलेक्ट्रोनिक्स के प्रस्तावित विकास के लिए हिमाचल प्रदेश की जलवायु को उपयुक्त समझती है; और

(ग) यदि हां, तो इन उद्योगों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं प्राप्त हुई है। किन्तु, यह समझा जाता है कि राज्य सरकार सोलन में एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग समूह को बढ़ावा दे रही है जो पिछले कुछ समय से कार्य कर रहा है तथा शिमला के पास शोगी नामक स्थान पर एक और उद्योग समूह को विकसित करने में सहयोग दे रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी के विकास और संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम नामक एक अलग संगठन की स्थापना की है। केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नीति के अनुसार, पर्वतीय जिलों में इलेक्ट्रोनिकी उद्योग का बहुत बड़ी मात्रा में विकास करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे। श्रेणी 'क' में शामिल पर्वतीय जिलों में और अधिक इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि श्रेणी 'क' के 'विशिष्ट क्षेत्र के जिलों' में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की स्थापना के लिए पूंजीनिवेश सम्बन्धी मिलने वाली केन्द्रीय सहायता की अधिकतम राशि को 25 लाख रु० से बढ़ाकर 50 लाख रु० कर दिया जाएगा।

सातवीं योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर की गयी धनराशि

375. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश ने राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि की मांग की थी; और

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की और उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार ने आरम्भ में अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1339 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के बीच हुए विचार-विमर्श के बाद 1050 करोड़ रु० की योजना पर सहमति हुई है :

राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

1. उद्यान कृषि स्कीमें जिसमें ये शामिल है :
   (1) भारत-डच खुम्बी परियोजना;
   (2) भारत इटली जेतून तथा सम्बद्ध परियोजना; और
   (3) चम्बा घाटी नकदी फसल परियोजना।

2. वन उद्योग स्कीमें जिनमें ये शामिल हैं (1) भारत-जर्मन धोलाधर परियोजना (2) भू-

संरक्षण और गिरिबाटा जलग्रहण क्षेत्र में वन रोपण, और (3) राष्ट्रीय सामाजिक वन उद्योग (छाता) परियोजना।

3. सेब के पैकिंग के लिए पेटियों (कार्टनों) के विनिर्माण की स्कीम।

4. शाह नहर मझौली सिंचाई परियोजना।

5. विभिन्न स्थानों पर अनेक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं।

6. संजय विद्युत परियोजना।

7. आंध्र जल विद्युत परियोजना, और

8. रोंग टोंग जल-विद्युत परियोजना।

[हिन्दी]

दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन

376. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यातायात नियमों का समुचित ढंग से पालन नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन नियमों का पालन करने हेतु चालकों, आदि को बाध्य करने के लिये कोई कदम उठाये हैं, और

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली में अधिकतर चालक यातायात नियमों का पालन करते हैं। तथापि कुछ चालक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं।

(ख) यातायात नियमों के उल्लंघन, जैसे लाल-बत्ती का उल्लंघन, गलत तरीके से वाहन आगे निकालना और गलत जगह पर वाहन खड़ा करना इत्यादि को रोकने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। अपराधियों पर भारी जुर्माना किया जाता है। आदतन अपराधियों की पहचान के लिए लाईसेंसों को पंच करने और स्टाम्प लगाने की प्रणाली हाल ही में शुरू की गयी। लगातार तीन बार अपराध करने पर चालक का लाईसेंस रद्द कर दिया जाता है। विभिन्न जन सम्पर्क माध्यमों से सड़क सुरक्षा शिक्षा भी दी जाती है।

(ग) यातायात उल्लंघन के लिए 1 अप्रेल, 1985 से 7 जुलाई 1985 तक की अवधि के दौरान 1,06,838 व्यक्तियों का चालान किया गया और प्रशासन शुल्क के रूप में 73, 29, 929 रु० की राशि वसूल किए गए।

[अनुवाद]

अमरीका के साथ सुरक्षा समझौता

377. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में हुई उनकी बातचीत के दौरान अमरीका की तरफ से भारत और अमरीका के बीच किसी सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). जी नहीं। लेकिन अमरीकी सरकार ने भारत को सैनिक उपकरण बेचने की अपनी सामान्य इच्छा जाहिर की है।

(ग) भारत सरकार ने इस पर गहराई से विचार नहीं किया है क्योंकि शस्त्र बिक्री की कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया।

साईचिन ग्लेशियर क्षेत्र पर पाकिस्तान का दावा

378. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने साईचिन ग्लेशियर क्षेत्र पर भारत के दावे का विरोध किया है, जैसाकि 9 जून, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने इस सम्बन्ध में सरकारी तौर पर अपना दावा किया है;

(ग) यदि हां, तो किन आधारों पर उसने यह दावा किया है; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने यह कहकर इस क्षेत्र पर अपना दावा किया है कि यह तथाकथित "उत्तरी क्षेत्रों" का हिस्सा है, जो कोई आधार नहीं है।

(घ) भारत सरकार ने पाकिस्तान के दावे को अस्वीकार कर दिया है क्योंकि साईचिन ग्लेशियर क्षेत्र भारत के राज्य जम्मू और काश्मीर का एक अंग है और यह हमेशा ही भारत के प्रशासन और नियंत्रण में रहा है। भारत के पर्वतारोही दल इस क्षेत्र से नियमित रूप से जाते रहे हैं।

पाकिस्तानी जहाजों द्वारा इस क्षेत्र में भारतीय हवाई मार्ग के उल्लंघन की वारदातों के विरोध में पाकिस्तान सरकार के साथ विभिन्न अवसरों पर लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से विरोध प्रकट किया गया है।

कार्यालयों के समय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

379. **डा० गौरीशंकर राजहंस** :

श्री चित्त महाता :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उन कार्यालयों के समय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जहां समय 9.00 बजे से 5.00 बजे तक निश्चित किया गया है;

(ख) क्या महिला कर्मचारियों ने शिकायत की है और सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उनके कार्यालय का समय बदल कर 9.30 बजे से 5.30 बजे तक अथवा 10.00 बजे से 6.00 बजे तक किया जाये; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लेने की सम्भावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). प्राप्त हुए कुछ अभ्यावेदनों तथा संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, 5 दिन की सप्ताह पद्धति के अधीन कार्यालय समय के प्रश्न पर संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति में शीघ्र ही विचार-विमर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

दंगा पीड़ितों को मुआवजा

380. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नवम्बर, 1984 में हुए दंगों के दौरान जिनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा था उन्हें कुल अनुमानित हानि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपए जो भी कम हो अदा करने का निर्णय लिया है;

(ख) सरकार ने इस निर्णय के प्रत्युत्तर में कितने लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं;

(ग) क्या कई व्यक्तियों/पार्टियों की करोड़ों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हो गयी है; और

(घ) उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केन्द्र सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उन व्यक्तियों को अनुमानित क्षति के 50 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु०, जो भी कम हो, की अदायगी करें, जिन्होंने ऐसी बीमा पालिसियां ले रखी थीं जिनमें दंगा शामिल नहीं था। और जिन्हें नवम्बर, 1984 के दंगों के दौरान नुकसान हुआ था। यह राहत प्रदान करने में किये गये खर्च की क्षतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को की जायेगी।

(ख). दिल्ली में उपर्युक्त आदेशों के प्रत्युत्तर में 308 लोगों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं। अन्य राज्यों से सूचना प्रत्याशित हैं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित मुआवजे के अतिरिक्त व्यापारियों, परिवहन संचालकों आदि को, जिन्हें दंगों के दौरान नुकसान हुआ, उदार तथा रियायती आधार पर ऋण स्वीकृत करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों के मकान दंगों के दौरान पूरी तरह या अथवा आंशिक रूप से नष्ट हो गये थे, उनको अनुग्रहपूर्वक राहत भी दी गयी है।

"रिवर्स पोज हैल्थ हैजार्ड" शीर्षक से समाचार

381. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में रिवर्स पोज "हैल्थ हैजार्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार गंगा, यमुना, काली और हिंडन नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है;

(ग) यदि हां, तो इन नदियों के किनारों पर रहने वाले लाखों लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(घ) इन नदियों के जल को शुद्ध करने के लिए क्या और कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। बहरहाल, छुटपुट सर्वेक्षणों के आधार पर एक व्यापक परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता।

(ग) तथा (घ). नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में शामिल है—

(i) गंगा (यमुना सहित), सुवर्ण रेखा, दामोदर तथा ब्राह्मणी के लिए नदी बेसिन-वार प्रदूषण स्तर का मूल्यांकन किया गया है। कृष्णा तथा ब्रह्मपुत्र के लिए भी इसी प्रकार का अध्ययन प्रारम्भ किया गया है। शेष प्रमुख नदियां भी तेजी से इसमें ली जायेंगी। इन अध्ययनों की जानकारी पर आधारित गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए एक कार्य योजना आरम्भ की गई है।

(ii) प्रमुख नदियों के फैलावों में जल के नामित उपयोगों के लिए कटिबन्धन तथा वर्गीकरण किया गया है।

(iii) उद्योगों को, बहिस्रावों को जलाशयों में निस्सरण से पूर्व आवश्यक उपचार सुविधा की व्यवस्था करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

(iv) प्रदूषण नियंत्रण उपायों के अपनाने के लिए उद्योगों को धन सम्बन्धी प्रोत्साहन भी दिये जा रहे हैं।

(v) उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

(vi) उद्योग लगाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये गये हैं।

राज्यपाल के पद को समाप्त करना

382. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में राज्यपाल के पद को समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

गृह मन्त्रालय में एक शिकायत कक्ष की स्थापना

383. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उन्होंने मामलों के निपटान में अनावश्यक विलम्ब की लोगों की शिकायतों की जाँच करने के लिए अपने मन्त्रालय में शिकायत कक्ष की स्थापना का निदेश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित कक्ष कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) इस शिकायत कक्ष द्वारा किस प्रकार की शिकायतों की जाँच की जायेगी; और

(घ) आम जनता को अपनी शिकायतें दूर करने में किस सीमा तक मदद मिलेगी ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग). 30-5-1985 को गृह मन्त्रालय के अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए गृह मन्त्री ने यह निदेश दिए थे कि मन्त्रालय में एक लोक शिकायत कक्ष की स्थापना की जाए। केवल थोड़े से मुद्दे हैं, जहाँ जनता मन्त्रालय के सम्पर्क में आती है। इन स्थानों पर जनता की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए पहले से आवश्यक प्रबन्ध हैं। वर्तमान प्रबन्धों को लोक शिकायत कक्ष का औपचारिक रूप देने की कार्यवाही की जा रही है।

केरल की मन्दिर कला को पुनर्जीवित करना

384. श्री के० कुन्जम्बु : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की विभिन्न मन्दिर कलाओं को जिनकी ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था पुनर्जीवित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार द्वारा परम्परागत कलाओं और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के समूचे प्रयासों के एक भाग के रूप में इन कलाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में कोई अध्ययन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). संगीत नाटक अकादमी में दुर्लभ स्वरूपों के परिरक्षण और प्रोन्नति की एक योजना है, जिसके अन्तर्गत केरल के मन्दिरों की कलाएँ भी शामिल हैं। अकादमी ने केरल के मन्दिर कला स्वरूपों के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(क) सभी कला स्वरूपों का गहन प्रलेखन।

(ख) इन कला स्वरूपों के महान गुरुओं के प्रदर्शनों का विडियो रिकार्ड।

(ग) युवा कलाकारों को प्रशिक्षण देने में इच्छुक संस्थानों, संगठनों और गुरुओं को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था;

(घ) केरल के मन्दिर कलाओं से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रकाशन।

(ङ) इन स्वरूपों के महान गुरुओं और कलाकारों को शिक्षावृत्तियाँ प्रदान करना।

[हिन्दी]

उ० प्र० के पिथौरागढ़ जिले में स्टेडियम का निर्माण

385. श्री हरीश रावत : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के जिला मुख्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों के प्रत्येक जिला मुख्यालय में इन्डोर और आउट डोर स्टेडियमों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने का है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में एक स्टेडियम का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त स्टेडियम का निर्माण किस तारीख से शुरू होने की सम्भावना है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ). विभाग की स्टेडियमों, तरणतालों, खेल परिसरों आदि के निर्माण सहित खेलों के विकास के लिए राज्य खेल परिषदों, स्थानीय प्राधिकरणों आदि को वित्तीय सहायता देने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत जब कभी प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य/संघ शासित सरकार के जरिए निर्धारित परिपत्र पर प्राप्त होते हैं तो साझेदारी के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे प्रयोजनों के लिए सहायता की राशि अन्य स्थानों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के लिए अधिक है। उत्तर प्रदेश सरकार से पिथौरागढ़ जिले में स्टेडियम के निर्माण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राजधानी में डकैतियां और हत्याएँ

386. **श्री हरीश रावत :**

श्री ललित माकन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत छः महीनों के दौरान इससे पहले की अवधि की तुलना में डकैतियों और हत्याओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान डकैतियों और हत्याओं की कितनी घटनाएं हुई हैं और अब तक कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख). जनवरी-जून, 1985 की अवधि के दौरान डकैती तथा हत्या के अपराध आंकड़े और जुलाई-दिसम्बर, 1984 की अवधि के दौरान सदृश्य आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	जुलाई-दिसम्बर 1984	जनवरी जून 1985
डकैती	15	16
हत्या	75	168

डकैती के 16 मामलों और हत्या के 168 मामलों में से, जो पिछले छः महीनों के दौरान हुए, डकैती के 6 मामलों और हत्या के 103 मामलों में अपराधी पकड़े गए हैं।

पर्यावरण अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना

387. **श्री हरीश रावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय देश के पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य कर रहे विश्वविद्यालयों अथवा कालेजों में पर्यावरण अनुसंधान तथा विकास केन्द्र खोलने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सन्दर्भ में कुछ केन्द्रों को चुन लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्रों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन): (क) से (ग). इस विभाग ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं गंगा बेसिन के विश्वविद्यालयों एवं

अनुसंधान संस्थाओं की अनुसंधान एवं विकास की कई परियोजनाओं को प्रायोजित किया है।

मौजूदा विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में उच्च अध्ययन केन्द्रों के जाल की स्थापना के साथ-साथ हिमालयन पर्यावरण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उत्तर प्रदेश) सैन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की (उत्तर प्रदेश), कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल, (उत्तर प्रदेश) उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग, काश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू, एवं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सोलन में ऐसे केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटक

388. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1985 के दौरान भारत में आए विदेशी पर्यटकों की संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान विदेशी पर्यटकों से कितनी विदेशी मुद्रा आय हुई है; और

(ग) क्या सरकार पर्यटन को प्रोत्साहन देगी तथा पर्यटन उद्योग को निर्यातोन्मुख उद्योग के समान मानेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जनवरी से जून, 1985 की अवधि के दौरान 386,489 विदेशी पर्यटक आए।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा आय के जो अद्यतन अनुमान उपलब्ध हैं वह वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित हैं और यह राशि 113.6 करोड़ रु० है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद के किसी भी वर्ष के आंकड़े जारी नहीं किए हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गयी है। पर्यटन से सम्बन्धित सेवाओं को निर्यातमुखी उद्योग के समान मानने का प्रश्न विचाराधीन है।

पूर्वी क्षेत्र विशेषकर कलकत्ता से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये सीधी उड़ानें

389. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र विशेषकर कलकत्ता से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है;

(ख) क्या पूर्वी क्षेत्र के लोगों को पश्चिमी देशों की यात्रा के लिए बम्बई अथवा दिल्ली जाना पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार कलकत्ता से बम्बई और दिल्ली होकर एयर इण्डिया की न्यूयार्क के लिए बरास्ता पेरिस अथवा फ्रैंकफर्ट और लन्दन सप्ताह में तीन बार सेवा प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एयर

इंडिया कलकत्ता और न्यूयार्क के बीच एक सीधी उड़ान संख्या ए० आई०-103 का प्रचालन करती है।

(ख) जी, नहीं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) सरकार की इस समय निकट भविष्य में बम्बई और दिल्ली होकर, पेरिस अथवा फ्रैंकफर्ट और लन्दन से होकर, कलकत्ता से न्यूयार्क के लिए सप्ताह में तीन सेवायें आरम्भ करने की कोई योजनायें नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में पानागढ़ हवाई अड्डे को बंद करना

390. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागर विमानन विभाग ने पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के पानागढ़ हवाई अड्डे को बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को किसी संसद सदस्य से 19 जून, 1985 का कोई पत्र मिला है, जिसमें सरकार से उक्त हवाई अड्डे को बन्द न करने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). पानागढ़ हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना का है तथा कलकत्ता विमान क्षेत्र के विकल्प के रूप में इंडियन एयरलाइन्स के छोटे विमानों की उड़ानों के लिए नागर विमानन विभाग द्वारा इसका रख-रखाव किया जा रहा था। बड़े आकार वाले विमानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नागर विमानन विभाग ने रांची हवाई अड्डे का विकास कर लिया है। कलकत्ता विमान क्षेत्र के विकल्प में इस विमान क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। इसे ध्यान में रखकर पानागढ़ हवाई अड्डे को वापस भारतीय वायुसेना को सौंपने का निर्णय किया गया है।

(ग) मन्त्रालय में अभी तक यह प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

एयर इंडिया द्वारा एक और बोइंग जम्बो जेट की खरीद

391. **श्री ललित माकन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एयर इण्डिया के बोइंग विमान के अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण एयर इण्डिया द्वारा अपनी सेवा को सामान्य बनाने के लिए एक और बोइंग जम्बो जेट की खरीद पर विचार किया जा रहा है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : जी, हां। एयर इण्डिया "कनिष्क" विमान की जगह एक बोइंग 747 विमान प्राप्त करने की योजना बना रहा है। इस सम्बन्ध में पूछताछ आरम्भ कर दी गई है।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीतकालीन खेल-कूद संस्थान

392. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने शीतकालीन खेलकूद संस्थान हैं और वह कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से देश में शीतकालीन खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रकार के और संस्थान स्थापित करने का है और इसके लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गुलमर्ग में हिम भारती (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एण्ड माऊंटेनियरिंग) की स्थापना की है। यह संस्थान शीत ऋतु के दौरान गुलमर्ग (जम्मू और कश्मीर), नारकंडा (हिमाचल प्रदेश) और औली (उत्तर प्रदेश) म नियमित रूप से स्की पाठ्यक्रम का आयोजन करता है। दार्जिलिंग में हिमालयन माऊंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उत्तरकाशी में तथा हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत मनाली में भी क्रमशः माऊंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भुवनेश्वर को इलेक्ट्रोनिकी नगर के रूप में परिवर्तित करना

393. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर को इलेक्ट्रॉनिकी नगर बनाने में राज्य-सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य को इस महत्वकांक्षी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में केन्द्र द्वारा कितनी सहायता राशि दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। किन्तु, भुवनेश्वर में इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर उद्योग के योजनाबद्ध रूप से विकास के लिए उड़ीसा के मुख्य मन्त्री और अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी आयोग के बीच बैठकें आयोजित की गईं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में वाहनों से पैदा होने वाला प्रदूषण

394. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी दिल्ली में वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं से भारी प्रदूषण पैदा होता है;

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर विद्युत चालित वाहन चलाने पर विचार कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रदूषण कम करने के लिए उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जनों के लिए मानक तैयार किए गये हैं;

(ii) दिल्ली प्रशासन को मानकों के विधायी प्रवर्तन के लिए मोटर वाहन नियमों के अन्तर्गत प्रावधान करने की सलाह दी गई है ।

(iii) दिल्ली परिवहन निगम (दि० प० नि०) से दिल्ली परिवहन निगम की बसों से धुआं उत्सर्जन को रोकने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(iv) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन के लिए एक नियंत्रण प्रणाली सुझाई गई है ।

(v) आटोमोबाईल उत्सर्जन प्रबोधन के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली की सिफारिश भी की गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

सिक्किम में नागरिकता विहीन व्यक्ति

395. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में नागरिकता विहीन व्यक्ति हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में सिक्कम सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सिक्कम सरकार ने अपने अभ्यावेदन में समस्या के समाधान हेतु कोई प्रस्ताव रखे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उस बारे में क्या विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). सिक्किम के मुख्य मन्त्री ने हाल ही में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि समस्या का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की जाए ।

(घ) नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए नागरिकता के लिए नागरिकता विहीन व्यक्तियों के दावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना है ।

सिक्किम के लिए विमान सेवाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव

396. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार सिक्कम के लिये विमान सेवायें आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). सिक्किम में गंगतोक उन स्थानों में से एक है जिसे वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जोड़ने के लिए उपयुक्त समझा गया है। महानिदेशक, नागर विमानन गंगतोक में एक ऐसे हवाई अड्डे के लिए जगह की खोज कर रहा है जहां से अल्प दूरी उपरीतरण और अवतरण (स्टोल) प्रकार के विमान प्रचालित किए जा सकें। हवाई अड्डा और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास हो जाने के बाद ही गंगतोक को विमान सेवाएं चलाई जा सकेंगी।

नागा युवकों से विदेशी हथियारों का पकड़ा जाना

397. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अप्रैल, 1985 को जोरहाट में एक होटल में कुछ नागा युवकों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या उनसे अमरीका में निर्मित हथियार और गोला बारूद तथा आपत्तिजनक दस्तावेज किए गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). असम राज्य सरकार के अनुसार, दिनांक 25 अप्रैल, 1985 को 5 नागा युवकों को जोरहाट में जिस होटल में वे रुके थे उसके प्रबंधक के साथ कहा सुनी के बाद, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उनसे कुछ गोला-बारूद सहित 22 बोर की एक राइफल, कुछ दस्तावेज तथा दो फाइल कवर जिन पर "प्रभुसत्ता सम्पन्न नागालैण्ड गणराज्य" तथा "आजाद नागालैण्ड की सरकार" छपा था, बरामद किया गया था।

तैरते हुए होटल में गंगा नदी में भ्रमण

398. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार गंगा नदी में एक तैरते हुए होटल से भ्रमण की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस नदी भ्रमण को किस स्थान/स्थानों में लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस भ्रमण को आरम्भ करने पर क्या लागत आएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). भारत पर्यटन विकास निगम के पास, गंगा नदी में एक तैरते हुए होटल से नदी भ्रमण संबंधी एक प्रस्ताव है। प्रस्ताव अभी तक बहुत ही प्राथमिक अवस्था में है और इसके ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

399. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम की विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां तो पिछले तीन वर्षों में दौरान स्टर्लिंग, डालर, येन आदि के रूप में अलग-अलग अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार से हैं :

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1982-83	994.94
1983-84	1204.59
1984-85 (अनंतिम)	1308.86

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा स्टर्लिंग, डालर, येन, आदि के रूप मे विदेशी मुद्रा आय के ब्योरे पृथक-पृथक रूप में संकलित नहीं किए जाते।

[हिन्दी]

निर्धनता कम करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को आवंटित की गई धनराशि

400. **श्री विष्णु मोदी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे निर्धनता कम करने के कार्यक्रमों के अन्तर्गत राजस्थान को अन्य राज्यों की अपेक्षा कम धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क), जी, नहीं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को आवंटन समान मापदण्ड के आधार पर किया जाता है।

(ख) राजस्थान सरकार से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे लोग

401. श्री विष्णु मोदी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल तथा राज्यवार प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में 33.76 प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माना गया है जबकि सारे भारत का प्रतिशत जैसा कि सरकार द्वारा बताया गया है 48.13 प्रतिशत है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछड़े और निर्धन राज्य राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता का कम मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आंकड़ों का पुनः मूल्यांकन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या के राज्यवार अनुमान और जनसंख्या में उनका प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संलग्न द्वारा किए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी सर्वेक्षण पर आधारित हैं। अन्तिम वर्ष जिसके लिए ऐसे राज्यवार अनुमान उपलब्ध हैं, 1977-78 है। वर्ष 1977-78 में देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का कुल और राज्यवार प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। राजस्थान के लिए अपनाई गई संकल्पना, परिभाषा और मानक वही हैं जो अन्य राज्यों के सम्बन्ध में अपनाए गए हैं।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विवरण

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार अलग-अलग संख्या और प्रतिशत

1977-78

क्र० सं० राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
	संख्या लाख	प्रतिशत	संख्या लाख	प्रतिशत	संख्या लाख	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	170.35	43.89	36.44	35.68	206.79	42.18
2. असम	88.34	52.65	7.07	37.37	95.41	51.10
3. बिहार	338.44	58.91	32.94	46.07	371.38	57.49

1	2	3	4	5	6	7
4. गुजरात	94.84	43.20	26.48	29.02	121.32	39.04
5. हरियाणा	22.10	23.25	6.95	31.74	29.05	24.34
6. हिमाचल प्रदेश	10.37	28.12	0.51	16.56	10.88	27.23
7. जम्मू और कश्मीर	14.57	32.75	4.35	39.33	18.92	34.06
8. कर्नाटक	124.10	49.88	38.62	43.97	162.72	48.34
9. केरल	93.42	46.00	22.19	51.44	115.61	46.95
10. मध्य प्रदेश	244.59	59.82	42.74	48.09	287.35	57.73
11. महाराष्ट्र	214.11	55.85	61.30	31.62	275.41	47.71
12. मणिपुर	3.42	30.54	0.56	25.48	3.98	29.71
13. मेघालय	5.51	53.87	0.36	18.16	5.87	48.03
14. नागालैंड	उ० न०	उ० न०	0.03	4.11	उ० न०	उ० न०
15. उड़ीसा	158.97	68.97	10.33	42.19	169.30	66.40
16. पंजाब	13.49	11.87	9.59	24.66	23.08	15.13
17. राजस्थान	85.79	33.75	19.12	33.80	104.91	30.76
18. तमिलनाडु	170.47	55.68	66.59	44.79	237.06	52.12
19. त्रिपुरा	10.93	64.28	0.61	26.34	11.54	59.73
20. उत्तर प्रदेश	429.93	50.23	72.27	49.24	502.20	50.09
21. पश्चिम बंगाल	227.65	58.94	48.10	34.71	275.75	52.54
22. सभी सं० रा० क्षेत्र	6.35	34.32	11.24	17.96	17.59	21.69
अखिल भारतीय (भारित)	2527.74	50.82	518.39	38.19	3046.10	48.13

उ० न०—उपलब्ध नहीं

नोट—(1) ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के 32वें दौर (जुलाई, 1977 से जून, 1978) से सम्बन्धित अनन्तिम और त्वरित सारणीयन पर आधारित है।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1978 की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

(3) अखिल भारतीय आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या उन राज्यों की जनसंख्या के अनुसार है, जिन्हें विवरण में शामिल किया गया है।

आई० आर० एस०—1 उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय केन्द्रों की स्थापना

402. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को "आई० आर० एस०—1 उपयोग कार्यक्रम" के अन्तर्गत जोधपुर में एक केन्द्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). आई० आर० एस०—1 उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे कई संयुक्त परीक्षण रखे गए हैं, जिन्हें राजस्थान में प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ आयोजित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत आई०आर०एस० उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों सहित सुदूर संवेदन आंकड़ों के उपयोग के समग्र सन्दर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान के परिषद के केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के परिसर में जोधपुर में पांचवें क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। यह निर्णय आवश्यकताओं, तकनीकी जरूरतों और राजस्थान सहित कुछ राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर लिया गया था। इस केन्द्र में आई० आर० एस० से प्राप्त आंकड़ों सहित विविध सुदूर संवेदन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर आधारित अन्योन्यक्रिया प्रणाली और ऐसे अर्थनिर्वचन से संबंधित कुछ सुदूर संवेदन उपकरण होंगे। यह केन्द्र क्षेत्र के आस-पास वाले प्रयोक्ताओं सहित विविध राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं को सेवा प्रदान करने की योजना बना रहा है। इस केन्द्र से सम्बन्धित विविध पहलुओं पर तकनीकी कार्यवाही प्रगति में है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाया जाना

403. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरस्थता और गैर मिर्धारणीय जन सांख्यकी गठन/स्थिति बुनियादी ढांचा और कृषि की स्थिति के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किसी सूचक का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, उक्त सही सूचक क्या है और प्रत्येक सूचक तथा उनके घटकों के सम्बन्ध में क्या प्रभारी अंक निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने सूचकों को अपना लिया है और पिछड़े क्षेत्रों का पता लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में वन सूचकों के अनुसार पता लगाए गए पिछड़े क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किसी सूचक का पता नहीं लगया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तथापि, दूरस्थता और दुर्गम्यता जनसांख्यिकी, अन्तः संरचात्मक तथा कृषि सम्बन्धी मुख्य सूचक जो राज्य सरकारों द्वारा मोटे तौर पर अपने आप अपनाए गए हैं उनके आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा पिछड़ी घोषित की गई पंचायतों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में पिछड़ी घोषित की गई पंचायतों की संख्या

जिला	उप-प्रभाग/तहसील/खंड	पंचायत
1	2	3
1. बिलासपुर	झंदुत्ता खंड	(1) घानी
2. छम्ब	टिसा खंड	(1) छरोरि
		(2) कोहल
		(3) गासूर
		(4) देओल
		(5) देहरा
		(6) बाबीगसोश
		(7) छंजू
		(8) छारदा
		(9) जुनगेरा
		(10) देवीकोठी
		(11) गुलेहि
		(12) सत्यास
		(13) बेनदेरी
		(14) मगली
		(15) भारनेता (सनवाल)
		(16) शालेलिल (बारी)
		(17) जंम्र कोठी
		(18) देहगरान

1	2	3
	सलूनी खंड	(1) भूनाद
		(2) कंगेर
		(3) गवालू
		(4) बदक
		(5) करवाल
		(6) भाजतारा
		(7) सिमनी
		(8) किलौर
		(9) पिचलवूर
		(10) कंधवरा
		(11) भरेला
		(12) खरजोता
		(13) ऐइल
		(14) पंजाई
		(15) बानगली
		(16) औरा
		(17) पिचलदूर
	भतियन खंड	(1) मलूंदा
		(2) काहूरी
		(3) गोला
		(4) कथोला
		(5) जोलना
		(6) पोरथू
		(7) टिकरी
		(8) चाखन
		(9) जंदरोग
		(10) परीभरा
		(11) बलैरा
		(12) बेनिना
		(13) कुड़की

1	2	3
	छम्ब	(1) शिलघरट
		(2) झुलारा
		(3) सिरहू
		(4) कालरे
		(5) चिलबंगला
		(6) सिंगनी
		(7) पालूर
	मेहल खंड	(1) बांदला
		(2) भारीन
		(3) कुपारा
		(4) बसोधन
		(5) स्थीयर
		(6) दरविन
		(7) बरेही
		(8) कुरू
		(9) खुंडल
		(10) बलोट
		(11) परीना
		(12) कुबेद
		(13) किलोर
		(14) दुलारा
		(15) किरी
		(16) बट
		(17) सराहून
		(18) बखतपुर
3. हमीरपुर	सुजानपुर खंड	(1) रनगेर
		(2) जंदरू
		(3) खनोली
		(4) भीरद

1	2	3
	बिझारी खंड	(1) समतना
		(2) जाजरी
		(3) रायली
4. कांगड़ा	नादुन खंड	(1) कश्मीर
	नूरपुर उप-प्रभाग	(1) नाना
		(2) पिलख
	पालमपुर उप-प्रभाग	(1) लाहरू
	पालमपुर उप-प्रभाग	छोटा/बार मंगल की ग्राम पंचायतें
	बैजनाथ उप-तहसील	(1) बरयराम
		(2) कोठी कोहर
		(3) मुलथान
		(4) लोवाई
		(5) पुलिग
		(6) स्वार
5. कुल्लू	नागर खंड	(1) मलाना
	अनी खंड	(1) खरड
		(2) कराना
		(3) खील
		(4) बिनगुआल
		(5) पलेही
		(6) करशीगर
	निर्मंड खंड	(1) कश्वा
		(2) टूनन
		(3) बारी
		(4) कोट
		(5) डीम
		(6) चायल
		(7) घाटू
		(8) शीली

1	2	3
	बंजर खंड	(1) तुंग
		(2) पलीबीर
		(3) गदापरली
	कुल्लू खंड	(1) बरशानी
6. मंडी	दरांग खंड	(1) नोहली
		(2) बिहून
		(3) धुकू
		(4) कुफारी
		(5) बरीधर
		(6) बरोत
		(7) देवधर
		(8) धामचायन
		(9) सुधर
		(10) कुठोग
		(11) सिलहरबुवानी
		(12) रोपा
		(13) टिक्कर
		(14) बठेरी
	सदर खंड	(1) बांधी
		(2) धायन
		(3) सेगली
		(4) शिवा
		(5) धार
	चौंतरा खण्ड	(1) ऊपरी धार
		(2) आउटपुर
		(3) तुलाह
		(4) कथोन
		(5) बद्दर
		(6) दाजेव

1	2	3
	सुन्दरनगर खंड	(1) धनबयार
		(2) बोई
		(3) सोझा
		(4) बलाग
		(5) बंढाली
		(6) धाबल
		(7) सेरी कोठी
		(8) बटवारा
		(9) धानगनु
		(10) पौरा कोठी
		(11) बेहली डूमट
	सेरज खंड	(1) थाना
		(2) शीली बाघी
		(3) बेट दहार
		(4) कलहनी
		(5) झोला नाल
		(6) बाघी
		(7) सोमगढ
		(8) झाल बेहन
		(9) थाचदर
		(10) बगरथाच
		(11) बहाटरी
		(12) गट्टू
	करसोग खंड	(1) महानदी
		(2) कोट
		(3) जारल
		(4) कहानू
		(5) मशोग
		(6) परीढी
		(7) मोबलपुर

1	2	3
	धर्मपुर खंड	(1) टोरखोला
		(2) सीहो
		(3) कमलाह
		(4) कोथून
7. शिमला	तहसील चौपाल	(1) मझोली
		(2) कुलाग
		(3) थरोली
		(4) बनाह
		(5) जुह सिलाल
		(6) झोकर
		(7) मलाट
		(8) जुबली
		(9) चंदनघर
	सब-तहसील छोहारा	(1) दोदरा
		(2) कोधार
		(3) आखा
		(4) सरी बसा
		(5) पेखा
		(6) दिनुधी
	तहसील रोहडू	(1) रैसतरी
		(2) पुजारली-3
		(3) कलोन
	तहसील रामपुर	(1) सरपारा
		(2) लाहुन-पदना
		(3) फंचा
		(4) चांदी बरांधा
		(5) कूट
		(6) किनू
		(7) कशपाट

1	2	3
		(8) दरकली
		(9) झान्सा
		(10) खामली
		(11) तिपर मक्षोली
		(12) खिओघी
		(13) मुनिश
	तहसील कुमारसैन	(1) कोटी घाट
8. सिरमुर	सानगढ़ खण्ड	(1) खुद-दराबाल
		(2) भरारी
		(3) मांजोद
		(4) शमरा
		(5) कुफर-केरा
		(6) सेर टंकी उला
		(7) भूतली मंडल
		(8) लाना चेता
	शिलाई खण्ड	(1) जरना
		(2) बढोल
		(3) भालुन
		(4) संगना
		(5) सताहुान
		(6) हालहन
		(7) कोटी धिमान
		(8) कोटा पाब
	पोवता खंड	(1) भारली भोरिया
		(2) कोरगा
		(2) कंठवर
		(4) सखोली
		(5) कान्ति मशवा
		(6) धोंधां आखल

1	2	3
		(7) भारोग बनेरी
		(8) पिलहोरी
9. सोलन	तहसील अरकी	(1) मंगल
		(2) बेरल
10. ऊना	खण्ड ढूंडला	(1) सोहरी टकोली
		(2) अलुखास

एयर इंडिया विमान की दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों का मिलना और उनकी पहचान किया जाना

404. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जून, 1985 को हुई, एयर इंडिया विमान की दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के शव मिल गए हैं और उनकी पहचान कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके निकट सम्बन्धियों को कितनी सहायता दी गई है और दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों के पुनर्वास के लिए क्या अन्य उपाय अपनाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। 131 शवों को ही समुद्र से निकाला जा सका। इनमें 117 शवों की पहचान की जा चुकी है।

(ख) दुर्घटनाग्रस्त विमान के यात्रियों के उत्तराधिकारों को मुआवजा दिया जा सकता है। यात्रियों के उत्तराधिकारियों को इस प्रकार से देय मुआवजा विमान वहन अधिनियम, 1972 में सम्मिलित हेग समझौता 1955 द्वारा यथा संशोधित वारसा सन्धि 1929 द्वारा शासित होता है। एयर इण्डिया का दायित्व प्रति यात्री 2,50,000 फ्रांसीसी फ्रेंक (20,000 अमरीकी डालर) तक सीमित है। तथापि, विमान वहन अधिनियम वाहक कम्पनी को उच्चतर दायित्व का भुगतान करने की सहमति प्रदान करने की अनुमति देता है। तदनुसार एयर इण्डिया ने प्रति यात्री अधिकतम 75,000 अमरीकी डालर तक दायित्व स्वीकार कर लिया है।

सामान दायित्व पंजीकृत सामान के लिए प्रति किलोग्राम 20 अमरीकी डालर तक तथा बिना पंजीकृत सामान के लिए 400 अमरीकी डालर है।

वास्तविक मुआवजे की देयता का निर्धारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की आयु, अर्जन क्षमता, हैसियत और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकारियों को हुई आर्थिक हानि का सामान्य नियमों और कानूनों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाएगा। इसके लिए एयर इण्डिया मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों को औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी।

निगम की स्व-बीमा योजना के अधीन चालक दल को नीचे दी गई सीमा तक मुआवजा देय होगा :

1. कमाण्डर	2,25,000/-रुपए
2. प्रथम अधिकारी	2,00,000/-रुपए
3. फ्लाइट इंजीनियर	1,75,000/-रुपए
4. चालक दल के सदस्य	1,20,000/-रुपए

ड्यूटी पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर चालक दल मूल वेतन का 60 गुणा अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का पात्र होता है। एयर इण्डिया के निदेशक मंडल ने प्रत्येक मृतकर्मी दल के कानूनी उत्तराधिकारियों को 2 लाख रुपये अदा करने का निर्णय भी किया है।

तेलुग-गंगा परियोजना

405. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विशेषज्ञ समिति ने तेलुगु गंगा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक वन भूमि देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो आपेक्षित स्वीकृति किस स्थिति में है; और

(ग) क्या सरकार रायलसीमा में गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से शीघ्र स्वीकृति देने पर विचार कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). इस परियोजना के पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रभाव के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ कार्यकारी दल ने आन्ध्र प्रदेश में संतोलन जलाशयों और नहरों से सीधे श्री साइलम जलाशय से लेकर तमिलनाडु में पूंडी जलाशय का दौरा किया। मूल्यांकन रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि तमिलनाडु प्राधिकारियों से मांगी गई अतिरिक्त सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही अतिरिक्त सूचना प्राप्त होगी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परियोजना पर अनुमोदनार्थ विचार किया जायेगा।

पर्यावरणीय दृष्किोण से परियोजना अनुमोदित होने के पश्चात ही वन भूमि को मुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण

406. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश मन्त्री ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान परमाणु प्रतिष्ठानों के संयुक्त निरीक्षण और अनाक्रमण सन्धि के प्रस्तावों सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत पाकिस्तान के बीच मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए चालू वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी पड़ोसी देशों के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाए रखने की भारत की इच्छा के अनुरूप विदेश सचिव ने 4 से 5 अप्रैल तक पाकिस्तान की यात्रा की तथा दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में पाकिस्तान के नेताओं और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। अप्रैल में नामी बिया सम्बन्धी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की मन्त्री-स्तरीय बैठक के लिए आए पाकिस्तान के विदेश मन्त्री की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धों के बारे में विचार-विमर्श हुआ था। भारत पाक संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक 2 से 4 जुलाई तक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक के दौरान आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ प्रगति हुई। द्विपक्षीय मामलों और मसलों पर यह बातचीत इस माह के अन्त में पाकिस्तान के विदेश मन्त्री की यात्रा के दौरान भी जारी रहेगी। उम्मीद है कि चार उप आयोगों की बैठकें इस वर्ष के अन्त में होंगी।

इसके अतिरिक्त मार्च में मास्को में प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रपति जिया के साथ उपयोगी बातचीत की थी। उम्मीद है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग शिखर सम्मेलन के अवसर पर वे ढाका में पुनः मिलेंगे।

प्राकृतिक यूरेनियम आक्साइड का उपयोग

407. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक यूरेनियम आक्साइड आणविक ईंधन का वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ और सरकार द्वारा अगले दस वर्षों के दौरान इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) विद्युत रिएक्टरों में प्रयुक्त कल-पुर्जों के उत्पादन में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण में पिछले तीन वर्षों में प्राकृतिक यूरेनियम आक्साइड ईंधन का उत्पादन निम्नलिखित रहा है;

वर्ष	उत्पादन (मीटरिक टन)
1982-83	84.5
1983-84	63.0
1984-85	57.8

सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा करने के हमारे देश के कार्यक्रम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुविधाओं का विस्तार उत्तरोत्तर किया जा रहा है। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण के वर्तमान उत्पादन को चरणबद्ध रूप से बढ़ाने की योजनाओं पर कार्रवाई चल रही है ताकि अगले दो वर्षों में वार्षिक उत्पादन स्तर को 210 मीटरिक टन किया जा सके और सन् 1993 तक क्षमता को और बढ़ाकर 600 मीटरिक टन प्रतिवर्ष किया जा सके। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भी बाद में क्रमशः स्थापित की जाएगी।

(ख) भारत का सन् 2000 तक का परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम मुख्यतः दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टरों पर आधारित है और उनके बारे में हम स्वावलम्बी बन चुके हैं।

एयर इंडिया के विमान "कनिष्क" के मलबे के खोज कार्य पर व्यय

408. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया के विमान "कनिष्क" के दुर्घटनाग्रस्त होने के सम्बन्ध में यात्रियों के सम्बन्धियों और अधिकारियों को लाने ले जाने तथा विभिन्न विदेशी सरकारों की सहायता से सरकार द्वारा उसके मलबे के खोज पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ख) खोज कार्य में किस-किस देश के हेलिकॉप्टरों और हवाई जहाजों ने सहायता की तथा उन्होंने किन शर्तों पर सहायता की;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में ब्रिटेन, कनाडा अथवा किसी अन्य देश से कोई मतभेद पैदा हुए हैं और यदि हाँ, तो खोज कार्यों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) खोज और बचाव कार्यों के दौरान ब्रिटेन, कनाडा अथवा किसी अन्य देश के साथ किसी प्रकार के मत-भेद पैदा होने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में इन देशों के निकट समन्वय के साथ खोज कार्य किए गए हैं।

[अनुवाद]

भारत-हालैंड सांस्कृतिक सम्बन्ध

410. **श्री हरिहर सोरन :**

श्री के० प्रधानी :

क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नीदरलैंड के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई मन्त्री स्तरीय बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग को प्रोन्नत और विकसित करने के उद्देश्य से भारत और नीदरलैंड के बीच एक सांस्कृतिक करार पर संस्कृति राज्य मन्त्री द्वारा 24-5-1985 को हस्ताक्षर किये गये।

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाने के कार्य में खेल वैज्ञानिकों की सहायता लेना

411. **श्री हरिहर सोरन :** क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीन्स के विश्लेषण द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पता लगाने तथा उन्हें सही क्षेत्रों में निर्देशित करने के कार्य में खेल वैज्ञानिकों की सहायता लेने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का इस मामले में खेल वैज्ञानिकों की सहायता लेने का विचार है;

(ग) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ). खेल प्रतिभाशालियों का पता लगाते समय ध्यान में रखे जाने वाले तत्वों में से अन्ततोगत्वा जीन्स विश्लेषण भी एक तत्व हो सकता है। तथापि, उपर्युक्त प्रयोजनार्थ, जीन्स विश्लेषण के विज्ञान का अभी तक पूरा विकास नहीं हुआ है और प्रतिभाशालियों का पता लगाने के लिए तब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसका पूरा विकास नहीं हुआ हो। फिर भी, सरकार देश में खेल विज्ञान को बढ़ावा दे रही है और इस प्रयोजनार्थ नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में एक खेल विज्ञान संकाय स्थापित किया गया है। भारतील खेल प्राधिकरण ने भी खिलाड़ियों के लाभ के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक खेल चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया है।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए आरक्षित स्थान

412. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा की श्रेणी-तीन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए वर्ष-वार कितने पद आरक्षित थे और वर्ष 1978 से 31 दिसम्बर, 1984 तक आरक्षित रिक्त पदों पर अनुसूचित जातियों/जन जातियों के कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया;

(ख) 31 दिसम्बर, 1934 तक भारतीय सांख्यिकीय सेवा की श्रेणी तीन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से कितने पद रिक्त थे;

(ग) उक्त पदों को अब तक न भरने क्या कारण हैं जबकि श्रेणी-तीन के गैर आरक्षित पदों को पहले ही भर लिया गया है; और

(घ) सरकार का विचार आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1934 तक भारतीय सांख्यिकीय सेवा की श्रेणी तीन में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित अग्रेनीत रिक्त पदों सहित रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है :

अनुसूचित जाति—14

अनुसूचित जनजाति—8

(ग) पदोन्नति के लिए चयन सूची में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) कार्यपद्धति भारतीय सांख्यिकीय सेवा की श्रेणी तीन में पदोन्नति उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए वरीयता के आधार पर करने की है। इस प्रकार की पदोन्नति से सम्बन्धित आरक्षण आदेशों के अनुसार न भरे गये आरक्षित रिक्त पद आगामी भर्ती वर्षों को अग्रनीत और/अथवा गैर-आरक्षित, जैसा भी मामला हो, किये जाते हैं।

विवरण

वर्ष	रिक्त पदों की संख्या				जिनसे भरे गये			
	गैर आरक्षित	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	गैर आरक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1978	कोई पदोन्नति नहीं की गई							
1979	9	1	1	11	10	1	—	11
1980	कोई पदोन्नति नहीं की गई							
1981	7	1	—	8	8	—	—	8
1982	13	3	2	18	17	—	1	18
1983	27	5	2	34	34	—	—	34
1984	38	8	4	50	46	4	—	50

पुलिस बल में सुधार के लिए कदम

413. श्री चिंता मोहन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक धनराशि उपलब्ध कर के पुलिस की कुशलता में सुधार लाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो विभिन्न संघ शासित प्रदेशों और राज्यों सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना पुलिस आयोग की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुरूप बनाई गई है;

(घ) क्या सरकार को पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किए बिना पुलिस की कार्य-कुशलता को सुधारने के लिए कोई अन्य सिफारिशें/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो पूरी कार्यवाही योजना का ब्यौरा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ). जी हां, श्रीमान। हालांकि पुलिस राज्य का विषय है, लेकिन भारत सरकार ने अधिक धन देकर पुलिस बलों की प्रतिभा और कुशलता में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण, पुलिस आधुनिकीकरण योजना है, जो 1969 में प्रारम्भ की थी, इस योजना के अन्तर्गत, संचार, यातायात संगणकीकरण और प्रशिक्षण आदि के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए 50 प्रतिशत ऋण के आधार पर 10 सालों की अवधि में राज्यों को दिए जाने के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रु० स्वीकृत किए हैं, जिसका प्रारम्भ 1980-81 से हुआ।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग, आठवीं वित्त आयोग आदि की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए

पुलिस कार्मिकों के लिए रिहायशी आवासों के निर्माण और पुलिस स्टेशन भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं की उत्पादक क्षमताएं

414. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विदेशी सहयोग प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं की उत्पादक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा किन मामलों में हुआ है; और

(ग) उक्त अध्ययन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। जब कभी संभव हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) के प्रक्रमों का उपयोग किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

12.00 मध्याह्न

विशेषाधिकार का प्रश्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पिछले सत्र के दौरान प्रो० के० के० तिवारी ने 'इंडियन एक्सप्रेस' के खिलाफ एक विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया था क्योंकि इस समाचारपत्र को 10 मई 1985 के बम्बई से प्रकाशित संस्करण में एक समाचार छपा था जिसमें राज्य सभा के एक सदस्य के नाम का उल्लेख था जिसे 9 मई 1985 को मेरे निर्देश पर सदन की कार्रवाई में सम्मलित नहीं किया गया था।

उक्त मामला समाचार पत्र के सम्पादक को भेजने पर उन्होंने भूल से तथा बिना किसी अभिप्राय के होने वाली इस गलती के लिए खेद प्रकट किया है और उन परिस्थितियों का ब्यौरा दिया है जिनके कारण 'इंडियन एक्सप्रेस' के बम्बई संस्करण में दिए समाचार में वह नाम प्रकाशित हुआ। वैसे दिल्ली से प्रकाशित संस्करण में से वह नाम हटा लिया गया था।

इस गलती के लिए माफी तथा खेद प्रकट करने के कारण मेरे विचार से मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही की रिपोर्ट देते समय प्रेस को अधिक सावधान तथा जागरूक रहना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, केवल एक निवेदन···(व्यवधान)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें शांत रहना चाहिए। मैं आपको सुन रहा हूँ। आप चिल्ला क्यों रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : इस तरफ से शुरू करिए··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : एक विशेषाधिकार का प्रश्न है।

प्रो० के० के० तिवारी : कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है··· (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आपने नोटिस दिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या हो गया बाबा···? बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : जिन्होंने नोटिस दिया है उन्हें पहले सुना जाए······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ मुझे पढ़ने के लिए दिया है उसे मैंने पढ़ लिया है। महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना निर्णय दूं ?

प्रो० मधु दंडवते : कल जो कहा गया था मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। आपकी सलाह तथा प्रधान मन्त्री जी के सुझाव पर कल रात मैंने अपनी अंग्रेजी सुधारी है और उसे प्रधान मन्त्री के अंग्रेजी के स्तर तक ले आकर मैंने संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने जो कहा उसे टेप-रिकार्ड की हुई कार्यवाही से प्रतिलिपि तैयार की है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख ली है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वे बेवजह प्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। अपने संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने 1975 का उल्लेख जरूर किया था। भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे पढ़ा है··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया उन्हें रोकिए।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप क्यों उसके पीछे लगे हैं। मैं इस मामले को सम्भाल लूंगा।

[हिन्दी]

आप क्यों गड़बड़ करवाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : आपको उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख लूंगा। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं ? (व्यवधान) इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : तिवारी जी अगर मुझे किसी पीछे की तारीख से निकालना चाहते हैं तो वह ऐसा भी कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है··· (व्यवधान) महोदय, मुझे पूरा करने दें।

मैंने टेप रिकार्डिड कार्यवाही की···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप टेप-रिकार्ड, आडियो टेप देखें। मैंने प्रधान मन्त्री जी के संवाददाता सम्मेलन की टेप रिकार्डिड कार्यवाही आपको पेश की है और यह दिखाया है कि प्रेस ने उनके द्वारा कही बातों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे भी देखा है और जो आपने दिया है उसे भी देखा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, केवल एक बात। हम इस सदन में उनसे पहले से हैं। हम इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। हम यहां बहुत समय से हैं। प्रधान मन्त्री जी से पहले से हैं। कम से कम उन्हें यह तो नहीं कहना चाहिए था कि हममें बुद्धि की कमी है, हम अंग्रेजी नहीं जानते, हम तैयारी नहीं करते हैं आदि आदि।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मात्र प्रत्युत्तर है।

[हिन्दी]

आप क्यों गड़बड़ कर रहे है ? मैं आपको बुला लेता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संवाददाता सम्मेलन की कार्रवाई यह रही। आप कृपया देखिए कि क्या यह प्रधान मन्त्री द्वारा जो कुछ कहा गया है उससे मेल खाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है। मैंने प्रो० मधु दण्डवते द्वारा दिये गये टिप्पण को बड़ी सावधानी से पढ़ा है ···(व्यवधान)

[हिन्दी]

आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, सुनिए तो। सारी बात एक मिनट में खत्म हो जाएगी। आप तो इसे बढ़ा रहे हैं। मालूम नहीं आप इतने विचलित तथा गुस्सा क्यों हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : विचलित होने की बात नहीं है। आप तो गढ़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह गढ़े मुर्दे नहीं है। (व्यवधान) आधा मिनट बात तो सुनिये। कल जो तर्क-वितर्क हुआ वह इस बारे में बिल्कुल नहीं था कि अब आपातकालीन स्थिति लागू करने के बारे में संवैधानिक उपबन्ध क्या हैं। हर कोई जानता है कि 44 वां संशोधन है। कल यह बात स्पष्ट कर दी गई थी। बहस इस बात पर हो रही थी कि उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में क्या कहा था। सरकारी प्रतिलिपि के अनुसार उन्होंने यह जरूर कहा था······

अध्यक्ष महोदय : उसे भी मैंने देखा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने यह कहा था कि अगर पिछली आपातकालीन हालत पैदा हो

जाए तो उन्हें आपातकालीन स्थिति लागू करनी पड़ेगी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि 44 वें संशोधन द्वारा यह बात समाप्त हो गई है . मेरे विचार से इस बारे में उन्हें बाद में ऐसा कहने को कहा गया था। ऐसा कहने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो बात तथ्यों से मेल नहीं खाती उसे हम कैसे मान लें। बहस इस बात पर हो रही थी।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनों तर्क दे दिया। मैंने इसे भी देखा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम कह रहे हैं कि उन्होंने गलत वक्तव्य दिया था। सदन को गुमराह किया गया है। जो वह संवाददाता सम्मेलन में कहने का दावा कर रहे हैं वह सही नहीं है। यह रही प्रतिलिपि।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री जयपाल रेड्डी। आप क्या चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आपके निर्देश 115 और 222 के अन्तर्गत हमने इसे दे दिया है। कृपया इस पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : विचार करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वस्तुपरक ढंग से विचार करिएगा। किसी की केवल इसलिए सहायता नहीं करिएगा कि वह···(व्यवधान) अगर उन्होंने गलती की है उन्हें उसे मानना भी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किसी की सहायता करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऐसा मत कहिए। मैं क्यों किसी की सहायता करूंगा। मैं नियमानुसार चलूंगा। मैं सदन की सहायता करूंगा। यही मैं करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम चाहते हैं कि आप यही करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है। मैं अपने विवेकानुसार इस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर उन्होंने गलती की है तो उनमें उसे स्वीकार करने की गरिमा भी होनी चाहिए।(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : क्यों ? इसमें क्या असंसदीय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं रेड्डी जी को सुनना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह कहना कोई आक्षेप नहीं है कि प्रधान मन्त्री ने आपको गुमराह किया है।

प्रो० के० के० तिवारी : वह कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय किसी की सहायता कर रहे हैं। यह पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर किसी ने ऐसा कहा है तो मैं बुरा नहीं मान रहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना बचाव कर सकता हूं। मैं ध्यान रखूंगा। गुप्त जी भी मेरा बचाव करेंगे। चिन्ता न करें।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर आपके पास बचाव पक्ष का वकील तिवारी जी जैसा है तो आप अच्छे मामले में भी हार जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : कल प्रधान मन्त्री जी बलि का बकरा ढूंढते रहे ।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा बलि का बकरा ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने प्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने वह सब पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया जो उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा था और उन्होंने हमें सलाह दी कि हम ··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : और नहीं बस । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, इसे आपने मुझे दे दिया है । मैंने पढ़ लिया है । आप इसे क्यों पढ़ना चाहते हैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । मैंने इसे देख लिया है । रेड्डी जी बैठ जाइये । बस और नहीं । यह क्या हो रहा है ? अब बैठ जाइये ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : यह एकदम गलत है । मैंने इसे पढ़ा है । अब बैठ जाइए । आचार्य जी, अब आप क्यों खड़े हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे कहने दीजिए । कल मैंने बार-बार कहा था कि प्रधान मन्त्री जी ने 1975 की स्थिति का उल्लेख किया था और कहा था कि अगर 1975 जैसी स्थिति पैदा हुई तो वे आपात कालीन स्थिति लागू करने से नहीं हिचकिचायेंगे । हमें इस पर आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब बेमतलब, व्यर्थ तथा अप्रासंगिक है । बैठ जाइए । मैंने टिप्पणी देखी हैं । आप क्या मुझे बोलने नहीं देंगे । मैंने इसे देखा है ।

श्री बसुदेव आचार्य : (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कह रहे हैं उसे रिकार्ड में नहीं रखा जाएगा । मैंने इसे देखा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इसमें जल्दी नहीं दिखाइए ।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी का सवाल नहीं है । कुछ भी देखे बिना इसे करने का प्रश्न नहीं उठता । बिना विचारे मैं कुछ नहीं कह सकता । मुझे नोटिस मिला है । मैंने इसे देखा है ।

[प्रो० मधु दण्डवते खड़े हुए ।]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते । मुझे अपने विवेकानुसार काम करना होगा ।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप क्यों खड़े हैं। यह सब क्या है ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको अधिकार है कि आप इसकी अपने ढंग से व्याख्या करें।

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, आप बैठ जाइये। आप सदन का समय क्यों लेना चाहते हैं ? इससे आपको क्या मिलेगा ? आपने लिखित में दे दिया है। इस बारे में आप कुछ कह भी चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब हम कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं कि हमें उससे क्या मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ ? आपके यह कहने का क्या मतलब है कि इससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ? हम इससे फायदा उठाने की कोशिश क्यों करेंगे ? हम तो वक्तव्य में हुई गलती का उल्लेख कर रहे हैं। आपके यह कहने का क्या मतलब कि हम इससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा था। क्या मैंने कहा ? यह असंगत बात है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह वह नहीं कह रहे जो उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा था। यह बहुत आपत्तिजनक बात है। और तो और अब वह जो कह रहे हैं वह उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में नहीं कहा था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यह कहा था कि स्पष्टीकरण दे दिए जाने के बाद मौजूदा स्थिति में यह बात असंगत है...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा ठीक कहा है। उन्होंने जो कहा उससे मैं संतुष्ट हूं। मुझे मालूम है कि यह ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और क्या पढ़ना है। मैं सीमा का अतिक्रमण नहीं करूंगा। मैंने प्रो० मधु दण्डवते, श्री एस० जयपाल रेड्डी तथा तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिये गए टिप्पणों तथा प्रधान मन्त्री के संवाददाता सम्मेलन की प्रतिलिपि और कल सदन में उनके द्वारा दिए स्पष्टीकरण पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। मेरे विचार से प्रधान मन्त्री द्वारा दिए स्पष्टीकरण के बाद ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं बची जिस पर टिप्पणी की जाए। मामले को अब समाप्त किया जाए।

(व्यवधान)

(तत्पश्चात् प्रो० मधु दण्डवते, श्री इन्द्रजीत गुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

12.12 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

एयर इंडिया के वर्ष, 1985-86 के राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों 1984-85 के बजट प्राक्कलनों और 1985-86 के पुनरीक्षित बजट प्राक्कलनों का सारांश

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) एयर इंडिया के वर्ष 1985-86 के राजस्व और व्यय के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

(2) एयर इंडिया के वर्ष, 1983-84 के वास्तविक आकड़ों, वर्ष 1984-85 के बजट प्राक्कलनों और पुनरीक्षित प्राक्कलनों तथा वर्ष 1985-86 के बजट प्राक्कलनों का सारांश।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-'137/85]

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : विपक्ष का यह व्यवहार खेदजनक है। इससे केवल यही पता चलता है कि उनकी किसी भी बात में गहरी रुचि नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय पर टिप्पणी मत कीजिए। जो कुछ आप कहना चाहते हैं वह कहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : आपने पाकिस्तान के बारे में समाचार पत्रों में छपी खबर देखी है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल आपको इसके बारे में बता दिया था। अब आप अनावश्यक ही दूसरी बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने आपको वचन दे दिया है कि हम हर बात पर चर्चा करेंगे तो आप इसको फिर क्यों लाना चाहते हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : 193 के अधीन इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए क्योंकि श्री निकसन ने कहा है कि वह भारत पर परमाणु बम गिराने पर विचार कर रहे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर कार्य मंत्रणा समिति फैसला करती है तो हम प्रत्येक बात पर चर्चा करेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : अब इससे पाकिस्तान के साथ परमाणु सहयोग की बात सिद्ध होती है ? ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को उठाने का यह तरीका नहीं है। असंगत है। नियम से बाहर है।

प्रो० के० के० तिवारी : आप इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । मैं इस पर चर्चा की अनुमति दूंगा परन्तु इस तरह से नहीं जिस प्रकार से आप इसे उठा रहे हैं । आपको इसे क्यों इस प्रकार से उठाना चाहिए जब मैंने आपको वचन दिया है कि हम इस पर चर्चा करेंगे ? इसमें क्या बात है ?

प्रो० के० के० तिवारी : अगर आप अनुमति दें तो दो वाक्य कहना चाहता हूँ । इसमें कोई नुकसान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपसे कहा है—नहीं, यह असंगत है । जब मैंने आपको वचन दे दिया है कि हम इस पर चर्चा करेंगे तो आप इसे फिर क्यों उठा रहे हैं ? कल मैंने आपको बताया था कि हम इस पर चर्चा करेंगे और हम आज एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : किसी भी सदस्य को सदन में अपने विचारों को प्रतिपादित करने का अधिकार है । आप प्रत्येक सदस्य को सदन में कोई भी मामला उठाने की अनुमति देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । वह 115 के अन्तर्गत था तथा वह कुछ ऐसी बात थी जिसका मुझे जवाब देना पड़ा । वह नियम के अन्तर्गत था, नियम से बाहर नहीं । मेरा विचार गलत हो सकता है; यह निर्णय करना मेरा काम है । परन्तु वे 115 के अन्तर्गत सही थे । उन्होंने 115 के अन्तर्गत नोटिस दिया था और 222 के अन्तर्गत भी ।

प्रो० के० के० तिवारी : किस नियम के अन्तर्गत ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती; यह यहां नहीं उठाया जा सकता । जब मैंने पहले ही आपसे वायदा कर लिया है कि इस पर चर्चा की जायेगी, मैं इस पर चर्चा कराऊंगा ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं आपका ध्यान आकर्षित करके एक गंभीर विषय पर बोलना चाहता हूँ । किसानों के प्रति आपकी सहानुभूति तथा समर्थन के बारे में सम्पूर्ण देश को ज्ञात है ।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत आप बोल रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मुझसे मिलें और मुझे बतायें । मैं आपकी बात सुनूंगा । जो कुछ भी उचित है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी बात सुननी चाहिए । अगर मैं सदन में प्रत्येक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदस्यों को सुनने लगूं तो कुछ भी कार्य नहीं हो सकता । आपका काम मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने का है । अगर आप यह महसूस करते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप यह महसूस करते हैं कि आपको मेरे पास आकर इसे स्पष्ट करना है तो आप मेरे पास आ सकते हैं । परन्तु आप मुझसे यह आशा कैसे कर सकते हैं कि मैं प्रत्येक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दूं ? सौ से भी अधिक ध्यानाकर्षण नोटिस हैं । क्या मैं यह कर सकता हूं ? आप मेरे पास आ सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं रोका है । आप आ सकते हैं । मेरा कक्ष आपका कक्ष है । मैं आपके लिए हाजिर हूं । मैं हरेक बात पर बातचीत करूंगा और निर्णय करूंगा । यह बिल्कुल आसान

है। मैंने चर्चा के लिए दरवाजे बन्द नहीं किए हैं। मैंने कल श्री तिवारी से वायदा किया था कि हम इस पर चर्चा करायेंगे। आज यह सदन में हैं। और जिस विषय का वायदा आज मैंने उनसे किया है उस पर भी चर्चा की जायेगी।

श्री पी० के० थुंगन (अरुणाचल पश्चिम) : मैं आपका ध्यान विद्रोही लोगों की ओर दिलाना चाहता हूँ···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दें।

श्री पी० के० थुंगन : मैंने पहले ही आपको लिखित रूप में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे हर बात का जवाब सदन में दे सकता हूं? आप आकर मुझे बता सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : संक्षिप्त निवेदन करना सदन की परम्परा रही है। अगर आप हमें एक महत्वपूर्ण मामले को, जिसके लिए हमने नोटिस दिया है, उठाने से रोकेंगे तो भविष्य में कुछ भी नहीं हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यही प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या सभी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का जवाब देना मेरे लिए संभव होगा?

प्रो० के० के० तिवारी : आपको जवाब नहीं देना है परन्तु आपसे केवल एक या दो मिनट के लिए सदस्य को अपने विचार प्रतिपादित करने के लिए अनुमति देने की अपेक्षा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : इधर देखिए। आप यहाँ बैठ जाइए और यह पता लगाइए कि क्या यह हो सकता है।

प्रो० के० के० तिवारी : कितने सदस्य प्रतिदिन खड़े होते हैं? मुश्किल से पांच या छः।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी स्थिति देखिए। जरा मेरे प्रति सहानुभूति रखकर मेरे दृष्टिकोण से सोचिए। अनावश्यक ही जब आप मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, जो आप कहते हैं मैं उस पर अमल करता हूँ। जब आप अनावश्यक ही मेरे लिए समस्या उत्पन्न करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपके अधीन हूँ। मैंने आपसे वायदा किया है। और फिर भी आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम मेरी मदद करना है।

———

12.17 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—जारी

[अनुवाद]

लोक सभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों तथा वचनों पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं, लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों, और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) विवरण संख्या 21, आठवां सत्र, 1982

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1138/85]

(2) विवरण संख्या 16, नवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1139/85]

(3) विवरण संख्या 16, दशवां सत्र, 1982

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1140/85]

(4) विवरण संख्या 15, ग्यारहवां सत्र, 1983

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1141/85]

(5) विवरण संख्या 10, तेरहवां सत्र, 1983

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1142/85]

(6) विवरण संख्या 9, चौदहवां सत्र, 1984

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1143/85]

(7) विवरण संख्या 5, पन्द्रहवां सत्र, 1984

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1144/85]

(8) विवरण संख्या 4, पहला सत्र, 1985

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1145/85]

(9) विवणण संख्या 2, दूसरा सत्र, 1985

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1146/85]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा 2 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1985, जो 25 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 509 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1985, जो 1 जुलाई, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 538 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1147/85]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 421 (अ), जो 23 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा अनुज्ञापन अवधि 1984-85 के अधीन जारी की गई आयात-अनुज्ञप्ति के आधार पर आयातित नायलोन टायर सूत पर 75 प्रतिशत मूल्यानुसार तक मूल सीमा-शुल्क कम किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 454 (अ), जो 25 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 18 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 229-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में इस्तेमाल होने वाले टेंटालम पाउडर के बारे में मूल सीमा-शुल्क और प्रति सन्तुलनकारी शुल्क से सम्पूर्ण छूट दी जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 455 (अ), जो 25 मई, 1945 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 18 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 231-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कतिपय अतिरिक्त विनिर्दिष्ट अन्तर्गामी माल के सम्बन्ध में मूल्यानुसार 40 प्रतिशत मूल सीमा-शुल्क की रियायती दर उपलब्ध कराई जा सके और प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सके।

(चार) सा० का० नि० 456 (अ), जो 25 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 18 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 232-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि सभी प्रकार के पीजो विद्युत ऐलीमेंटों से सम्बन्धित प्रविष्टि का प्रयोग किया जा सके।

(पांच) सा० का० नि० 457 (अ), जो 25 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 19 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 279/83-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि कम्प्यूटर कुंजी पटलों के हिस्से-पुर्जों के सम्बन्ध में मूल्यानुसार, 5 प्रतिशत मूल सीमा-शुल्क की रियायती दर उपलब्ध करायी जा सके और प्रति सन्तुलनकारी शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सके।

(छः) सा० का० नि० 460 (अ), और 461 (अ), जो 57 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अल्योमिनियम पिण्डों का भारत में आयात किए जाने पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मल सीमा-शुल्क तथा 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक उपसंघी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(सात) सा० का० नि० 463 (अ), जो 30 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अर्द्ध तैयार चमड़े पर निर्यात शुल्क की दरों को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत करने के बारे में है।

(आठ) सा० का० नि० 464 (अ), जो 31 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 19 अप्रैल, 1982 से अधिसूचना संख्या 117/82-सी० शु० की वैधता की अवधि को 31 मई, 1986 तक बढ़ाने के बारे में है।

(नौ) सा० का० नि० 473 (अ), जो 1 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कांच के चैटमों को, उनका भारत में आयात किए जाने पर, उन पर उद्ग्रहीण समचे अतिरिक्त (प्रतिसम्न तुलनकारी) शुल्क से छूट दी जा सके।

(दस) सा० का० नि० 474 (अ), जो 1 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 43/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि घड़ियों के मुकम्मल खोल और स्प्रिंग बार/साइड बार को छूट वाली मदों की सूची में सम्मिलित किया जा सके और उक्त सूची में दो मदों के वर्णन में कतिपय परिवर्तन भी किए जा सके।

(ग्यारह) सा० का० नि० 475 (अ), जो दिनांक, 1 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 44/85-सी० शु० में कतिपय, संशोधन किया गया है, ताकि क्वार्टज एनालोग कलाई, घड़ियों के लिए घड़ी के मुकम्मल खोलों और स्प्रिंग बार/साइड बार को रियायती शुल्क का लाभ दिया जा सके और दो मदों के विवरण में कतिपय संशोधन भी किए जा सकें।

(बारह) सा० का० नि० 476 (अ), जो 1 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 45/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि मेकेनिकल और क्वार्टज एनालोग कलाई घड़ियों के हिस्से-पुर्जों के निर्माण के लिए मशीनों और जांच उपकरणों को भी रियायती शुल्क का लाभ दिया जा सके।

(तेरह) सा० का० नि० 477 (अ), जो 1 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 46/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि घड़ी केस बैजलों के निर्माण के लिए हाट रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लेटों को भी दिया रियायती शुल्क का लाभ दिया जा सके।

(चौदह) सा० का० नि० 478 (अ), जो 1 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 47-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया था ताकि एसेप्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी के बारे में भी मूल्यानुसार, 10 प्रतिशत की मूल सीमा-शुल्क की रियायती दर उपलब्ध कराई जा सकें।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 486 (अ), जो 10 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा कॉफी पर निर्यात शुल्क को 570 रुपए प्रति क्विटल से घटाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।

(सोलह) सा० का० नि० 514 (अ), जो 28 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 19 अगस्त, 1980 की अधिसूचना संख्या 166-सी० शु० की वैधता की अवधि को दिनांक 30 जून, 1986 तक बढ़ाया गया है।

(सत्रह) सा० का० नि० 515 (अ), जो 28 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 12 जून, 1984 की अधिसूचना संख्या 179/84-सी० शु० की वैधता की अवधि को 30 जून, 1988 तक बढ़ाया गया है।

(अठारह) सा० का० नि० 516 (अ), जो 28 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 जनवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 2-सी० शु० की वैधता की अवधि को 30 जून, 1986 तक बढ़ाया गया है।

(उन्नीस) सा० का० नि० 530 (अ), और 531 (अ), जो 1 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो विद्युत चाप भट्ठी में इस्तेमाल करने हेतु आयातित स्पंज लोहे को, समस्त मूल तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(बीस) सा० का० नि० 532 (अ), जो 1 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो गढ़े हुए (फोर्जिंग क्वालिटी) बिलेटों और स्टेनलेस स्टील ट्यूब ए० एस० टी० एम० ई०-45 के लिए बिलेटों से भिन्न कार्बन स्टील बिलेटों को मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से छूट दिये जाने के बारे में है।

(इक्कीस) सा० का० नि० 538 (अ), जो 1 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में विनिमय करने की पुनरीक्षित दर के बारे में है।

(बाईस) सा० का० नि० 547 (अ) तथा 548 (अ), जो 3 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 10 मी० टन से अधिक की क्षमता वाले फोर्कलिफ्ट ट्रकों के निर्माण के लिए आयातित संघटकों पर मूल सीमा-शुल्क के उतने भाग से, जो मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक हो तथा उपसंगी शुल्क के उतने भाग से, जो मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक हो, छूट दिए जाने के बारे हैं।

(तेइस) सा० का० नि० 553 (अ), जो 4 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 269-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि "एच० बी० जे० गस० पाइपलाइन परियोजना" को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 84.66 के अधीन एक "परियोजना" के रूप में शामिल करने

के बारे में है, ताकि उक्त परियोजना के लिए आयातित सभी प्रकार के माल पर शुल्क की समान रियायती दर लागू की जा सके।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी०-1148/85]

(3) केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 420 (अ), जो भारत के राजपत्र में 16 मई, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 55/79 के-उ० शु० में और संशोधन किया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इस अधिसूचना में उल्लिखित समुद्री प्लाईवुड और वायुयान प्लाईवुड उस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ भारतीय मानक संस्थान के संगत मानकों के सदृश होने चाहिए।

(दो) सा०का०नि० 422 (अ), जो भारत के राजपत्र में 23 मई, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 41/81 में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि दियासलाई की डिब्बियाँ बनाने में कार्ड बोर्ड पट्टियों या स्ट्रिपों को माचिस बनाने के लिए बिजली का उपयोग किया गया हो, तो अर्धमशीनीकृत माध्यम क्षेत्र द्वारा उत्पादित माचिसों के लिए शुल्क की रियायती दर का प्रावधान किया जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 469 (अ), जो भारत के राजपत्र में 1 जून, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सैलुलोस ऐसिटेट संचन कंडिकाओं और ऐसे सैलुलोस ऐसिटेट संचन कंडिकाओं के निर्माण के दौरान रह जाने वाले ढलों और स्क्रैपों को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से जितना मूल्यानुसार 10 प्रतिशत की दर पर संगणित रकम से अधिक है, छूट देने के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 470 (अ), जो भारत के राजपत्र में 1 जून, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो निर्धारित ऊन को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पांच) सा० का० नि० 499 (अ), जो भारत के राजपत्र में 17 जून, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो साइकिलें तथा साइकिल रिक्शों तथा साइकिलों और साइकिल रिक्शों के पुर्जों और उपसाधन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(छः) सा० का० नि० 563 (अ), जो भारत के राजपत्र में ० जुलाई, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो जिलेटिन और सरेस पत्रकों को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से, जो मूल्यानुसार 12 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देने के बारे में है।

(सात) सा० का० नि० 566 (अ), जो भारत के राजपत्र में 10 जुलाई, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 4 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 201/79 के उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया था,

तांकि उक्त अधिसूचना के उपाबन्ध में से "या मरम्मत के लिए" शब्दों का लोप किया जा सके।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1149/85]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० देव सिंह) : मैं, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1985, जो 12 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 489 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1985, जो 12 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना, संख्या सा० का० नि० 490 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (हिमाचल प्रदेश की काडर सदस्य-संख्या को नियतन) नियम, 1985, जो 24 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 505 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) दूसरा संशोधन नियम, 1985, जो 8 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० का० नि० 531 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां सशोधन विनियम 1985, जो 15 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 568 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1985, जो 15 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 569 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1150/85]

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लिखे।

(दो) भारतीय सांख्यकीय संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 (के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1151/85]

12.18 म० प०

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, 20 मई, 1985 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों को मैं सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1985

(2) वित्त विधेयक, 1985

(3) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1985

(4) उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 1985

(दो) महोदय, 20 मई, 1985 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुममति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों की, राज्य सभा के महासचिव द्वारा सत्यापित, प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1985

(2) सिक्का-निर्माण (संशोधन) विधेयक, 1985

(3) आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक 1985

(4) चाय कम्पनी (रूग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1985

(5) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1985

(6) आयुध (संशोधन) विधेयक, 1985

(7) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1985

12.19 म० प०

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश में संशोधन

[अनुवाद]

महासचिव : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमो के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा

जारी किए गए निदेश 115 ख में किए गए संशोधनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1152/85]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

श्री एम० थाम्बी दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

छठा प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय—हिमाचल प्रदेश में पर्यटन संवर्धन—के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का छठा-प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-- सारांश प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्ण साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, आज कालिंग अटेंशन बहुत इम्पार्टेंट सबजेक्ट पर है, इसको 193 में कन्वर्ट किया जाय।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : इस पर 193 के अधीन वाद-विवाद होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया है। परन्तु यदि आप सभी इसे चर्चा के रूप में बदलना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु आपको समय निकालना होगा तथा 6 बजे के बाद बैठना होगा।

श्री बी० के० गढ़वी (बनासकांठा) : हमें बहुत खुशी है कि आप इसे मानने को तैयार हैं। यह अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण मामला है। सभी की राय जानकर इस पर नियम, 193 के अधीन चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं कहता हूं कि मैं इसे मानने को तैयार हूं तब आपको समय निकाला है और छः बजे के बाद बैठना है।

श्री बी० के० गढ़वी : कोई बात नहीं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे आज ही लेना होगा। क्योंकि कल दूसरे पर चर्चा होगी।

एक माननीय सदस्य : महोदय, इसे कल के लिए रखिए।

अध्यक्ष महोदय : कल मुझे एक अन्य मामले पर चर्चा करानी है।

एक माननीय सदस्य : यह गम्भीर मामला है। इस पर ध्यानाकर्षण के अधीन चर्चा नहीं की जा सकती ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने बतायी है। मेरे पास समय नहीं है। मैं समय पैदा नहीं कर सकता···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज छः बजे इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा होगी।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, हर राज्य में बाढ़ का भयंकर प्रकोप चल रहा है। इसके सम्बन्ध में भी चर्चा होनी चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे छः बजे लिया जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, इसे हम चार बजे ले सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई एतराज नहीं है।

[अनुवाद]

हम ऐसा कर सकते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम कल प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, पटसन के गिरते हुए मूल्यों पर मैंने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है···(व्यवधान) पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलें··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप इस बारे में मुझसे बातचीत कर सकते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री तिवारी को बता चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप सहयोग क्यों नहीं देते ? मैं श्री तिवारी को तथा आपको बता चुका हूं कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम इस पर चर्चा करेंगे परन्तु इस पर इस सप्ताह चर्चा नहीं होगी, क्योंकि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे ऊपर थोप नहीं सकते। आप मेरे पास आकर मुझे बताइये

परन्तु इस तरह से नहीं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है ··

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं ?

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे सदस्य हैं। जब मैं आपके साथ सहयोग कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं करते ?

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हम आपके साथ हमेशा सहयोग कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर मैंने आपको यही बताया है कि मैं इस पर चर्चा कराऊँगा···
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइए। आप सदा ही मुझे उत्तेजित क्यों करते हैं ? मैंने आपको वचन दिया है या नहीं।

श्री वसुदेव आचार्य : जी, हाँ।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप बैठ क्यों नहीं जाते ? आप और क्या चाहते हैं। कृपया बैठ जाइए।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपके माध्यम से तथा आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से यह निर्णय किया है कि प्रशिक्षण पर अमरीका फिल्म केन्द्रीय कक्ष में परसों शुक्रवार को 6 बजे सेन्ट्रल हाल में दिखायें। यह केवल सांसदों के लिए होगी। अत: मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप उसे आकर अवश्य देखें।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस लगायें तथा सभी को नोटिस भेजें।

श्री एच० के० एल० भगत : हम नोटिस भेज देंगे। परन्तु मैंने सोचा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अब नियम 193 के अधीन पूर्ण चर्चा के रूप में बदल दिया गया है जिसे हम 4 बजे लेंगे। सभा में सभी की यह राय है।

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।

12.23 म० प०

याचिका का प्रस्तुतीकरण

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं बजट के पुनर्विलोकन, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं उनकी सीमा निर्धारित करने तथा किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलाने के बारे में नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वीमैन, नई दिल्ली, की महासचिव श्रीमती विमला फारूकी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करती हूँ।

12.24 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा 23 जुलाई, 1985 को सभा में पेश किये गये कार्य- मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।".

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 23 जुलाई, 1985 को सभा में पेश किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 8वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.25 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित कोटे को प्राथमिकता के आधार पर भरने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माताओं ने सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जाति/जनजाति/आदिवासियों की भयंकर गरीबी, पिछड़ापन को ध्यान में रखकर ही संविधान में इन वर्गों के लिए क्रमश: 18 प्रतिशत व 2 प्रतिशत का आरक्षण किया था, परन्तु आजादी के 38 वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भी आज तक इन वर्गों का आरक्षण पूरा नहीं हुआ जिससे इनमें व्यापक असंतोष व्याप्त है। साथ ही साथ इन वर्गों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का प्रतिशत भी संतोषजनक नहीं है। वहां भी इन उपेक्षित लोगों की उपेक्षा हो रही है। आवंटित धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है और इन वर्गों के लोग पूर्णत: लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। वस्तुत: इन लोगों की बराबर उपेक्षा हो रही है।

12.26 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अस्तु मैं भारत सरकार से जोरदार तरीके से मांग करता हूँ कि संविधान के अनुरूप आरक्षण को विशेष प्राथमिता देकर पूरा किया जाए तथा स्वीकृत योजनाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिससे इस वर्ग के लोग लाभान्वित हो सके तथा सरकार की मंशा पूरी हो सके।

[अनुवाद]

(दो) मुजफ्फरपुर स्थित विद्यमान दूरदर्शन इनसेट-1 बी ट्रांसमीटर स्टेशन को कायम रखने और बिहार में दरभंगा में प्रस्तावित दूरदर्शन टावर का तुरन्त निर्माण करने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) यह पता चला है कि मुजफ्फर दूरदर्शन इनसेट-बी ट्रांसमीटर स्टेशन को किसी अन्य राज्य में ले जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का "सैटेलाइट इन्स्ट्रक्शन टेलिविजन इक्सपेरिमेन्ट प्रोनाम" के अंतर्गत उत्तर बिहार को एक उपहार था।

ट्रांसमीटर स्टेशन मे प्रोग्राम प्रोड्यूसर सहित पूर्ण प्रोग्राम की एक शूटिंग एकक है तथा इसमें एक कैमरा मैन है। इन सभी वर्षों में स्थानीय लोगों की मांग के बावजूद इस ट्रांसमीटर स्टेशन को सम्पादन की सुविधाएँ नहीं दी गईं जिसके परिणामस्वरूप उत्तर बिहार की विकास योजनाएँ अच्छी प्रकार प्रदर्शित नहीं हो सकीं। इस मांग को पूरा करने की बजाय इस एकक के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि दरभंगा दूरदर्शन टावर, जिसे दिसम्बर, 1994 में पूरा होना था, का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर बिहार की अधिकांश ग्रामीण जनता उस सुविधा से वंचित है जो कि पूरे देश को उपलब्ध है। अत: निवेदन है कि मुजफ्फरपुर दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्टेशनको उस स्थान से स्थानान्तरित न किया जाये तथा दरभंगा दूरदर्शन टावर का निर्माण यथा शीघ्र किया जाये।

[हिन्दी]

(तीन) देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि देश का विकास करना है और उसे गन्तव्य स्थान तक ले जाना है तो भ्रष्टाचार के भूत को अविलम्ब भगाना होगा। इसको भगाने के लिए बड़े कारगर और ठोस कदम उठाने होंगे। सर्वप्रथम राजनेताओं में दूरदर्शिता ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा व त्याग की भावनाये ही नहीं लगानी होंगी अपितु उन्हें उस रास्ते पर चलने में ही गौरव का अनुभव करना होगा तथा उन्हें जीवन को आदर्शों से प्रतिबद्ध करके जनता के सामने रखना होगा। अन्यथा दिखावा, झूठ, प्रदर्शन और गगन से टकराने वाली बातों से वे जनता के मन में अपना स्थान नहीं बना सकेंगे और जब वे इसमें सफलता नहीं पायेंगे तो भ्रष्ट और दुष्प्रवृत्ति के सरकारी अधिकारियों पर तो वे अपना प्रभुत्व जमाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ऐसी सूरत में प्रशासन भ्रष्टाचार से किसी भी स्थिति में मुक्त नहीं हो सकेगा। यह भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्ट पूंजीपतियों और भ्रष्ट अधिकारियों का अपवित्र गठबंठन बना रहेगा। भ्रष्टाचार की परिधि में प्रत्येक कार्य ऐसा आता है जिसके द्वारा गिनेचुने व्यक्ति ही लाभान्वित होते हैं तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों को हानि पहुंचती है। भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए अभिशाप बन चुका है। वह आज पूरे यौवन पर है। इसके तांडव नृत्य ने मानव

समाज को पूरा झकझोर कर रख दिया है तथा नैतिकता, आदर्श सिद्धान्त और नियमों आदि की होली लगा दी है। ऐसी सूरत में सरकार को अपनी पूरी ताकत भ्रष्टाचार को दूर करने में लगानी होगी। यदि सरकार ने इसे भगाने में लापरवाही बरती या इस भूत को परास्त करने में शिथिलता दिखलाई तो यह योजनायें विकास के कामों में, गरीबों को राहत पहुंचाने में सक्षम साबित नहीं हो सकेगी और हम बापू के स्वप्नों का स्वराज्य पाने में अपने आपको असमर्थ पायेंगे, जहां समाज की आखिरी पंक्ति के लोगों को वे सभी सुविधायें उपलब्ध होंगी, जो राजाओं और महाराजाओं को उपलब्ध हुआ करती थीं।

[अनुवाद]

(चार) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में भयंकर सूखे से प्रभावित लोगों को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय को उठाना चाहता हूं :

पूरा उड़ीसा राज्य बुरी तरह से सूखाग्रस्त है। उड़ीसा में कालाहांडी एक ऐसा जिला है जो भुवनेश्वर से 450 कि० मी० की दूरी पर उड़ीसा-मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग सदा ही सूखाग्रस्त रहता है। सूखे के कारण अब यहां बहुत ही अभाव की स्थिति हो गई है। बहुत बड़ी संख्या में यहां के कृषक बेकार हो गये हैं। इस जिले के बोडेन खण्ड में लगभग 60,000 व्यक्ति तथा कोमना खण्ड में लगभग 20,000 व्यक्ति भुखमरी के शिकार हैं। सिनापल्ली खण्ड में लगभग 25,000 व्यक्ति तथा खारीयर खण्ड में लगभग 15,000 व्यक्ति आज अत्यधिक कठिनाई में जीवनयापन कर रहे हैं। उनके लिये कोई काम नहीं रह गया है। कुछ बर्तनों को छोड़कर लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अनेक व्यक्ति काम की तलाश में अपने घरों को छोड़कर रायपुर तथा मध्य प्रदेश में अन्य इलाकों को चले गये हैं।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वहां की स्थिति की गंभीरता का अध्ययन करने के लिए इस जिले में केन्द्रीय दल तत्काल भेजा जाये। और बड़ी संख्या में दोपहर के भोजन केन्द्र खोलने तथा प्रत्येक ग्राम में सूखा राहत कार्य आरम्भ करने के लिये पर्याप्त धन राशि आबंटित की जाये। महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रधान मन्त्री इस क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं।

(पांच) केरल के इडुक्की जिले में विनाशकारी बाढ़ से कुप्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, केरल के अनेक भाग भयानक बाढ़ से त्रस्त हैं और वहां 72 व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है तथा हजारों घर तबाह गये हैं। कृषि और नकदी फसलों को बड़ा भारी नुकसान हुआ जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति हुई है।

इडुक्की को प्राकृतिक कोप के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मूसलाधार वर्षा और भूस्खलन से बहुत बड़े क्षेत्र में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। इडुक्की एक मात्र ऐसा जिला है जहां से भारत से निर्यात की जाने वाली इलायची का 70 प्रतिशत भाग और काली मिर्च का 30 प्रतिशत भाग पैदा होता है। केरल में जितनी चाय का उत्पादन होता है, उसका अधिकांश भाग इस जिले में पैदा होता है काली मिर्च, इलाइची, कॉफी, रबर, नारियल जैसी प्रमुख नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। एक प्राक्कलन के अनुसार इस जिले में 12,000 हेक्टेयर भूमि की काली मिर्च,

11,000 हेक्टेयर की इलाइची 1000 हेक्टेयर का रबर, और 400 हेक्टेयर भूमि के नारियल नष्ट हुए हैं। इसी प्रकार, 5500 हेक्टेयर में अदरक और 5400 हेक्टेयर में लगा केला नष्ट हो गया है। ऐसा अनुमान है कि केवल इन फसलों की हानि से इडुक्की जिले की 40 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली इन फसलों के नष्ट हो जाने से केरल राज्य और विशेषकर इडुक्की जिले की अर्थ-व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो गई है। यह बात याद रखने की है कि इन फसलों से हुई हानि की पूर्ति नहीं हो सकती, जिसे कई वर्षों तक महसूस किया जाता रहेगा क्योंकि कई वर्षों के बाद इन फसलों का लाभ मिलता है। व्यापक रूप से इन फसलों के नष्ट होने का तात्पर्य यह है कि कई वर्षों तक उत्पादन में कमी महसूस की जायेगी। ऐसी स्थिति में, केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि प्रभावित किसानों को उदारतापूर्वक सहायता प्रदान करें। वृक्षारोपन सामग्री, उर्वरक, तथा कीटनाशक दवाई या मुफ्त सप्लाई की जायें और मृदा संरक्षण के लिए सम्पूर्ण श्रम लागत का भुगतान अनुदान के रूप में किया जाय। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल कदम उठाये।

(छः) उड़ीसा में बालासोर और बाड़ीपाड़ा में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दूरदर्शन रिले ट्रॉसमिशन केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री चिंता मणि जेना (बालासोर) : महोदय, उड़ीसा के मयूरभंज जिले के निवासी केवल आदिवासी है और उड़ीसा में बालासोर जिला बाढ़ तथा तूफान पीड़ित क्षेत्र हैं। इन दोनों जिले की जनजातियों के अशिक्षित लोगों को तथा ग्रामीण जनता को शिक्षा देने के लिये यहाँ दूर दर्शन प्रसारण। परिषण केन्द्रों का स्थापित किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अलावा बालासोर देश की रक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा प्रूफ एण्ड एक्सपेरीमेन्टल इस्टेब्लिस-मेंट, पर्यवेक्षण केन्द्र और नेशनल टेस्ट रेंज नामक एक अद्वितीय संस्था है जो विश्व में अपने किस्म का द्वितीय ऐसा संस्थान है, तथा यहाँ दूरदर्शन और दूर संचार सुविधाओं का जाल बिछाने के मामले में विशेष प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से बालासोर जिले के मुख्यालय नगर बालासोर में तथा मयूरभंज जिले के मुख्यालय नगर, बारीपाड़ा में एक निम्न-शक्ति वाला दूरदर्शन परिषण। प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है कि सातवीं योजना अवधि मे, इस कार्य को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की जाये।

ऐसी स्थिति में, माननीय सूचना और प्रसारण मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य के बालासोर और बारीपाड़ा में एक-एक निम्न शक्ति वाला दूर दर्शन प्रसारण। परिषण केन्द्र स्वीकृत किया जाये जिससे कि उन उपभोक्ताओं की लम्बे समय से इच्छित मांग पूरी हो सके जिन्होंने 1982 से ही सैकड़ों टी० वी० खरीद रखे हैं और जो बेकार पड़े हुए हैं।

(सात) पश्चिम बंगाल के छोटे और सीमांत कृषकों को लाभ पहुँचाने के लिये सहकारी बैंकों के पुराने ऋण माफ करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : इस विषय को उठाने से पहले मैं श्री जनार्दन पुजारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।

बार-बार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे 1978 में पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े क्षेत्र में भारी बाढ़ 1982-83 में इसी राज्य में भयानक सूखे, 1984 में कीटों तथा दूर-दूर तक आने वाली बाढ़

के कारण फसलों को भारी क्षति होने के कारण यहाँ के बहुत सारे छोटे और सीमांत किसान सहकारी बैंकों और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का पैसा नहीं लौटा पाये हैं और उन्हें और ऋण तथा अन्य सहायता के लाभों से वंचित रखा जा रहा है। यह स्थिति इस बात से और भी गंभीर हो गई है कि अनेक मामलों में ऋण की राशि मूल राशि के तीन गुणों से भी अधिक हो गई है जिसके कारण निर्धन ऋण प्राप्त कर्ता उन्हें उनको लौटाने में असमर्थ हैं। सबसे अधिक परेशानी में सीमांत किसान है जो अधिकांशत: गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं क्योंकि उन्हें राज्य सहायता योजनाओं के सभी लाभों से वंचित कर दिया गया है और वे पूर्णत: साहूकारों की दया पर आश्रित हैं। अनेक अन्य राज्यों में भी इस स्थिति में विशेष अन्तर नहीं है।

इस कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वित्त मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम सीमांत किसानों का सहकारी बैंकों से लिए गये पुरानी ऋण-राशि को माफ करने के लिए कहा जाये जिससे कि ये सीमांत किसान सहकारी बैंकों को ऋण की राशि लौटाने से बच जायें। मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि सीमांत किसानों के अन्य बैंकों से लिए गए पुराने ऋणों की पुन: जाँच कराई जाये और बकाया राशि माफ करा दी जाये। किसी भी स्थिति में प्रारम्भ में यह कदम उठाया जाय कि छोटे और सीमांत किसानों पर जो ऋण बकाया है, उसका ब्याज यदि मूल से अधिक हो गया है तो वह ब्याज अवश्य ही माफ कर दिया जाये। इसके लिए, यदि आवश्यक हो, तो केन्द्रीय ऋण राहत निधि से धन दिया जाए। वित्त मन्त्री से मेरा नम्र निवेदन है कि वह इस प्रश्न पर अविलम्ब विचार किया जाये।

(आठ) कर्नाटक में विजय नगर में एक इस्पात संयन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : एक दशक पूर्व, हमारी स्वर्गीया प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने कर्नाटक में विजय नगर में एक इस्पात संयन्त्र की आधार शिला रखी थी। किन्तु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारण इस्पात संयन्त्र सम्बन्धी कार्य को पूरा करने में देरी हो गई है। पानी, बिजली आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की कोई समस्या नहीं है। वास्तव में कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने 6 अप्रैल 1985 को राज्य विधान सभा में यह घोषणा की थी कि केन्द्र की आवश्यकतानुसार वह बिजली की अपेक्षित मात्रा हर समय सप्लाई करने को तैयार हैं। "यदि आवश्यक हुआ तो बिजली कल से भी सप्लाई की जा सकती है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि रामागुण्डम सुपर तापीय परियोजना, आन्ध्र प्रदेश से कर्नाटक को दिए जाने वाला कोटा तथा रायचूर तापीय परियोजना की पूरी बिजली उपरोक्त इस्पात संयन्त्र को दे दी जायेगी।

फरवरी 1985 में एक गोल मेज सम्मेलन हुआ था जिसमें इस्पात से सम्बन्धित प्रमुख व्यक्तियों ने भविष्य के लिए निवेश प्राथमिकताओं के बारे में, अल्पकालिक परिचालन के बारे में, विपरण सम्बन्धी विकास, श्रम नीति आदि के बारे में चर्चा की थी।

इस इस्पात संयन्त्र की स्थापना में हो रही अत्यधिक देरी के कारण कर्नाटक के लोगों में बहुत अधिक परेशानी व्याप्त है, इसी लिए मान्य प्रधान मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि विजय नगर इस्पात संयन्त्र की स्थापना के लिए इस्पात मंत्रालय को तत्काल कदम उठाने के निदेश दिए जायें।

12.39 म० प०

राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक को लेंगे। 2 घंटे 28 मिनट पहले ही बीत चुके हैं। अब 32 मिनट शेष हैं। इस लिए मेरा अनुरोध है कि सदस्य गण थोड़ा समय लें। प्रत्येक सदस्य दो-तीन मिनट का समय लें। मन्त्री महोदय को भी उत्तर देना है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मैं केवल पाँच मिनट लूंगा।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक 1985, का समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि यद्यपि इस विधेयक से सम्बन्धित उद्देश्यों और कारणों का कथन में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है लेकिन जब हम इसके वास्तविक स्वरूप, संशोधन और कार्यान्वयन प्रणाली पर विचार करते है तो कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और संभवत: माननीय मन्त्री उन पर ध्यान देंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कुछ मुद्दों पर कुछ पाबंदियाँ कहाँ लगाई जा सकती हैं। शुरू में ही, मैं इस अधिनियम में इस प्रकार संशोधन किये जाने का स्वागत करता हूँ राज्य वित निगम विपणन और निवेश सम्बन्धी अनुसंधान और सेवाकार्य पर विचार कर सके तथा तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कर सके और तकनीकी तथा अन्य प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सके। इसका कारण यह है कि लघु उद्योग के 10 प्रतिशत यूनिट विपणन की सुविधा न होने, आर्थिक अभाव के कारण उनके द्वारा अनुसंधान न किये जाने और सहकारी सुविधा न प्राप्त होने से ग्राहकों को अपेक्षित सामान्य सेवा न प्रदान करने के कारण समाप्त हो जाते हैं।

चूंकि संशोधन इस सभा में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। संशोधन किए जाने के पश्चात् राज्य वित्त निगम को निश्चित रूप से स्पष्ट निर्देश दिए जायें कि वे विभिन्न वर्ग के उद्योगों, विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता प्रदान करे। ऐसा न हो कि राज्य वित्त निगम न केवल बड़े और मध्यम वर्ग के उद्योगों की ओर ध्यान दें और लघु उद्योगों की उपेक्षा करें। अनुसंधान, विपणन और निवेश सम्बन्धी सेवा तथा तकनीकी आर्थिक सेवा की सुविधायें लघु उद्योग क्षेत्र को भी उपलब्ध कराई जायें क्योंकि इन सेवाओं की वास्तविक आवश्यकता बड़े तथा मध्यम वर्ग के उद्योग क्षेत्रों की अपेक्षा लघु उद्योग क्षेत्र को अधिक है क्योंकि माध्यम और बड़े आकार के उद्योग क्षेत्र अपना अनुसन्धान विभाग स्थापित करने में समर्थ हैं तथा उन्हें अपना अनुसन्धान विभाग तथा अपना अध्ययन कार्य स्वयं ही चलाना चाहिए। किन्तु लघु उद्योग क्षेत्र को इसके लिए सहायता चाहिए।

यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि राज्य वित्तीय निगम का कार्य केवल लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता देना नहीं है किन्तु फिर भी जहाँ तक इन अनुसन्धान और सेवा सुविधाओं का सम्बन्ध है, इस निगम को इस विशाल लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। वस्तुत: निवेश की गई कुल राशि और उद्योग समूह के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र विशाल है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस पर विचार किया जाये।

दूसरे, मैं इस विधेयक का इसलिए भी स्वागत करता हूँ क्योंकि संशोधन स्पष्टत: पृष्ठ 5 पर खण्ड 15 के उप खण्ड (ख) में दिये गये शब्दों में परिवर्तन करने के लिये लाया गया है :

"(दो) "ऐसे डिबेन्चरों अथवा ऋणों को परिवर्तित करने" शब्दों के स्थान पर "ऐसे डिबेन्चरों अथवा ऋणों पर बकाया राशि को परिवर्तित करने" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।"

इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। वस्तुतः यदि दस रुपये बकाया हैं, तो एक लाख रुपयों की, ऋण राशि को तत्काल इक्विटी के रूप में दिये जाने की, भविष्य में अनुमति नहीं दी जायेगी। यह बात समझ में आने वाली है कि सरकार ने इस संशोधन का प्रस्ताव क्यों रखा है। किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मेरे विचार से सरकार की सावधानी शब्द पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात् किसी समय में, यदि थोड़े समय के लिये रुपया बकाया है तो उस रुपये को तत्काल इक्विटी में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भूतकाल में राज्य वित्तीय निगम तथा राष्ट्रीय वित्तीय निगम इस खण्ड का उपयोग करता रहा है, जिससे प्रत्येक ऋण समझौते में ऋणों और डिबेन्चरों को इस तरीके से इक्विटी में परिवर्तित करने का रवैया अपनाया जाता रहा है कि संतोषजनक ढंग से चलने वाली प्रबन्ध व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण कर सकें। इस संशोधन से निश्चित रूप से इस राशि के बकाया रह जाने से पूर्व रोकी जा सकेगी तथा यह सुनिश्चित हो जायगा कि राशि के बकाया रहने पर ही उसे इक्विटी में परिवर्त्तित किया जा सकेगा। कम से कम सावधानी के लिए उन्हें सचेत अवश्य किया जाये। सरकारी धन का उपयोग करते समय राज्य वित्तीय निगम को केवल इस आधार पर कम्पनियों का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए कि कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों की देख-रेख में वे कम्पनियाँ ढंग से नहीं चल रही हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनके बारे में माननीय मन्त्री महोदय को भी पता है, जिनमें कम्पनियों को केवल इस कारण अधिगृहीत किया गया है क्योंकि वित्त निगम अथवा कम्पनियों में अध्यक्ष के कारण ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि विभिन्न निदेशों द्वारा वह इस बात को सुनिश्चित करें कि उपरोक्त घटनाओं की आवृत्ति न हो।

इसके अलावा जहाँ तक जमा राशि बढ़ाने से सम्बन्धित खण्डों और संशोधनों का सम्बन्ध है, जिसे राज्य वित्त, निगम बढ़ा सकते हैं, मेरा सुझाव है कि वित्त निगम द्वारा जमा पर दिये जाना वाले ब्याज की दर आकर्षक होनी चाहिए और उस पर भारतीय रिजर्व बैंक की इतनी भी पाबंदी न हो कि इनमें पैसा लगाने में किसी की रुचि ही न रह जाए।

इस देश में धन उपलब्ध है; इसे इकट्ठा तो किया जा सकता है किन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात को समझते है कि 6 प्र० श० या 8 प्र० श० की ब्याज पर उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए लोग तैयार न होंगे तथा इस तथ्य की ओर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी अनेक निजी वित्तीय संस्थायें उभरती रही है जो सार्वजनिक धन को इकट्ठा करने में समर्थ रहीं है और जिनके पास 'वास्तव में निजी बैंक हैं उदाहरण के लिए मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र सलेम में उनके पास निजी बैंक हैं। ये संस्थायें, अपने ग्राहकों से वस्तुतः बेहतर प्रतिभूति प्राप्तकर ऋण देती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है आपकी वित्तीय संस्थायें, राज्य और केन्द्र औद्योगिक समुदाय की सेवा भी ढंग से नहीं कर सके हैं तथा साथ ही लोगों के पास उपलब्ध धन को वे इकट्ठा नहीं कर पाए हैं।

इस संशोधन का स्वागत करते समय, अन्तिम रूप से मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जब कभी भी हम लोग अपने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम और औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम में संशोधन करने चाहते हों; तब उसके मंतव्य पर ही विचार किया जाता है। क्या हमारा इरादा जनता के पास उपलब्ध धन को इकट्ठा करने का और उसे विकास कार्यों में लगाने का है अथवा क्या हम पाबंदियाँ लगाते रहेंगे जिससे कि कोई विकास कार्य हो ही न सके।

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ; क्योंकि ऐसा करना आवश्यक एवं समयानुकूल है; और इससे इस देश के वित्तीय ढांचे के बहुत ही महत्वपूर्ण खण्ड में सुधार लाकर उसे युक्ति संगत बनाया जा सकेगा जिससे कि लघु और माध्यम आकार के उद्योगों का तेजी से विकास हो सके।

ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने तथा उत्पादन साधनों के विवेकपूर्ण वितरण के दृष्टिकोण से लघु उद्योग क्षेत्र का क्या महत्व रहा है; इस पर अधिक प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय निर्धनता और बेरोजगारी के विरुद्ध युद्ध के लिए यह एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। गत 30 वर्षों के दौरान राज्य वित्तीय निगमों का कार्य निष्पादन सभी दृष्टिकोण से प्रशंसनीय रहा है। आज की तारीख तक उनके द्वारा देश के 1½ लाख लघु उद्योगों को लगभग 2,500 करोड़ स्वीकृत कर वितरित की जा चुकी हैं। जिसमें से वस्तुतः 65 प्र० श० राशि पिछड़े इलाके के लिए स्वीकृत की गई है। बांटी गई कुल राशि में से 70 प्र० श० राशि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है। किन्तु राज्य वित्तीय निगमों के कार्य निष्पादन में अनेक उलट-फेर असफलतायें और कमियां होती रही हैं। इसमें संसाधनों की अत्यधिक कमी, परियोजनाओं का असंतोषजनक मूल्यांकन, राशि स्वीकृत करने में बार-बार देरी किया जाना, स्वीकृत राशि और वितरित की जाने वाली राशि के बीच बहुत बड़ा अन्तर तथा कलातीत भारी बकाया राशि जैसी त्रुटियां सदा ही बनी रही हैं।

इस विधेयक का उद्देश्य इन निकायों को परिभाषित करना इनके बारे में स्पष्टीकरण देना तथा इन्हें मजबूत बनाना है ताकि वे भावी चुनौतियों का सामना अधिक विश्वास के साथ कर सके।

विधेयक में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य वित्त निगमों के पूंजीगत आधार को व्यापक बनाया जाए। इसकी प्राधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। बाजार-ऋण को सरल और कारगर बना दिया गया है। अब ये निगम जनता से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं तथा राज्य सरकार वित्तीय गारंटी प्राप्त किए बिना डिबेंचर और बांड जारी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है बाजार में काफी धनराशि है। उदाहरण के लिए 1982-85 में गैर बैंकिंग कंपनियों ने खुले बाजार से 32 प्रतिशत जमा राशि प्राप्त की जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक 17 प्रतिशत ही जमा कर पाए। वित्त निगमों के मौजूदा संसाधन ढांचे से अन्तर्गत निजी व्यक्तियों से एक प्रतिशत से भी कम धन राशि जमा की जाती है। जमा राशि की सीमा, रिजर्व बैंक से ऋण लेने की सीमा तथा कुल उधार की सीमा कई गुना बढ़ाने से राज्य वित्तीय निगमों को अधिक आत्मनिर्भर हो सकेंगे तथा उधार देने की उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

धारा 4 (3) (ग) द्वारा राज्य वित्तीय निगमों की हिस्सा पूंजी का आधार व्यापक करने में इसी प्रकार की अन्य एजेंसियों की भागीदारिता द्वारा अन्तर एजेंसी समन्वय को बढ़ाया गया है।

इन राज्य वित्तीय निगमों के कार्य संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला एक कारण बड़ी संख्या में ऋणों की वसूली न कर पाना है। ऐसी स्थिति में धारा 31 (एक) (क क) और 34 (4) क के अन्तर्गत जमानत देने वालों से बकाया राशि वसूल करने के लिए विधिक उपबन्ध हैं। राजस्व वसूली के लिए निर्धारित प्रक्रिया को लागू किया गया है।

इन वित्तीय निगमों को पूरी तरह प्रोत्साहन देने वाले अभिकरण बनाने के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी-आर्थिक अध्ययन तथा उसकी विकास की व्यवस्था की गई है। मूल अधिनियम में "औद्योगिक-संस्था" की संक्षेप में दी गई परिभाषा में राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अनुरूप परिभाषा को व्यापक बनाकर हर तरह के औद्योगिक कार्यकलापों को इसके अन्तर्गत लाया गया है।

धारा 26 और 28 में ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई है। आरक्षित तथा प्रदत्त हिस्सा पूंजी के तौर पर इस राशि को एक करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री इसका स्पष्टीकरण करें कि इस धारा में इसको इतना अधिक बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए करने की क्या जरूरत थी। क्या इससे बेंकिग नौकरशाही तथा वित्तीय संस्थाओं की नौकरशाही को इस सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास पर दिए जा रहे जोर को कम करने का मौका नहीं मिलेगा?

संशोधन करने वाले विधेयक के लिए इतना कुछ।

राज्य वित्त निगमों के कार्य निष्पादन का निर्धारण केवल उस कानूनी रूप रेखा से नहीं होगा जो आप उसे देने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इन निगमों के कार्य करने का ढंग अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। परियोजना-मूल्यांकन, अनुवर्ती कार्यवाही तथा निगरानी की व्यवस्था को सरल और कारगर बनाना होगा। बहुत से वित्त निगम भ्रष्टाचार के अड्डे हैं और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वहां के कर्मचारियों तथा ऋण प्राप्त कर्ताओं की आपस में सांठ गांठ है। बड़े व्यवस्थित ढंग से किए गए घोटाले प्रकाश में आ रहे हैं। मन्त्रालय को राजनैतिक दृढ़ता द्वारा इस गंदगी को दूर करना होगा।

एक स्वागत योग्य बात है कि केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का इन निगमों पर उन अधिक नियन्त्रण रहेगा क्योंकि अधिनियम में दी प्रथम स्तर अधिकतम सीमा के बाद प्रत्येक बढ़ोत्तरी के लिए उन्हें सरकार के समक्ष आना होगा और सरकार की निगम की नीतियां और व्यावसायिक प्रबन्ध तथा एकीकरण का विस्तार से जांच करने का अवसर मिलेगा।

निष्कर्ष के रूप में, वित्त उद्योग का जीवन है तथा वितीय निगम राज्यों में लघु उद्योगों के विकास के लिए प्राणाधार हैं।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकारा) : मैं वित्तीय एजेंसियों द्वारा पूंजी निवेश तथा उसे एकत्र करने का आधार बढ़ाने वाले इस संशोधी विधेयक का स्वागत करता हूं।

देश के जिस भाग में हम रहते हैं वहां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। बहुत सी गैर सरकारी एजेंसियां, जिन्हें हम अपनी भाषा में 'ब्लेड कंपनियां' कहते हैं, किसी आधार पर बहुत सा पैसा इकट्ठा करके विभिन्न एजेंसियों को उद्योग आदि शुरू करने के लिए दे देती हैं और उनसे भारी ब्याज वसूल करके देश में काले धन की जमाखोरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी हैं। अगर सरकारी एजेंसियां जनता में पूंजी निवेश के लिए साख बना लें तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। देश में पैसा है लेकिन अगर इसे एक स्थान पर एकत्र किया जाए और उसे राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाए तो यह राष्ट्रीय आय बढ़ाने का एक अच्छा उपाय सिद्ध होगा।

हाल ही में अपनी विदेश-यात्रा के दौरान मैंने पाया कि वहां रहने वाले भारतीय यहां पूंजी लगाने को तैयार है बशर्ते कि इस सरकारी एजेंसी की तरह कोई उपयुक्त एजेंसी उन्हें पूंजी निवेश करने पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। अगर इन वित्तीय निगमों के माध्यम से जरूरी गारण्टी देकर उन्हें पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। मैंने खाड़ी के देशों में भारतीय संस्थाओं (इण्डियन एसोसियेशन्स) के लोगों से भी मुलाकात की थी। वे भारत में उद्योग शुरू करने हेतु पूंजी निवेश के लिए तैयार हैं बशर्ते कि हम उनके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करें। मालूम नहीं कि क्या कोई ऐसा प्रोत्साहन फार्मूला है जिसके माध्यम से राज्य वित्तीय निगम इन लोगों को प्रोत्साहित करके धन एकत्र कर सकें ताकि उससे विभिन्न उद्योगों को

ऋण दिया जा सके। बहरहाल अब पूंजी एकत्र करने तथा उसके निवेश का आधार व्यापक कर दिया गया है। यह बहुत स्वाभाविक बात है। उद्योग शुरू करने के लिए अधिक पूंजी निवेश की जरूरत होती है। जरूरी बात है कि लघु तथा बड़ी संस्थाओं के पास उद्योग शुरू करने के लिए जो कुल राशि है उसमें वृद्धि करनी होगी और यही इस संशोधन के माध्यम से किया जा रहा है।

यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। भारत में सहकारी क्षेत्र है और उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर राज्य वित्त निगम उद्योग शुरू करने और उद्योग शुरू करने के लिए कम ब्याज पर वित्तीय सहायता देने तथा सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले इस किस्म के उद्योगों को प्राथमिकता देने पर विचार करें तो उसका देश पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। अत: मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि राज्य वित्त निगम अधिनियम को लागू करते समय ऋण देने के मामले में सहकारिता क्षेत्र को प्राथमिकता दें और वित्त निगम तथा ऐसी ही ऐजेंसियों से ऋण लेने वालों की सूची में इसे भी शामिल किया जाए। चर्चा में भाग लेने वाले मेरे बहुत से सहयोगियों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि निजी उद्योगपतियों द्वारा वित्त निगमों से ऋण लेने और फिर उसे न लौटाने के मामले में भ्रष्टाचार आदि का बोलबाला ही उनसे ऋण की राशि वसूल करना बहुत कठिन काम है क्योंकि ये ऋण अशोध्य ऋण हैं और वे अपने तुलना पत्र में उसका उल्लेख अनुपलब्ध ऋण के रूप में करते हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें निजी उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने के लिए सरकारी क्षेत्र से पैसा लिया और उसे किसी अन्य उद्योग में लगा दिया। मैं औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर संघ का काम कर चुका हूं। मैंने देखा है कि निजी नियोक्ता न केवल वित्त निगमों बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से पैसा लेते हैं और उसे उन कामों में लगा देते हैं जिनके लिए पैसा नहीं लिया होता। मैंने देखा है कि ऐसे उद्योग अन्ततः बन्द हो रहे हैं और उनमें लगे कामगारों को देय मजदूरी का भुगतान किए बिना, नौकरी से निकाल दिया जाता है। मैं बहुत से

1.00 म० प०

ऐसे मामलों का उल्लेख कर सकता हूँ, जिनमें सार्वजनिक विधि से ली गई बड़ी रकम का दुरुपयोग किया गया है इससे बचने के लिए मेरा सुझाव है कि इसमें सहकारी क्षेत्र शामिल हो। यह अधिक बेहतर और स्वागत योग्य होगा क्योंकि सहकारी क्षेत्र में लोकतान्त्रिक आधार होता है और उसके कार्यों में जनता, कामगार तथा समाज में अन्य वर्ग भी सम्मिलित होते हैं। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक का समर्थन करते हुए मेरा सुझाव है कि इसमें सहकारी क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देने तथा विदेशों में रहने वाले उन लोगों को जो यहां पूंजी लगाने को तैयार, आकर्षित करने के लिए विशेष उपबन्ध बनाये जाएं।

1.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य वित्तीय निगम, 1951 में संशोधन करने वाले विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। निगम को अधिक कारगर बनाने के लिए ये संशोधन जरूरी हैं।

साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य का ध्यान कुछ अन्य पहलुओं की ओर भी दिलाना चाहता हूँ। आजकल कुछ लोग किसी उद्योग विशेष को स्थापित करने केलिए ऋण लेते हैं लेकिन वे उस ऋण राशि का दुरुपयोग या दुर्विनियोजन करते है। उद्योग अगर स्थापित कर भी लें तो जान-बूझ कर उसे रुग्ण एकक बना देते हैं। जिससे बहुत सी समस्यायें खासकर श्रमिक समस्या पैदा होती हैं। ऋण देते समय सम्बन्धित अधिकारियों को यह बात सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए कि ऋण का उपयोग उसी काम के लिए किया जाएगा जिसके लिए उसे लिया गया है। यही नहीं उद्योग विशेष के लिए ऋण लेने और उसे रूग्ण यूनिट बनाने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति अपने, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के नाम से कोई और उद्योग स्थापित करने में जुट जाता है और उसी या किसी और वित्तीय संस्था से फिर ऋण ले लेता है। इस की भी जाँच करने तथा इस बुराई को समाप्त करने की जरूरत है। जैसा कि रिपोर्ट में हमने देखा है कि ऐसा भी होता है कि दिए गए ऋण की वसूली न हो और ऐसे ऋण की मात्रा बढ़ती ही जाए तथा वित्तीय संस्थाओं को भारी हानि हो।

जिन मामलों में ऋण किस्तों में दिया जाता है उनमें दूसरी किश्त का भुगतान करने से पूर्व इसकी जाँच की जानी चाहिए कि जिस उद्देश्य से पहली किस्त दी गई थी, क्या उसका उपयोग उसी काम के लिए किया गया है।

अगर इन पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाए तो वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

बहरहाल इन संशोधनों से लघु उद्योगों को बहुत सीमा तक सहायता मिलेगी। लेकिन उनकी सहायता के लिए कुछ और करने की भी जरूरत है लघु उद्योग मध्यम या बड़े उद्योगों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाने के कारण नुकसान उठाते हैं। सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से, इन उद्योगों को सहायता दी जानी चाहिए अर्थात् वे विभाग अपनी जरूरत का सामान इन उद्योगों से खरीदें। इस समय ये उद्योग अपना माल बेच नहीं पाते है और उनका माल बिना बिका ही पड़ा रहता है। कुछ मामलों में सरकारी विभाग लघु उद्योगों से सामान नखरीद कर बड़े उद्योगों से खरीदते हैं। इस बात पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि बकाया ऋणों की वसूली की जाए। और उपयुक्त समय पर वसूली की जाए अन्यथा इनकी राशि बढ़ती ही जाएगी और एक ऐसी स्थिति आएगी जब वित्तीय निगमों के लिए ऋण देना सम्भव ही नहीं होगा। अतः इस प्रश्न पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मन्त्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है वह एक बहुत ही अच्छा बिल है। अगर सही तरह से इस को लागू किया गया तो देश में बहुत सारा औद्योगिक विकास इस से हो सकता है। परन्तु मुझे यह शंका है कि इस तरह के बहुत से निगम जो बनते हैं उनके बनने के बाद हमारा सिस्टम ठीक नहीं बन पाता और ये निगम घाटे में चले जाते हैं। तो मन्त्री जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले इसका सही सिस्टम बनाएं, नियम और रूल्स रेगुलेशंस बनाएं और इनमें काम करने वाले जो अधिकारी रखे जाते हैं वह टेक्नोक्रेट्स और अच्छे लोग हों। दूसरे लोग अगर बैठ जाते हैं तो उस से इनका काम सही ढंग से नहीं चल पाता। हमारे देश में औद्योगिक विकास जो आज नहीं हो पाया उसका कारण यही है कि उसमें हमारी नौकरशाही बहुत बड़ा रोड़ा बन कर खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें आती हैं। कोई भी उद्योगपति कहीं अपना उद्योग लगाना चाहता है और उसके लिए बैंक से या फाइनेंशियल इस्टीच्यूशंस से पैसा लेना चाहता है तो उसको समय पर पैसा नहीं मिल पाता

और जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाए जिस में अच्छे अधिकारी उसमें बैठें और लोगों का उससे भला हो।

जहां तक अनुसन्धान और मार्केटिंग की बात है, हमारे देश में छोटे-छोटे उद्योग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वर्ल्ड के अन्दर जापान और जर्मन जैसे देश ऐसी बहुत सारी चीजें काफी सुन्दर बनाकर सस्ते दामों पर मार्केट में लाकर छोड़ देते हैं और लोग उसी को खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी इस बात के लिए कान्टीन्युअम रिसर्च होनी चाहिए कि जिस चीज में हम पैसा लगाना चाहते हैं और अच्छे उद्योग लगाना चाहते हैं, वर्ल्ड में उसकी क्या पोजीशन है और कौन सी चीज में हमें अपने यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना है। सोवियत यूनियन में आप देखें तो सोवियत यूनियन का आदमी बाहर की कोई चीज नहीं खरीद सकता है। लेकिन यहां भारत में तो लोग इस बात के लिए तैयार ही नहीं होंगे। वह तो हमारे यहाँ की चीज चाहे कितनी ही सुन्दर हो लेकिन दूसरे देश की मोहर जिस पर लग जायेगी उसी को खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो निगम के फाइनेंस के द्वारा जो चीज बने वह मार्केट में बिके इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और इसके ऊपर बराबर रिसर्च होती रहनी चाहिए। अगर आप ने किसी उद्योग को फाइनेन्स किया लेकिन उसके द्वारा बनाई गई चीजों की मार्केटिंग नहीं हो सकी, उसको मार्केट नहीं मिला तो वह उद्योग फेल हो जाएगा। इस तरह जो पब्लिक की पूजी आप निगम को देंगे और निगम उसको इण्डस्ट्रीज को देंगे वह इण्डस्ट्रीज बैठ जायेंगी।

दूसरे, हमारे यहाँ बहुत सारा रा-मैटीरियल पिछड़े हुए एरियाज और आदिवासी एरियाज में उपलब्ध है जहाँ बहुत से उद्योग लग सकते हैं। लेकिन कोई भी उद्योगपति जहाँ एयरपोर्ट या रेल या सड़क की व्यवस्था है वहीं पर उद्योग लगाना चाहता है। सड़क से दो सौ किलोमीटर या तीन सौ किलोमीटर दूर चल कर अपना उद्योग लगाने के लिए और उसको फाइनेन्स करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इन कारपोरेशंस के ऊपर यह क्लीमेशन भी लगानी चाहिए कि उनको पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाकर उद्योग लगाने पड़ेंगे ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके तथा वहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों का भी पूरा पूरा उपयोग हो सके। इस प्रकार की कन्डीशन उन पर डालनी चाहिए।

इन्डस्ट्रीज के मामले में विभिन्न क्षेत्रों में जो इम्बैलेंसिंग, असमानता पैदा हो रही है, उसको भी दूर करना चाहिए। हर क्षेत्र में उद्योगों के मामले में समानता होनी चाहिए (व्यवधान)

अब चूंकि आपने घंटी बजा दी है इसलिए और अधिक न कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इसके अनुसार काम चलेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बी० बी० रमैया (ऐलुरु) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय इस विधेयक में दो सर्वाधिकार महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए बधाई के पात्र हैं, नामत: पूंजी को बढ़ाने के लिए और ऋण लेने की सीमा को 30 लाख से बढ़ कर 60 लाख रुपये कर देने के लिए।

मैं दो सुझाव देना चाहूंगा। वित्तीय निगमों के पास आने वाले अनेक लोगों को सबसे बड़ी इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि जो आवेदन-पत्र निर्धारित किया गया है वह बहुत बड़ा और विस्तृत है। मेरे विचार से हमें इसको सरल बनाना पड़ेगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इन नियमों और विनियमों का निर्धारण करता है और वित्तीय निगमों के पास उसके द्वारा प्रदत्त नियमों को स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस आवेदन-पत्र

को सरल बनायेंगे क्योंकि अनेक लोगों की शिकायतें निरन्तर आती रहती हैं।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जहां तक थियेटरों और अस्पतालों जैसी अनेक मदों के लिए ऋण देने का सम्बन्ध है, इस निगमों पर कुछ पाबन्दियां हैं। अस्पतालों का कहना है कि उन्हें अकेले भवन के लिए वित्त न दिया जाकर, उपस्करों के लिए भी दिया जाना चाहिये। होटलों के मामले में तो आप भवन और उपस्कर दोनों के लिए वित्त प्रदान करते हैं, लेकिन अस्पतालों के मामले में आप ऋणों को भवन तक ही समिति रखना चाहते हैं। इससे पहले तो वे दर्जियों तक को वित्त प्रदान किया करते थे, परन्तु बाद में उन्होंने वह बन्द कर दिया। परन्तु ये वे अनिवार्य चीजें हैं, जो विभिन्न संचालन उद्देश्यों हेतु माध्यम एवं लघु उद्यमियों के समर्थनार्थ चाहिए। मैं मोटर लारी जैसी परिवहन मोटर गाड़ियों के लिए भी वित्त प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देना चाहूंगा। हम मिनी-बसों के लिए वित्त प्रदान नहीं कर रहे हैं। मिनी-बसों के लिए वित्त प्रदान करना भारतीय औद्योगिक विकास बेंक को स्वीकार्य नहीं है। परन्तु लोगों को सहायता पहुँचाने के मार्ग में आने वाली कुछ अड़चनें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा। वित्तीय निगम मुख्य रूप से धन कमाने वाले सस्थान नहीं है। मैं जिस महत्वपूर्ण पद का सुझाव दूंगा वह यह है कि उन्हें कुछ प्रगतिजन्य कार्यकलाप भी हाथ में लेने चाहिए। उदाहरण स्वरूप, अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों और विभिन्न महाविद्यालयों के स्नातक जब अन्तिम परीक्षा पास कर लें तो वित्तीय निगमों की द्वारा उन्हें चुन लेना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए तथा बाद में उन्हें किसी उद्योग में लगा देना चाहिए अथवा उन्हें विभिन्न बातें सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए और इस प्रकार उन्हें अपना स्वयं का उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए या उन्हें किन्हीं उद्योगों में खपा देना चाहिए। उनको इन विषयों पर विचार करना होगा। वह एक महत्वपूर्ण मद है।

मैं इस क्षेत्र में एक और भी सुझाव देना चाहूँगा। उन्हें पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से कुछ सहायता देनी पड़ेगी, फिर इसमें वित्तीय सहायता देने का बहुत सा जोखिम ही क्यों न उठाना पड़ता हो। आप इन क्षेत्रों से ऋणों की वसूली की आशा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना इतना सरल नहीं है। परन्तु उन्हें इन आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष नियम और शर्तें बनानी पड़ेंगी। यदि आप कुछ विशेष रियायतें दें और विशेष उपाय करें तो विभिन्न उत्पादकों जैसी बहुत सी वस्तुयें हैं जिन्हें आप पैदा कर सकते हैं। जैसाकि मैंने कहा है, निगम को अधिक जोखिम उठाकर इन परियोजनाओं के लिए जोखिम भरा वित्त-पोषण करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बेंक से कुछ सहारा लेना पडेगा। यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें ऐसा करना पड़ेगा।

निस्सन्देह, उद्योग-विहीन जिलों के बारे में दोनों ओर के बहुत से मित्रों ने सुझाव दिया है जो कि सर्वथा एक कठिन कार्य हो गया है। इसे बदल कर उद्योग-विहीन तालुका कर देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान पहले ही खींचा जा चुका है। अन्यथा उद्योगों का विकास सम्भव नहीं होगा क्योंकि मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों को व्यापक वितरण हेतु विशाल क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है।

एक और भी मद है। मैंने यह सोचा है कि इन निगमों को औद्योगिक अवसरों के लिए केन्द्रीय संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य होना चाहिए। औद्योगिक विकास निगम प्रारम्भ में पूंजी लगाते हैं। जब कार्य थोड़ा बहुत आरम्भ होता है तो वे अपने निविष्ट पूंजी को वापस ले लेते हैं। इस समय वे कहते हैं कि उनके पूंजीगत लाभों तक पर कर लगाया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें इन

पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि वे केन्द्रीय संस्थान हैं और उन्हें पूंजी पैदा करनी होती है। जब एक बार वे इसका निवेश कर देते हैं तो उन्हें पूंजीगत लाभों अर्थात निवेश के लाभों पर कर नहीं लगाना चाहिए। विभिन्न सरकारी अभिकरणों पर बिना अधिक निर्भर करते हुए, अधिक पूंजी पैदा करने के लिए इसका फिर उपयोग किया जाना चाहिए।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वित्त मन्त्री महोदय, इन सभी पहलूओं पर विचार करेंगे।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : मैं मन्त्री महोदय द्वारा विधेयक पर प्रस्तुत किए गए संशोधनों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया जो इस देश में गति पकड़ चुकी है, कमजोर वर्गों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के इरादे से शुरू की गई थी और विशेषकर लघु उद्योगों में संलग्न उद्यमियों के लिए।

इस विधेयक में यह कहा गया है कि ऋण प्राप्त करने की ये सुविधाए मध्यम-क्षेत्र को भी उपलब्ध होंगी। इस स्थिति में एक वास्तविक आशंका है कि लघु उद्योगों द्वारा प्राप्त की जा रही सुविधा को भी गड़बड़ा जायेगी, क्योंकि मध्यम उद्योगों के उद्यमियों को अधिक लाभ मिल सकता है और हो सकता है अन्यों के प्रति लापरवाही बरती जाए मेरे विचार से अधिनियम में कुछ इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि कम से काम वित्तीय निगमों का 60 प्रतिशत ऋण लघु उद्योगों को मिलेगा और यह कि मध्यम दर्जे के उद्योगों को अधिकतम 40 प्रतिशत ऋण मिलेगा।

मन्त्री महोदय ने यह प्रावधान किया है कि अन्य वित्तीय संस्थानों का भी इन राज्य वित्त निगमों में एकीकरण किया जा सकता है। इस क्षेत्र में भी, हमारा अनुभव बहुत ही दुःखद रहा है। कभी-कभी घाटे में चल रहे अन्य वित्तीय संस्थानों को राज्य वित्तीय निगमों के साथ मिलाया जा सकता है। उस स्थिति में, वे राज्य वित्त निगम भी, जिनकी कि वित्तीय स्थिति बड़ी अच्छी हो, घाटे में जा सकते हैं। एक प्रावधान यह भी किया जाना चाहिए कि जो वित्तीय निगम या वित्तीय संस्थान पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, उन्हें राज्य वित्तीय निगमों के साथ न मिलाया जाए।

मन्त्री महोदय ने एक अन्य उपबन्ध यह किया है कि ऋण वसूली की अवधि जो कि पहले 20 वर्ष थी, उसे और दस वर्ष बढ़ा दिया गया है। यह राज्य वित्तीय निगमों के हित में नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव यह रहा है कि विभिन्न राज्यों में वसूली का प्रतिशत अत्यन्त निम्न है। मैं अपने राज्य से कुछ उदाहरण देता हूं। जिस व्यक्ति को, 45 लाख रुपये से अधिक का ऋण दिया गया था, राजस्थान राज्य वित्तीय निगम उसका पता नहीं लगा सका। उस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया, क्योंकि ऋण नकली नाम से लिया गया था।

ऐसी बातें हो रही हैं। इन्हें रोका जाना चाहिए, इसके अलावा ऋण वसूली की अवधि को 20 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए अन्यथा आपको किसी को 30 वर्ष का लाभ देना पड़ेगा जिससे ऋण की परीक्षा में बैठे अन्य लोगों को ऋण नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इन राज्य वित्तीय निगमों की वित्तीय स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है।

इन संस्थानों के उचित और कुशल कार्य संचालन हेतु जिस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है एक प्रशिक्षित प्रबन्धकीय सेवा। हमारे प्रधान मन्त्री महोदय, श्री राजीव गांधी ने कहा है कि प्रबन्धकीय सेवा विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बनाने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इन वित्तीय निगमों की अध्यक्षता भी विशेषज्ञों को ही करनी चाहिए। मुझे स्वयं अपने राज्य का अनुभव है। वे अपने मनपसन्द व्यक्ति का चुनाव करते हैं। सच तो यह कि

इस प्रकार की कोई अर्हता तो रखी ही नहीं गई है कि इन निगमों के अध्यक्ष वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ होने चाहिए। वह प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय, जब वह इस विधेयक में द्वितीय संशोधन करेंगे तो वह राज्य निगमों को यह निर्देश देंगे कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिसे वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त है और उसे किसी वित्तीय संस्थान के प्रबन्धक के रूप में प्रशिक्षित होना चाहिए। जब आप उसे एक करोड़ रुपये का उत्तरदायित्व दे रहे हैं तो, उसे कुछ इस प्रकार का अनुभव होना चाहिए। जब आप उसे इस प्रकार का उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए अर्हताएँ प्रदान नहीं कर रहे हैं, जिसे उस संस्थान को चलाना है। इसीलिए सभी राज्य वित्तीय निगमों की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः, सच तो यह है कि इस अधिनियम में स्थान पाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात को तो मन्त्री महोदय ने नजरन्दाज कर दिया है। मेरे विचार से इस पर यथायोग्य ध्यान दिया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रबन्धकीय सेवा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति ही करे और पूर्व वर्षों में किन्हीं वित्तीय संस्थाओं को चलाने का अनुभव होना चाहिए।

अन्य सरकारी उपक्रमों के लिए भी प्रबन्धकीय सेवा संवर्ग पर विचार किया जा रहा है और विशेषतया वित्त मन्त्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिये। वित्त मन्त्री महोदय ने धारा 25 को जोड़ा है जो इस प्रकार है :—

> "वित्तीय निगम को ऐसी किसी वित्तीय संस्था के ऐसे अधिकारों और हितों को अन्तरण द्वारा या समनुदेशन द्वारा अर्जित करने का अधिकार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।...."

फिर आपने एक बड़ा परन्तुक जोडा है जो इस प्रकार है :—

> "परन्तु यह तब जब कि ऐसा उधार या अग्रिम धन अथवा रकम ऐसे किसी कारबार मे सम्बन्धित है जिसका वित्तीय निगम इस अधिनियम के अधीन संव्यवहार कर सकेगा।"

आप इसका उपबन्ध पहले ही कर चुके हैं। जब कभी सन्देह उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यवस्था विशेष वित्तीय निगम के कार्य क्षेत्र में आता है तो मामले को विकास बैंक को भेजा जायेगा। जबकि व्याख्या 2 में पहले ही उपलब्ध किया जा चुका है, जिसे आप धारा 2 में पहले ही जोड़ चुके हैं तो फिर इस परन्तुक की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यदि आप स्वयं या प्राधिकरण इस स्थिति में नहीं है अथवा यह स्पष्ट नहीं है कि वित्तीय निगम को किन्हीं व्यवसायों, या हितों या कुछ कार्यकलापों को करनें का अधिकार नहीं है तो फिर इस परन्तुक को क्यों जोड़ा गया था ? इसे तभी जोड़ा जा सकता है जब कोई बात स्पष्ट न हो। यदि यह स्पष्ट है, जब आप अन्य उपक्रम या सम्पत्ति या कार्य, हित अथवा किसी वित्तीय संस्थान को अपने हाथ में ले रहे हैं, केवल तभी धारा 25क लागू होती है। अतः, इस परन्तुक की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूँ कि वह एक अत्यन्त आवश्यक संशोधन लेकर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि वह मेरे सुझावों पर भी विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) उपाध्यक्ष जी, स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन अमेण्डमेन्ट बिल, 1985 जो इस समय सदन के विचाराधीन है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। देश के औद्योगिक विकास में इन निगमों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा ये निगम लघु तथा श्रेणी के उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस समय जो अमेण्डमेन्ट पेश किया गया है उस अमेण्डमेन्ट के द्वारा जिन का 30 करोड़ रुपए का शेअर पेड-अप कैपिटल और रिजर्व है उनको भी यह वित्त निगम सहायता दे सकेगा। मैं इस प्राविजन के बिलकुल विरुद्ध हूँ। इस प्रावीजन के द्वारा 30 करोड़ तक के उद्योगों को सहायता देना किसी भी सूरत में उचित नहीं होगा। एक्सेप्शनल केसेज में भी इस प्रकार का प्रावीजन नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि जो ये वित्त निगम स्थापित हुए थे इनका उद्देश्य था—लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना और लघु उद्योगों के माध्यम से देश का विकास करना।

जो लघु उद्योग स्थापित हुए हैं, अभी मेरे दूसरे साथी कह रहे थे और यादव जी ने भी अभी बताया, उनमें फिक्टीशन ट्रान्जेक्शन्स होते हैं और उनके लिए हम कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। उनसे जो इन्सटालमेंट्स लेते है, उनकी मोनीटरिंग नहीं होती है। अगर एक इन्सटालमेंट कोई नहीं देता है, दो इन्सटालमेंट्स नहीं देता है या तीन इन्सटालमेंट्स नहीं देता है, तो हमें उसकी स्थिति के बारे में मालूम करना चाहिए कि क्या यह उद्योग सिक होता जा रहा है और उसका उद्योगपति कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर रहा है और उसका दिमाग कहां चल रहा है। इसलिए इसकी मानीटरिंग होना बहुत जरूरी है। सीमेंट का कोटा उठाने के लिए, स्टील का कोटा उठाने के लिए लोग लोन ले लेते हैं और उद्योग स्थापित करने के नाम पर लोन लेते हैं लेकिन वास्तव में उद्योग स्थापित नहीं करते हैं। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि वित्त निगम इस चीज को देखे हालांकि यह देखने का काम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का है लेकिन जो संस्था लोन देती है, उसको मानीटरिंग करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट मानीटरिंग ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए वित्त निगम को यह फर्ज है कि एक इन्सटालमेंट के बाद दूसरा इन्सटालमेंट पूरी मानीटरिंग करके दिया जाए, नहीं तो न दिया जाए।

दूसरी बात यह है कि बाड़मेर जिले में बलोतरा, पाली जिले में पाली और जोधपुर में ऐसे उद्योग स्थापित हो रहे हैं जहाँ रंगाई-छपाई का काम होता है और जिनमें कैमीकल्स का एलीमेंट होता है। इनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और वाटर पोलूशन होता है। पोलूशन होने पर क्या होता है कि इन उद्योग के लिए न तो वित्त निगम सहायता करता है ट्रीटमेंट प्लान्ट्स के लिए और न इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट सहायता करता है। इसका नतीजा यह होता है कि वहाँ पर वाटर पोलूशन होता रहता है और स्थिति ऐसी आकर बनती है कि वे उद्योग दिनों-दिन सिक होते जा रहे हैं। राजस्थान में इस प्रकार की पोजीशन है कि वहाँ पर 60 परसेन्ट जो लघु उद्योग हैं, वे सिक हैं। इसलिए यह देखने की आवश्यकता है कि जो भी उद्योग स्थापित हों, वे सिक इंडस्ट्रीज न हानी जाएं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा परपज था, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती।

एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्स जेसलमेर को 'नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट' डेक्लेयर किया गया है लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर उद्योगों की स्थापना के लिए वित्त निगम उनकी सहायता के लिए नहीं आता है और वित्त निगम उनकी कोई मदद नहीं करता है। 'नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट' में अगर वित्त निगम सहायता के लिए नहीं आता है, तो वहाँ पर उद्योग स्थापित नहीं हो सकते। वित्त निगम के लिए यह जरूरी है कि उनमें एक्सपर्ट होने चाहिए जो नो-हाऊ के बारे में बतला सकें और लघु उद्योगों के बारे में ट्रेनिंग दे सकें। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी जाकर वित्त निगम सक्सैसफुल हो सकता है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने जो आथेराइज्ड कैपीटल बढ़ाया है, वह स्वागत-योग्य है और जो एक्सटेंशन किया गया है, वह स्वागत-योग्य है परन्तु यह देखने की आवश्यकता है कि जो उद्योग हम स्थापित करते जा रहे हैं, वे सिक इंडस्ट्रीज न बनें क्योंकि सिक इण्डस्ट्रीज हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारे लिए चुनौती है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हू कि जो लोन आप देते हैं, उसकी मानीटरिंग का आप ध्यान रखें और यह देखें कि फिक्टीशस पर्सन्स लोन न ले लें और फंड्स लेकर उनका मिसएप्रोप्रियेशन न करें और लोन जो उद्योग लगाने के लिए लेते हैं, उससे वे उद्योग लगें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राज्य वित्तीय निगम संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक पर बोलते हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें कही हैं। मैं दो तीन बिन्दुओं की ओर माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

यह सही है कि देश में तेजी से उद्योगीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि कृषि पर हमारी जनसंख्या का जो बोझ है उसे हमें उद्योगों की ओर चेनेलाइज करना पड़ेगा। इस विधेयक के जरिए से, यह सही है कि राज्य वित्तीय निगमों को काफी प्रमुख भूमिका सौंपी गई है। यह प्रशंसनीय है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो योजनाएं बनती हैं और विभिन्न निगमों के नियमों में जो संशोधन होते हैं उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता जिन तक कि वह पहुंचना चाहिए। उदाहरण के लिए इन्टीरियर में छोटे उद्योगों के विस्तार के लिए वित्तीय निगम को अधिकार दिए गये हैं कि वह वहां उद्योग स्थापित करने में काफी सहायता करें। वहां उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं लेकिन उनको बिजली न मिलने और वहां ट्रांसपोर्ट के साधन न होने से वे उद्योग चल नहीं पाते। उन उद्योगों में पूंजी भी काफी लग जाती है, उनमें लोगों को एम्पलाएमेंट भी मिल जाता है लेकिन कालान्तर में वे उद्योग गडबड़ा जाते हैं और उद्योगों का विस्तार करने की जो हमारी योजना है उसको और देश की अर्थव्यवस्था को बडा जबरदस्त धक्का लगता है। इसलिए मान्यवर इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। उद्योगों की स्थापना में यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

यह ठीक है कि हमारे वित्तीय निगम बहुत दिनों से कार्य करते आ रहे हैं और इनकी कार्यप्रणाली ने सारे देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी इस प्रकार की व्यावहारिक चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन निगमों की कार्यप्रणाली को ऐसा रूप प्रदान करें जिससे कि देश में इंडस्ट्रीयलाइजेशन बड़ी तेजी से हो सके।

मैंने देखा है कि अगर कोई उद्योगपति कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसे उसका लाएसेंस प्राप्त करने में तीन-तीन, चार-चार साल लग जाते हैं। उसके बाद वित्तीय निगमों से ऋण प्राप्त में काफी वक्त लग जाता है। नतीजा यह होता है कि जिस उद्योग में दो या तीन करोड़ रुपये पूंजी लगने का अनुमान होता है उस उद्योग में आठ या दस करोड़ रुपये की पूंजी लगने का बजट बन जाता है। उस उद्योग में पूंजी-व्यय दुगना या तिगुना हो जाता है। मैंने देखा है कि उससे कई उद्योगपति तो उद्योग को बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि उनके लिए उस उद्योग को स्थापित करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इन निगमों को चलाने के पीछे सबसे बड़ी हमारी भावना यही होनी चाहिए कि जो प्रोक्रेस्टीनेशन या जो अनावश्यक विलम्ब उद्योग की स्थापना में होता है, जो अनावश्यक ओब्जेक्शंस किये जाते हैं वे न हों।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि यह अनावश्यक विलम्ब करप्शन के कारण भी होता है। नौकरशाही द्वारा एक टेबल से दूसरी टेबल पर पेपर फारवर्ड करने में जो बिलम्ब किया जाता है उससे लोगों के लाभ की बड़ी-बड़ी योजनाएं आगे नहीं बढ़ पातीं और उनके आगे न बढ़ पाने से जो लोगों को मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पाता।

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत ही बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऋण की वसूली

में कड़ाई करने की व्यवस्था की है। इसकी कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचना की है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर वित्तीय निगमों या दूसरे निगमों को ऋणों की वसूली नहीं होगी तो वे टूट ही जाएंगे और देश के विकास में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान है वह धरा का धरा रह जायेगा।

कई माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग वास्तव में उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें उद्योग लगाने में हतोत्साहित किया जाता है और उनके प्रस्तावों पर बहुत से ओब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कि फर्जी नाम से, फर्जी कम्पनियाँ बनाकर ऋण प्राप्त कर लिए हैं। उन कम्पनियों का कोई एग्जिसटेंस नहीं है और उनके नाम पर लोग ऋण लेकर चले गए हैं और कोई उद्योग लगाया ही नहीं है। उनके ऋण वसूल नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस बात की भी व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए कि आगे से ऐसा सम्भव न हो सके।

मैं निवेदन करना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि हमारे समस्त सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस देश की प्रगति में इन वित्तीय निगमों की जो अधिकाधिक महत्वपूर्ण बनती जा रही है उनके मेनेजमेंट में सिर्फ नौकरशाही को ही नहीं, बल्कि नान-आफिशियल्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि देश के विकास में ये वित्तीय निगम और भी कारगर हो सकें।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इन राज्य वित्तीय निगमों में रेट आफ इन्ट्रेस्ट अटरेक्टिव होना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाई जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[**अनुवाद**]

श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं इस संशोधन करने वाले विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। विधान के इस अंश का स्वागत है। तीस वर्ष के दीर्घकालीन अनुभव के बाद तो यह सम्भव हो सकेगा कि इन राज्य वित्त निगमों को उनके अन्तर्निहित श्रेष्ठ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा विकास कार्यों के लिए प्रभावी अभिकरण बनाया जा सके और साथ ही उनसे विकास उपकरण का काम लिया जा सके।

राज्य वित्तीय निगमों को विकास बैंक समझा जाता है। हमारा मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों के सन्तुलित विकास को सुनिश्चित करना है। यद्यपि यह हमारा इरादा है, परन्तु यथार्थ में हम पाते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है। विकास बहुत ही असन्तुलित ढंग से हुआ है। अतः राज्य वित्तीय निगमों को पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रोन्मुख संस्थान होना चाहिए। इनका अधिकांश धन पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उद्यमियों को मिलना चाहिए, अन्यथा इनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा और कुछ क्षेत्र उपेक्षित पड़े रहेंगे, भले ही हम संसद में बैठकर या इसके बाहर कार्यान्वयन के बारे में कुछ भी सोचते रहें।

मैं इस विधान का स्वागत करता हूँ क्योंकि यह संचालन में लचीलापन प्रदान करेगा और अपनी शेयर पूंजी को बढ़ाएगा। अब यह विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और समृद्धि लाने में और अधिक प्रभावी भूमिका निभायेगा।

विधेयक को समर्थन देते समय, मैं सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जबकि विभिन्न उद्यमियों को दी जाने वाली ऋण राशि बढ़ती ही जा रही है, बीमार इकाइयों की संख्या भी कई गुना बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि विभिन्न अभिकरणों के बीच आपसी

समक्ष और समन्वय का अभाव है। उद्यमियों को ऋण देते समय यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें तकनीकी ज्ञान, विशेषज्ञता और उचित मार्गदर्शन भी मिलना चाहिये। यह बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अतः, मैं ऐसे प्रत्येक निगम में एक कक्ष के प्रावधान का सुझाव देता हूं जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ ही उसका सदस्य होगा। उन्हें उन उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए जिनको कि ऋण दिया जाता है। मैं यहां एक उदाहरण दे सकता हूं। एक ऐसा भी समय था, जब हर उस किसी को, जो बस या टैक्सी के लिए आवेदन-पत्र देता था, उसे ऋण प्रदान कर दिया जाता था। परन्तु कुछ स्थानों पर परिवहन मालिकों द्वारा अत्यधिक बसें आदि चलाये जाने के कारण इन नये उद्यमियों को हानि उठानी पड़ी जिसके कारण वे ऋण वापस करने में असमर्थ रहे और उनका बकाया भी निरन्तर बढ़ता रहा। प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए। विलम्ब से बचना चाहिए। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां विलम्ब के कारण लोगों के मन में खीज पैदा हुई है। इसमें लोगों की रुचि अब बहुत कम रह गई है।

महोदय, इनमें से कुछ संगठनों में अत्याधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन निगमों को पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल देना चाहिए। ऋण देने की समूची प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए।

मैं बकाया राशि की वसूली करने सम्बन्धी उपबन्धों का स्वागत करता हूं। प्रक्रिया अब सरल बनाई गई है। अब इसकी वसूली भी वैसे ही की जाएगी जैसे भू-राजस्व की वसूली की जाती है। लेकिन साथ ही मेरा सुझाव है कि ऋण देने की प्रक्रिया भी सरल बनाई जानी चाहिए। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि तथा ऋण दिए जाने की तिथि के बीच एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। सामान्यतः यह तीन महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि यह तीन महीने से अधिक हो जाती है, तब सम्बन्धित संगठन अथवा अधिकारी को अपने उच्चाधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा। योजना को उचित ढंग से चलाया जाना चाहिए तथा समुचित समन्वय किया जाना चाहिए।

महोदय, कई बार हम देखते हैं कि वे अधिकारी जो सचिवालय में महत्वपूर्ण पदों के योग्य नहीं होते है, उन्हें इन संगठनों के प्रबन्ध निदेशक अथवा अध्यक्ष पद देकर सचिवालय से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए उनकी इन संगठनों के काम में कोई रुचि नहीं होती। यह बहुत महत्वपूर्ण पद भार होता है और इस पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए। अतः इस काम में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त प्रबन्धकीय संवर्ग बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अन्यथा इससे वांछनीय परिणाम नहीं मिलेंगे।

मैं एक और सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। आरम्भ में मैंने कहा था कि हमारा उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में सन्तुलित विकास करना है। हम देखते हैं कि जो उद्यमी राजधानी अथवा राजधानी के आस-पास जहां ऐसे निगमों के मुख्यालय हैं, रह रहे हैं, वे मुख्यालय से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं इसलिए इनका विकेन्द्रीकरण कर महत्व-पूर्ण केन्द्रों में जोनल कार्यालय खोलकर विभिन्न इकाइयों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए इससे ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों से आने वाले उद्यमियों के प्रति शोषण में कमी आएगी।

यह अच्छा विधान है जिसकी बहुत आवश्यकता थी। इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था इससे इन निगमों को और प्रोत्साहन मिलेगा और ये अपने उद्देश्यों को अच्छी तरह से प्रभावित ढंग से पूरा कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त राज्य मन्त्री जी द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वित्त मन्त्री जी की यह मन्शा है कि अधिक धनराशि देकर छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले। भारत वर्ष में 18 राज्य वित्त निगम हैं। मैं बिहार से आता हूं। समयाभाव के कारण मैं 17 निगमों के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, सिर्फ बिहार के बारे में ही कहना चाहूँगा। वहाँ पर हालत यह है कि चन्द लोगों की एक जमात है। जितने भी उद्योग लगाए गए या धनराशि दी गई, वह थोड़े से ही लोगों को दी गई। जाली नामों पर हर साल उद्योग लगाए जाते हैं। अगर एक बार किसी को लोन मिल गया-तो दोबारा भी उसी के परिवार के सदस्यों के बीच में ही लोन दिया जाता है। एक नौजवान व्यक्ति हर साल उद्योग लगाने की समस्या को सुलझाने के लिए वित्त निगम में जाया करता था। एक बार मैं उसके साथ वहाँ पर गया। चूंकि मैं नेता जैसा नहीं लग रहा था इसलिए वहाँ के कर्मचारी ने कहा कि जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार का जो वित्त निगम है, उसकी एक-एक ईंट और हरेक पत्ते तक घूस मांगते हैं। हमारे यहाँ गोपालगंज में अमुवा कार्ड बोर्ड फैक्टरी को करोड़ों रुपया लोन दिया गया। लोन लेने वाले तीन-चार व्यक्ति थे लेकिन फैक्टरी आज तक चालू नहीं हो सकी। इसलिए मैं कहूंगा कि जहाँ कहीं भी इन कारपोरेशन्स के जरिए लोन दिया जाता है या कोई धन राशि लगाई जाए, वहां आपका एक अध्ययन-दल जाए और यह देखे कि जिसने लोन के लिए एप्लाई किया है, वहीं वह व्यक्ति जाली तो नहीं है और जहाँ उद्योग लगाने की बात कही गई है, क्या वह इलाका पिछड़ा क्षेत्र भी है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार लोन लेने के बाद, दोबारा किसी दूसरी फैक्टरी के नाम से लोन ले रहे हैं। इस तरह इन कारपोरेशन्स का फायदा कुछ चन्द लोगों को ही मिल रहा है।

इसलिए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपने राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक लाकर जहाँ एक ओर वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया है, वहीं इसका 60 प्रतिशत भाग आप छोटे उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दें और इनके माध्यम से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने में सहायता दी जाए जिससे आगे आने वाली पीढ़ियाँ इन संशोधन विधेयक का लाभ उठा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री प्रकाश वी० पाटिल (सांगली) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस समय जो राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 1985 उपस्थित है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अभी तक ये फाइनैन्शयल कार्पोरेशन्स ज्यादातर लोन देने का ही कार्य करती थी परन्तु इस संशोधन विधेयक के जरिए अब ये टैक्नो-इकानामिक स्टडी, फिजीबिलिटी, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस आदि कार्य भी करने लगेंगी। मैं समझता हूँ इन सब कार्यों से निश्चित रूप से हमारी इन्डस्ट्रीज की वर्तमान हालत में सुधार आयेगा और पार्टिकुलरली स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में जो रिसेशन आ रहा था, अब उस स्थिति में भी सुधार आयेगा और उनका काम-काज अच्छा हो जाएगा।

हमारे फाइनैन्शयल कार्पोरेशन जो पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, फाइनैन्स रेज करना चाहते हैं और जो लोग इनमें डिबैन्चर या डिपोजिट करेंगे, उनके लिए कुछ सुविधायें बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उन्हें इन्टरेस्ट कुछ ज्यादा मिले या उनको इन्कम टैक्स आदि की सुविधा हो तो निश्चित रूप से आप ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं।

इस विधेयक में प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ाने का भी प्रोपोजल है जो बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट कास्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपने इस राशि को वित्तीय कम्पनियों आदि के लिए 30

लाख से बढ़ाकर 60 लाख और भागीदारी फर्मों और अन्य समुत्थानों की दशा में 15 लाख की सीमा को 30 लाख रु० तक करने का प्रस्ताव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यहां एक सजेशन देना चाहता हूं। जहां आप फाइनेंस करते समय, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और छोटे उद्योगों का ख्याल रखते हैं, वहीं इसमें एक बेसिक चेंज करने की भी आवश्यकता है क्योंकि यह नेशनल बिल्डिंग का काम है। आपको देखना चाहिए कि जैसे कोई साइकिल प्रोजैक्ट है, उसमें कई अलग-अलग बाई-प्रोडक्टस हैं, उन सब कम्पोनन्टस को बनाने के लिए अलग से यूनिट हों। आपके सामने एक बड़ी इन्डस्ट्री का विचार आए। क्योंकि यूनिटस डेवलप्ड नहीं हैं, डिपेन्डेंट हैं। इससे काफी लोगों को काम मिल सकेगा। साथ ही छोटे-छोटे यूनिटस को फाइनैन्स किया जाए तो एक इकट्ठा यूनिट हो जाता है। इस तरह से जो भी लोन दिया जाएगा, उसकी रिटर्न भी आ जायेगी और उसके लिए मार्केट भी पैदा हो सकता है।

इसके साथ साथ मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कार्पोरेशन की स्थापना की है, जिसका नाम यूथ डेवलपमेंट कोआपरेटिव बैंक है। हमारा विचार यह था कि फाइनैन्शियल इन्सटीट्यूशन्स किसी यूनिट को जो पैसा लोन के तौर पर देते हैं, उनकी आवश्यकता उससे कहीं अधिक होती है और हम अपने कोआपरेटिव बैंक से 10 प्रतिशत तक उनको और पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु तीन-चार साल से कोशिश करने के बावजूद हमारे उक्त प्रस्ताव को रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है। हमारा उद्देश्य उन यूनिटस को एडीशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर मदद करना है, हम उनकी और मदद करना चाहते हैं, तथा इकानामिक फिजीबिलिटी स्टडी, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस भी हम ही करेंगे। मैं चाहता हूं कि उक्त कोआपरेटिव बैंक को जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन मिले।

मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में यही कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता था कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को फाइनेंस देते समय आपके सामने एक बड़ी यूनिट की रूपरेखा हो, उसी के माध्यम से छोटे-छोटे यूनिटस सरवाइव हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य वित्त निगम संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। वैसे इस सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया ही है। दरअसल यह 1951 में एक्ट बना था और मान्यवर इसमें बहुत सी कमियां थीं तथा इसमें मन्त्री जी लगभग 30 संशोधन लाए हैं। मुझे ऐसा लगा कि जो मूल 1951 का स्वरूप था वह भी इन संशोधनों से बदल गया है। इसलिए अच्छा यही होता कि माननीय मन्त्री जी एक नया ही बिल ले आएं।

इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो वित्त निगम अपने देश में रहे हैं उनके सम्बन्ध में यह बात सही है, बाकी और कोई बात सही हो या न हो, इसमें लोगों को इतनी दिक्कत है कि लोगों की इसके बारे में ऐसी धारणा ही बन गई है कि यहां पर तो बिना चढ़ावे के काम होता ही नहीं है। अर्थात् बिना चढ़ावे के वित्त निगम से लोन मिल ही नहीं सकता है और किसी तरह मान्यवर लोन मिल भी जाए तो आज जितने लोगों ने या मिलों ने लोन लिए हुए हैं, उनकी 80 परसेन्ट इन्डस्ट्रीज आज सिक है। जो इन्डस्ट्रीज सिक है, उनकी निलामी की जाती है। वित्त निगम को चाहिए था कि जिसको हम लोन दें, उसकी मानिटरिंग का भी हिसाब रखें, उसको रा-मटीरियल मिल गया या नहीं, उसको बिजली मिली है या नहीं, उसको मार्केटिंग की सुविधा है या नहीं ? इन सब सुविधाओं को जुटाने का काम भी होना चाहिए। अतः जो बहुत सी बातें यहां पर आ गई हैं, उनको मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक-दो बात कहना चाहता हूं। इस वित्त निगम को स्थापित करने का गरपज यह था कि यह

रीजनल बैंक काम करेगा। यानि देश में जो इम्बैलेंस है, उसको दूर करेगा। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई प्रदेश हो। जैसे प्लानिंग कमीशन छः प्रकार के क्षेत्र आइडेंटिफाई किए हैं—बाढ़ वाला इलाका सूखे वाला इलाका, पहाड़ी क्षेत्र, डेजर्ट एरिया, सायक्लोन और ट्रायबल एरिया। इनकी तरक्की होगी। लेकिन ईमानदारी से इन 30 वर्षों में वित्त निगम ने इन क्षेत्रों में काम करना तो दूर, टच तक नहीं किया। वहां पर इतनी लोन देने की बात नहीं थी, वहां पर विकास के कार्य किए जाने चाहिए थे। ये निगम जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को लोन नहीं दे रहे हैं, बल्कि जैसा पहले कहा जिनसे कुछ प्राप्ति होती है, उनको ही लोन दिए जाते हैं। तो मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा बात न कहते हुए यह बात कहना चाहता हूँ कि आप अब एक नया संशोधन लाकर इसके स्वरूप को बदलें।

यह बात सही है कि आपने इसमें धनराशि की भी सीमा बढ़ाई है, आपने इसको सिक्योरिटी ओरिएंटेड से प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड बनाया है। यही नहीं, आपने इसको कुछ रिसर्च की सुविधा, मॉनिटरिंग की सुविधा तथा टैक्नालोजी इत्यादि सुविधा देने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ कि जो चीज आप ला रहे हैं वह उन क्षेत्रों के लिए आप करें, जो खास-तौर पर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जैसा मैंने पहले कहा जहां रीजनल इम्बैलेंस है, जैसे मिरजापुर का इलाका हुआ, उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने कहा, बुन्देलखण्ड भी है, और छः प्रकार के जो इलाके हैं, उनमें पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, हमारा राजस्थान का रेगिस्तान है, मध्य प्रदेश है, यहां पर इन निगमों के द्वारा काम किया जाए।

मान्यवर, आज जरूरत इस बात की है कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका कोडिफिकेशन हो। आप इसमें यह देखें कि पिछले 30 वर्षों में इनके द्वारा आपने जो पूरा रुपया दिया है, उसमें से वीकर सैक्शंस को और बैकवर्ड के लोगों को कितना रुपया गया है? यदि नहीं गया है, तो आपने ईमानदारी से इसकी मॉनिटरिंग नहीं की है। इसलिए मन्त्री जी, मैं चाहता हूँ कि जहां आप एक तरफ मैनेजिंग डायरेक्टर और न जाने क्या-क्या नियुक्त करते हैं, वहां पर आप यह भी करिए कि लोन एडवांस करने से पूर्व एक एडवायजरी कौंसिल होनी चाहिए, जिसमें जन प्रतिनिधि हों जिनमें एम० पीज० हों और भी जो आप चाहें, उनको रखें तथा वित्त से और इन्डस्ट्रीज से सम्बन्धित एक्सपर्ट्स को उसमें रखें, ताकि हम ऐसे लोगों को एडवांस करें जिससे हमारी जो मन्शा है, जो हमारा सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी है, जो हम रीजनअल इम्बैलेंसेस को दूर करना चाहते हैं, उसकी पूर्ति हो।

मान्यवर मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो सिक मिल अभी तक हुई हैं उनमें बड़ी साजिश हो रही है। वित्त निगम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को लोन दे दिया है जिनमें से कुछ तो संसार में ही नहीं हैं और जो कुछ इस संसार में हैं जिनके नाम से मिल हैं और जो सिक हो गई हैं, उनको आप नीलाम करते हैं। जिससे पूरे ड्यूज नहीं आते हैं और वे ओवरड्यूज होती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने इसमें वसूली के लिए लैंड रैवेन्यू की तरह से वसूली करने का प्रावधान किया है। लेकिन इससे भी काम बनने वाला नहीं है। आपको अधिकारियों और उन इकाइयों को जिम्मेदार बनाना होगा, उनका उत्तरदायित्व बनाना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी बनानी पड़ेगी कि जहां एक तरफ लोन वापिस आ जाए, वहीं दूसरी तरफ यह भी अनिवार्य करना पड़ेगा कि जिस इन्डस्ट्री को आप लोन दें, उस इण्डस्ट्री का यह काम है कि वह इन्डस्ट्री फ्लोरिश करे, उसमें लोगों को काम मिले जिससे देश में जो बेरोजगारी फैलती जा रही है, एजूकेटेड लोग बेकार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिले और यह बेरोजगारी दूर हो।

3.00 म० प०

यह उद्देश्य पूरा होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा दी है शायद आपने आखिर में मुझे बुला लिया, इसलिए

मैं ज्यादा न कहकर पुनः यह आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय हर स्टेट की फाइनेन्शियल कार्पोरेशन के लिए नये ढंग से मोनिटरिंग करेंगे और देखेंगे कि इसकी जो मन्शा है, पूरी हो।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया।

इस विधेयक को सभा में सभी पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ है और यह बहुत खुशी की बात है। इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष कई लाभप्रद और ठोस सुझाव रखे गए हैं और मैंने सभी सुझावों को नोट किया है जिनमें माननीय सदस्यों श्री जी० एम० बनातवाला और श्री पी० आर० कुमारमंगलम द्वारा सतर्क रहने की बात भी शामिल है।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि लघु एककों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। माननीय सदस्य श्री जी० एम० बनातवाला का सुझाव है कि मूल औद्योगिक संस्कृति और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रक्षा की जानी चाहिए।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि इस विधेयक में प्रस्तावित प्रावधानों के कारण मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं आया है।

सी० पी० एम० के श्री सत्यगोपाल मिश्र ने पूछा है कि इस विधेयक में 31 संशोधन क्यों किए गए हैं ? आपने व्यापक विधेयक क्यों नहीं पेश किया ? यहां मेरा निवेदन है कि इस राज्य वित्त निगम के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया गया है और हमने महसूस किया कि व्यापक विधेयक या विधान की आवश्यकता नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए तथा कमजोर वर्गों, लघु एककों और बड़े उद्योगों को और अधिक सहायता दी जानी चाहिए।

मार्च 1984 तक 2,02,368 एककों को सहायता दी गई है। उनमें से करीब 1,03,661 एककों को 50,000 रुपये तक सहायता प्रदान की गई। करीब 60,469 एककों को 50000 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच सहायता दी गई। अतः कुल 2,02,368 एककों में से करीब 1,64,130 एककों को 2 लाख रुपए तक सहायता दी गई। इसलिए मार्च 1984 तक करीब 73 प्रतिशत लघु एककों को सहायता प्रदान की गई।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए कि अनुसूचित जातियों के हितों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए तथा उनकी रक्षा की जानी चाहिए। जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, 1983-84 में अनुसूचित जातियों द्वारा शुरू किए गए उद्योगों को 552 लाख रुपए दिए गए हैं। राजस्थान में, जहाँ के माननीय सदस्य, श्री मूलचन्द डागा रहने वाले हैं, करीब 671 लाख रुपए दिए गए हैं। यहां मैं प्रत्येक राज्य के बारे में बताने नहीं जा रहा हूं किन्तु मैं श्री पनिका द्वारा उठाए गए मुद्दे का जिक्र करूंगा। उन्होंने भी अनुसूचित जातियां का जिक्र किया है। उनके राज्य में भी राज्य वित्त निगम ने करीब 299 लाख रुपए दिए हैं। ये राज्य वित्तीय निगम राज्य की विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी हैं। इनका नियन्त्रण और देख रेख का काम राज्य विधानपालिकाएँ करती हैं। ये प्रावधान हैं। ये प्रावधान अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बनाए गए हैं।

तथा संसाधन बढ़ाने के लिए उसे और अधिक अधिकार सौंपे गए हैं। इन परिस्थितियों में, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह उनका फायदा उठाए और राज्य के औद्योगीकरण में तीव्रता लाने के लिए लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमियों की सहायता करें।

यहां देखा गया है कि इसमें विलम्ब हो रहा है, मैं इस तथ्य से इंकार नहीं करता कि यहाँ भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। बिहार के माननीय सदस्य श्री पांडे ने कहा है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्य वित्त निगमों के कार्यकरण की देख रेख करना राज्य सरकार का काम है। बिलम्ब से ही भ्रष्टाचार फैलता है। इसमें कोई सन्देह नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि बैंकिंग क्षेत्र में एक व्यक्ति ने ऋण के लिए आवेदन पत्र दिया; उन्होंने परियोजना रिपोर्ट और सम्बन्धित कागजात भेजे। उसने तीन वर्ष तक इंतजार किया। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ धूप करनी पड़ी। अंततः लागत में वृद्धि हो गई। आरम्भ में उसकी परियोजना की लागत 3 लाख रुपए थी किन्तु तीन वर्ष के बाद लागत बढ़कर 6 लाख रुपए हो गई थी। एक दिन वह मेरे पास आए और वह मुझे बता दे रहे थे कि वह आत्महत्या करना चाहते हैं। उनकी यह दशा थी। उन्होंने उस परियोजना पर सब कुछ खर्च कर दिया था किन्तु उन्हें पैसा वापिस नहीं मिल रहा था। तुरन्त मैंने बैंक वालों से संपर्क किया। मैंने उनसे पूछा कि वे कुछ कर क्यों नहीं रहे, उसका क्या कारण है। तब शाखा प्रबंधक ने मुझे बताया कि उसका कोई कारण नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं। यह सिफारिस की बात है। केवल बैंक में ही इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ नहीं हो रहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा हो रहा है। किन्तु हम इसे सामान्य नहीं बना सकते, कुछ मामलों में इसमें सुधार भी किए जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है कि आई० ए० एस० अधिकारी और राजनीतिज्ञों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं किसी वर्ग का समर्थन नहीं कर रहा हूँ किन्तु यह मेरा निवेदन है। इन संगठनों में योग्य और ईमानदार व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए, चाहे वे आई० ए० एस० अधिकारी हों या राजनैतिक क्षेत्र या अथवा किसी अन्य क्षेत्र से हों। यदि ठीक स्थान पर ठीक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो मैं समझता हूं कोई कठिनाई नहीं होगी; मैं यह नहीं कहता कि तब कोई शिकायत नहीं रहेगी किन्तु मैं महसूस करता हूँ कि जहाँ तक शिकायतों का सम्बन्ध है, उनमें कमी आएगी।

माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी ने बहुत संगत बात कही है। उन्होंने बाताया है कि ऋण मिलने में विलम्ब होता है और इस बिलंब को कम किया जाना चाहिए। मैं उनका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं आंध्र प्रदेश के एक गांव में गया। वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो शाखा प्रबन्धक हैं। यह मन्त्री या किसी अन्य के लिए नहीं अपितु उस गांव के प्रबन्धकों के लिए है। यहाँ तक कि वसूली के बारे में वहाँ तक प्रबन्धकों का कार्य निस्पादन है, वसूली 10 प्रतिशत हुई है और जब मैंने जांच पड़ताल की तब उन्होंने हमें बताया कि वे प्रबन्धक लोगों के पास निर्धनतम वर्ग के पास जाते थे। उन्होंने उनकी देखरेख शुरू की। यदि उन्हें और अधिक धन की जरूरत होती थी, जबकि वे पहले का पैसा उस बैंक को नहीं लौटा पाए थे, उन्हें और धन दिया जाता था। निगरानी की जा रही थी। अतः महोदय यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उनमें कितना आत्मविश्वास है, कितना समर्पण भाव है और वे कितने वचनबद्ध हैं। यदि किसी कार्मिक में ये गुण हैं, तो महोदय मैं समझता हूँ कि कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी ने एक मुद्दा यह उठाया है कि वसूली के इन प्रावधानों के अन्तर्गत, बकाया राशि वसूल की जा रही है, मानो यह बकाया राशि बकाया राजस्व हो। महोदय, जहाँ तक इस पहलू का सम्बन्ध है कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई है। महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ तक बैंकिंग क्षेत्र,

वित्तीय संस्थाओं में इन रुग्ण उद्योगों का सम्बन्ध है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 83,911 रुग्ण एकक हैं और उनमें 3950 करोड़ रुपए राशि अवरुद्ध पड़ी है। महोदय आप जानते हैं कि कुछ मामलों में, उद्योग रुग्ण हो गये हैं, उद्योगपति रुग्ण नहीं हुए हैं, वे शक्तिशाली हैं। महोदय, यहाँ भी मेरा निवेदन है कि आज हम वसूली की अपेक्षा परियोजना को अधिक महत्व देने का दृष्टिकोण अपना रहे हैं। हम परियोजना के लिए भी ऋण दे रहे हैं। इसमें जोखिम भी है। राज्य वित्त निगम के हितों की रक्षा की जानी चाहिए तथा महोदय, यह राशि वसूल की जानी चाहिए; इसे परिचालित किया जाना चाहिए तथा यह और लोगों को दी जानी चाहिए। यदि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित राज्य वित्त निगम के पास पर्याप्त राशि न हो, तो उसकी क्या स्थिति होगी? जहाँ तक राजस्व की बकाया राशि की वसूली का सम्बन्ध है, महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। जब हम स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत सीमान्त या लघु कृषकों को ऋण दे रहे हैं, हम इन बकाया राशियों को राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल कर रहे हैं। अत: मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम कमजोर वर्गों से वसूली कर रहे हैं तो हम इस वर्ग से भी वसूली क्यों नहीं कर सकते। मुझे आशा है सदन मेरी बात से सहमत होगा कि जहाँ तक वसूली का सम्बन्ध है, हमें कड़े प्रावधान बनाने चाहिए। अब मैं विभिन्न वर्गों की दी गई सहायता के सम्बन्ध में बताता हूँ। माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने यद मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि इस विधेयक में प्रतिबन्ध समाप्त करने की व्यवस्था है। किंतु अब आपने सीमा बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए कर दी है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वर्तमान 1 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना दिए जाने के बाद यह सीमा बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए तक भी की जा सकती है। यदि माननीय सदस्य सोचते हैं कि इसे बढ़ाना उचित नहीं है, तो यह सीमा 3 करोड़ रुपए तक रोकी जा सकती है। यह प्रतिबंधित प्रावधान वर्तमान विधेयक के खण्ड 28 (एक)(घ) में रखा गया है। महोदय, अब मैं श्रीमती गीता मुखर्जी और कुछ अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में कहूंगा। उन्होंने एक प्रश्न यह पूछा है कि उन्हें मार्गदर्शन तकनीकी शिक्षा और तकनीकी परामर्श के रूप में सहायता दी जानी चाहिए। महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो कि शीर्षस्थ निगम और संस्थान है, कुछ राज्यों में तकनीकी परामर्श देने के लिए संगठन स्थापित किए हैं। यहाँ तक कि इस अधिनियम के अन्तर्गत भी एस० एफ० सी० एस०, जो प्रौद्योगिकी-अर्थशास्त्र अध्ययन संगठन चला रहा है, के लिए भी उपबन्ध बनाया है। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। उन्होंने एक और मुद्दा उठाया है कि कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं। श्री पनिका ने भी यह बात कही है कि पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा एवं उनका विकास किया जाना चाहिए। इस विधेयक में इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध बनाया गया है। जहाँ तक इस पहलू का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो सकती है।

अब गरीब लोगों को भी सहायता दी जा सकती है। वित्त निगम की सहायता से कोई व्यक्ति ट्रक या कोई अन्य वाहन खरीद सकता है। यहाँ तक कि प्रदूषण विरोधी योजना के लिए कोई व्यक्ति सहायता ले सकता है। इस योजना के अन्तर्गत उसे भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य वित्त निगमों पर सरकार का नियन्त्रण होता है और लघु इकाइयों के हितों की रक्षा करने के बाद लघु उद्योगों के एक प्रतिनिधि को निदेशक बनाया जाएगा और लघु उद्योगों की भी रक्षा की जाएगी।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस उपबन्ध का

लाभ उठायें और उचित पद पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करें ताकि राज्य के लोगों को लाभ पहुंचे तथा औद्योगिकीकरण हो एवं उन राज्यों की परियोजनाएं शीघ्र पूरी की जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पनिका ने विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में अच्छा सुझाव दिया है। आपका कार्यालय मुख्यालय में है। गरीब लोग मुख्यालय में नहीं जा सकते। इसमें अत्याधिक समय भी नष्ट होता है। इसमें विकेन्द्रीयकरण करने की आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने शाखाओं की बात भी कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विकेन्द्रीकरण तथ्य और अधिक अधिकार सौंपने की बात चल रही है।

श्री जनार्दन पुजारी : पहले ही से कुछ राज्य वित्त निगमों ने प्रादेशिक कार्यालय बनाए हुए हैं और आपके तथा श्री. पनिका के सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न और है। वाणिज्यिक बैंकों से सामंजस्य किया जाना चाहिए। उन्हें उद्योग शुरू करने के लिए राज्य वित्त निगम से सहायता मिलती है, लेकिन उन्हें उस कार्यकारी पूंजी के लिए धन की आवश्यकता होती है जो वे वाणिज्यिक बैंकों से लेते हैं। अतः आपस में कुछ समन्वय होना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : उसमें वह उपबंध भी है। अब वे अन्य वित्तीय संस्थाओं, जिनमें अखिल भारतीय संस्थान भी शामिल हैं, की सहायता से अपनी परियोजनाओं में भी भाग ले सकते हैं।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : नियम सरल बनाए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि राज्य वित्त वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

> "कि खंड 2 से 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, "कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3.19 म० प०

अनुदानों की मांगें (पंजाब) 1985-86

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पंजाब बजट पर चर्चा करेंगे। पंजाब राज्य के वर्ष 1985-86 के बजट के सम्बन्ध में चर्चा होगी तथा अनुदानों की मांगों पर मतदान किया जाएगा :

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग समस्या 1 से 41 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनाधिक सम्बन्धित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाएं।" (देखें पृ० 218—220)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में अभी शांति नहीं है। आज हम इस राज्य का बजट पारित कर रहे हैं जो सामान्यतः राज्य की विधान सभा द्वारा किया जाता है। राज्य में जिस तरह का अभूतपूर्व संकट छाया हुआ है उससे वहां ऐसी सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू रखना असंभव हो गया है। हालांकि इसका बहुत सीमित उद्देश्य है और बजट पर चर्चा के दौरान इस पर वाद-विवाद का अवसर मिला है फिर भी पंजाब में प्रचलित मौजूदा स्थिति के बारे में हम कुछ बातें बताना चाहते हैं।

3.21 म० प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

हम सभी जानते हैं कि पंजाब में कुछ वर्षों से चल रही उथल-पुथल से पंजाब की आर्थिक व्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है। पंजाब एक समृद्ध राज्य था। हम जानते हैं कि पंजाब में कोई बड़ा उद्योग नहीं है पर इसने अपने लघु उद्योग के कारण नाम कमाया है परन्तु कई वर्षों से इस आन्दोलन के कारण इस विशेष क्षेत्र में निवेश किया जाना पूरी तरह से बन्द हो चुका है। लघु उद्योग के लिए बाहर से कोई मंजूरी या ऋण नहीं मिला है। कृषि भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उस राज्य में आंदोलन ने न केवल राजनीति का विनाश किया है बल्कि अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह लड़खड़ा गई है।

अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि हम इस राज्य में किस प्रकार से सामान्य स्थिति पैदा कर सकते हैं और इस संदर्भ में हम सरकार तथा अकाली नेताओं के बीच कल हुई बैठक का बहुत स्वागत करते हैं। प्रधान मन्त्री और श्री लोगोंवाल के बीच जो बात हुई, उसके बारे में हमें औपचारिक रूप से नहीं बताया गया है परन्तु हमें विश्वास है कि अब पहले वाली बात नहीं है—वार्ता अधिक लम्बी नहीं चलेगी तथा समाधान को स्वीकार करने के लिए दोनों पक्ष आगे आएंगे और इसका बहुत स्वागत है।

सरकार ने अकाली दल को कुछ सुझाव दिए हैं और अकाली दल ने भी विशेषकर श्री लोगोंवाल ने अहिंसा का पालन करने, खालिस्तान का विरोध करने, संविधान को पालन करने आदि की घोषणा की है। अतः हमारे देश के लोकतंत्रीय लोग इस नई गतिविधि को देखकर बहुत उत्साहित हुए हैं। क्योंकि राजनैतिक समझौते के बिना आर्थिक व्यवस्था का विकास नहीं हो सकता है। इस-

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगें, 1985-86 (पंजाब)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा 26.3.1985 को स्वीकृत लेखा अनुदान की राशि		सदन की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	राज्य विधान मंडल	58,91,000	...	58,91,000	...
2.	मंत्रि परिषद	42,94,000	...	42,94,000	...
3.	न्याय प्रशासन	2,80,68,000	...	2,80,68,000	...
4.	चुनाव	61,40,000	...	61,40,000	...
5.	राजस्व	7,54,37,000	...	7,54,38,000	...
6.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	3,24,10,000	...	3,24,10,000	...
7.	वित्त	41,58,33,000	...	41,58,33,000	...
8.	लोक सेवा आयोग	10,21,000		10,21,000	...
9.	सिविल सचिवालय	2,74,51,000	...	2,74,52,000	...
10.	जिला प्रशासन	4,01,19,000	...	4,01,19,000	...
11.	पुलिस	28,00,94,000	...	28,00,94,000	...
12.	जेलें	2,54,17,000	...	2,54,18,000	...

13.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2,26,80,000	14,20,000	2,26,81,000	14,20,000
14.	विविध सेवाएं	3,22,80,000	...	3,22,81,000	...
15.	पुनर्वास, राहत तथा पुनर्स्थापन	6,37,000	...	6,38,000	...
16.	शिक्षा	111,13,33,000	...	111,13,34,000	...
17.	तकनीकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	1,78,62,000	28,00,000	1,78,62,000	28,00,000
18.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	43,56,27,000	50,000	43,56,27,000	50,000
19.	आवास तथा शहरी विकास	1,32,21,000	6,02,80,000	1,32,21,000	6,02,80,000
20.	सूचना तथा प्रचार	1,28,51,000	...	1,28,51,000	...
21.	पर्यटन सांस्कृतिक मामले	45,29,000	10,00,000	45,30,000	10,00,000
22.	श्रम, रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	4,92,72,000	8,52,000	4,92,72,000	8,52,000
23.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	14,77,16,000	57,50,000	14,77,16,000	57,50,000
24.	आयोजना तथा सांख्यिकी	87,15,000	...	87,15,000	...
25.	सहकारिता	4,73,20,000	8,55,14,000	4,73,21,000	8,55,15,000
26.	कृषि	20,45,08,000	2,05,90,000	20,45,09,000	2,05,90,000
27.	भूमि तथा जल सरक्षण	1,85,17,000	...	1,85,18,000	...
28.	खाद्य	1,01,30,000	457,44,20,000	1,01,30,000	...

1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
29.	पशु पालन	6,57,88,000	...	6,57,88,000	...
30.	डेरी विकास	33,46,000	...	33,46,000	...
31.	मछली पालन	56,28,000	...	56,28,000	...
32.	वन	8,56,06.000	4,50,000	8,56,07,000	4,50,000
33.	सामुदायिक विकास	28,70,88,000	...	28,70,89,000	...
34.	उद्योग	5,84,30,000	3,94,00,000	5,84,30,000	3,94,00,000
35.	नागर विमानन	32,27,000	2,50,000	32,28,000	2,50,000
36.	सड़कें तथा पुल	12,18,30,000	23,27,50,000	12,18,30,000	23,27,50,000
37.	सड़क परिवहन	37,27,82,000	6,00,00,000	37,27,83,000	6,00,00,000
38.	बहुद्देशीय नदी परियोजनाएं	6,75,29,000	20,81,80,000	6,75,29,000	20,81,80,000
39.	सिंचाई जल निकास तथा बाढ़-नियंत्रण	34,42,86,000	27,03,37,000	34,42,86,000	27,03,38,000
40.	इमारतें	30,01,67,000	9,15,98,000	30,01,67,000	9,15,98,000
41.	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	...	131,37,69,000	...	131,37,69,000

लिए इसके लिए और देश की अखण्डता तथा सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं कि ये वार्ता सफल हो और प्रभावी सिद्ध हो'। इस लिए हम यह बात दोहराना चाहते हैं कि यह वार्ता निष्फल नहीं होनी चाहिए अकाली दल और सरकार के बीच विचार-विमर्श के दौरान कुछ समस्याएं आ सकती हैं। विशेष अदालतों की समाप्ति भी एक समस्या हो सकती है। मुझे विश्वास है कि प्रधान मन्त्री जी ने श्री लोगोंवाल को आश्वासन दिया है कि वह मामलों को अब और आगे नहीं उठाएगें और विशेष अदालतों को खतम कर दिया जायेगा। कुछ और प्रशासनिक रुकावटें आ सकती हैं तथा जो राज-नैतिक समाधान के रास्ते में आड़े आ जायें और इन मामलों में सरकार को कड़ा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। राजनैतिक दल के हित में उन्हें कारण देने होंगे तथा इस राजनैतिक दल का हम बहुत पहले से समर्थन कर रहे हैं। अब पंजाब राजनैतिक समाधान चाहता है और उसके लिए जहां तक नई सरकार के रवैया का सम्बन्ध है वह बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि इसी दिशा में उन्नति होनी चाहिए। इन सब का वर्णन करते समय हम दृढ़ता से यह भी कहना चाहते हैं कि उग्रवादियों के विरुद्ध न तो सरकार का और न ही अकाली दल का रवैया उदार होना चाहिए।

अब अन्य दूसरी बातों पर आते हुए, पिछले दो या तीन दिनों से जैसा कि हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है, पंजाब इस समय अचानक आयी बाढ़ द्वारा प्रभावित हुआ है। इससे अभूतपूर्व विनाश तथा क्षति हुई है। वर्ष 1955 के अलावा पिछले वर्षों में इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कभी नहीं हुआ था और राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपये की मांग की है। सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना है और उसे इस संकट की घड़ी में सभी संभव सहायता देनी चाहिए तथा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सरकार से सभी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमें उनसे अच्छा व्यवहार करना है तथा उनके और सरकार के बीच आपसी विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर विश्वास कर सकें। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि पुनर्वास कार्यक्रम अर्थात बचाव और राहत कार्यों को अविलम्ब आरम्भ किया जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि इस पूरी उथल-पुथल में समस्या के हल के लिए प्रशासनिक पहलू पर अनावश्यक महत्व दिया गया है। हमने देखा है कि कठोर उपायों से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। लोकतन्त्रीय ढंग से सरकार को चलाने की बात का समर्थन करने वाले लोग देश की अखण्डता के लिए, उग्रवादियों को अलग-थलग करने के लिए अभियान चलाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर पहले भी विचार किया गया था। आतंकवाद विरोधी अधिनियम बना हुआ है। विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम तथा विशेष अदालतें बनाई गई हैं। इन सबके कारण क्या हुआ? गुरु-द्वारों में बैठकें आयोजन करने के लिए उग्रवादी स्वतन्त्र है। वे गुरुद्वारों में बैठकें करते हैं। अब, लोक-तन्त्रीय विचारों के लोगों द्वारा बैठकें करने पर रोक लगा दी गई है। मुझे पता है कि मेरे दल की कई सभाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसका कारण यह था कि वे सभाएं आयोजित करना चाहते थे और प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने विशेष स्थिति का लाभ उठाकर हमारे लोगों की लोकतन्त्रीय गतिविधियों पर रोक लगाई। इस तरह का बिना सूझ-बूझ का रवैया किसी भी तरह से सहायक नहीं है। हम चाहते हैं कि सही समाधान के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाए अब आपात स्थिति में, संकट की स्थिति में क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले अर्थात 3 जून को आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना में 3000 मजदूरों की छंटनी की गई थी इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंजाब के राज्यपाल तथा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा

यह संकेत दिया गया था कि उस परियोजना में काम करने वाले मजदूरों को थीन बांध परियोजना में पुनः नियुक्ति दी जाएगी। जब वे छंटनी के विरुद्ध पुनः रोजगार की मांग कर रहे थे तो उन्हें विशेष अदालत अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। हम किस तरह के भावों को लोगों के मन में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं? इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पंजाब बजट सम्बन्धी पत्रों में मैंने कुछ मदें देखी हैं। थीन बांध के बारे में बहुत कुछ कहा गया है पर वास्तविक रूप से क्या प्रगति हुई है? मैं समझता हूँ कि सिंचाई शीर्षक के अन्तर्गत बहुत कम राशि आवंटित की गई है। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इस परियोजना की क्या प्रगति हुई है? पाकिस्तान को पानी बह रहा है। पंजाब और हरियाणा पानी के बारे में लड़ रहे हैं। वास्तव में, इस बांध को बहुत पहले बन जाना चाहिए था। प्रधान मन्त्री जी पंजाब गए और कुछ घोषणाएं की। बहुत अच्छा है। हमने उसका विरोध नहीं किया। परन्तु उन्होंने उन चीजों को पहले से क्यों नहीं किया? एक प्रकार का संकट बनाया गया जिससे आपको वहाँ जाने के लिए और कुछ चीजों की घोषणा करने के लिए बाध्य किया। क्या ये मभी आवश्यक थे? एक राज्य को वे सब कुछ मिलना चाहिए जो साधारणतः और संविधानिक रूप से मिलता है तथा उसके विकास के लिए उसकी आवश्यकता होती है। जब प्रधान मन्त्री जी अपने विचारों को शांत करने वहाँ गए तो हमने उसका समर्थन किया। लेकिन थीन परियोजना से सम्बन्धित क्या प्रगति हुई? मैं विशेष रूप से उसे जानना चाहता हूँ।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं और हमारे देश के मेरे तरह के कई लोग यह चाहते हैं कि वर्तमान बातचीत लाभदायक हो। किसी भी तरह का अवांछनीय दवाब नहीं होना चाहिए जिससे कि वार्ता समाप्त हो जाए या इसमें विलम्ब हो। वार्ता को भंग करने का प्रयास भी किया जा सकता है लेकिन हमारी यह अपील है कि तुरन्त हल निकालने के लिए यह वार्ता जारी रहनी चाहिए।

6 अक्टूबर को राष्ट्रपति के शासन के दो वर्ष खतम हो रहे हैं। हम विशेष प्रकार की स्थिति का सामना करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? हमारा लोकतन्त्रीय देश है और जहाँ तक हो सके यथाशीघ्र हमें इन विषयों का लोकतन्त्रीय ढंग से सौहार्द पूर्ण समाधान निकालना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं पंजाब बजट का समर्थन करता हूँ। यह बहुत अच्छा है कि पंजाब बजट पर यह चर्चा आप्रेशन ब्ल्यू स्टार के बाद प्रधान मन्त्री की सन्त लोगोंवाल के साथ पहली बार भेंट के बाद की जा रही है।

पंजाब, देश के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है और वस्तुतः उद्योग, कृषि, रक्षा सेवाओं के क्षेत्र में तथा अन्य कई बातों में इसका योगदान सबसे अधिक है। पंजाब पिछले दो वर्षों से अर्थात् 6 अक्तूबर 1983 से राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है और मैं समझता हूँ कि पंजाब का बजट दूसरी बार चर्चा के लिए संसद में आया है। यह आशा की जाती है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। हालांकि सन्त लोगोवाल और प्रधान मन्त्री जी के बीच हुई बातों के निष्कर्ष के बारे में हम अधिक नहीं जानते हैं। पर इससे पंजाब में लम्बे समय से चल रही उथल-पुथल के समाप्त होने की सुखद आशा बंधी है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह केवल पंजाब की ही समस्या नहीं है। वस्तुतः यह बहुत कुछ राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए सही रूप में जो शक्तियां पंजाब में आतंकवाद और उग्रवादी शक्तियों के पक्ष में कार्य कर रही थी, अब उन्होंने फिर से सोचा है तथा समस्या के शान्तिपूर्ण और स्थायी हल के लिए चर्चा के लिए तैयार हुए हैं यह सन्देह से बाहर सिद्ध हो गया है कि कम से कम

हमारे देश में हमारी बहुत पुरानी परम्परा, राजनैतिक शक्ति तथा राजनैतिक समाधान बन्दूक की नोक से प्राप्त नहीं होती है। जब हम कहते हैं कि हम आतंकवाद से घृणा करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि आतंकवाद या हिंसा या रक्तपात से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम लोगों को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें हिरासत में रखते हैं पर सच यह है कि ताकत से हम समस्या को ऊपरी तौर पर निपटा जा सकता है। जहां तक भारतीय सन्दर्भ का सम्बन्ध है हमारी वास्तविक परम्परा बताती है कि इसका अन्तिम समाधान शांतिपूर्ण चर्चा और वाद-विवाद के माध्यम से ही निकाला जा सकता है।

राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत पंजाब में बहुत कुछ हुआ है और मैं उन सभी घटनाओं को याद नहीं करना चाहता हूं उनमें से कई अप्रिय घटनाएं हैं जब रक्तपात हुआ था और इस सदन के पिछले कई सत्रों में प्रत्येक घटना के बारे में विचार किया गया था। इसलिए मैं उन मुद्दों को फिर से नहीं बताना चाहता हूं।

हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री के समय आप्रेशन ब्ल्यू स्टार सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे पक्षों से विवादास्पद होने के बावजूद कुछ अपरिहार्य था। इस पहलू पर बहुत सभ्य तथा ठण्डे दिमाग से विचार करना होगा क्योंकि चाहे यह सिख धर्म हो या हिन्दू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म या अन्य कोई भी धर्म हो, मन्दिरों को राजनैतिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। मन्दिरों में हथियार जमा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए कोई भी सरकार चाहे यह हमारे दल की ही सरकार क्यों न हो या कोई अन्य सरकार उस को यह देखना है कि मन्दिरों का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न किया जाए और आप्रेशन ब्ल्यू स्टार से तो स्वर्ण मन्दिर की पवित्रता को फिर से कायम किया जा सका है। मरम्मत के बारे में और सभा पटल पर सदस्यों द्वारा उल्लिखित अन्य समस्याओं के बारे में मैं समझता हूं कि भारत सरकार द्वारा उन पहलुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। परन्तु मूल दर्शन जो हमारे देश में विद्यमान है और श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारे सत्ता दल कांग्रेस (आई) जिसमें विश्वास करता है वह यह है कि हम देश की अखण्डता तथा एकता के लिए सावधान रहते हैं और हम हर कीमत पर अपने देश की एकता और अखण्डता को सुरक्षित रखेंगे।

मैडम, पंजाब के विषय में यह बताया गया है कि कुछ क्षेत्रों में सेवाओं में कुछ वृद्धि हुई है हालांकि यह बहुत अधिक नहीं है। जिन क्षेत्रों में यह वृद्धि की गई है वे हैं: शिक्षा, चिकित्सा सेवा, परिवार कल्याण सार्वजनिक सेवा, सफाई, जल प्रदाय, कृषि, लघु सिंचाई, सामुदायिक विकास, यातायात सेवाएं आदि। जैसाकि मैंने कहा कि कुछ मामले में पंजाब राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। जैसाकि बहुत सही बताया गया है कि लघु उद्योग का विकास, पंजाब लघु उद्योग की सफलता वहां जो उक्त वातावरण था उससे न केवल पंजाब का विकास ही हुआ बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वह सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। इसलिए जब पंजाब को नुकसान होता है तो इसका राष्ट्रव्यापी प्रभाव होता है। अत: इस बजट में इन क्षेत्रों में वृद्धि ठीक की गई है।

मैं पंजाब में आतंक के वातारण और वहां जाने वालों की सामान्य सुरक्षा तथा आम जनता की सुरक्षा के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूं। जब कभी किसी राज्य में या एक राज्य के विशेष क्षेत्र में उग्रवादी होते हैं तो बाहर एक आमधारणा यह होती है कि वहां भय का वातावरण है लोग वहां नहीं जाना चाहते लेकिन मेरे क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्रों, का जो अनुभव विशेषकर मणिपुर में लम्बे अर्से तक आतंकवाद और विद्रोह का बोलबाला बना रहा। परन्तु इसमें सुखद बात यह थी कि उग्रवादियों ने कभी भी किसी पर्यटक के और आम जनता को तंग नहीं किया।

उनके अपने निर्धारित लक्ष्य हैं। वे सुरक्षा सेना के लोगों को मारते हैं। वे आपस में भी लोगों को मारते हैं, वे गुप्त ऐजेंटों, सरकार की गुप्त सेवा विभागों के सदस्यों को मारते हैं लेकिन वे राज्य में आम जनता को डराते या तंग नहीं करते हैं। दर्शक और पर्यटक कभी भी प्रभावित नहीं हुए हैं। यहां ऐसा समय आया जबकि लोग पंजाब नहीं जाना चाहते हैं और अभी हाल ही में जब दिल्ली तथा पंजाब के सीमा क्षेत्रों में तथा मैं समझता हूँ कि हरियाणा राज्य आदि से मिले हुए क्षेत्रों में ट्रांजिस्टर बम्बों का विस्फोट हुआ तो उन लोगों के मन में भय का वातावरण पैदा हो गया जो पंजाब में पर्यटन या कारोबार के लिए जाते थे। अब पंजाब का वर्तमान प्रशासन विशेषकर रेलों और बसों में सफर करने वाले इन लोगों की ओर तथा अन्य लोगों की सामान्य सुरक्षा करेगा जो सामान्य कारोबार कर रहे हैं। यह प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इन कारणों से पर्यटन को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए अर्थात मुख्य धारा से कटना नहीं चाहिए। उस क्षेत्र में अन्तर्राजातीय व्यापार बन्द नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसे उचित उपाय किये गये हैं और पंजाब के वर्तमान प्रशासन ने राज्य प्रशासन को सभी क्षेत्रों में नई प्रेरणा दी है। मैं आशा करता हूँ कि यह आगे भी वातावरण को अच्छा बनाने का कार्य करेगा तथा स्थिति को बेहतर बनाने और बेहतर वातावरण पैदा करने के लिए हम वर्तमान प्रशासन के सहयोग के आभारी हैं जिससे कि उग्रवादियों को अलग-थलग किया जा सके। अकाली नेता संत लोंगीवाल तथा प्रधानमंत्री जी के बीच भेंट हुई है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि क्या अकाली दल पंजाब में सभी लोगों के लिए ठीक कार्य कर रहा है। क्या वे सिख समुदाय के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं ? लेकिन एक बात पक्की है कि सिखों के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधत्व करने वाला एक राजनीतिक संगठन यहाँ आया हुआ है जो अपने आपको उग्रवादियों तथा आतंकवाद से अलग करना चाहता है। कुछ लोगों ने अभी भी तर्क संगत नहीं हैं। हो सकता है कि कोई इस समय आतंकवादी ही हो सकता है कि देश के पार से कुछ ताकतों से प्रभावित हो, पर यदि कोई व्यक्ति भारत में एक नागरिक के रूप में ठहरना चाहता है तो उसे यह समझ लेना होगा कि आतंकवाद से कुछ नहीं हो सकता। विद्रोह की भावना फैलाना ठीक नहीं है हमें देश की समृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। पंजाब जैसे राज्य में जहाँ कठिन परिश्रम तथा निष्ठावान लोग होते हैं जिन्होंने हमारे खेल-कूद के विकास के लिए अधिकतम सहयोग दिया है तथा हमारी रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया है, वे यदि अपनी ताकत को इस तरह से लगाते हैं तो बहुत दुःख की बात है। अतः राज्यपाल के अन्तर्गत वर्तमान प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं कि राज्य में सूचना और प्रचार विभाग को लोगों को सूचना देने में ही नहीं बल्कि इसके कई समाचार पत्रों, तथा अपने अधीन स्रोतों के माध्यम से स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अतः वर्तमान प्रशासन के सूचना और प्रचार विभाग को उचित भूमिका निभानी चाहिए।

यह देखा गया है कि कुछ आवंटित राशि को बढ़ाया गया है। इसे और बढ़ाया जाना चाहिए प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय किये जाने चाहिएं ताकि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के आम लोगों का पूरे देश के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

अन्य पहलू जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वह पंजाब के उद्योग विभाग में रोजगार के अवसर पैदा करना तथा प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में है। जैसाकि मैंने पहले कहा कि पंजाब की स्थिति अपने आप में ही संगत नहीं है। देश के अन्य भागों के लोग पंजाब से प्रशिक्षण लेते हैं उद्योगों के मामलों में ऐसा ही है यह स्थिति जारी रहनी चाहिए। इस तरह की गतिविधियों में कमी नहीं की जानी चाहिए। गत दो वर्षों में हमारा यह अनुभव रहा है—मेरा भी अनुभव रहा है—कि कुछ मशीनें जो पंजाब के कुछ भागों, जैसे अमृतसर में बनाई गई हैं पंजाब में गड़बड़ियों की वजह से राज्य से बाहर अन्य राज्यों में नहीं जा सकीं। इससे कई क्षेत्रों में सम्पूर्ण देश के विकास में बाधा पहुँची है।

दूसरा पहलू जो मैं उठाना चाहता हूँ वह है बाहरी प्रभाव जो पंजाब में इसकी संकटकालीन घड़ी में आ रहा है।

3.48 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सिख समुदाय के कुछ व्यक्तिगत सदस्य हैं जिनका राज्य में तथा देश के बाहर बहुत अधिक व्यापारिक गृह हैं। हमें उन पर गर्व है ! मेरे विचार में यह कहना सत्य ही है कि विश्व के विभिन्न भागों में, अगर एक भारतीय का नाम लिया जाए तो वह सिख ही है। परन्तु दुर्भाग्य से गत कुछ वर्षों से कुछ व्यक्तियों को, जो बहुत अमीर हो गए हैं, विदेशी एजेंसियों द्वारा दूषित कर दिया गया है। वे हमारे देश में आतंक का वातावरण पैदा करने की योजना बना रहे हैं। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है। अतः हमें यह देखना चाहिए कि इस विदेशी प्रभाव का, जो इन अच्छी स्थिति वाले व्यक्तियों, जो पहले पंजाब के नागरिक थे, के माध्यम से आता है पता लगाकर इसे रोका जाए। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसे रोक सकते हैं।

हमारे पास आतंकवादियों के बारे में, विशेषकर पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों में लगे आतंकवादियों के बारे में, रिपोर्टें हैं जिनमें कहा गया है कि उनको प्रशिक्षण पाकिस्तान तथा अमरीका में दिया गया हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कुछ बहुत ही विकसित राष्ट्र जिनके पास बहुत धन, बहुत शक्ति तथा बहुत परमाणु बम हैं···जो विकासशील तथा गरीब देशों की सहायता करने के बारे में सोच सकते हैं; जो गरीबों, अशिक्षितों तथा बीमारों पर धन खर्च कर सकते हैं, एक शैतान उनके देश में भारत जैसे अन्य विकासशील देशों में भय पैदा करने के लिए आ गया है। उदाहरण के तौर पर, पंजाब में, वे ऐसा करना बहुत आसान समझते हैं। इसके बाद, पाकिस्तान की जोकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, भूमिका है। और जिसके लिए हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री तथा हमारी सरकार ने समान रूप मे पूर्ण मित्रता, दीर्घकालीन मित्रता और यहाँ तक कि युद्ध न करने के समझौते का आश्वासन दिया है। यह देश हमारा पड़ोसी होने पर भी पंजाब में ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण तथा उन्हें सभी तरह के हथियार देने के काम में लगा हुआ है। हमें इसकी निन्दा करनी होगी। हमें यह देखना होगा कि हमारे नागरिक विशेषकर हमारे देश का युवा वर्ग सीमा पार के लोगों द्वारा उत्प्रेरित न हो। पंजाब की समस्या का समाधान करना चाहिए तथा हमें वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनानी चाहिए। जितनी जल्दी सभी बाकी समस्यायें हल हो जायेंगी उतना ही यह न केवल पंजाब बल्कि सारे देश के लिए बेहतर होगा। इन शब्दों के साथ मैं पंजाब के बजट का समर्थन करता हूँ।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : पंजाब देश के अन्य सभी राज्यों की तुलना में एक अधिक विकसित राज्य है। वहां पर गरीबी रेखा कम लगभग 25 प्रतिशत है। वहां पर कृषि तथा दूसरे लघु उद्योग अधिक हैं। पंजाब के लोग रक्षा में, उद्योगों में, परिवहन में, बम्बई तथा अन्य सभी राज्यों में हैं ! परन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक इतने विकसित राज्य की मांगें तथा बजट की चर्चा के लिए इस सभा में आयें।

मैं अतीत के इतिहास में नहीं जाना चाहता परन्तु वहां गत कुछेक वर्षों में जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं कांग्रेस दल को दोषी ठहराता हूँ। राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्ण आर्थिक मसले की उपेक्षा करने की बजाय आप राजनैतिक दृष्टि से कुछ शक्तियों का विकास करने के लिए उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और जब ये विकसित शक्तियां बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं तो वे इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। फिर उस दमन के कारण अचानक दूसरी प्रतिक्रिया होती है

और जिसे किसी भी प्रकार की क्रिया तथा प्रतिक्रिया वहां है, उससे कांग्रेस दल और सरकार की विचारधारा के विरुद्ध इन पंजाबी लोगों के मन में एक बहुत ही पक्षपातपूर्ण विचार की उत्पत्ति हुई है। इसकी चर्चा इस सदन में कई बार की गई है। अत: मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत सी बातें हो चुकी हैं।

मैंने बम्बई में टैक्सटाइल आंदोलन देखा है। यह केवल बहुत से श्रमिकों को दबाने तथा उन्हें जान से मारने के लिए शुरू किया गया था। इस प्रकार का दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया था। मेरे ख्याल से हमेशा ही इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है और समस्याओं का जन्म हुआ है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने बम्बई तथा अन्य स्थानों में अपने श्रमिकों से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार इतनी निश्चित है कि उसे मोर्चे, प्रदर्शन तथा जेल भरो आदि के बारे में कोई फिक्र नहीं है। बहुत समय के बाद, अपने प्रधान मन्त्री ने कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। मेरे विचार में आपने 4000 में से 1200 लोगों को रिहा कर दिया है। छात्र संघ से कुछ प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। विगत इतने दिनों से जो कुछ बुरी घटनायें हो चुकी हैं उनके बाद वह पंजाब के लोगों में कुछ विश्वास पैदा करने के लिए कोशिश कर रही है। मैं इस कार्यवाही का स्वागत करता हूँ। कल जो बैठक हुई है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ, हालांकि कुछ भी परिणाम सामने नहीं आया है। परन्तु मुझे बताया है कि यह बैठक बहुत देर तक चली और कुछ हल शीघ्र ही सामने आयेगा।

परन्तु मैं इस मामले पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आप कुछ रियायतें दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ये संविधान के अनुरूप हैं। आप अन्य चीजें भी दे रहे हैं। परन्तु अगर आप एक-एक करके रियायतों की घोषणा करते जायेंगे वे भी स्वीकार करते जायेंगे। चूंकि अखिरकार यह एक व्यक्ति ही का काम नहीं है, अकाली दल तथा और सभी लोग वहां हैं, और मैंने देखा है कि एक एक करके लोग स्वीकार करते जा रहे हैं परन्तु अभी भी कुछ गुट बाकी हैं। वे कुछ और अधिक मांगते चले जायेंगे। आप एक एक करके उनकी सभी बातें मान लेंगे। आप घोषणा करते जाइये और वे स्वीकार करते जायेंगे। परन्तु, महोदय, अन्य ग्रुप या छात्र संघ को आप कुछ भी देने पर सहमत हो जायें, वे कल फिर बैठक करके फिर कुछ अन्य सुझावों के साथ आयेंगे और तभी गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आप अकाली दल से जो भी बातचीत करें, चाहे वह संकुल सौदे के रूप में हो या कोई और बात हो उसे सार्वजनिक तौर पर तब तक कुछ भी नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि उस पर अन्तिम रूप से फैसला न हो जाए। सरकार जो देना चाहती हैं तथा जो कुछ वे मानना चाहते हैं उसकी तब तक घोषणा नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उन पर पूर्णतया सहमति न हो जाए। बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाना चाहिए। क्योंकि कोई और व्यक्ति अभी भी कह सकता है कि वह कुछ और चाहता है। इन युवा तत्वों के कारण ऐसा हो रहा है। हम उन्हें उग्रवादी न कहकर उनकी गतिविधियों को अनदेखा नहीं कर सकते। मैं निसन्देह हिंसा तथा अन्य बातों, जो देश में घटित हो रही हैं, से सहमत नहीं हो सकता। उनकी निन्दा की जानी चाहिए। आज हमने प्रश्नकाल में देखा कि नागालैंड में क्या हो रहा है। युवा लोग तथा विद्यार्थी असमियों से तथा अन्य लोगों से वहां से चले जाने के लिए कह रहे हैं। अहमदाबाद में क्या हो रहा है? विद्यार्थी वहां पर गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि युवा वर्ग इस देश में शिक्षा प्राप्त कर रही है परन्तु वे निराश भी हो रहे हैं। गरीबी बढ़ रही है। इस समय 4.5 करोड़ युवा व्यक्ति बेरोजगार हैं। विद्यार्थी तथा ऐसे तत्व समाज की कमजोरियों का फायदा, उठा रहे हैं तथा धार्मिक और प्रान्तीय गुटों का शोषण किया जा रहा है। मेरे विचार में इस गरीबी को दूर करने के लिए सरकारी नीति होनी चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : पंजाब के उग्रवादियों के बारे में क्या स्थिति है ?

डा० दत्ता सामन्त : इसका सम्बन्ध पंजाब के उन उग्रवादियों से है क्योंकि वे भी बेरोजगार हैं। यह जो हो रहा है युवा तत्वों की बेरोजगारी के कारण हो रहा है। सरकारी की आर्थिक नीतियां निराशा पैदा कर रहीं हैं और हमें उनमें सुधारें करना होगा। साढ़े चार करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये आंकड़े आपके योजना आयोग ने छठी योजना के लिए दिए हैं। युवा निराश है और वे इन समस्याओं को पैदा कर रहे हैं और जब समस्या पैदा हो जाती हैं तब आप उनकी चर्चा करते हैं। और अहमदाबाद में नेतृत्व युवा लोगों ने हाथों में लिया है। जब ऐसी बातें हो रही हैं तो हम उन पर चर्चा करके एक एक करके मानने के लिए सहमत नहीं हो सकते। पंजाब में क्या हो रहा है ? नागालैंड में क्या हो रहा है ? आखिर कार विभिन्न गुट कुछ न कुछ चीजें मांगते चले जायेंगे। आर्थिक निराशा इस देश में बढ़ती जा रही है। और मेरे विचार में, यद्यपि यह आपको अच्छा न लगे, हमें उनकी चिन्ता नहीं है। हम इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

नई उद्योग नीति जिसको आप बनाने जा रहे हैं, को ही लीजिए। क्या कोई समन्वय है ? नहीं कोई समन्वय नहीं है। फिर भी, मैं उन उपायों तथा कार्यों की जो गत दो या तीन दिन में किए गए हैं सराहना करता हूं। हमारे प्रधान मन्त्री ने उन्हें बुलाया और उनके वह विचारों का आदर करते हुए कुछ बातों पर सहमत हो गए हैं और उन्होंने इन बातों को तय करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी किया जाएगा उससे विभिन्न गुटों के बीच मतभेद समाप्त या कम होंगे। सभी गुटों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि पंजाब में तुरन्त चुनाव कराये जाएँ। मैं नहीं समझता कि सत्ता रूढ़ दल पंजाब में चुनाव कराने जा रहा है।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : क्या आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आतंकवादियों को भी विश्वास में लिया जाए ?

डा० दत्ता सामन्त : आपका क्या मतलब है ? आपको उनसे निपटना है। आपका आतंकवादियों से क्या अभिप्राय है ? हमें लोगों में विश्वास की भावना पैदा करनी चाहिए और आपको उन की समस्याओं का पता लगाना चाहिए।

श्री जी० जी० स्वैल : आपने कहा सभी गुटों, । 'सभी गुटों' से आपका क्या अभिप्राय है ?

डा० दत्ता सामंत : आप उनके साथ अलग से नहीं निपट सकते। मुझे शक है कि कांग्रेस दल पंजाब में चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में कुछ परिवर्तन हुआ है। किसी 74 वर्षीय वृद्ध फौजी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पता चलता है कि पंजाब में तुरन्त कोई चुनाव नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या फौजी व्यक्तियों के प्रति आप में कोई पक्षपात की भावना है ?

डा० दत्ता सामन्त : मैं पक्षपात की कोई भावना नहीं रखता। अगर आप पंजाब में निकट भविष्य में कोई चुनाव कराना चाहते होते तो आपने कोई शक्तिशाली व्यक्ति लिया होता।

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्ता सामन्त, लोकतान्त्रिक प्रणाली में समस्याओं को हल करने का एकमात्र रास्ता चुनाव कराना तथा बातचीत करना है। आतंकवाद और हिंसा के लिए लोकतान्त्रिक प्रणाली में कोई स्थान नहीं है। बात यह है। और हम सभी को हरेक बात एक साथ बैठ कर बातचीत के द्वारा तय करनी चाहिए। यही एक रास्ता है। हमें यह करना होगा। और कोई रास्ता नहीं है। यह हमें आपस में तय करना होगा। कोई और व्यक्ति यह काम नहीं करने जा रहा है।

4.00 म० प०

डा० दत्ता सामंत : समस्या का कारण क्या है ? करोड़ों लोग यहां बेरोजगार हैं। आप कितना समय बेरोजगारी की समस्या को हल करने में लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस समस्या को हल करने के लिए आप यहां हैं। आपकी इस काम में दिलचस्पी है।

डा० दत्ता सामन्त : इसीलिए तो मेरी प्रार्थना है कि पंजाब में तुरन्त चुनाव कराए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मैं आपका समर्थन करता हूं। मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि जनता की इच्छा सर्वोपरि मानी जानी चाहिए। जनता ही सर्वोच्च है।

4.01 म० प०

अलबामा में एक मरसिनरि स्कूल में भारतीय आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिए जाने के समाचार के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे। चूंकि मूल रूप से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और बाद में सदन द्वारा इसे चर्चा में परिवर्तित कर दिया गया। परम्परा के अनुसार, मैं पहले बोलने के लिए पांच लोगों को बुलाऊंगा। श्री टी० बी० देसाई—अनुपस्थित।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, उग्रवादियों की ट्रेनिंग अमेरिका में हुई और उसका पता तब लगा जब कि भारत के प्रधान मन्त्री का दौरा संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला था। उस वक्त एक ऐसे जासूस ने जो कि एफ० बी० आई० का पे-रोल पर अफसर था, उसने यह मालूम करके बताया कि श्री भजन लाल जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके वहां दौरे के वक्त उनकी हत्या का प्रोग्राम उन लोगों ने बना रखा था।

दूसरा भेद खुलते-खुलते यह पता लगा कि फ्रैंक कैम्पर रिकोंडो स्कूल, जोकि छापामारों को प्रशिक्षण देने के लिए है, अलबामा की 3 एकड़ भूमि में चलाता है। वहां पर वह विस्फोट-कार्यों को, जिसमें कैनन, राकेट लांचर, हर तरह के वैपन्स और हर तरह के एक्सप्लोसिव्ज, आइटम्स हैं, उन लोगों को सिखाता है ताकि वह जाकर अपने स्पैसेफिक पर पजेज के काम करते रहें।

इसी विद्यालय में 4 सिखों को ट्रेनिंग देने की कैम्पर हां भरता है कि उसने उन्हें ट्रेनिंग दी है। इसमें से 3 सिख पकड़े गए और एक सिख अभी फरार है। अमेरिका की पुलिस द्वारा अभी भी उसकी खोज जारी है लेकिन वह पकड़ में नहीं आया है। विस्फोटों के लिए जिम्मेदार यही लोग माने जाते रहे हैं, जितने भी विस्फोट के काम अब तक हुए हैं।

दूसरा शिक्षार्थी सुखविन्दर सिंह, हरयाणा के मुख्य मन्त्री श्री भजन लाल की हत्या के षडयन्त्र में अमेरिका की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से इन उग्रवादियों को उस स्कूल में ट्रेनिंग दी गई। यह स्कूल मर्सीनरी स्कूल के नाम से चला करता था जिसको कि अमेरिका के लाने

परमिट कर रखा था, लेकिन मर्सीनरी ट्रेनिंग न देकर, यहां पर टैररिस्ट ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि उसे सीखकर वह लोग अपने देशों में जाकर, जो उनका उद्देश्य था, उसकी वह पूर्ति कर सकें।

कैम्पर खुद एक बहुत बड़ा छापामार युद्ध का ट्रेन्ड आदमी था जिसने विएतनाम के युद्ध में काफी हिस्सा लिया तथा एफ० बी० आई० और सी० बी० आई० के पे-रोल से रिटायर होने के बाद उसने यह काम किया। यहां वह बहुत बड़ा अफसर था।

कैम्पर का यह स्टेटमैंट है कि जिस प्रकार से उन 4 या 5 सिक्खों को ट्रेन्ड किया गया है, मैं 4, 5 की संख्या में नहीं जाता, क्योंकि जो स्टेटमैंट मन्त्री महोदय ने दिया है उसमें सिर्फ 4 सिक्ख लिखा है, अमंड सिंह का नाम उसमें नहीं है, जबकि कैम्पर अमंडसिंह के लिए भी हां भरता है कि अमंडसिंह और लालसिंह, जो दोनों आज की तारीख में फरार हैं, वह इस तरह के अपराधी हैं कि वह कुछ भी खेल किसी भी वक्त, किसी भी समय बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, 36 मंजिला बिल्डिंग को भी गिरा सकते हैं, यू० एस० ए० का जो सबसे बड़ा पुल है, जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसको भी वह ध्वस्त कर सकते हैं। वह दोनों आदमी फरार हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन अम्बैसी के द्वारा जो हमारी सरकार को इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें अमंड सिंह का नाम नहीं है।

महोदय मेरा अर्ज यह करना है कि कैम्पर खुद इस बात के लिए हां करते हैं। जिन चार व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है वह इतने प्रशिक्षित हो गए हैं कि वह खुद अच्छे स्तर के स्कूल चला सकते हैं, अच्छी से अच्छी दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं और कोई भी खेल वहां आराम से खेल सकते हैं। कैम्पर ने यह भी कहा है कि विश्व के बड़े-बड़े उग्रवादी संगठन इन उग्रवादियों की मदद कर रहे हैं। सिख उग्रवादियों को दिए गए पूरे प्रशिक्षण का नक्शा एफ० बी० आई० और सी० आई० ए० को भी कैम्पर ने दिया है। एक और अन्य प्रशिक्षक थामस नारेस का इंस्ट्रक्टर जो एफ० बी० आई० का जासूस है एवं जिससे गुरु प्रताप सिंह बर्क ने राजीव गांधी और भजन लाल की हत्या करवाने के लिए पेशेवर हत्यारा समझ कर सम्पर्क किया था, उसके भी बयान इस तरह के हैं कि जिससे पता चलता है कि इन पांच व्यक्तियों को वहां पर ट्रेनिंग दी गई।

यही नहीं अमेरिका में कम से कम 12 स्कूल इस प्रकार चल रहे हैं जो कि मरसनरी स्कूल के नाम से चलाए जा रहे हैं और उनमें उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि पैरा मिलिट्री मैग्जीन जो यू० एस० ए० में पब्लिश होती है उसमें स्कूल वाले यह एडवर्टिजमेंट निकालते हैं कि जिस को ट्रेनिंग लेनी है, उससे इतना पैसा चार्ज किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यह कहने का इरादा है कि जब इस प्रकार की वारदातें हैं, इस प्रकार के षडयन्त्र जो एक ऐसे देश में हो रहे हैं जो अपने आप को डैमोक्रेटिक कंट्री बताता है और हर वक्त यह कहता और स्टेटमेंट देता रहता है कि भारत हमारा मित्र देश है तो मेरा सरकार से यह अर्ज करना है कि क्या सरकार ने अमेरिका की सरकार से इस बारे में कोई शिकायत की है। अगर शिकायत की है तो क्या परिणाम निकले हैं। इन स्कूलों को लॉ के अन्दर अमेरिका के गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया है जो कि "टाइम्स ऑफ इण्डिया" के 19 जुलाई के अंक में छपा है, कि उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने का स्कूल बन्द करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि सिख उग्रवादियों को उस स्कूल में प्रशिक्षण देकर किसी भी अमेरिकी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया जबकि वही सिख उग्रवादी अमेरिकी पुलिस द्वारा वांटिड है। मेरा सरकार से यह निवेदन करना है कि क्या सरकार ने इस दिशा में उन स्कूल्स में जो आज भी ट्रेनिंग हो रही है या

आगे आने वाले समय में हो सकती है, उनको किसी प्रकार से रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय, आज पूरी दुनिया के दूतावासों में से सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के दूतावासों पर खर्च होता है । वहां हर प्रकार के आफिसर नियुक्त रहते हैं जोकि हमारे देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, और जो हमारे देश के खिलाफ षड्यन्त्र होने वाले हैं, उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं, यह हमारी सरकार की इन्टलिजेंस एजेंसी का टोटली फेलुअर है ।

जो मेरा मिलिट्री एडवर्टिजमेंट दिया जाता है कि हम इस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग को लेने वाले 4-5 सिख आदमी वहां पर महीनों से ट्रेनिंग ले रहे हैं । अगर हम उसका पता नहीं लगा पायेंगे तो यह दूतावास वाले क्या करते हैं ? क्या यह ऐयाशी, आराम और बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए ही विराजमान रहते हैं ? जहां-जहां पर इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर हैं उनका आप पता लगायें और अपने दूतावासों को हिदायत दें कि जो इस प्रकार की ट्रेनिंग हो रही है, उसको अविलम्ब वहां की सरकार से बात करके बन्द करवायें या उन टेरिस्टों को गिरफ्तार करवा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करके कोई कदम उठाया जाए ।

4.10 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

मेरा दूसरा निवेदन है कि मैं यह सब कुछ इन्टेलिजेंस फेल्योर मानता हूँ और यह भी पूछना चाहता हूँ सरकार से कि हमारे देश में कई प्रकार की इन्टेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन मुझे तो 36 साल हो गया देखते हुए, ऐसा कोई भी कार्य हमारी इन्टेलिजेंस एजेंसी ने नहीं किया जिस को कि रिमार्केबल कहा जाए । उनके द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया । आप तब से ले लीजिए जब शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या की गई । बंगला देश को आजाद कराने में भारत ने और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कितनी बड़ी भूमिका निभायी थी, लेकिन शेख मुजीबुर्रहमान को मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया । रेडियो से हमको इस बात का पता लगा कि उन का कत्ल हो गया । यह कितना बड़ा फेल्योर था हमारे देश की इन्टेलिजेंस एजेंसी का ? इसी के साथ साथ कई बार हमारे प्लेन्स का हाई जैक किया गया । लेकिन एक बार भी यह इन्टेलिजेंस एजेंसी पता नहीं लगा पायी कि फलां तारीख को फलां बजे फलां नम्बर की फ्लाइट का हाई जैक होने वाला है । हमेशा लगातार चार-पांच बार इस तरह के कैसेज होते गए । इसी तरह से गोल्डन टेंपल में ट्रकों भर कर हथियार भेजे गए । वह कहां से भेजे गए, कौन लाया, किस प्रकार ये हथियार लाए गए, यह हमारी इन्टेलिजेंस एजेंसी आज तक पता नहीं लगा सकी । इसी प्रकार से दो-तीन एम० पीज० का कत्ल हुआ । टेररिस्टों ने पंजाब के बड़े-बड़े लोगों को जो कि हिट लिस्ट में थे, जिनके बारे में दुनिया जानती थी, जिनके बारे में अखबारों में छप गया था कि इनको मार दिया जाएगा, उनको पता होने के बावजूद मार दिया और इन्टेलिजेंस एजेंसी आराम से सोती रही । जब कत्ल हो गया तब बाद में ये लोग पहुँचे कि किसने ने किया, किसने नहीं किया । खोजबीन बाद में जारी की गई । यह कितना बड़ा फेल्योर हमारी इन्टेलिजेंस एजेंसी का रहा ? इन्दिरा जी का ऐसेसिनेशन हुआ और उन्हीं लोगों ने मार दिया । सारे दिन दुनिया कहती थी कि—

दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से ।
घर को आग लग गई घर के चिराग से ।।

इतना बड़ा कांड इस प्रजातन्त्र में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा फेल्योर इस देश की इन्टेलिजेंस एजेंसी के नाम कभी नहीं लिखा जा सका जो इन्दिरा जी के वक्त में हुआ। ट्रांजिस्टर बम नार्दर्न इण्डिया में जगह-जगह फैला दिए गए, इंटेलिजेंस एजेंसी को कोई पता नहीं लगा। आसाम और नागालैंड का झगड़ा हो गया। रेडियो ने खबर दी। सरकार एक तरफ कहती है कि हमें सब कुछ पता था। जब पता था तो आप ने क्या ऐक्शन लिया ? जब झगड़ा हो गया, गोलियाँ चल गयीं तब आप कहते हैं कि हमें सब पता था। एक इन्टेलिजेंस एजेंसी के फेल्योर का केस इस लोक सभा में भी हो गया···(व्यवधान) ···आपके ही प्रधान मन्त्री थे मोरार जी देसाई जिन्होंने यहां यह कह दिया कि जयप्रकाश जी खत्म हो गए। यह भी इन्टेलिजेंस का ही फेल्योर था आपके टाइम में।

तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि आप माननीय मन्त्री जी से कहें कि जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है इससे हम सन्तुष्ट होने वाले नहीं हैं। यह हरकत आज अमेरिका में हो रही है, कल कैनाडा में होगी। एक हरकत झंडा जलाने की ब्रिटेन में भी हो गई। झंडा जल चुका इसके बाद पता लगा अखबारों के जरिए से कि झंडा जल चुका है। वहां के दूतावास वाले सारे अपनी काकटेल पार्टी में मस्त थे। इसलिए इन दूतावासों में या तो इन्टेलिजेंस स्टाफ बढ़ाया जाय या इन्टेलिजेंस स्टाफ को उन की इन्टेलिजेंस के लिए वहाँ पर भेजा जाए। इन सबको टाइट किया जाए। इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की अखन्डता के लिए आप मेहरबानी करके इन सारे कामों को आप बहुत सीरियसली करें।

श्री विष्णु मोदी (अजमेर) : सभापति महोदय, आज दुनिया में उग्रवाद, टैरोरिज्म की थ्रेट्स चल रही हैं। चाहे विकासशील देश हों या विकसित देश हों, वहाँ पर आज टैरोरिज्म का एक नया दौर आया हुआ है। आज कुछ इने-गिने लोग बहकाए में आकर एक तूफान मचा रहे हैं। मासूम लोगों की हत्यायें की जा रही हैं। आतंकवाद के द्वारा भय का एक वातावरण बनाया जा रहा है।

इस देश में यदि आप उग्रवाद को देखें तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इस को आजाद करवाया है, जबसे इस देश के नेताओं ने, कांग्रेस के महान लोगों ने—पं० जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस सरकारों ने इस देश को विकासशील देशों की ओर बढ़ाने का प्रयास किया तो दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं, जिन्होंने दुनिया को दो भागों में बांट रखा है, जो दुनिया के ठेकेदार कहलाते हैं, उनके दिमाग में इस देश की तरक्की नहीं सुहायी और इसीलिए इस देश में भी उग्रवाद का दौरा शुरू हो गया। टेरोरिज्म का यह दौर उस समय ज्यादा रहा जब सन् 1977 में इस देश में इस तरह का एक वातावरण बना, इस देश में इस तरह की एक कमजोर सरकार आई और उसके बाद इस देश की जनता ने अपनी गलती को महसूस किया तथा 1980 में उस सरकार को उखाड़ कर श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ में पुनः इस देश की बागडोर और नेतृत्व दिया। उन ताकतों ने देखा कि अब तो यह देश तरक्की करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और दुनिया में एक ताकत के रूप में उभरेगा। मुझे याद है 1983 में जब मैं अमरीका में था तो वहां उसके मूल निवासी जो अमरीका में रह रहे हैं और अमरीका में बड़े-बड़े ओहदों पर हैं उनका यह मानना था, वे यह कहते थे कि इस देश का वातावरण इस तरह से प्रचारित किया जा रहा था कि यहाँ पर बहुत गड़बड़ है और जब ऐसी अस्थिरता की स्थिति हो उसमें वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि जरूरत इस बात की है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी दस साल तक भारत का नेतृत्व करती रहें। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि उन ताकतों ने ऐसी साजिश की, इस प्रकार का अस्थिरता का वातावरण पैदा कर दिया

कि जो देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, जो देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, जो देश एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, जो दुनिया को मार्गदर्शन देता था उसमें उन्होंने ऐसी साजिश की कि हमारे देश की लोकप्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की नृशंस हत्या कर दी गई। वह घटना इस देश की एकता के लिए चुनौती थी, उस देश की अखण्डता के लिए चुनौती थी। जैसाकि इस सदन में प्रोफेसर तिवारी जी ने बताया है कि सी० आई० ए० की एक रिपोर्ट थी कि अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश के सीन से उठ जायेंगी तो यह देश बिखर जायेगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। लेकिन इस देश की जनता ने उस घड़ी में अपनी हिम्मत दिखलाई, एक इतिहास बनाया, उन्होंने भारी बहुमत से श्री राजीव गांधी के हाथ में इस देश का नेतृत्व सौंप दिया। जबसे उन्होंने इस देश की बाग डोर सम्भाली है, जबसे उन्होंने अपनी नीतियों के द्वारा इस देश को 21वीं शताब्दी में ले जाने की बात कही है तब से उग्रवाद की भारी साजिश चल रही है। चाहे कनिष्क हवाई जहाज का टूटना हो।(उसके सम्बन्ध में जब रिपोर्ट आयेगी तब तथ्यों का पता चल सकेगा), चाहे ट्रांजिस्टर बमों के फटने की बात हो या अन्य ट्रैजिक बातें हों, चाहे हवाई जहाज हाईजैक करना हो, चाहे पुलों का उड़ाना हो हालत बहुत ही खराब हो गई। जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मैं किसी विशेष देश का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया के जिस किसी भी देश में टैररिस्ट एक्टिविटीज को ट्रेनिंग दी जाती है, मैं चाहूँगा कि इस सदन में हम सबको मिलकर इसको कन्डैम करना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए हमारी सरकार को कदम उठाने चाहिए। जहां कहीं पर भी दुनिया के अन्दर टेररिज्म को किसी भी तरह का प्रश्रय दिया जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक मत होकर राय देनी चाहिए।

इसके साथ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूँगा कि इन एक्टिविटीज के बारे में रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से भी लोगों को आगाह कराना चाहिए कि ये लोग देश के अन्दर इस तरह की बात करके अफरातफरी पैदा करना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कानून ऐसा उपलब्ध नहीं है तो हमको ऐसा कानून बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी देश में सैबोटाज होता है, किसी तरह की अफरा-तफरी का काम हो रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, उन स्कूलों को बन्द कराए जाने लिए [illegible] चाहिए। यदि ऐसा कानून नहीं है, तो ऐसा कानून बनवाया जाए, जहां पर इस तरह की ट्रेनिंग न दी जा सके। इसके साथ ही अगर किसी देश में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसकी जानकारी दूसरे देशों को दी जानी चाहिए। आज भारत देश के अन्दर टेररिज्म का घिनौना नृत्य हो रहा है, हमारे देश में ही नहीं बल्कि जहां कहीं पर भी ताण्डव नृत्य हो रहा है, उसको भी मैं कन्डैम करता हूँ। मैं अपनी सरकार से भी निवेदन करता हूं कि वह अपने विदेश मन्त्रालय के माध्यम से विदेशों में टैररिज्म के खिलाफ एक माहौल पैदा करे, जिससे इस तरह की बातों से लोग अपने आपको दूर रख सकें। जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें हो रही हैं, उनको भी रोका जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, इस स्कूल द्वारा, जिसे यह समझा जाता है कि श्री कैम्पर चला रहे हैं रहस्योद्घाटन किए जाने पर सारा देश स्तब्ध रह गया है। परन्तु, महोदय, मैं सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य से वास्तव में बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मेरे विचार में या तो यह बिल्कुल सीधासादा या इसमें सही बात नहीं कही गयी है। आज के वातावरण में जो बहुत आवश्यक है वह यह है। हम वक्तव्य पर ही गौर करें और देखें कि यह किस प्रकार का है।

इसमें पहले पैरा में ही कैम्पर द्वारा संचालित उस कैम्प के सम्बन्ध में बहुत चिन्ताजनक जानकारी दी गई है जिसमें चार आतंकवादी प्रशिक्षण लेने के लिए गये थे। एक तो आँख में चोट के कारण पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सका। शेष लोगों ने छोटे हथियारों, विस्फोटकों के इस्तेमाल करने, जगह-जगह लड़ाई करने तथा हत्याएं करने में प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहाँ तक कि उन्होंने रासायनिक विध्वंस सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त किया जो भोपाल दुर्घटना जैसा ही बाद में हो सकता है। अतः यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

अगले पैराग्राफ में इस वक्तव्य में यह उल्लेख है :

"एफ० बी० आई० द्वारा इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से एकत्रित साक्ष्य से पता चलता है कि यह एक बहुत बड़े षडयन्त्र का अंग था।"

मैं वास्तव में यहीं हक्का बक्का हो जाती हूँ। अगर यह वक्तव्य किसी आम भारतीय नागरिक ने दिया होता तो मैं इसे समझ सकती थी। परन्तु इसके बाद क्या भारत सरकार ऐसी स्थिति में जैसी कि वह समझती है कि अमरीका से ही यह उत्पन्न हुई है कि इस विशेष घटना के बारे में एफ० बी० आई० से केवल सुनने के बाद ही यह कहा गया है कि ये बातें एक बड़े षडयन्त्र का ही अंग हैं। सबसे पहले इस पर नजर डालें जहाँ से आपको पता चलेगा कि यह प्रशिक्षण नवम्बर 1984 में हुआ था तथा यह गिरफ्तारी मई 1985 में जाकर हुई। अगर यह बात हमारी सरकार को पता न चली अथवा अगर एफ० बी० आई० ने कभी भी हमारी सरकार को इसके बारे में नहीं बताया तो इसकी वक्तव्य में स्पष्ट रूप से निन्दा कर दी गई होती। मुझे इसमें ऐसी बात दिखाई नहीं देती है। उसका कहना है कि यह एक बड़े षडयन्त्र का अंग है। कौन नहीं जानता कि अमरीका सरकार की स्वयं ही आतंकवाद फैलाने की एक सुस्थापित नीति है? कौन नहीं जानता है कि अमरीका में तथाकथित मृतक सैनिक प्रशिक्षण शिविर का वित्त पोषण व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? कौन नहीं जानता कि इन व्यक्तियों का अमरीका के विदेश विभाग से गहरा सम्बन्ध है? कौन नहीं जानता कि सी० आई० ए० मैनुअल में एक लम्बा निर्देश किया गया है कि किस प्रकार से दूसरे देशों में, विशेषकर तीसरे विश्व के देशों में, आतंकवाद, विध्वंसकारी आदि गतिविधियों का संचालन किया जाये? अगर भारत सरकार को इसके बारे में नहीं मालूम और अगर उन्हें हाल ही की घटना से पता चला है कि यह एक बड़े षडयन्त्र का अंग था तो तब हमारा भगवान ही सहायक है। मैं आशा करती हूँ कि ऐसी बात नहीं है। सही तत्वों को यहाँ पर बताया जाना चाहिए था, क्योंकि समूचे मामले के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं और यह बहुत ही गम्भीर है।

सभी जानते हैं कि इस कैम्पर ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि उसका सम्बन्ध एफ० बी० आई० से है। अब तक प्रत्येक व्यक्ति को यह भी पता लग चुका है कि श्री टोम नोरिस के एक व्यक्ति ने, जो स्वयं एफ० बी० आई० का एक एजेंट है इन खालिस्तानी आतंकवादियों के प्रशिक्षण की कार्य-योजना अथवा रूपरेखा को बनाने के काम में मान लिया था। अगर ऐसा है तो एफ० बी० आई० का सम्बन्ध उन लोगों से था जिन्होंने रूप रेखा तैयार की थी। कैम्पर का कहना है कि उसे मालूम है कि उनके 'शिष्य', अर्थात् आतंकवादी प्रशिक्षण लेकर कमांडो के रूप में सिख अलगाववादी आन्दोलन के लिए भारत वापस जा रहे हैं। यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। सबको इसकी जानकारी है। वह कहते हैं कि उन्हें पता था कि यह विशेष रूप से खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए है और स्वयं एफ० बी० आई० के एजेंटों ने इसकी रूपरेखा तैयार करने में सहायता की। परन्तु एफ० बी० आई० ने कभी भी भारत सरकार को इन सब गतिविधियों की जानकारी नहीं दी। क्या यह अमरीका में भाड़े के सिपाहियों को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर चलाने वाले कुछ व्यक्तियों की

स्वतंत्रता का प्रश्न है ? मैं यह जानना चाहती हूँ कि वार्ता से पहले या वार्ता के बाद जो कुछ पता चला है उसके प्रकाश में क्या हमारी सरकार एफ० बी० आई० को इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए कहेगी ? आपको सूचना क्या नहीं दी गयी है ? इन बातों को जानने के लिए हमारी गुप्तचर एजेंसी क्या कर रही है ?

मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह कहा गया है :

"कैम्पर स्कूल के प्रचार से संयुक्त राज्य अमरीका में व्यापक चिन्ता हो गयी है और सेनेटर डेल्टन के नेतृत्व में आतंकवाद सम्बन्धी सीनेट उप-समिति समूचे मामले की जाँच-पड़ताल करने के लिए सोच रही है।"

मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इस पढ़कर रोऊँ या हंसूं। ठीक है, कि अमरीकी लोगों ने इस सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की होगी, मैं इस पर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। परन्तु क्या अमरीकी सरकार और सिनेट उप-समिति के सदस्यों को कैम्पर प्रशिक्षण के बारे में तब पता चला जब यह सब समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ ? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि एसोसिएटिड प्रैस की रिपोर्ट के अनुसार जिसमें अमरीका की सोलजर्स आफ फारचून, गेंग हो और न्यू ब्रोड जैसी मुनक सैनिक सम्बन्धी पत्रिकाओं की समीक्षा छपी है, अमरीका में ऐसे कई स्कूल चल रहे हैं। न्यू ब्रीड के अनुमानों के अनुसार अमरीका में ऐसे 25 स्कूल हैं।

क्या कैम्पर स्कूल के बारे में प्रकाशित होने के बाद ही इन सबका पता चला ? यह नहीं हो सकता। यह समाचार-पत्रों में आता रहता है। अमरीका सरकार क्या कर रही है ?

अतः मैं अमरीका सरकार पर जानबूझकर ऐसी नीति अपनाने का आरोप लगाती हूं जिससे हमारे जैसे देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा होगी। यह एक बड़े षडयन्त्र का एक हिस्सा है। और कुछ नहीं है। यह यहां स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। मैं नहीं जानती कि क्या कहा जाए। मन्त्री जी के उत्तर में इस बात का उल्लेख है—आतंकवाद एक विश्व भर में फैला हुआ है और अमरीकी प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से देश के अन्दर और विश्व में आतंकवाद की निन्दा की है। सभी सरकारों द्वारा यह आशा की जाती है कि अमरीका एक नया कानून बना कर अमरीका में ऐसे आतंकवादी स्कूलों को बन्द कर देगा। ऐसी आशा का क्या आधार है ? क्या अमरीका सरकार ने अब तक ऐसी कोई आशा बंधायी है ? क्या यह सच नहीं है कि यदि हम अपने देश में तथा अन्य देशों में तोड़फोड़ करने वाले इस प्रकार के स्कूलों को बन्द करना चाहते हैं तो हमें पूरी शक्ति से उनका मुकाबला करना होगा और इस बातें करने से काम नहीं चलने वाला है ?

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने अमरीका सरकार के इस प्रकार के रहस्योदघाटन से पहले या बाद में क्या कदम उठाए हैं ? हमारे प्रधान मन्त्री जी के वहां से आने के बाद कुछ नए रहस्योदघाटन हुए हैं। कुछ नई बातें पता चली हैं। वे यहां परन्तु पहले नहीं थी।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हमारे प्रधान मन्त्री ने कोई गम्भीर विरोध प्रकट किया है और वे अमरीका से क्या आशा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, आज सारे विश्व में आतंकवाद की जो काली

छाया फैली है, उस से हम भारत के लोग ही नहीं बल्कि विश्व के सभी लोग आतंकित हो उठे हैं। यह आतंकवाद दुनिया में कोई नया नहीं है। आतंकवाद बहुत समय से राजनीतिक मोहरे पर भी जमाया जाता रहा है लेकिन इस समय जिस ढंग से आतंकवादी गतिविधियां विश्व के लगभग सभी देशों में खास तौर से जनतांत्रिक देशों में बढ़ रही हैं, उससे आज सभी लोग चिंतित हो उठे हैं और सबसे बड़ी चिन्ता की बात आज यह पैदा हो गयी है कि आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए आतंकवादियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकवादियों के लिए पैसे की भी व्यवस्था की जा रही है और उनको हथियार भी दिये जा रहे हैं।

इस प्रकार का जब समाचार प्रकाशित हुआ कि अमेरिका के अलाबामा शहर में ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र है, तो सभी लोग घबड़ा गये और घबड़ा जाना स्वाभाविक भी था हालांकि यह बात भी अपनी जगह पर सही है कि ये प्रशिक्षण केन्द्र आज कोई नये नहीं चल रहे हैं और केवल अलाबामा में ही प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है बल्कि न्यू यार्क, इलिनोइस, इण्डियाना में भी हैं और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में ये चलाए जा रहे हैं और दूसरे देशों में भी चलाए जाते होंगे। ये कोई नये नहीं हैं लेकिन आज आतंकवाद दरअसल इतना गहरा हो गया है कि उसका भय, उसका डर सारी दुनिया में व्याप्त हो गया है और हमारा देश भी आतंकवाद का पूरी तरह शिकार हो गया है। कि आज हम सब लोगों की निगाह उस तरफ जाना स्वाभाविक है।

सभापति जी, सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि यह आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र एक ऐसे देश में चलाया जा रहा है जो अपने को जनतांत्रिक कहता है, अपने को जनतंत्र का संरक्षक कहता है और जहां संयुक्त राष्ट्र संघ का हैड क्वार्टर है। उस देश में चलाया जा रहा है जो विश्व के देशों के लोगों को फ्रीडम, इक्वैलिटी, डेमोक्रेसी, फ्रेटरनिटी जैसे शब्दों से सम्बोधित करता है। ऐसे देश में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाएं जहां से ट्रेंड होकर लोग बेगुनाह लोगों को, महिलाओं को, अबोध बच्चों को, मारें, हवाई जहाजों में सफर कर रहे बेगुनाह लोगों की जानें लें इसको कोई भी सभ्य व्यक्ति कैसे अक्षम्य मान सकता। पिछले दिनों हमारी दिल्ली में ही ट्रांजिस्टर बमों के विस्फोट किये गये जिनसे झोंपड़ियों तक में रहने वाले मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी आतंकित हुए। जो लोग भी आज तक इस आतंकवाद का शिकार हुए हैं उन्हें यह आज तक पता नहीं चला कि आखिर उन्होंने क्या गुनाह किया था, क्या गलती की थी जो इस ढंग से उनको मारा जाए।

इस तरह की शिक्षा अमेरिका में दी जाती है। अमेरिका में एक सी० आई० ए० नाम का संगठन बहुत बदनाम रहा है। अगर विश्व के बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अमेरिका में जो इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं उनको इस सी० आई० ए० द्वारा संरक्षण और प्रश्रय दिया जाता है तो यह बहुत गलत नहीं होगा। क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा ही बहुत-सी राजनीतिक हत्याएँ कराई गयी हैं, बहुत से राजनीतिक नेताओं की हत्याएँ हुई हैं, बहुत-सी सरकारों का तख्ता पलटा गया है। इस प्रकार की घटनाएँ एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में ही नहीं हुई हैं, योरोप में भी इस प्रकार की घटनाएँ हुई हैं। इस प्रकार आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र बहुत-से राष्ट्रों की विदेश नीति को अपनी ओर झुकाता है। एक ताकत जो अपने को विश्व में पावर कहता है, डवलपिंग कन्ट्रीज, नये-नये आजाद हुए मुल्कों, तटस्थ और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बहुत दिनों से यह हथियार आजमाता रहा है और उनमें राजनीतिक नेताओं की हत्याएँ तक हुई हैं। हमने समाचार पत्रों में देखा है कि अमेरिका के अलबामा मरसीनरी कम्बेट ट्रेनिंग सेन्टर से ट्रेनिंग पाकर निकले हुए बहुत से

विद्यार्थियों ने लेबनान के रिफ्यूजी कैम्प में हत्याकाण्ड किया, फिलीपींस के प्रेजीडेंट मारकोज के विरोधी की हत्या करने वालों में उन लोगों का हाथ था। दक्षिण अमेरिका में जो हत्याकाण्ड हुए या और दूसरे राजनीतिक अपराध हुए उनको भी इसी प्रशिक्षण केन्द्र से निकले हुए विद्यार्थियों ने ही किया।

सभापति जी, आज मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अमेरिका में जो यह काम हो रहा है यह हर दृष्टि से गलत है। मानवता की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से, प्रत्येक दृष्टि से यह काम गलत है और अमेरिका को इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द करना चाहिए। सभापति जी मैं इस काम के लिए सयुक्त राज्य अमेरिका की उतने जोरदार शब्दों में भर्त्सना करना नहीं चाहता जितने जोरदार शब्दों में मुझे उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और यह भत्सना करने की हमारे मन में इच्छा हो रही है। क्योंकि हमारे प्रधान मन्त्री जी अभी वहां होकर आये हैं और हमारे प्रधान मन्त्री जी ने इस विषय में वहां पर वार्ता की होगी। आज जो इस विषय पर हमारे सामने स्टेटमेंट आया है उसमें भी यह अनुरोध किया गया है कि अमेरिका की सरकार को इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द करने की बात करनी चाहिए।

मेरे सामने अभी प्रेसीडेंट निक्सन का एक बयान गुजरा है जो उन्होंने अमेरिकन बार असोसिएशन की एक मीटिंग में दिया था उसके कुछ हिस्से मैं कोट करना चाहता हूँ—

[अनुवाद]

> "हमें देश और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की पूरी कानूनी ताकत से आतंकवाद की आपराधिक प्रवृत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। पिछले कुछ सप्ताहों में विश्व ने जो अत्याचार देखे हैं ऐसे अत्याचार करने वालों की हम निन्दा करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे और उन पर मुकदमा चलाएंगे।"

[हिन्दी]

प्रेसीडेंट रीगन ने अन्दर और बाहर दोनों जगह कानून के जरिए और हर प्रकार से इस खतरनाक चीज को बन्द करने की बात कही है। हमें आशा है, उम्मीद है कि अमरीका में इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र बन्द किए जाएंगे और समाप्त किए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : अमरीका झूठ बोल रहा है।

श्री जैनुल बशर : उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे बन्द कर देंगे। मैं नहीं जानता। मुझे उस पर विश्वास करना है जो मेरी सरकार कहती है।

[हिन्दी]

हमारी सरकार ने स्टेटमेंट में कह दिया है अमरीका के लोग ऐसा सोच रहे हैं और उसका जो ब्यौरा है, विदेश मन्त्री जी जब जवाब देंगे तो उसको भी रखेंगे और इस बारे में बताएंगे, लेकिन सभापति जी, ये बड़ी ताकतें जिस प्रकार से आतंकवाद को विदेश नीति हथकण्डा बनाने का काम कर रही हैं, उससे आज पूरी दुनिया में चिन्ता व्याप्त हो गई है और मुझे पूरी आशा है कि दुनिया के सभी शान्तिप्रिय लोगों के भय को देखते हुए इस ओर पूरा ध्यान दिया जाएगा। दुनिया को आतंकवाद जिस तरह से अपनी चपेट में ले रहा है, खुद बड़ी ताकतें भी इसकी चपेट में हैं, अमरीका

भी इसका शिकार हो रहा है, दूसरे छोटे-बड़े देश, सभी आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए दुनिया में एक ऐसा कंसेसस इमर्ज होगा, ऐसा एक वातावरण पैदा होगा, जिसमें इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन और प्रोटक्शन नहीं दिया जाएगा, ऐसी हमें आशा है।

[अनुवाद]

श्री एन० वेंकट रत्नम (तैनाली) : सभापति महोदय, हमारी नीति अमरीका और सोवियत रूस सहित विश्व के सभी देशों से सदा मैत्री की रही है। परन्तु हम जैसे-जैसे सोवियत रूस के निकट आए हैं, दुर्भाग्यवश अमरीका हम से दूर होता चला गया है। हम अब इस समय इसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। परन्तु अभी भी कुछ मित्र ऐसे हैं जो यह विश्वास करते हैं कि अमरीका हमारा मित्र देश है। क्या अमरीकी गतिविधियों से ऐसा कोई दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ है कि अमरीका हमारा मित्र देश है ? हमें अब इस निष्कर्ष पर पहुंचना है। हम आरम्भ में इसी मिसाल को लेते हैं कि वहां अमरीका में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्यौरा दिया जा चुका है और मुझे इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां 25 से अधिक आतंकवादी स्कूल हैं और वे सब अमरीका की जानकारी में नहीं हैं। हम इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। अमरीका जैसे देश में जहां एफ०बी०आई० का इतना बड़ा जाल है, अत्याधुनिक मशीनरी है, क्या यह विश्वास करने योग्य है कि ये स्कूल अमरीका की जानकारी के बिना चल रहे हैं ? महोदय यह एक मिशाल है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि किसी भी देश में आतंकवादी स्कूल का होना समाज के प्रति एक अपराध है और वह केवल एक देश तक सीमित नहीं है। दुर्भाग्यवश हमारे आतंकवादियों ने इनमें से एक स्कूल में प्रशिक्षण लिया है और उनके लिए कोई सीमा नहीं है। अन्य देश लोग भी वहां प्रवेश ले सकते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में तथा घातक हथियारों के निर्माण में प्रशिक्षण ले सकते हैं। यह सम्पूर्ण विश्व के प्रति तथा सम्पूर्ण समाज के प्रति एक अपराध है। अमरीका का दृष्टिकोण यह है कि यह सब अमरीका की जानकारी के बिना हो रहा है और हम फिर भी विश्वास कर लें कि वह हमारा मित्र देश है। आरम्भ से ही अमरीका का दृष्टिकोण अविश्वसनीय रहा है। हम भारत-पाक युद्ध की बात से ही आरम्भ करते हैं। इस युद्ध के दौरान अमरीका ने अपनी नौसेना बंगाल की खाड़ी में भेजी थी। दूसरा श्रीनिक्संन द्वारा हाल ही में किया गया रहस्योदघाटन है कि वह भारत-पाकिस्तान युद्ध में आणविक हथियारों का प्रयोग करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जो कारण दिए हैं, वे अत्यन्त दिलचस्प हैं। उनका तर्क यह था कि भारत पाकिस्तान को हथियाना चाहता था और यदि भारत पाकिस्तान को हथिया लेता तो इसमें चीन हस्तक्षेप करता जिससे सोवियत रूस में भी प्रतिक्रिया होती। उन्होंने इसी कारण भारत के विरुद्ध आणविक हथियार इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। यह अत्यन्त दिलचस्प तर्क है केवल इतना ही नहीं। इसका हाल का दृष्टिकोण देख लो। अमरीका पाकिस्तान को पांच बिलियन डालर सहायता के रूप में दे रहा है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अमरीका हमारे साथ एक मित्र राष्ट्र जैसा व्यवहार कर रहा है या नहीं, हमें एक इस दृष्टिकोण सेभी सोचना होगा। यह सब अमरीका से बार-बार विरोध प्रकट किए जाने के बावजूद किया जा रहा है कि वह पाकिस्तान की आणविक शक्ति बनाने में सहायता न करे। हमें केवल एक चिन्ता है कि यदि पाकिस्तान आणविक शक्ति बनाता है तो यह हमारे देश के लिए खतरनाक होगा। यह विरोध हमारे प्रिय प्रधान मंत्री द्वारा अपनी हाल की अमरीका यात्रा के दौरान किए गए थे। इसके बावजूद अमरीका पाकिस्तान को 5 बिलियन डालर की सहायता करने के अपने कार्यक्रम पर अमल कर रहा है।

इन सब से यह सिद्ध होता है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि अमरीका भारत के साथ एक मित्र देश की तरह व्यवहार कर रहा है। अत: मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रारम्भ से ही अमरीका का राजनीति में जन-विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी और क्रांतिकारी विरोधी दृष्टिकोण रहा है। हम क्यूबा, वियतनाम और हाल ही में निकारा गुआ जैसे देशों को लेते हैं। उन सभीदेशों में अमरीका की नीति निरन्तर क्रांतिकारी विरोधी दृष्टिकोण अपनाने की रही है। निरन्तर इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाए जाने पर क्या हम यह विश्वास कर सकते हैं कि अमरीका भारत का मित्र देश है। मुझे भय है कि हम इसे मित्र देश नहीं कह सकते।

इसी दृष्टिकोण के कारण हम इस पर भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का यह काम अमरीका सरकार की जानकारी के बिना हो रहा है। अत: हमें इन स्कूलों को चलाने की अनुमति देने के लिए और आतंकवादी साहित्य लोगों के पास पहुंचने देने के लिए अमरीका से कड़ा विरोध प्रकट करना चाहिए। अत: मैं सरकार से अमरीका से कड़ा विरोध प्रकट करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, आज एक समाचार पत्र में मैंने एक हैडिंग पढ़ा जिसमें लिखा था :

[अनुवाद]

> "विश्व को आतंकवाद का प्रशिणण देने से अमरीकी लोकतन्त्र का भद्दा चेहरा बेनकाब हो गया है।"

[हिन्दी]

यह एक ऐसी समस्या है जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यह सारी मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह तो आपने सुना है और मनुष्य की बुद्धि के अन्दर की बात है कि हैवान को इन्सान बनाने के लिए लोग शिक्षण और प्रशिक्षण देते हैं। दानव को मानव बनाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो दानव है वह मानव के रूप में आ जाए। लेकिन ऐसी बात कहीं भी देखने में नहीं आई कि इन्सान को हैवान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और सारे विश्व में मानवता का संहार किया जाए। यह एक अजनबी और इन्सानियत की बुद्धि से परे की बात है। मनुष्य कठोर होते हैं। उनके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचा जा सकता है। लेकिन जब महिलायें भी इसमें शामिल हो जाती हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है कि महिलायें संवेदनशील होती हैं, उनका हृदय बहुत कोमल होता है। लेकिन दुख की बात है कि आज जब मैं फ्रैंक कैम्पर की पत्नी का वक्तव्य देख रही थी तो उसमें लिखा था कि उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं कि इन प्रशिक्षण कैंपों से ट्रेनिंग प्राप्त करके जो लोग बाहर निकलते है, वे क्या करते हैं। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं कि बेगुनाह लोगों की हत्या होती है और मासूम तथा निर्दोश बच्चों का कत्ले-आम किया जाता है उन्हें चिन्ता नहीं कि कनिष्क में सवार बेगुनाह यात्रियों को हमेशा-हमेशा के लिए समुद्र के गर्भ में विलीन कर दिया जाता है। कई पुलों को उड़ाया जाता है ताकि हमारी ट्रेनें दुर्घटना-ग्रस्त हो जायें और जो पत्नियां घर पर बैठी अपने पतियों के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं और जब उनको, उनके पति के दुर्घटना में

मारे जाने का समाचार मिलता है तो उनके आंसू नहीं रुकते। इन सब से उनको कोई मतलब नहीं।

इसलिए आज विश्व भर में जितने आतंकवादियों के संगठन सक्रिय हैं, उनकी जितनी भर्त्सना की जाए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। केवल सरकार के लिए ही नहीं, हम सबके लिए यह एक विचारणीय विषय है क्योंकि यह एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बज रही है। हमारी सीमाओं के पार आतंक फैलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वैसे तो आतंकवाद की समस्या विश्व के तमाम देशों के सामने है, परन्तु हम जैसे स्वतन्त्र राष्ट्रों और विकासशील देशों के लिए यह बहुत गम्भीर विषय बन गया है।

हमारे आस-पड़ोस के देशों में पिछले 5 वर्षों से उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और यह आतंक का वातावरण हमारे विश्व-बन्धुत्व के लिए खतरा है, हमारी एकता और अखण्डता के सामने चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो जनतांत्रिक संस्थायें हैं उन सब के सामने भी एक बहुत बड़ा प्रश्न-चिन्ह बन गया है। अमेरिका में तो इन लोगों का प्रशिक्षण चल ही रहा है, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मैक्सिको में भी पिछले 18 महीनों में इस कार्य पर लगभग 6 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं। अमेरिका तथा अन्य कई देशों में उग्रवादियों के प्रशिक्षण पर जो अपार धनराशि खर्च की जा रही है, उन देशों में अनेकों प्रशिक्षण केन्द्र बनाए गए हैं, उसके अलावा कनाडा में भी, अखबारों में आए समाचारों के अनुसार इस तरह की प्रशिक्षण संस्थायें कार्यरत हैं। उन सब कैंपों में हमारे यहाँ से तथा पड़ोसी देशों से लोग प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। हमने यह तो सुना है कि एक देश दूसरे देश के साथ कला के क्षेत्र में तो आदान-प्रदान होता है, साहित्य के क्षेत्र में तो आदान प्रदान होता है, व्यापार के क्षेत्र में आदान-प्रदान होता है, लेकिन नरसंहार करने की प्रक्रिया के प्रशिक्षण के लिए आदान-प्रदान होते कहीं नहीं देखा, और न कहीं सुना।

आज हम सबके समक्ष यह एक शोचनीय विषय उठ खड़ा हुआ है। पिछले दिनों जिस तरह से ट्रांजिस्टर बम काण्ड हुआ, उसके बाद हमारे सामने कुछ गवाहियां आयीं, उन सब में हमने देखा कि उन लोगों को इलैक्ट्रोनिक्स की ट्रेनिंग दी गई थी औद इलैक्ट्रोनिक्स की ट्रेनिंग प्राप्त करके जब वे यहां आए तो उनकी गतिविधियों के कारण, उनके व्यापक, सुनियोजित और संगठित कार्यों से भारत देश के सामने खतरा उत्पन्न हो गया है। हमारा देश समृद्धशाली हो रहा था, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, हमारे देश में हर तरह का विकास हो रहा था और हमारा देश इतना शक्ति-शाली हो गया था कि दूसरे कई देशों की नजरों में वह खटक रहा था और इसीलिए राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या का षडयन्त्र रचा गया। उसके बाद जब हमारे प्रधानमन्त्री अमेरिका जाने वाले थे तो उनकी भी हत्या की साजिश रची गई। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक दो लोगों को तो पकड़ कर सजा भी दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरे पैदा होंगे, उसके बाद फिर तीसरे पैदा होंगे, इसलिए अमेरिका और दूसरे देशों में चल रहे प्रशिक्षण केन्द्रों पर जब तक पाबन्दी नहीं लगाई जाएगी, तब तक यह नाटक समाप्त होने वाला नहीं है। सबसे गम्भीर विषय तो यह है कि जैसा हम लोगों ने सुना है, हमारे कुछ पेंशन प्राप्त करने वाले सैनिक भी विदेशों में जाकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। जिन व्यक्तियों को पहले देश की सुरक्षा के लिए रखा गया था, अब वे ही देश के सर्वनाश के लिए वहां पहुँचे हुए हैं और वहां बाकायदा आतंकवाद की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस तरह पेंशन प्राप्तकर्ता फौजी लोगों का यह संगठन भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो रहा है। हमने सुना है कि

भारतीय मूल के 27-28 ऐसे संगठन विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमने इनकी गतिविधियों पर अंकुश तो लगाया है ···

अंकुश तो लग गया है, लेकिन खाली अंकुश लगने से काम नहीं होगा। इसमें बहुत ही कारगर ढंग और कड़ाई से निपटने की जरूरत है। इसलिए आज यह आतंकवाद हमारे सामने भिन्न-भिन्न रूप में आता है। एक रूप में नहीं आता है। कभी हवाई जहाज अपहरण कभी बम विस्फोट और कभी ट्रांजिस्टर बम के रूप में और कभी पीने के पानी में जहर मिलाने की बात भी चलती है। तो इस तरह की वारदातें होती हैं, जो हम सबके लिए शोचनीय विषय हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार तो इसमें कारगर कदम उठाएगी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो हम जन प्रतिनिधि हैं, वे सब बैठ कर, इस गम्भीर विषय के ऊपर मनन और चिन्तन करें।

[अनुवाद]

श्री जी० जी० स्वैल(शिलांग) : सभापति महोदय, प्रधान मन्त्री की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के परिणामस्वरूप काफी सदभावना उत्पन्न हुई है और सहयोग तथा बातचीत का वातावरण बना है। मेरे विचार में हमें इसे सुदृढ़ बनाना चाहिए और यह जरूरी है कि हम सभा में सावधानी पूर्वक और सीमा में बोलें। यहां तक कि अलबामा के इस भाड़े के सिपाहियों को प्रशिक्षित करने वाले स्कूल में कुछ भारतीय आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में कुछ तथ्य सिद्ध हो चुके हैं और उनका खण्डन नहीं किया जा सकता। हम नहीं जानते कि अमरीका में ऐसे कितने स्कूल हैं। परन्तु वे वहां यदि एफ० बी० आई० की सहायता से नहीं चल रहे हैं तो अमरीकी अधिकारियों की पूर्ण जानकारी में जरूर चल रहे हैं। अमरीकी लोग और अमरीकी प्रशासन इस सबको अपने दृष्टिकोण से देखता है। अतः यह पूर्णतया उनकी जानकारी में है कि कई भारतीयों ने, हो सकता है वे भारतीय नागरिक हों, या हो सकता है भारतीय मूल के हों, इस स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इस स्कूल के डीन श्री फ्रैंक कैम्पर के बयान के अनुसार उन्होंने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि वे यह प्रशिक्षण में इसलिए प्राप्त नहीं कर रहे हैं कि वे पैसा लेकर अन्य देशों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जो भाड़े का सिपाही होता है उसकी इस प्रकार के प्रशिक्षण में रुचि नहीं हो सकती। उनका भारतीय नेताओं के विरुद्ध भारतीय लोगों के विरुद्ध तथा भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए कुछ करने का इरादा था। उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी थी और श्री फ्रैंक कैम्पर ने भी यही बात कही है। वे भारतीय नेताओं की विशेषरूप से प्रधान मन्त्री की हत्या करने के लिए विशेष किस्म के हथियार प्राप्त करना चाहते थे और उनमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते थे। वे देश में पुलों को उड़ाने के लिए, ऊंची इमारतों को उड़ाने के लिए और रासायनिक विस्फोट के द्वारा भोपाल जैसी दुर्घटना दोहराने के लिए विस्फोटक पदार्थों में रुचि रखते थे और यदि संभव हो तो आणविक संयन्त्र उड़ाना चाहते थे। अतः यह सब एफ० बी० आई की जानकारी में अवश्य होगा और उन्हें यह प्रशिक्षण पिछले नवम्बर में दिया गया था परन्तु यह सब प्रकाश में अब आया है।

अतः प्रधान मन्त्री ने संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के बाद जो कुछ कहा हम उससे सहमत हो जाते कि यद्यपि अमरीका सरकार ने थोड़ा बहुत सहयोग दिया है परन्तु वे भारत के विरुद्ध इस षड्यन्त्र की पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इस सभा में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि

5.00 म० प०

भारत और अमरीका के बीच बेहतर सम्बन्ध और बेहतर सहयोग रहना विश्व शांति के हित में है।

इसके लिए हम ईमानदारी से पूर्णतया तैयार हैं और हम चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका सहयोग के इस नये वातावरण में इसके लिए इसी प्रकार से पूरी तरह से तैयार रहे।

आतंकवाद, आज पूरे विश्व में तथा सर्वत्र व्याप्त है। अभी स्वयं अमरीका को ट्रांस वर्ल्ड एयर-लाइन्स के हवाई जहाज के अपहरण से सदमा पहुंचा है, इस सदमा से राष्ट्रपति रीगन को बेरुत हवाई अड्डे का बहिष्कार और नाकाबन्दी करने के बारे में विचार करना पड़ा। यह विचार अतिप्रक्रिया-वादी था और इसलिए यह विचार छोड़ना पड़ा और इस प्रकार की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई। किंतु इससे अमरीका के लोगों को पहुंचे सदमे का पता चलता है। इसलिये, यदि आतंकवाद का सामना करना है, तो इस पर विभिन्न राज्यों और सरकारों तथा लोगों के सहयोग से इसका सामना करना होगा और यदि सम्भव हो सके तो किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार के माध्यम से ही किया जा सकता है। मैं कह नहीं सकता कि यह किस तरह संभव हो सकता है। सर्वप्रथम, इसके लिए राजनैतिक इच्छा होनी चाहिए। एक या दो वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रीगन स्वयं आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुए थे। हम उन्हें बधाई देते हैं कि वह बच गए। यह भी प्रसन्नता की बात है कि वह एक और बीमारी से भी छुटकारा पा रहे हैं जिसके लिए उन्हें आपरेशन कराना पड़ा था और कल ही इस सभा ने राहत अभि-व्यक्त की है तथा उनके शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य होने के लिए इस सभा ने उन्हें तथा अमरीका सरकार को अपना सद्भाव भेज दिया है।

ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री श्रीमती थैचर ने, आतंकवाद से लड़ने के लिए हाल ही में एक बहुत ही दृढ़ भाषण दिया है; क्योंकि गत वर्ष ही वह कत्ल होने से बाल-बाल बची थीं। इसलिए, इसका मुकाबला तो करना ही होगा। इसे कैसे करना होगा, इसके लिए जो कुछ भी कहा जाय, थोड़ा होगा किन्तु इसके लिए देशों को पूर्णत: निष्ठावान होना होगा तथा एक दूसरे को सहयोग देना होगा। संभवत: यह आवश्यक होगा कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ उठाया जाये। इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों के साथ सहयोग करके इसके मार्गोपाय ढूंढ़े जायें।

ठीक है, मुझे यह नहीं मालूम है कि इसके बारे में क्या कुछ कहा जाए, यह किया जा सकता है और इसे करना होगा। राष्ट्रपति रीगन ने कुछ समय पहले यहाँ तक कह दिया था कि आतंकवादियों का पता लगाया जाये और उनको समाप्त कर दिया जाए, चाहे वे लोग कोई भी क्यों न हों। शायद ऐसा करने के लिए एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय बल गठित करना ही इसका उत्तर होगा किन्तु मेरा विचार है कि इस प्रकार की जो गैर-सरकारी संस्था चल रही हैं जो किसी सुस्थापित सरकार के नियंत्रण में नहीं है, उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। और मेरे विचार से अमरीका सरकार को भी यह संदेश दिया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार के स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाने का उन्हें कोई उपाय करना चाहिए। ये आतंकवादी स्वच्छन्द हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और वे जो चाहे कर सकते हैं। इसी-लिए श्री फ्रेंक कैम्पर चाहते थे कि आतंकवादियों और भाड़े के सिपाहियों के बीच एक विभाजन रेखा खींची जानी चाहिए। वह इस बात को बार-बार कहते रहे कि उस फिल्म में वह आतंकवाद के विरुद्ध थे और इसलिए वह इन लोगों को विश्व के विभिन्न भागों में व्याप्त आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे। किन्तु ये भाड़े के सिपाही कौन हैं? जो भी व्यक्ति उनके पास आते हैं, उन्हें किसी सुस्थापित सरकार की ओर से प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं भेजा जाता है और वे स्वेच्छा से वहाँ आते हैं। इसीलिए, जब वे लोग अपने देश को लौटते हैं या किसी अन्य देश में जाते हैं और वहाँ कुछ करते हैं, तो वह आतंकवाद ही है। इसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता है। मेरे विचार से उसका यह कहना अनुचित कहा जायेगा कि वह आतंकवाद के विरुद्ध है और इसीलिए वह प्रशिक्षण

दे रहा था। इस प्रकार स्कूल नितांत आवांछनीय है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इन व्यक्तियों को कमान्डों को यदि कोई प्रशिक्षण दिया जाना है, तो यह अच्छा होगा कि सरकार स्वयं उन्हें प्रशिक्षण दें। सभापति महोदय, मुझे इतना ही कहना था। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

5.09 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : सभापति जी, अमेरिका में हत्या करने वालों के स्कूल खुले हैं। पहली बार जब अखबार में पढ़ा तो समझ में नहीं आया कि इस प्रकार के भी यह स्कूल हो सकते हैं। बाद में जब सारी डिटेल्स आईं तो पता लगा कि वहाँ हत्या करने वालों के एक नहीं बल्कि 25 स्कूल हैं। हत्या किस प्रकार की जाए यह उन स्कूलों में सिखाया जाता है, खतरनाक हथियारों को चलाने की शिक्षा उन स्कूलों में दी जाती है, बड़े-बड़े खतरनाक बम बनाने की शिक्षा उन स्कूलों में दी जाती है। अलबामा में कैम्पर दम्पति ने तो यहां तक कहा है कि हमारे पास इस प्रकार के ब्लू प्रिन्ट हैं जिसमें हिन्दुस्तान के नागरिकों और हिन्दुस्तान के बड़े लोगों की सुनियोजित ढंग से हत्या करने की योजनायें हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह इन स्कूलों के माध्यम से ही हो रहा है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाये उतनी ही कम है। यह लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसका अन्दाजा अमेरिका के जो वृत पत्र हैं, उनसे सामने आया है। वह बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यह लोग जिस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, उससे न्यूकलर वीपन तक बनाये जा सकते हैं, जिस को कि टेरिस्ट उपयोग में ला सकते हैं।

अमेरिका के अन्दर 5 यूनिवर्सिटियां हैं और उन पाँचों के पास रिऐक्टर हैं जहाँ पर कि यूरेनियम छोटी-छोटी मात्रा में स्टोर किया जाता है। आप ऐसी कल्पना करें कि यदि यह सुनियोजित ढंग से एक साथ मिलकर वहाँ से यूरेनियम चोरी करें तो उससे छोटा यूरेनियम का एटम बम बना सकते हैं। इतनी भी ट्रेनिंग इन लोगों को दी जा सकती है। यदि इस पर आप गम्भीरता से विचार करें तो टेरिस्ट एक्टीवीटिज इतनी खतरनाक हो सकती हैं; उसका आपको पता चल जायेगा।

अमेरिका सरकार और अमेरिका के जो प्रेसीडेंट हैं, वह एक तरफ तो यह कहते हैं कि जितने भी टेरिस्ट हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए वह उनके कार्यों की निन्दा करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की सरकार यह कहती है कि हमारे पास में ऐसा कोई कायदा नहीं है जिससे कि इन स्कूलों को बन्द किया जा सके। अमेरिका की सरकार अपनी लाचारी बताती है। आज आवश्यकता जन-मानस तैयार करने की है। मैं तो प्रधान मन्त्री और सरकार से यह निवेदन करूँगा कि गुट-निरपेक्ष जो हमारे राष्ट्र हैं, उन्हें एकमत से सभी देशों के ऊपर दबाव डालना चाहिए। एक ऐसा जन मानस तैयार होनी चाहिए जिससे कि टैरिस्ट एक्टीवीटिज को खत्म करने के लिए आपस में सारे देश एक दूसरे को जानकारी दें कि वहाँ पर टैरिस्ट एक्टीवीटिज चल रही हैं, इसको खत्म करने के लिए हम यह कर रहे हैं और यहां के नागरिक दूसरी कंट्री में आ रहे हैं और यदि देश की इंटलिजेंस एजेंसी मिलकर काम करेगी, तभी विश्व से यह टैरिस्ट एक्टीविटिज खत्म की जा सकती हैं। मैं तो माननीय प्रधान मन्त्री जी और सरकार से यह निवेदन करूँगा कि अमेरिका में जो यह जो कुछ चल रहा है, उसको बन्द करवाए, यह अमेरिका की सरकार का काम है कि वह कानून बनाए। इतना घृणित काम जहाँ सिखाया जाता है, उसको बन्द करना पहला अमेरिका की सरकार का कर्त्तव्य है। यदि

नहीं करते तो मैं कहूँगा कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर इस प्रश्न को उठाना चाहिए और अमेरिका सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वह अपने यहाँ के सब स्कूल बन्द करें।

मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब वह बोलते हैं कि हम इन आतंकवादियों को अपने यहाँ कुछ भी पनाह नहीं देंगे तो पनाह देना तो कौन कहे, आप अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। इसकी जानकारी वहाँ की सरकार को है। अमेरिका की सरकार को स्पष्ट आश्वासन भारत की जनता को, भारत के नागरिकों को और भारत की सरकार को देना चाहिए कि हर संभव कदम अमेरिका की सरकार उठाएगी जिसमें कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाले जो खतरनाक स्कूल हैं वहाँ पर कि हत्यारे ट्रेन्ड किए जाते हैं उनको बन्द किया जाए। यह कैसी विडम्बना है कि अमेरिका हमसे समझौते करता है, करारों पर हस्ताक्षर होते हैं, व्यापार में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात होती है तो यह क्या तुम हमारे यहाँ हथियारों का एक्सपोर्ट करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? इस बात पर भी गंभीरता से अमेरिका की सरकार का ध्यान दिलाना बहुत ही आवश्यक है। यदि अमेरिका की सरकार इतना सब कुछ कहने के बाद भी—हमारे प्रधान मन्त्री वहाँ पर गए, इतनी विस्तृत चर्चा इन आतंकवादी घटनाओं के बारे में हुई—इसके बाद भी यदि अमेरिका की सरकार नहीं मानती है तो हमें आगे से किस तरह का सम्बन्ध उस सरकार से रखना चाहिए इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। हम तो उनसे रिलेशन्स अच्छे रखना चाहते हैं। लेकिन उनकी क्या मंशा है? खाली बोलने से और स्वागत करने से उनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। उस दिशा में हमारी मदद करने की भी आवश्यकता है। हम कोई उनसे आसमान के तारे तोड़ने का काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम तो केवल यह कह रहे हैं कि यह जो निन्दनीय और घृणित कार्य उनकी धरती पर चल रहा है, उनके देश में चल रहा है उसको उन्हें बन्द करना होगा। हम यह आश्वासन चाहते हैं उस दिशा में उनकी तरफ से पूरा-पूरा प्रयत्न हो क्योंकि ये जो खतरनाक काम हैं वह कितना ही आगे बढ़ सकते हैं। उसमें कोई रुकावट नहीं है। निर्दोष लोगों की जानें ली जाती हैं, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की जाती है। पहले भी यह हुआ है। अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई, राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी की हत्या की गई। वार्निंग देने के बाद भी बी० बी० सी० के रेडियो से उनकी हत्या करने वाले को इनाम की घोषणा जारी की गई। उसकी हम लोगों ने जरूर निन्दा की। परन्तु जिस देश से, जिस रेडियो से इसकी घोषणा होती है उन्होंने इसके लिए माफी नहीं मांगी। इस प्रकार की और भी चीज न होने दी जाय इसके लिए भी भारत की सरकार को उन देशों पर दबाव डालना चाहिए कि इस प्रकार की चीज भारत सरकार और भारत देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहूँगा कि इसके अन्दर हमको भी ज्यादा सजग होने की जरूरत है।

अभी जो पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस और हमारे यहाँ के दूतावास क्या करते हैं? हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे कितना हो गृह मन्त्री कहें, परन्तु वह फेल्योर रही है। एक अवसर पर नहीं बल्कि कई अवसरों पर फेल्योर रही है। वहाँ उनके 25 स्कूल खुल गए जहाँ पर हत्यारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पर प्लान बनता है हमारी प्रधान मन्त्री की हत्या करने के बाद में भी। उसके बारे में भी वहाँ के अखबारों से ही हमें यह मालूम पड़ा, हमारे दूतावासों को या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इन बातों की खबर नहीं। तो हमको यहाँ पर इस तरह की एक फोर्स बनानी चाहिए जो कि हमारे देश में और विदेशों में जो टेररिस्ट ऐक्टिविटीज हैं, जो इस तरह के टेररिस्ट लोग हैं उनका सफाया करने के लिए काम करे। उसके लिए हमें अपने बल बूते पर खड़ा होना चाहिए। दूसरे देशों से खाली बोलने से या कहने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमको इसके लिए अपनी एक ऐसी मशीनरी खड़ी करनी पड़ेगी जो कि विदेशों में इस तरह के जो काम होते हैं

उनकी जानकारी करे और उनको खत्म करे। ताकि वे हमारे देश के नेताओं तथा निरपराध व्यक्तियों की हत्याओं के मन्सूबे न बना सकें बल्कि वे उनकी तरफ अपनी नजर भी न उठा सकें। इस प्रकार की मशीनरी खड़ी करने की नितान्त आवश्यकता है। इस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए तथा देश में एवं देश के बाहर भी इस तरह की मशीनरी खड़ी करनी चाहिए जिससे कि इस प्रकार की टेरोरिस्ट एक्टिविटीज को समाप्त किया जा सके। इस सम्बन्ध में सभी तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर तमाम देशों के द्वारा दबाव डालने के अलावा अपने यहाँ ऐसी मशीनरी तैयार करके भारत को अगुवा बनना चाहिए जिससे कि दुनिया के सभी देशों में इस प्रकार की टेरोरिस्ट एक्टिविटीज को समाप्त किया जा सके। यदि आवश्यकता हो तो विभिन्न देशों से आपसी समझौता किए जायें तथा सम्बन्धित जानकारी का आदान-प्रदान करके इस प्रकार की टेरोरिस्ट एक्टिविटीज को समाप्त करने का प्रयास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कनिष्क के दुर्घटनाग्रस्त होने के समाचार के साथ यह समाचार भी प्राप्त हुआ है कि संयुक्त राज्य अमरीका में आतंकवादी स्कूल चलाये जाते हैं, जहां भारतीय आतंकवादियों को भारत में तोड़फोड़ के कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा कि हमें पहले ही पता है कि भारतीय को इसका लक्ष्य बनाने के लिए अलवाया में इस स्कूल रेकोंडो स्कूल ने एक योजना की रूपरेखा भी तैयार की है। वे चाहे भारत में हों; या भारत के बाहर—न्यूयार्क, लन्दन, टोरोन्टो, कैलीफोर्निया, आदि कहीं भी क्यों न हों। हमें यह पता है कि इस स्कूल का संचालन फ्रेंक कैम्पर द्वारा किया जाता है। फ्रेंक कैम्पर एक युद्ध विशेषज्ञ हैं। उसने वियतनाम युद्ध में भाग लिया था और वह अमरीका में सत्ताधारी और गैर-सत्ताधारी क्षेत्र में काफी विख्यात हैं। वे लोग उसे नायक समझते हैं और उसके द्वारा चलाये गये स्कूल को अमरीका में अवैध नहीं समझा जाता। वह पूर्णतः विधि सम्मत है।

हमने कैम्पर के साथ साक्षात्कार की एक फिल्म देखी थी, भारत सरकार को धन्यवाद। इस फिल्म में कैम्पर द्वारा आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन किये गए हैं। यह नितांत कानूनन है कि वे लोग भाड़े के सैनिकों को प्रशिक्षण देते हैं। उसने भाड़े के सैनिकों और आतंकवादियों के बीच एक अन्तर करने की चेष्टा की है। हम इस अन्तर को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि वे लोग हम पर आक्रमण करते हैं; या जब इन प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों को विधितः चुनी गई निकारागुआ सरकार पर आक्रमण करने को भेजा जाता है, अथवा जब उसी स्कूल से स्नातक करने वाला व्यक्ति कनिष्क में बम रखता है—तो फिर किस प्रकार से अन्तर समझा जाए? वे लोग हमें इस बात से आश्वस्त करना चाहते हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार के स्कूल चलाना पूर्णतः वैध है, क्योंकि उनका उद्देश्य आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने का नहीं है, बल्कि भाड़े के सैनिकों को प्रशिक्षण देने का है। किन्तु उनको क्या शक्ति दी गई है। उनके पास निरंकुश शक्ति है। यह शक्ति लोकतांत्रिक या प्रगति की ओर बढ़ने की नहीं है।

उनका इरादा तो ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का है, जो विशेष रूप से भारत को नुकसान पहुंचाने चाहते हैं। यह उस बड़ी प्रक्रिया का एक अंग मात्र है, जिसके बारे में हम लोगों से वर्षों से कहते आ रहे हैं। अब एक प्रयास किया जा रहा है—मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, इसके बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। एक ओर तो यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि उस स्कूल से अमरीका सरकार को कुछ लेना-देना नहीं है। इस मामले में वह एक गैर-सरकारी संस्था है। अमरीकी सरकार

गैर-सरकारी लोगों की सरकार है। अमरीका में हर चीज गैर-सरकारी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : राष्ट्रीयकरण की मांग मत कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि उन्हें वियतनाम जैसे देश से वास्ता पड़े तो वे समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है।

साक्षात्कार में फ्रेंक कैम्पर ने स्वीकार किया है कि वह एफ० बी० आई० के एजेन्ट हैं। वह एफ० बी० आई० जिसने हमारे प्रधान मन्त्री और श्री भजन लाल के विरुद्ध रचे गए षडयन्त्र को प्रकट किया था। इसके बाद उससे पूछा गया कि क्या उसका सम्बन्ध सी० आई० ए० से है; तो उसने उत्तर दिया कि यदि सम्बन्ध सी० आई०ए० से होता तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताता। इसलिये इस देश को यह बात आसानी से समझ आ जाती है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्रोत है। हमें यह बात अब समझ लेनी चाहिए। हम उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे सकते कि वे हमें कुछ प्रौद्योगिकी और धन की सहायता के ज्ञापनों द्वारा धोखा देते रहें। यदि कुछ धन या प्रौद्योगिकी के कारण हमारा मुंह और हमारी आंखें उस वास्तविक खतरे के प्रति बन्द हो सकती हैं; जो हमारी एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को हो रहा है, तो हम नहीं जानते कि इस देश का क्या होगा। मांगते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मांग किस प्रकार से की जानी चाहिए। यदि कुछ मांगें की जाती हैं, तो अच्छी बात है। यदि इस प्रकार की मांग की जाती है कि उन्हें अपने देशमें इस प्रकार का स्कूल बन्द कर देना चाहिये, तो अच्छा है। किन्तु इसके साथ कुछ और भी मांगना नितांत हास्यास्पद है। माननीय सदस्य श्री एच० एम० पटेल यह कह रहे थे कि यह मांग किस तरह की जा सकती है कि वे इस स्कूल को बन्द कर दें क्योंकि यह एक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है। वे चाहें तो बन्द कर सकते हैं और न चाहें तो नहीं। किन्तु हमें उन्हें यह बात दृढ़ता के साथ कह देनी चाहिए। फिर हमें स्वयं अपनी कार्यवाही करनी चाहिए। यदि वे उसे बन्द नहीं करते हैं, तो हमें उन पर दबाव डालने, अन्तर्राष्ट्रीय दबाव डालने का प्रयत्न करना चाहिए। यह बात नहीं है कि अमरीका सभ्य देश नहीं है। पूरे विश्व में मानव व्यवहार के बारे में संहिता है। हमें इसे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाना चाहिए तथापि कभी-कभी वह भी बेकार रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कितने संकल्प पारित किये जा चुके हैं? उसकी कौन परवाह करता है? अब संयुक्त राज्य अमरीका भी आतंकवाद के कष्ट अर्थात् टी० डब्ल्यू० ए० को महसूस कर रहा है। वह क्या है? उन्होंने महसूस किया, बहुत अच्छा है। क्या लेबनान में आतंकवाद का वही पहला हादसा है? लेबनान को अमरीका और इजरायल द्वारा आतंकित किया जाता है और इसके बदले में, उन्होंने ऐसा किया है। यह बुरी बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किन्तु हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद का स्त्रोत क्या है और प्रयत्न कहां किया जाना चाहिए।

उनकी विश्वनीति अपने प्रभाव के कुछ क्षेत्र तैयार करना है। कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति रीगन ने घोषणा की थी कि वह विश्व के कुछ देशों को गैर कानूनी घोषित करने वाले हैं। देखिए उनका मस्तिष्क कैसे चलता है। वे कौन-कौन से देश हैं? वे देश हैं, निकारागुआ, क्यूबा, ईरान, लीबिया और उत्तरी कोरिया अर्थात् डी० पी० आर० के०। निकारागुआ में भाड़े के सिपाहियों को सहायता देने लिये वे संसद में धनराशि स्वीकृत कर रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने 300 लाख डालर मंजूर किए। वह भाड़े के सिपाहियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसमें अन्तर कैसे किया जाये? निकारागुआ में सहायता देने और भाड़े के सिपाही भेजने का उनका प्रयोजन है? इसके अलावा उनके स्कूल से स्नातक

करने वाले कुछ लोगों ने साबरा कैम्प, फिलिस्तीन, फिलिपीन, दक्षिण अफ्रीका में तथा हर जगह में कत्ले आम करने में भाग लिया। इसलिए, हमें इन सब बातों को समझना चाहिए और दृष्टिकोण में भर्त्सना करने में स्पष्ट होना चाहिए। यदि वे लोग इसे स्वीकार नहीं करते और यदि वे कहते हैं कि वे लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने ही तरीके से उस पर विचार करना होगा। माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि अमरीका समझता है कि यह कानून है। यदि वे लोग हमारी बात नहीं सुनते तो हमें अन्य विकल्पों को अपनाने की कोशिश करनी होगी। हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। जब वह धन देता है; तो यह भारत पर अधिपत्य जमाने की नीति के अन्तर्गत होता है; और जब आतंकवादियों को सहायता देता है, तो यह भी भारत पर अधिपत्य जमाने की उनकी नीति का अंग है। इस दृष्टि से, मैं तो कम से कम इसे एक समस्या ही समझता हूं और मुझे इस बारे में जरा भी आश्चर्य नहीं है, कि वे इस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं, और उनका यह अमानवीय दृष्टिकोण है। उन्हें इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि उस स्कूल से शिक्षा प्राप्त कुछ लोगों के कारण कनिष्क दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। श्रीमती कैम्पर ने कहा था, "चिन्ता किस बात की है।" यह घटना तो उसी प्रकार की है कि जैसे कोई यातायात निरीक्षक किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देता है और यदि इसके कुछ प्रशिक्षार्थियों से कोई दुर्घटना हो जाती है; तो उसे चिन्तित होना चाहिये। अमरीका में इस तरह का दृष्टिकोण है और वे जो कुछ भी करते हैं, वह साम्यवाद के विरोध में करते हैं। साम्यवाद विरोधी कोई भी काम उनके लिए धर्म का काम है। हमारे यहाँ के एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के सम्पादन ने लिखा था कि साम्यवाद-विरोधी सिद्धान्त, और उसके द्वारा भाड़े के सिपाहियों और आतंकवादियों को सहायता देना भारत पर लागू नहीं होते। क्योंकि श्री रीगन की दृष्टि में साम्यवाद-विरोधी का अर्थ केवल भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी-विरोधी होना नहीं है। उनके विचार से गुट-निरपेक्षता से साम्यवाद को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर होने से भी ऐसा ही होता है। इसलिए, वे जो कुछ कहते हैं, आपको उसी पर निर्भर करना होगा। यही सब हो रहा है और हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि यह हमारी स्वतंत्रता पर, हमारी प्रभुसत्ता पर, हमारी आत्मनिर्भरता पर और हमने जो मार्ग चुना है, उस पर स्पष्ट प्रहार है। और हमें इसे इस प्रकार से लेना होगा और माननीय मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है, वे मामले पर किस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं; किस प्रकार की भर्त्सना जारी की गई है और इसके लिए वास्तव में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह सब बहुत ही आवश्यक है।

मैंने देखा है कि इसके बारे में जो फिल्म दिखाई गयी है, वह बहुत ही सुस्पष्ट है और मेरे विचार से सभी सदस्यों ने इसे नहीं देखा है। उन्हें इसे दिखाने का अवसर दिया जाए। संवाददाताओं को भी इसे देखना चाहिए। सारा देश इसे देखे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इसे दूरदर्शन पर लोगों को दिखाया जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं इससे सहमत हूं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आतंकवाद सम्बन्धी स्कूल चलाये जा रहे हैं और हो सकता है कि वह बिल्कुल ठीक न हो। किन्तु मैं एक बात नहीं समझ पाया। अन्य कितने ही साधन हैं जिससे वे जान सकते हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों को इसे प्रकाशित न करने को कहा गया है क्योंकि लोग इसे पढ़ेंगे।

एक माननीय सदस्य : अन्य लोगों को चाहिए कि वे इसे लोगों को दिखायें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी हाँ। वे लोग फिल्म की तस्करी करेंगे और लोगों को दिखायेंगे। सही

वातावरण तैयार करने तथा अन्य लोगों को सचेत करने के लिए सरकार को इसे दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए। किन्तु यदि सरकार ने अपूर्ण सूचना देने का निर्णय ही लिया है, तो क्या किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मैं यह कहना चाहता हूं माननीय प्रधान मन्त्री आज 5.45 म० प० पंजाब के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वह वक्तव्य आतंकवाद का अंश है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी।

श्री नारायण चौबे : तिवारी जी साम्राज्यवाद के विरोधी हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, आतंकवाद के इस खतरे के बारे में हमने घृणास्पद विचार व्यक्त किए हैं और मेरा यह दृढ़ विचार है कि अमरीका में आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का जो रहस्योदघाटन किया गया है वह हमारी स्वतन्त्रता, हमारी अखंडता और हमारी राष्ट्रीय एकता पर एक प्रहार है।

महोदय, ये स्कूल अथवा स्कूल-समूह, जो इन आतंकवादियों और भाड़े के सिपाहियों को प्रशिक्षण देते हैं,—ठीक है, वे वहां हैं और विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में, जो अमरीकी दर्शन के सिद्धान्तों को मानने को तैयार नहीं हैं, आतंकवादियों को भेजा जाता है और इन तत्वों की मदद से हत्यायें करवा करके अस्थिरता पैदा करके और इसी प्रकार की खुली हिंसक कार्यवाहियां करके आतंक फैलाया जाता है। इसलिए, इसके बारे में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। इस रिपोर्ट के बारे में भी मुझे आश्चर्य नहीं है कि इस प्रकार के स्कूल चलाए जा रहे हैं और वहां भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें हत्या करने और भारत को नष्ट करने के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। आश्चर्य में डालने की जो बात है वह यह है कि उसे अधिक प्रकट किया जा रहा है।

यह रहस्योदघाटन एफ० बी० आई० के माध्यम से हुआ था और वह भी प्रधान मंत्री की यात्रा से पहले। यह भी जानना आवश्यक है कि एफ० बी० आई० ने यह खबर दी कि अमरीका की यात्रा के समय भारतीय प्रधान मन्त्री के जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। किन्तु बाद में, एक वक्तव्य से यह प्रकट हुआ—एक प्रशिक्षित आतंकवादी ने बताया कि उन्हें ऐसे विस्फोटक पदार्थ रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है जिनसे कि भारत के बड़े-बड़े पुलों, भवनों अथवा यहां तक कि परमाणु रिएक्टर भी नष्ट हो सकते हैं। इस कार्यवाही में प्रधान मन्त्री के जीवन को नष्ट करना भी शामिल था। किन्तु एफ० बी० आई०, जो कि मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं इन स्कूलों को धन देती रही है और इस प्रकार की गति विधियों का संचालन करती रही है, ने यह सुझाव दिया था कि भारत के प्रधान मन्त्री की हत्या अमरीका में न की जाये, उनकी हत्या विश्व के किसी भी स्थान पर की जा सकती है किन्तु अमरीका की भूमि पर नहीं। मैं यह नहीं जानता कि भारत सरकार की जानकारी कहां तक है और उसे इस सच्चाई का पता है अथवा नहीं। इसलिए मेरा दृढ़ विचार है कि कैम्पर जैसे लोगों के द्वारा चलाए जा रहे यह स्कूल अथवा स्कूल के समूह साम्राज्यवाद का बहुत ही भद्दा और विकृत स्वरूप है। मैं एक बार फिर सारी सभा को सम्बोधित कर रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार को सावधान करने में सभा का प्रत्येक सदस्य मेरे साथ है कि यदि हम आतंकवाद के इस खतरे या स्रोत का सामना करें तो, फिर चाहे वह अमरीका हो, ब्रिटेन हो या कनाडा हो, यह बातचीत द्वारा नहीं हो सकता है, बल्कि यह भारत के उन लोगों को संघटित और

गतिशील बनाकर किया जा सकता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भिड़े थे और अमरीकी साम्राज्यवाद के अद्वितीय ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। हमें भारत की जनता, तीसरी दुनिया के शान्ति-प्रिय लोगों को गतिशील बनाना चाहिए और हमें मित्र देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करके जनमत तैयार करना चाहिये तथा उन मौत के सौदागरों जो अमरीका की धरती से कार्यवाही कर रहे हैं की निन्दा करने के लिए राष्ट्र संघ की आम सभा का विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए। अमरीका जो कि अपने को स्वतन्त्रता प्रिय देश कहलाते हैं, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, कि वह शैतान का राज्य बन गया है, जहाँ से मृत्यु का निर्यात किया जाता है, जहाँ से विनाश का निर्यात किया जाता है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि हमें छोटे या बड़े किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। आज भारत विश्व साम्राज्यवाद का मुख्य निशाना बना हुआ है।

महोदय, मैंने अपने पूर्व भाषण में जब इस सभा में अमरीका की सीनेट की उप-समिति में कांग्रेस सदस्यों की सुनवाई के बारे में बताया था तो मैंने विदेश मन्त्री महोदय से हार्डग्रेव के प्रतिवेदन के बारे में निवेदन किया था मैंने यह सुझाव दिया था कि यदि आप भारत की जनता को इस देश में घटने वाली इसी प्रकार की घटनाओं के विरुद्ध तैयार करना चाहते हैं तो हार्डग्रेव प्रतिवेदन की प्रति इस सदन में सभा-पटल पर रखी जाए और प्रत्येक सांसद को इसकी एक प्रति मिलनी चाहिए। यह प्रतिवेदन श्रीमती इन्दिरागांधी के मरने से बहुत पहले तैयार कर ली गई थी। यह एक घृणित रहस्य बनकर रह गई है।यह सदैव मुझे यह सोचने पर मजबूर करती है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु से बहुत पहले अमरीका के अधिकारियों ने यह अध्ययन कैसे किया कि श्रीमती गांधी महोदय की हत्या होने जा रही है। विदेश मन्त्री महोदय, आपकी सरकार यह कहती रही है कि संघीय जांच ब्यूरो (एफ०बी०आई०) भारत सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सूचना छुपा रहा है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह किस प्रकार की सूचना है? क्या यह सूचना अमरीका में श्रीमती गांधी की हत्या के षडयन्त्र से सम्बन्धित है? व्यक्तिगत रूप से मैं यह अनुभव करता हूँ कि—मैं यह नहीं जानता कि आप एफ० बी० आई० से क्या सूचना चाहते हैं और हो सकता है आप उसे सभा को न बताएं—जो सूचना आप मंगा रहे हैं या संघीय जांच ब्यूरो से चाहते हैं यह श्रीमती गांधी महोदया की हत्या के षडयन्त्र, उस भयंकर अपराध की पूर्व तैयारी से सम्बद्ध है जिसने भारत से उसका सर्वोच्च नेता छीन लिया और हमें भयानक मानसिक आघात के भंवरजाल में फेंक दिया जिसमें से होकर हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद गुजरना पड़ा। हम उसे भूल नहीं सकते। या क्या यह वर्तमान प्रधान मन्त्री की हत्या के किसी नए षडयन्त्र से सम्बन्धित है? वह कौन सी जानकारी है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि संघीय जांच ब्यूरो आपसे छुपा रहा है? अतः उपाध्यक्ष महोदय मैं इस सभा को सावधान करता हूं और आपके तथा इस सभा के माध्यम से इस देश को सावधान करता हूं कि कम्पूचिया के उस शैतान नेता पोल-पोट जिसने कम्पूचिया के एक करोड़ लोगों को मिट्टी में मिला दिया और जिसने कम्पूचिया की प्राचीन सभ्यता को धूल में मिला दिया, के संरक्षकों इजराइल में सियोनवाद के संरक्षकों, दक्षिण अफ्रीका में जातिवाद के संरक्षकों, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु युद्ध द्वारा प्रथम बार निर्दोष मानवता को मेरे अनुसार तृतीय विश्व युद्ध में भयानक विनाश के गर्त में धकेलने वाले इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और महोदय, मेरा तो यह कहना है कि हमें इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब यह आतंकवाद हमारे देश के लिए नवीनतम खतरा बना हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि में कई घटनायें हैं। दुर्भाग्य से, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है अन्यथा मैं विश्व के विभिन्न भागों में सी० आई० ए० और साम्राज्यवादियों द्वारा अपनाई जा रही अस्थिरीकरण की प्रक्रियाओं की छोटी से छोटी बात तक का ब्यौरा देता। हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि चिली में क्या हुआ और निकारगुआ में

क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है,उससे भी हम अनजान नहीं हैं। क्या हम अनजान हैं? विदेश मन्त्री महोदय क्या आप इस सभा को यह बतायेंगे कि कुल कितना धन व्यय किया जा रहा है ? मेरी सूचना के अनुसार अमरीका पाकिस्तान के उन मुजाहिद ग्रुपों पर 3 अरब अमरीकी डालर प्रतिवर्ष खर्च कर रहा है, जिनके कि सी० आई० ए० के एजेन्टों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में वहाँ पर प्रशिक्षण कैम्प चल रहे हैं तथा पंजाब के आतंकवादी इन कैम्पों में प्रशिक्षण पा रहे हैं तथा पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक माध्यम के रूपमें कार्य कर रहा है। आपके विमानों का अपहरण करके पाकिस्तान ले जाया गया। अब उन्हीं आतंकवादियों को, उन्हीं ग्रुपों को संरक्षण दिया जा रहा है। सुनवाई, झूठी सुनवाई चल रही है। विदेश मन्त्री महोदय आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जिस प्रकार आज इन आतंकवादियों पर अभियोग चलाया जा रहा है वह उन्हें दण्डित करने के लिए नहीं अपितु यह तो उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए है। पाकिस्तानी प्राधिकारी इसका लाभ उठा रहे हैं और यह सब पाकिस्तान में हो रहा है। विदेश मन्त्री महोदय आप भी इस बारे में बात करते रहे हैं। मुझे दुख से यह कहना पड़ रहा है कि कभी-कभी हम अपने विश्लेषणों और समझ में बहुत ही सीधे और एकांगी बन जाते हैं। कानून कहाँ है ? ब्रिटेन, कनाडा और अमरीका के अव्यवस्थित कानून ? क्या हमें यह पता नहीं है कि बी० बी० सी०, रेडियो पर कानून के भगोड़े उस चौहान ने एक कार्यक्रम में भाग लिया था और श्रीमती इन्दिरा गाँधी को मारने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की थी ? और उनकी हत्या किए जाने के बाद उसे उसी कार्यक्रम में उस हत्या की प्रशंसा करने की अनुमति दी गई। मैं यह पूछना चाहूँगा कि क्या ब्रिटिश अधिकारी आयरिश गणतन्त्र स्वतन्त्रता सैनानियों को भी इसी प्रकार का कार्यक्रम बी० बी० सी० पर प्रसारित करने की अनुमति देंगे ? ब्रिटिश सभ्य होने का दावा करते हैं और उनके यहां कुछ कानून भी हैं। परन्तु हत्या के दर्शन का प्रचार करने और प्रचार की सुविधा देने वाले कानूनों की सब जगह निन्दा की जानी चाहिए।

मैंने अपने पिछले भाषण में भी सुझाव दिया था कि ब्रिटिश अधिकारियों की कार्यवाहियों और कनाडा के अधिकारियों की कार्यवाहियों में कुछ निकट का सहयोग और समानता दृष्टिगोचर होती है। वास्तव में, कनाडा की धरती से कार्यसंचालन करने वाले आतंकवादियों के इन ग्रुपों द्वारा उन के अल्पसंख्यक होने के नाम पर, भारी मात्रा में धन जुटाया जा रहा है। यह धन उन्हें अपनी अल्पसंख्यक संस्कृति और अल्प संख्यक धर्म का प्रचार करने के लिए दिया जाता है। परन्तु सच तो यह है कि यह सारे का सारा धन प्रशिक्षण केन्द्रों और शस्त्रों के क्रय जैसे घृणित कार्यकलापों में बहा दिया जाता है। मैं विदेश मन्त्री महोदय से सभा को यह बताने का अनुरोध करता हूँ कि कितने आयरिश रिवोल्युशनरी आर्मी के लोगों को, उन्हीं कानूनों के अधीन ब्रिटिश अधिकारियों ने फाँसी पर लटकाया है, जेलों में भेजा है या दण्डित किया है और उन्हीं कानूनों के अधीन कितने भारत-विरोधी आतंकवादियों को दण्डित किया गया है। मैं चाहता हूँ कि वे हमें इस बारे में आंकड़े दें।

महोदय, मैं यह बलपूर्वक कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत ही गम्भीर चुनौती है और यह हमारी स्वतन्त्रता के लिए एक सतत चुनौती है। यह चुनौती तो हमारे नेता और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के जीवन को निरन्तर चुनौती है। यह तथाकथित केम्पर स्कूल तो एक दिखावा है। केम्पर के पीछे अन्य ताकतें कार्य कर रही हैं। उनका उद्देश्य भारत के नेताओं की हत्या करना है, चाहे वे भारत में हों या विदेश में। क्या हम अपने राजनयिक श्री म्हात्रे की कायरता पूर्ण और नृशंस हत्या को भूल गये हैं ? उनकी हत्या ब्रिटेन में की गई। क्या ब्रिटिश अधिकारी अपराधियों को पकड़ सके ? यह कैसी बात है कि श्री म्हात्रे के हत्यारों में से कुछ अब पाकिस्तान में सक्रिय हैं ? उन्हें ब्रिटेन भाग जाने दिया और अब वे पाकिस्तान में हैं। अत: सम्पूर्ण परिदृश्य डरावना है और हमें

अपनी कमर कस लेनी चाहिए क्योंकि यह तो शताब्दी की सबसे बड़ी चुनौती है। इस प्रकार की चुनौती इतिहास में एक बार ही आती है और हमें यह चुनौती मिली है।

यहां मैं यह बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि केवल विदेश मन्त्रालय के अधिकारियों का कोई ग्रुप ही इसका समाधान नहीं कर सकता है। स्वतन्त्र रहने की भारत की जनता की इच्छा है, अपनी सीमाओं को अखण्ड रखने की उसकी इच्छा है और इस महान राष्ट्र की एकता को बनाए रखने की जनता की इच्छा है तो हमारे नेताओं के जीवन और देश की सीमाओं को भेजी गई चुनौती का हमें डटकर मुकाबला करना है। इसलिए ब्यौरे में न जाते हुए, मैं केवल इतना कहूंगा कि इस देश के लोगों को गतिशील करने का समय आ गया है। तीसरी दुनिया के लोगों को गतिशील करना होगा। निस्सन्देह, कभी-कभी अमरीकी अधिकारी भी आतंकवाद की कचोट को अनुभव करते हैं, परन्तु उनकी कचोट बहुत ही ऊपरी लगती है। यह उनके अन्दर तक चोट नहीं पहुंचाती है; परन्तु हमारे मामले में तो यह काफी गहरी चोट कर रहे हैं। अतः, महोदय यह हमारे जीवित रहने का प्रश्न है और जब देश का जीवन ही दांव पर लगा हो तो, हमें इस सर्वोच्च चुनौती का सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए जो हमारे देश को दी जा रही है। इसलिए मेरा विचार है कि यह मन्त्रालय और सरकार अवसर के अनुरूप इस चुनौती का सामना अपनी बुद्धि से करेगी। और मेरे विचार से भारत के लोग इस चुनौती का सामना करने में सक्षम है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने दिया।

श्री बी० के० गढवी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोदय, आतंकवाद की हम सभी के द्वारा सार्वजनीन रूप से निन्दा की जानी चाहिए। इसके बारे में कोई दोराय नहीं है। आतंकवाद के समग्र पहलुओं पर दृष्टिपात करते हुए यह तो मानना पड़ेगा कि अपराध करने हेतु लोगों को प्रशिक्षित करने के पीछे, किसी देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण देने तथा राज्याध्यक्षों आदि की हत्या करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने के पीछे अनेक षड्यन्त्र और उद्देश्य होते हैं। जब हम उनके समस्त क्रियाकलापों की जाँच करते हैं तो हम पाते हैं कि ये आतंकवादी दो तरह से कार्य करते हैं। एक तरीका तो यह है कि वे किसी कारण का ढिंढोरा पीटते हुए अपनी गतिविधियों को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, "हमारा एक विशेष लक्ष्य है, और हम उस उद्देश्यार्थ इन आतंकवादी क्रियाकलापों में संलग्न है।" दूसरा तरीका यह है कि कुछ गड़बड़ पैदा करने के लिए किसी को डरा धमकाकर रखना विशेषकर विकासशील देशों में (जो अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं।) जो विकसित देशों की बराबरी करने जा रहे हैं। ये आतंकवादी उनके विकास को असफल करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः, इन दो भिन्न मार्गों से वे विभिन्न षड्यन्त्रों को कार्य रूप देने में सक्रिय हैं। परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी प्रकार की हिंसा की पूरी तरह से निन्दा के बावजूद, हिंसा कतई कम नहीं हुई है और बढ़ती ही जाती है।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विगत में इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध कुछ संकल्प पास करने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से आज हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वे सभी संकल्प आज केवल अपालित संकल्पों के सिवाय कुछ नहीं रह गए हैं।

5.47 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, हमारे लिए यह जानना एक आघातिक रहस्योद्घाटन था कि अमरीका में कुछ भाड़े

के स्कूल इन आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे हमें बड़ी चिन्ता रही है और वे इस देश में तोड़-फोड़ करने का प्रयास करते रहे हैं। हमें इस बात की भी चिन्ता है कि हमारा पड़ौसी देश, जिसके साथ हम सदैव मित्रता के सम्बन्ध बनाए रखने का प्रयास करते रहे हैं, जिसके साथ हम एक दूसरे की कठिनाइयों में समभागी बनने का प्रयास कर रहे हैं, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देनें पर तुला हुआ है। कुछ आतंकवादियों को वहीं पर प्रशिक्षण मिल रहा है और हमारे लिए यह बहुत ही चिन्ता का विषय है।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने अमरीका का दौरा किया। वहाँ पर अमरीकी सरकार और राष्ट्रपति रीगन ने ढ़ेर सारी सद्‌भावनाएं प्रदर्शित कीं। अमरीका के राष्ट्रपति ने विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों की निन्दा की ? हम सब इन सभी भावनाओं का स्वागत करते हैं, परन्तु हम यह पूछना चाहेंगे कि क्या यह बनावटी सहानुभूति मात्र है अथवा क्या कोई निश्चित कदम उस आतंकवाद जो कि उसी देश से पनप रहा है, को मिटाने के लिए उठाया गया है। महोदय, यह कहा जाता है कि ये भाड़े के स्कूल अमरीका के कानून की परिधि में आते हैं। हो सकता है ऐसा हो। परन्तु जब अमरीका को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह स्कूल ऐसे छात्र पैदा कर रहा है जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का विनाश और घृणित अपराध करने में सक्षम हैं तो उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था तथा ऐसे स्कूलों पर पाबन्दी लगा देनी चाहिए। अमरीका को ऐसा कानून, यदि पहले कोई नहीं है तो बनाने चाहिए जिससे कि आतंकवाद का प्रशिक्षण देने वाले इन स्कूलों पर पाबन्दी लगा दी जाए।

अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो ये आतंकवादी कार्यवाहियाँ विकासशील देशों के लिए काफी रुकावटें पैदा करेंगी। इस सम्बन्ध में, साम्राज्यवादी और पश्चिमी देश हमेशा ही यह उद्देश्य पाना चाहते हैं। अमरीका कहता है कि वह खुद भी आतंकवादी गतिविधियों का शिकार हुआ है, क्योंकि उनके अपने हवाई जहाज का अपहरण हो गया था। ब्रिटेन भी कह सकता है कि वह भी इसका शिकार हुआ है, क्योंकि उनकी प्रधान मन्त्री मृत्यु से बाल-बाल बची हैं। लेकिन यह काफी नहीं है। हम देखते हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में आतंकवाद काफी खतरा पैदा कर रहा है। वे इस समय हमारे देश में अधिक सक्रिय हैं, जबकि हमारा देश अपने लोगों में एकता और भाई-चारे को पैदा करने की कोशिश कर रहा है, दुर्भाग्य से आतंकवाद की पूरे जोश और पूरी आवाज से निन्दा नहीं की जा रही है। हमें खुशी है कि भारत में समाज के सभी वर्ग चाहे वे हिन्दू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, या ईसाई हों, सभी आतंकवाद की निन्दा कर रहे हैं। इसीलिए, जब हमारे देश के कुछ भागों में आतंक-वाद शुरू होता है, जिससे वहाँ गड़बड़ है तो इसे दबा देना चाहिए और हमें इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत-सरकार इस संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मामला उठाएगी कि ऐसी आचार-संहिता बनाई जाए जिसमे किसी भी देश में आतंकवादी गतिविधियों की निन्दा की जा सके और किसी भी देश में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने पर रोक लगाई जा सके। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार कोई फार्मूला तैयार करेगी जिससे कम-से-कम विकासशील देशों और तीसरे विश्व के देशों के लोग मिलकर, आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हो सकें, ताकि ये देश साम्राज्यवादी देशों की चालों में न आ सकें। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन दो बातों पर विचार करें और जैसा कि मैंने भाषण के शुरू में कहा कि इसकी सभी लोगों द्वारा निन्दा की जानी चाहिए। यह अच्छी बात है कि आपने इस मामले के महत्व को देखते हुए ध्याना-कर्षण प्रस्ताव को आम चर्चा में बदल दिया है।

श्री स्वैल ने सही ही कहा है कि ये आतंकवादी अपनी मर्जी से किसी भी तरह से कार्य कर सकते हैं। जब वे इन प्रशिक्षण केन्द्रों से बाहर आते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अपराध कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। हमें अमरीका में चल रहे इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या के बारे में पता नहीं है, वे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी, लेकिन उन्हें शुरू में ही बन्द कर दिया जाना चाहिए और मुझे आशा है कि हमारा इस सभा से सन्देश सभी देशों, चाहे वह ब्रिटेन हो, अमेरीका हो या अन्य देश को पहुंचेगा कि हम आशा करते हैं कि ये राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ या विश्व-विरोधी गतिविधियां शान्ति के लिए सहायक नहीं होगी और इसलिए इन्हें समाप्त करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः विदेश मन्त्री को जोर देकर कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद को रोकने के लिए विश्व राजनीति में किसी ऐसे फार्मूले का सुझाव दें या ऐसा फार्मूला बनाने की कोशिश करें, जिससे इस पर रोक लगाई जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह(छपरा) : अध्यक्ष महोदय, आज तक मुझे केवल इस बात की जानकारी थी कि जहां भी शिक्षण या प्रशिक्षण दिया जाता है, वह ज्ञान के अर्जन के लिए, ज्ञान के वर्धन के लिए, इन्सान को इंसान बनाने के लिए दिया जाता है लेकिन पहली बार इस बात की जानकारी हुई कि अमेरिका के अलबामा में इन्सान को हैवान बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहां नौजवानों को और विद्यार्थियों को हत्या करने के तरीके सिखाये जाते हैं और आतंकवाद के माध्यम से किसी भी देश की सरकार को छिन्न-भिन्न करने की शिक्षा दी जाती है, किसी भी देश में अव्यवस्था फैलाने की शिक्षा दी जाती है। और किसी भी देश की आजादी को खतरे में डालने की शिक्षा दी जाती है। इस बात पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है इसलिए कि चाहे कोई भी साम्राज्यवादी देश हो, साम्राज्यवाद में विश्वास करने वाला देश हो, अमेरिका जैसा देश हो, उसकी रीति ही यही है कि दुनिया के तमाम देशों पर, चाहे जिस किसी तरीके से भी तुम वर्चस्व कायम कर सकते हो, चाहे तुम्हें उसके लिए कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े, अपना वर्चस्व कायम करो। उसी नीति का यह परिणाम है कि अमेरिका के अलबामा में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका में या किसी दूसरे साम्राज्यवादी देश में यदि इस तरह के काम हो रहे हैं तो हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि वहां की सरकार इन प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द करने में अपनी विवशता जाहिर कर रही है, अपनी लाचारी व्यक्त कर रही है कि हम ऐसे स्कूलों को बन्द नहीं कर सकते। यह उनकी नीति कोई नई नहीं है। उनके सी० आई० ए० का क्या काम है, उसकी नीति क्या है, उसकी भी आतंकवाद की नीति है। जिस तरह से आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, ठीक उसी तरह से उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है और सी० आई० ए० भी वही नीति अपनाती है जो अमेरिका की ओर से काम करती है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति को या अमेरिका की सरकार को यदि वाकई में इससे पीड़ा है...वाकई में सी० आई० ए० के इस काम के खिलाफ मन में भावना है, जैसी कि उन्होंने इस बात की निंदा की है, तो उनको भारत सरकार के सामने ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने माफी मांगनी चाहिए और चाहे जितना भी कठोर कदम उठाना पड़े, उस कदम को उठाकर ऐसे समय पर मरहम लगाने का काम करना चाहिए। हमारी सरकार को भी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। अपनी सरकार को भी देश के बीच में मीडिया के द्वारा,

सभा के द्वारा, शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए और पूरी दुनिया के भीतर भी इस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए ताकि इस आतंकवाद का मुकाबला किया जा सके। जब तक इस देश के लोगों को इकट्ठा करके और दुनिया के अन्दर जो शान्तिप्रिय लोग हैं, उनको इकट्ठा करके लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक आतंकवादियों से न इस देश को छुटकारा मिलेगा और न दुनिया को छुटकारा मिलेगा। इसलिए सरकार को देश के भीतर भी ऐसे कामों को करना चाहिए ताकि इन आतंकवादियों को इन छोटी-छोटी बातों को बहाना बनाकर फलने-फूलने का मौका न मिले।

मैं अन्य बातों का जिक्र न करते हुए सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि देश भीतर से इतना जरजर हो चुका है जिसके कारण परदेशियों को उंगली उठाने का मौका मिलता है क्योंकि अपना देश हर मायने में जरजर हो चुका है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे देश में समता और सम्पन्नता आए ताकि कोई परदेशी इस देश के ऊपर अंगुली न उठा सके। यदि ऐसा समाज नहीं बनता है, तो थोड़े समय की बात और है, लेकिन अनन्तकाल तक ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए हम देश की जनता को तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, समाज में और विश्व में आतंकवाद, किसी न किसी रूप में हमेशा ही रहा है। लेकिन खतरे वाली बात इसकी घटनाओं में वृद्धि होना है। एक अमरीकी विशेषज्ञ डा० ब्रेन जेनकी के अनुसार, इस वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान आतंकवादी की 151 घटनायें हुई। इसमें ज्यादातर यूरोप में हुई। यूरोप में 63 घटनायें हुई, 46 मध्यपूर्व में और 28 लेटिन अमेरिका में हुई। आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि ही ज्यादा चिन्ता का विषय है।

हालांकि, आतंकवाद के कई रूप हैं। कई दफा इसका प्रयोग स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए किया जाता है। शक्ति के बल पर विदेशी सरकार के तख्ते को पलटना लोग सही समझते हैं। कई दफा इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, लोग कहते हैं कि आतंकवाद के बल पर वे भ्रष्ट सरकार का तख्ता बदल रहे हैं। यही पहलू है, जिससे वे रोमानी रवैया अपनाते हैं और दुःसाहसपूर्ण कार्यवाही करते हैं जिससे अन्ततः कोई व्यक्ति इतना दुःसाहसी हो जाता है कि वह अवहेलना करने···

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहिब, आतंकवाद में कोई रोमानी कैसे हो सकता है ?

प्रो० नारायण चन्द पराशर : वीर पूजा का यही अर्थ है। एक डाकू भी गरीब को थोड़ा धन देकर 'वीर' कहला सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति 'वीर' बन जाता है, इसलिए नहीं कि वह आतंकवादी है बल्कि इसलिए कि वह जिस कार्य के लिए लड़ रहा है वह उसे उचित और न्यायपूर्ण ठहराता है। वह विश्व को विश्वास दिलाता है कि वह एक अच्छा कार्य कर रहा है। वह दलित लोगों के लिए लड़ रहा है और समाज से अपील कर रहा है और इस तरह वह व्यक्ति 'हीरो' बन जाता है। अतः यह पहलू खतरनाक है।

निश्चय ही जो व्यक्ति आतंकवादी बन जाते हैं उन्हें किसी की जान और माल की कोई परवाह नहीं रहती। वह व्यक्ति नृशंस बन जाता है, उसमें मानवता नहीं रह जाती है।

जो भी हो, अमरीका में हम देखते हैं कि आतंकवाद साम्यवाद विरोधी हो गया है। अमेरिकी लोगों का कहना है कि आतंकवाद तभी न्यायोचित है जहां तक इसमें साम्यवाद है। अतः यह आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीयस्वरूप है जिसे उन्होंने पवित्र माना है। अन्य कुछ समाजों में, हमारे इतिहास के पहले चरण में, नैपोलियन युद्ध, आदि के समय में आतंकवाद देशभक्ति के आन्दोलन के रूप में था। लेकिन आज चिन्ता का विषय यह है कि इससे निर्दोष लोगों को आतंकित किया जा रहा है। आज का आतंकवाद अधिक भद्दा है। हमें इसकी निन्दा करनी चाहिए। अब वायुयानों का अपहरण किया जाता है, निर्दोष

6.00 म० प०

लोग डूब जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, उनका अपहरण कर लिया जाता है उनको बन्धक बनाया जाता है इसी तरह की घटनायें होती हैं लोगों के मन में भय और आतंक बैठा हुआ है। अतः पता चला है कि अलबामा में एक स्कूल है जो इसका प्रशिक्षण देते हैं और वहां अभी तक ऐसे 22 पाठ्यक्रम चल चुके हैं, वहां संगठित प्रयास किया जाता है, यह योजनाबद्ध तरीके और सतकर्ता से काम कराते हैं और आतंकवादियों को अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। उनका उद्देश्य सरकार को उलटना, सरकार, जैसे कि भारत सरकार को अस्थिर बनाना अथवा किसी देश में लड़ाई कराना तथा पाकिस्तान को युद्ध में सहायता देना भी हो सकता है। यह सब हो सकता है। लेकिन इस समय सबसे अधिक चिन्ता की और गम्भीर बात अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की है क्योंकि इससे हजारों निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। एयर इंडिया के बोइंग 741 फ्लाइट 182 का मामला एक ऐसा ही उदाहरण है। टी०डब्ल्यू०ए० जहाज का अपहरण किया जाना एक ऐसा दूसरा उदाहरण है। इन लोगों ने क्या अपराध किया है ? उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। फिर भी कई लोग अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं। हमें यह बात समझनी चाहिए। अमरीका में हम क्या देखते हैं ? वहां न्यायपालिका की एक उप-समिति है जिसके अध्यक्ष उनमें से एक श्री जेरेमियल डेन्टॉन हैं। उनका कहना है कि उन्हें पता लगाना होगा कि क्या आतंकवादी या आतंकवाद की गतिविधियों से अन्यर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। कोई अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। केवल अन्तर्राष्ट्रीय परम्परायें हैं। यदि आप बनाए जाने वाले कानूनों के बारे में सोच रहे हैं, तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मूलभूत कानून मानवता है। एक निर्दोष व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति ही आतंकवाद के शिकार होते हैं। अतः मानवता के विरुद्ध यह सबसे बड़ा अपराध है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इनके प्रशिक्षण पर हजारों डालर खर्च कर रही है। कभी ये निकारागुआ में विधि सम्मत लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को उलट देने का काम करते हैं। कभी ये दूरदराज देशों में अपना काम करते हैं और कभी भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में अपनी गतिविधियां करते हैं। यह कहना न होगा कि आतंकवादी गतिविधियां लोकतांत्रिक देशों की बजाय तानाशाही देशों में अधिक होती है। ऐसा शायद ही कोई उदाहरण हो। यह सिद्ध हो गया है कि आतंकवादी विश्व के किसी भी भाग में कहीं भी कुछ कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति इनका शिकार हो सकता है। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या से यह सिद्ध हो गया है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है और यदि विश्व के अन्य सभी भागों में भी आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है। हमारे राष्ट्रपिता ने अहिंसा से इतनी बड़ी लड़ाई अकारण ही नहीं लड़ी। भारत ने ही विश्व में अहिंसा का हथियार प्रदान किया है और आतंकवाद के भय को समाप्त करने का यही उचित उपचार है। हमें अपनी पूरी शक्ति से अपने महान नेताओं और गुरुनानक, गौतम बुद्ध, और महात्मा गांधी जैसे संतों की शिक्षाओं का सहारा लेकर इस दृष्टि से मुकाबला करना चाहिए कि हिंसा और आतंकवाद से विश्व का भला नहीं हो सकता और इससे मानवता को नुकसान होगा और कोई इसे बचा

नहीं सकता। महात्मा जी और गौतम बुद्ध द्वारा दिखाए गए रास्ते जैनवाद और बुद्धवाद और गांधी जी की अहिंसा का पालन करके ही मानवता को नष्ट होने से बचाया जा सकता है न कि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से इसे बचाया जा सकता है। इस पर करोड़ों डालर खर्च करना, दस्ते (स्क्वाड) भोजन, हजारों निर्दोष लोगों को मारने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए लोगों का तैयार रहना मात्र मतान्धता है। हमें इसे कहना चाहिए कि यह धर्मान्धता है, इससे कम कुछ नहीं है आतंकवाद की मनोवृत्ति का सामना घृणा से नहीं करना चाहिए तथा आतंकवाद विरोधी स्कूल खोलकर भी इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। हम जो भी कानून बनाते है, वे सभ्य समाज के कानून हैं। वे उनके कानून हैं जो इसका पालन करते हैं। आतंकवादी किसी कानून का पालन नहीं करते। उन्हें अपने जीवन से प्यार नहीं होता। उन्हें अपने सम्बन्धियों से प्यार नहीं होता। उन्हें ऐसी किसी चीज से लगाव नहीं होता जो मानवजाति के हित में हो। घृणा और हिंसा की मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप ही वे इस पृथ्वी पर निर्दयी जीव हैं। इसका सामना करने के लिए हमें अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो प्यार, स्नेह और अहिंसा का सन्देश दे सकता है। आतंकवाद, जिससे हमें छुटकारा पाना ही होगा, की मनोवृत्ति को इसी से समाप्त किया जा सकता है।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम पिछले दो घण्टे से इस सभा में आतंकवाद के प्रभावों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं तथा आतंकवादी गतिविधियों और अमरीका में श्री फ्रैंक के स्कूल और ऐसे अन्य स्कूलों, जहाँ आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, की निन्दा कर रहे हैं··· (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : तालियाँ केवल प्रधान मन्त्री के लिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : प्रो० मधु दण्डवते के लिए नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह साथ-साथ ही है;

माननीय सदस्य अपना स्थान लेंगे। अब प्रधान मन्त्री बोलेंगे।

6.06 म० प०

पंजाब के सम्बन्ध में वक्तव्य

[**अनुवाद**]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने दल को पंजाब की समस्याओं का समाधान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का वचन दिया था। मुझे सदन को यह सूचना देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुछ माह के बाद, हमने आज एक बहुत ठोस कदम उठाया है। करीब 20 मिनट पहले सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल और मैंने समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जिस कठिन घड़ी से यह देश गुजर रहा था आज उसका अंत हो जाएगा। यह अपने देश के निर्माण, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करने का एक नया चरण आरम्भ होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल के बीच हुए समझौते के ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०** 1154/85]

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : समझौते का ज्ञापन कहाँ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास है।

श्री राजीव गांधी : इस पर केवल 20 मिनट पहले हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी केवल एक ही प्रति है···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इसे पढ़ा जाना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। हमारा प्रधान मन्त्री से केवल यह अनुरोध है कि वह इसे पढ़कर सुनाएं।

श्री राजीव गांधी : क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे पढ़कर सुनाऊं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री राजीव गांधी : ठीक है, मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम कठिनाई समझते हैं···

श्री राजीव गांधी : इसमें कोई कठिनाई नहीं है। राज्य सभा को थोड़ा इन्तजार करना पड़ेगा। अन्यथा, ठीक है।

समझौते का ज्ञापन

1. मारे गये निरपराध व्यक्तियों के लिए मुआवजा :

1.1 एक अगस्त, 1982 के बाद हुई किसी कार्रवाई या आन्दोलन में मारे गए निरपराध लोगों को अनुग्रह राशि के भुगतान के साथ सम्पत्ति की क्षति के लिए मुआवजा भी दिया जायेगा।

2. सेना में भर्ती :

2.1 देश के सभी नागरिकों को सेना में भर्ती का अधिकार होगा और चयन के लिए केवल योग्यता ही आधार रहेगा।

3. नवम्बर दंगों की जांच :

3.1 दिल्ली में नवम्बर में हुए दंगों की जांच कर रहे न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र आयोग का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर उसमें बोकारो और कानपुर में हुए उपद्रवों को भी जांच के लिए शामिल किया जाएगा।

4. सेना से निकाले गए व्यक्तियों का पुनर्वास :

4.1 सेना से निकाले गए व्यक्तियों का पुनर्वास और उन्हें लाभकारी रोजगार दिलाने के प्रयास किए जायेंगे।

5. अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून :

5.1 भारत सरकार अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाने के विचार से सहमत है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य सम्बन्धित लोगों की सलाह से और सभी संमत संवैधानिक जरूरतें पूरी करने के बाद इस प्रयोजन के लिए विधेयक पेश किया जायेगा।

6. लम्बित मामलों का निपटाया जाना :

6.1 सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम को पंजाब में लागू करने वाली अधिसूचना वापस

हो जायेंगे। उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन आंशिक रूप से उन्हें सफलता मिली,—हमारी प्रधान मन्त्री की हत्या करवाकर। हमें मात्र श्री फ्रैंक या अमरीका में चलाये जा रहे लगभग 25 आतंकवादी स्कूलों की निन्दा करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इन स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाने या इनके चलाये जाने को रोकने के लिए अमरीकी संविधान में कोई बड़े संविधान संशोधन की आवश्यकता है। आखिरकार ये स्कूल अमरीका के कल्याण के लिए प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। उनका उद्देश्य विकासशील देशों में तोड़फोड़ करना और उनके टुकड़े करना है। वे ज्यादातर उन्हीं क्षेत्रों के लिए हैं, जहां अमरीका चाहता है कि शान्ति न रहे। अमेरिका चाहता है कि एशिया जलता रहे। अफ्रीकी देश जलते रहें, दक्षिण-पूर्व एशिया जलता रहे ताकि द्वितीय-विश्व युद्ध के बाद स्वतन्त्र हुए देशों का विकास रुका रहे।

श्रीमन्, मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ कि श्री फ्रैंक कैम्पर और उसके स्कूलों की निन्दा करना ही पर्याप्त नहीं है। जहां तक निर्णयों का सम्बन्ध है, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि हमें इन गतिविधियों का काफी पहले से पता होना चाहिए था। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि हमें और अधिक समर्पित कर्मचारी, विशेषकर अमरीका में भारतीय दूतावास में अधिकारी और कर्मचारी, नियुक्त करने चाहिए ताकि हमें इन आतंकवादियों की गतिविधियों का काफी पहले पता लग सकता। मैं किसी व्यक्ति विशेष का पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन मैं निश्चय ही अपने देश का, अपनी स्वतन्त्रा का और अपने देश की अखण्डता का पक्षधर हूँ, क्योंकि वे हमें सबसे अधिक प्रिय हैं; विदेशों में, अमरीका स्थित हमारे दूतावस में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के अगर यही विचार नहीं है तो उसका वहां रहने का कोई लाभ नहीं है।

6.27 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री जनार्दन पुजारी की ओर से मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 174/85-के० उ० शु० [सा० का० नि० 606 (अ)] की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 24 जुलाई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 70/85-के० उ० शु० को रद्द किया गया है, ताकि शुल्क-प्रदत्त रेजिन अथवा प्लास्टिक सामग्री से निर्मित जूतों के लिए दी गई उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी छूट वापस ली जा सके, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1153/85]

6.28 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा गुरुवार, 25 जुलाई, 1985/3 श्रावण, 1907 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिन्टर्स, के-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित।